राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या : 13

शनिवार,

26 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। राम राम सा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से तहसील कोटपूतली के किसानों को कस्टोडियन भूमि के खातेदारी अधिकार नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में; एवं
2. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से सीकर जिले में विद्युत विभाग द्वारा किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन डिमांड राशि जमा करने के उपरांत भी जारी नहीं करने के सम्बन्ध में।

दोनों ही प्रस्ताव आपने सुन लिये? ये स्थगन प्रस्तावों की भाषा में बिलकुल नहीं आते हैं, इसलिए मैं इनको रिजेक्ट करता हूं। इन पर इनको बोलने का भी हक नहीं देता हूं।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

बोलिये मत। कल जो स्थगन प्रस्ताव थे, जिनको मैंने दो-दो मिनट बोलने की स्वीकृति दी थी, आज उन पर बोलेंगे और दो मिनट ही बोलेंगे। Two minutes mean two minutes. दो मिनट होते ही मैं घंटी बजा दूंगा और उनको बैठ जाना पड़ेगा। नहीं बैठेंगे तो अंकित नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य: दो मिनट तो हो जायेगा ना?

श्री अध्यक्ष: दो मिनट तो हो जायेगा, दो मिनट और एक सैकंड हो जायेगा? लेकिन यह नहीं हो सकता है कि दो मिनट के बाद आधा घंटा, पौन घंटा बोलते रहें, यहां डिस्टर्ब करते रहें।

(श्री अध्यक्ष)

श्री अशोक, दो मिनट बोलेंगे। कल बोल लिये थे? नहीं बोले थे? अच्छा, क्षमा करना। एक मिनट। कल एक नम्बर ही आया और बोल नहीं सके थे। मैं सूचित नहीं कर सका था। बिराजिये। एक मिनट, अशोकजी, क्षमा चाहता हूं।

नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव जिन पर कल दो मिनट बोलने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है:-

1. श्री अशोक, सदस्य की ओर से राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु लगाये जाने वाले सिंगल फेज ट्यूबवैल, निर्धारित मापदंडों के विपरीत लगाये गये हैं/लगाये जा रहे हैं, के सम्बन्ध में;
2. श्रीमती शकुन्तला रावत एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से सरिस्का अभयारण्य वन क्षेत्र का सीमांकन करने के सम्बन्ध में;
3. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील मुख्यालय कोटड़ी एवं तहसील मुख्यालय जहाजपुर में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
4. श्री पूरणमल सैनी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विद्युत आपूर्ति मात्र 3-4 घंटे होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
5. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोलायत की देशनोक नगरपालिका क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 1,200 पात्र परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आबंटित राशि सम्बन्धित परिवारों के खातों में जमा नहीं करने, आवास निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
6. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जिला चूरू के तारानगर में मौसम आधारित बीमा में कम्पनी द्वारा तापमान कम मापने एवं बीमा क्लेम जारी करने से पूर्व किसानों से वार्ता करने के सम्बन्ध में;
7. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में खेती कर रहे बाड़मेर के किसानों को लुटेरी गैंग द्वारा भयभीत करने तथा दिनांक 17.07.2014 को बायतू के एक किसान की मोहनगढ़ नहर में निर्मम हत्या करने के सम्बन्ध में; एवं
8. श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से राजस्थान के एडवोकेट्स

(श्री अध्यक्ष)

की किसी एक प्रकरण में हाई कोर्ट द्वारा लिये गये कन्टेम्प्ट प्रकरण में स्वविवेक से लिये गये प्रसंज्ञान से एडवोकेट्स के हड़ताल पर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख

1. श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से उप खण्ड मुख्यालय बायतू पर कृषि उपज मण्डी खोलने के सम्बन्ध में;
2. श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य बीज निगम के बारां स्थित संयंत्र में जमा गेहूं के बीज को प्रमाणित करवाये जाने के सम्बन्ध में;
3. श्री विजय बंसल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में ग्राम पंचायत मरौली के ग्राम नंगला माना को राजस्व ग्राम घोषित करने के उपरान्त भी रास्ता नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
4. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), सदस्या की ओर से जिला भरतपुर के खटौटी (नदबई) में स्वीकृत 132 जी.एस.एस. को शीघ्र चालू कराने के सम्बन्ध में;
5. श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर में गैर-खातेदारी भूमि की खातेदारी दिलवाये जाने के सम्बन्ध में;
6. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्या की ओर से राजसमन्द एवं नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में लगे माइनिंग उद्योग में स्थानीय नवयुवकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में;
7. श्री गोरधन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद में फरवरी व मई माह में हुई ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में;
8. श्री राम लाल गुर्जर, सदस्य की ओर से राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा को विधि अध्ययन केन्द्र के रूप में बी सी आई, नई दिल्ली से मान्यता नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
9. श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से ब्यावर शहर में यू.आई.टी. बनाने के सम्बन्ध में;
10. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की पेयजल समस्या का समाधान करने एवं जलदाय विभाग में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

11. श्रीमती गोलमा, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र लालसोट के बिजली विभाग में कार्यरत दो ठेकेदार फर्मों मै. डी.के. इलेक्ट्रिकल, गोकुलपुरा एवं राहुल इलेक्ट्रिकल्स, नगरियावास द्वारा किये गये कार्यों की जांच करवाने के सम्बन्ध में; एवं

12. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से बाली मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले मुद्दे

1. श्री श्रीराम भींचर, सदस्य द्वारा विधान सभा क्षेत्र मकराना में राशन कार्ड नहीं बनाये जाने तथा बनाये गये राशन कार्डों की त्रुटियों के सम्बन्ध में;

2. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंटालिया द्वारा 'रमसा' एस.सी., एस.टी. छात्रों की छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण एवं एस यू पी डब्ल्यू की राशि का दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में;

3. श्रीमती अमृता मेघवाल, सदस्या द्वारा जालौर जिला मुख्यालय पर विधि महाविद्यालय एवं उपखण्ड सायला में महाविद्यालय के सम्बन्ध में; एवं

4. म. श्री रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य द्वारा वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

श्री अशोक। अब बोलिये आप। दो मिनट मतलब दो मिनट।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

निर्धारित मापदण्डों के विपरीत लगाए गए ट्यूबवैल

श्री अशोक (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एक बात बताना चाहता हूं, जो मैं फील्ड में घूमा और मैंने पाया, पी एच ई डी विभाग द्वारा लगाये जाने वाले सिंगल फेज ट्यूबवैल्स की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पेयजल संकट दिन-प्रति-दिन हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ विभाग द्वारा लगाये गये ट्यूबवैल्स किस प्रकार घोर अनियमितताओं से लगाये जा रहे हैं। ट्यूबवैल्स लगाने की मिनिमम थिकनेस

(श्री अशोक)

जो है, वह सरकारी थिकनेस 6 इंच की है 150 एम.एम. की और पी एच ई डी द्वारा साढ़े 4 इंच के ट्यूबवैल्स लगाये जा रहे हैं।

नैनवां पंचायत समिति अकेली में मैंने पता करवाया है कि 44 ऐसे ट्यूबवैल्स हैं जिनका 6 इंच का पैसा पास हुआ और साढ़े 4 इंच के लग रहे हैं। साढ़े 4 इंच के ट्यूबवैल्स होने से कई सौ गुना नुकसान जनता के पैसे का हो रहा है, जनता का हो रहा है, सरकार का हो रहा है। उनका तो केवल डेढ़ इंच ट्यूबवैल का पैसा बच जाता है लेकिन उसके अन्दर जो 6 इंच डिजाइन की जो मोटर होती है, वह मोटर उसमें जाने के बाद में पहले दिन ही खराब होती है। उसके बाद वह मोटर ट्यूबवैल में से नहीं निकल पाती है। पहले तो मोटर का पैसा खराब गया और एक बार मोटर खराब हो गयी, उसके बाद में वह ट्यूबवैल भी खराब हो गया। वह ट्यूबवैल और उस मोटर का पैसा केवल डेढ़ इंच का पैसा बचाने के चक्कर में पूरी तरह से व्यर्थ जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 44 ट्यूबवेल्स केवल एक नैनवां पंचायत समिति में हैं। इस पंचायत समिति का मेरे पास डैटा भी है, बाछौला में 2, मोडसा में 3, कोलायरा में 2 और रजलावता में 1, इस प्रकार 44 हैं।

श्री अध्यक्ष: इसके आगे अंकित मत करिये। सवा 2 मिनट हो गये।

श्री अशोक (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत। खयाल रखिये आप भी दो मिनट का।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, थोड़ा लिबरल रहिये।

श्री अध्यक्ष: जितना लिबरल रहा, उतना ही हुड़दंग मचता है। क्या फायदा उससे?

श्री अशोक (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, क्या फायदा? बात के लिए केवल दो मिनट की इजाजत है, बाकी की इजाजत नहीं है।

श्री अशोक (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री अशोक (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये आप।

श्री अशोक (हिण्डौली): ×××

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन।

श्री अशोक (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: आप चुप रहिये। एक शब्द मत बोलिये।

श्री अशोक (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: दो मिनट का है। यहां की व्यवस्था है कि दो मिनट आप बोलें। आप चुप रहिये।

श्री अशोक (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा।

सरिस्का अभयारण्य वन क्षेत्र का सीमांकन

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरिस्का अभयारण्य वन क्षेत्र के सीमांकन होने के बारे में कहना चाह रही थी। वहां सीमांकन होना चाहिए कि कौनसी भूमि तो वन क्षेत्र में आती है, कौनसी आबादी है, कौनसी गोचर है और कौनसी गैर-आबादी है। इसमें वन क्षेत्र की मनमानी थोड़ी होती है कि रजिस्टर्ड खान से भी जब किसान अपना मकान बनाने के लिए पत्थर लेकर आ रहा होता है और वह वन क्षेत्र से गुजर रहा है तो भी उसको पकड़ लिया जाता है और उस पर मोटा जुर्माना वसूला जाता है। जंगली जानवर सौ-सौ, पचास-पचास के झुण्ड में आकर किसानों की फसल को नष्ट कर देते हैं। वहां पर या तो वन क्षेत्र में छह-सात फीट की दीवार बनाई जाये, या कांटे के तार खींचे जायें जिससे वे फसल को बचा सकें।

वन क्षेत्र में भी यह नियमों में है कि मूलभूत सुविधाएं ग्रामवासियों को मिलनी चाहिए। वहां पर एक गांव है, ग्राम पंचायत ब्राह्मणवास कांकड में नांगलेड़ी, वहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए पैसा मंजूर है लेकिन परमिशन नहीं मिल रही है। वह पैसा लैप्स हो जायेगा। कृपा करके तुरन्त उसे मंजूरी दिलवायें जिससे कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सकें।

बहरोड़ में वन से जो वि:स्थापित हुए थे, उनको थ्री फेज बिजली देने का वादा किया था, लेकिन नहीं मिल रही है। वहां भी कनेक्शन कराने के लिए दें। धन्यवाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: मैं इजाजत दूं, तब नोट करोगे। मेरे से इजाजत लीजिये पहले।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपसे इजाजत ही ले रहा हूं। मैं बिना इजाजत के तो बोलता ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप बिना इजाजत के बोल रहे थे। हां, अब बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैंने यहां एक रूलिंग दी थी कि जितना-जितना समय जिस पार्टी का है वह उसको दिया जाये। आप आये मेरे पास कि इतना सख्त मत रहिये, लिबरल हो जाइये, लिबरल होने के साथ, आप थोड़ा उदारता से हमारे लोगों को बोलने दीजिये। मैंने आपकी बात मानी, लिबरल हो गया। आप भी आये थे, मैंने आपको माना, लिबरल हो गया। लिबरलनेस इस बात की अपेक्षा करती है कि आप मुझे सदन चलाने में भी सहयोग करेंगे। सदन चलाने में जब सहयोग नहीं मिलता है तो मुझे यह जो किताब है ना, आज मैं इसी से करूंगा सारा। सौ मिनट में आठ इनके बोलेंगे, सत्ता पार्टी के, एक आपका बोलेगा, एक उधर का बोलेगा। दस बोलने के बाद, फिर आठ इनके बोलेंगे, फिर आपका बोलेगा, एक आपका बोलेगा, एक उधर का बोलेगा। यही प्रक्रिया चालू रहेगी। (व्यवधान) आपका समय इतना ही है। ...(व्यवधान)...

रिपोर्टर्स ! मैं आपको इन्स्ट्रक्शन देता हूं कि मेरी स्वीकृति के बिना कोई खड़ा भी हो गया तो एक शब्द अंकित मत कीजिये। मेरा आपको निर्देशन है। +++ पत्रकार जगत को भी यह निवेदन करता हूं कि इस सदन को कवर करने के कुछ नियम हैं, उस मर्यादा का भी पालन करें और उनका सम्मान करते हुए यहां विराजें।

हां, अब बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आज सदन को चलते-चलते, 11 तारीख से चल रहा है। स्थगन प्रस्ताव हमेशा अपोजिशन की तरफ से आते हैं, सत्ता पक्ष के लोग स्थगन प्रस्ताव दे नहीं सकते। आपने कृपापूर्वक काफी स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किये। आम तौर पर दो मिनट की बात कही जाती है लेकिन दो की जगह पांच-छह मिनट हो ही जाते हैं। उसमें एक-दो मिनट में फ्लेक्सिबिलिटी रखने में, पांच मिनट तक कोई दिक्कत नहीं आती है। सुचारु रूप से सारा काम चल रहा था।

आज एकाएक, कल आपने यहां पर जब बीकानेर के बारे में बात चल रही थी, तब आपने यह फरमाया था, इसी सदन में, रिकार्ड में है, कल मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आपने कहा था। आज एकाएक आठ इधर से बोलेंगे,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एक इधर से बोलेगा। तो इससे तो, अध्यक्ष महोदय, या तो फिर आप हाउस चलायें, रात को बारह बजे तक; फिर तो पांच बजे तक का समय है, आगे चलाऊंगा नहीं। शिक्षा विभाग की मांगों पर चला बारह बजे तक, चिकित्सा की मांगों पर भी नौ बजे तक चला। इतना +++ हो जायेगा तो विपक्ष तो कुछ बात कह भी नहीं पायेगा।

मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रूलिंग के ऊपर पुनर्विचार करें, अन्यथा बैठे रहेंगे। फिर बैठ कर भी क्या होगा? जब आपने कह दिया...। दो मिनट की जगह चार मिनट और हुए हैं, इसी सत्र के अन्दर हुए हैं, श्रीमान्, दस मिनट भी हुए हैं, गत सेशन में भी हुए हैं, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सदन चलने दें।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये एक मिनट। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बीकानेर का मसला चला, चला, मैंने कहा कि चलने दो, गुलाबजी का पूरा होने दो, मैं पूरा समय दूंगा, पूरा समय दिया। आप सबने बोला, किसी को रोका हो तो बता दो। अब उसको बार-बार, हर बार लाना, यह कैसे अलाउ करूंगा मैं? फिर दे दिया, फिर सदस्यों ने कहा, फिर अलाउ नहीं करूंगा मैं। मैं इन नियमों के अनुसार चलना चाहता हूं लेकिन मुझे मजबूर किया गया तो स्ट्रिक्टली चलूंगा। आपकी बात मैंने पहले भी मानी है, आपने कहा कि दो मिनट नहीं; चलो, तीन मिनट। अब तो मंजूर? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप तो निवेदन सुनने से पहले ही फरमाना शुरू कर देते हैं। विडम्बना ही यही है। आप खड़े होंगे, मैं बैठूंगा; मैं बैठूंगा, आप खड़े होंगे।

श्री अध्यक्ष: आप अच्छे विधायक हैं। आसन जब खड़ा हो तो माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिये। यह अच्छे विधायक से अपेक्षा है। आप अच्छे विधायक हैं। यह नियमों में अपेक्षा है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरे अच्छे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। (व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिये। अध्यक्ष महोदय, सुबह से, पता नहीं, आपकी कृपा खतम हो जाती है। दिन बढ़ते ही आपकी कृपा बढ़ती चली जाती है। सुबह जब आप आते हैं तो बिलकुल कड़क होते हैं।

श्री अध्यक्ष: बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में आपने, कितना बड़ा स्कैंडल था, अशोकजी माननीय सदस्य, शायद आप पहली

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दफा आये हैं जीतकर, कम बोलते हैं, कोई ऐसी अनर्गल बात भी नहीं कह रहे थे कि आपने कह दिया, बैठ जाइये। आप दो की जगह, विषय की गम्भीरता देखकर....

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने गुलाब चन्दजी कटारिया, गृह मंत्री का पूरा भाषण कल सुना। आप मुझे बताइये, इधर तक जितनी बातें आईं, वे सब आईं। उसके बाद क्या रह गया था कि आप वाक-आउट कर गये? हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वाक-आउट के हमारे अधिकार को, अध्यक्ष महोदय, उसमें आप ...(व्यवधान)... आप मेरा निवेदन सुन लीजिये, मेरी बात सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका अधिकार है, वाक-आउट करना आपका अधिकार है। मुझे भी यह कहने का अधिकार है कि वाक-आउट का औचित्य है कि नहीं है। वाक-आउट आपने किस विषय पर किया? मैं सदन चलाता हूं, मैं सदन का स्पीकर हूं, मेरा भी यह अधिकार है, आप अपना वाक-आउट का अधिकार काम में लो, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मुझे यह कहने का भी अधिकार है कि वाक-आउट किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिये। फिर भी आप वाक-आउट करना चाहो तो करो। मुझे कहां एतराज है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इस वाक-आउट के अधिकार पर अंकुश लगाने की आप कृपया कृपा न करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मैं कहां कर रहा हूं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप हमको बोलने में नियमों में बांध सकते हैं लेकिन आप वाक-आउट के हमारे अधिकार को...

श्री अध्यक्ष: कतई नहीं। (व्यवधान) कतई नहीं। जितना चाहो, आप उतना वाक-आउट कीजिये। इस अधिकार पर आपने फिर से टिप्पणी की है। वाक-आउट का कोई कारण होना चाहिए। राजस्थान की जनता को वाक-आउट का कारण बताने का उद्देश्य होना चाहिये। (व्यवधान) आप यूं ही हल्ला करते-करते चले जाओ। कोई कारण तो होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठिये। मैंने उनको इजाजत दे रखी है। (व्यवधान) The floor is in his control. आप बैठिये। बोलिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हमने माननीय कटारिया साहब की बात पूरी तरह सुनी, शांति से सुनी, कटारियाजी की पूरी बात सुनी। सिर्फ एक बात थी जिस पर हमने मांग की। हम इनका सम्मान करते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं सदन में, कौन क्या कहेगा, इसकी मुझे परवाह नहीं, कोई कुछ कहे। एक बार जो बात कहते हैं कटारियाजी, इनकी बात को हम गम्भीरतापूर्वक लेते हैं, लाइटली नहीं लेते। आज से क्या, जब वह 2003-2008 के अन्दर भी कटारियाजी, हमारी तरफ के सारे लोग कहते थे कि कटारियाजी ने कह दिया, मीन्स, एक तरह से भीष्म पितामह की सी स्थिति थी उस कार्यकाल में। कोई माने और चाहे नहीं माने।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, हमने सुना कि एक मुद्दा था, किस बात पर वाक-आउट किया? हमारी मांग थी, सी बी आई की इन्क्वायरी करवाई जाये। उन्होंने कहा कि नहीं, एस ओ जी से करवाऊंगा। हम कोई मजबूर तो सरकार को कर नहीं सकते। सी बी आई वाली बात जो कही थी, अगर आप इस बात पर भी अंकुश लगायें, इसी बात से आसन को कुछ नागवार गुजरा हो। उसके बाद, सब बात सुनने के बाद, चले गये वाक-आउट करके।

श्री अध्यक्ष: नागवार कतई नहीं गुजरा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): फिर उस बात का जिक्र भी क्यों किया यहां?

श्री अध्यक्ष: नागवार कतई नहीं गुजरा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): फिर आपने जिक्र ही क्यों किया इस बात का?

श्री अध्यक्ष: नागवार नहीं गुजरता किसी का भी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): श्रीमान्, यह तो हमारा संवैधानिक, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मूल सिद्धान्त है।

श्री अध्यक्ष: हथियार है। हथियार है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): प्रतिपक्ष का काम है। अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, हमारा वाक-आउट करने का, विधान सभा में, हमारा अधिकार है और रहेगा।

श्री अध्यक्ष: रहेगा। कोई मना नहीं कर सकता। (व्यवधान) कोई मना नहीं कर सकता।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं, पूर्व में भी जब आपने चिकित्सा की मांग आई थी, आपने रिलेक्सेशन दिया, आपने अलाउ किया, मैं तीन-एक का रेशो करता हूं, फिर चार-एक का रेशो कर दिया। आज सुबह-सुबह एकाएक, न जाने आपको क्या हो गया, कि हम कल वाक-आउट कर गये। कोई आपके विरुद्ध या आसन का अपमान करके तो हम गये नहीं थे। हमने तो सिर्फ एक बात की मांग की थी, सी बी आई की और आज भी लोग कहेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आज होम विभाग की मांग है, यह बात फिर आएगी इसके अन्दर।

श्री अध्यक्ष: बोलिए ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तो उस बात को रोकोगे कैसे?

श्री अध्यक्ष: रोकने की कतई इच्छा नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह रोकने की दिशा में आपका पहला कदम है, श्रीमान्, 'प्यार की दुनिया में रखा है पहला कदम', वह वाली बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बताएं, दो मिनट का मतलब आधा घंटा हुआ? दो मिनट तो विशेष व्यवस्था है समय देने की।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा लम्बा अनुभव है, दो मिनट के आधार पर इसी सदन के अन्दर लोग 5-5, 7-7 मिनट बोले हैं। 5 मिनट में heavens are not going to fall. Make it very clear about it.

श्री अध्यक्ष: आपका अनुभव होगा। मैं उसमें नहीं करना चाहता। (व्यवधान) विराजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अव्यवस्था फैलती है इन बातों से।

श्री अध्यक्ष: आप कुछ कहेंगे?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अब कुछ कहना ही नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। नहीं कहना है तो चलो, भाई।

धीरज गुर्जर।

(अनुपस्थित)

श्री अशोक (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: नो। उनका अधिकार है दो मिनट का।

श्री पूरणमल सैनी।

श्री अशोक (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: यह टेबल नहीं होता है। सामान्य बहस नहीं है यह, विशेष स्थिति है।

खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में न्यून विद्युत आपूर्ति

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में, प्रक्रिया नियमों के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युत विभाग के द्वारा जब बिजली देने का काम गांवों में किया गया, विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में 106 राजस्व ग्राम हैं उनमें से 36-37 गांवों में सर्वप्रथम बिजली प्रोसेसिंग चालू हुई थी। उन ग्रामों में 11 के वी के पोल पुराने हो चुके हैं, उनमें सीमेंट, कंक्रीट और सरिये होते हैं वे गल गये हैं। जब थोड़ा-सा भी अंधड़ आता है तो 11 के वी के पोल गिर जाते हैं और लाइट बहुत कम, कभी दो घंटे, कभी तीन घंटे ही सप्लाई हो पाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पुराने समय के डाले गये वायरों को और पुराने समय में लगाये गये पोलों को, उनकी जगह पुनर्स्थापित करते हुए, उन गांवों को बिजली देकर अनुगृहीत करें।

दूसरा, मैं चाहूंगा कि जिन गांवों में लोग आबादी बस्तियों से जाकर कुओं पर आबाद हो गये हैं लेकिन उनको गैर-आबादी बोलकर विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। उनके बालक-बालिकाओं को पढ़ने में भी असुविधा हो रही है।

श्री अध्यक्ष: आपने विषय दिया है केवल विद्युत वितरण का। अब आप विराज जाइये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): बिजली से सम्बन्धित ही तो है।

श्री अध्यक्ष: दूसरे विषय नहीं आएंगे। जो आपने लिखकर दिया है, वही आएगा।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): पोल के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवरसिंह।

देशनोक नगरपालिका क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आवास सुविधा की उपलब्धि में शिथिलता

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 50 के तहत मैं आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत के अन्तर्गत देशनोक नगरपालिका आती है। देशनोक नगरपालिका में वर्ष 2013 में राज्य या केन्द्र सरकार की योजना के तहत बी पी एल और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों का चयन करके, उन्हें 70 हजार प्रति परिवार के हिसाब से अपना घर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए, एक योजना स्वीकृत की गयी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देशनोक नगरपालिका के द्वारा 1,200 पात्र परिवारों का सर्वे कराकर चिह्नित किया गया। सरकार द्वारा करीब 9 करोड़ रुपये की राशि भी देशनोक नगरपालिका को आबंटित कर दी गयी, उनके खाते में समायोजित कर दी गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन 1,200 पात्र परिवारों को पहले, विधान सभा चुनाव की आचार संहिता होने के वजह से उनके खाते में आवास की सुविधा का जो पैसा स्थानान्तरित किया जाना था, वह नहीं किया गया। विधान सभा के चुनाव निकलने के बाद लोक सभा के चुनाव निकल गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: ध्यान खींच लिया, आपने मेरे माध्यम से खींच लिया। (व्यवधान) श्री सुखराम विश्नोई। विराजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य ने कहा, 1,261 मकान देशनोक में जो स्वीकृत हुए, इनकी एक शिकायत हुई और शिकायत होने पर इसकी जब जांच हुई तो 835 परिवार तो ऐसे निकले जिनके पास पक्के मकान थे; 196 परिवार ऐसे निकले जिनके पास कच्चे मकान थे; 191 परिवार आवासहीन होना और 12 बी पी एल में नहीं थे। इसके कारण से, इसकी पूरी डिटेल है, इन 1,261 लोगों की जांच चल रही है। जांच होने के बाद जो पात्र होंगे, उनको यह सुविधा मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

तारानगर (चूरू) में मौसम आधारित बीमा योजना में बीमा कम्पनी द्वारा अनियमितताएं

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि तारानगर में किसान पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे हैं। किसानों को इन दिनों खेतों में होना चाहिए, लेकिन वे धरने पर बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि मौसम आधारित बीमा कम्पनी ने, इसका हैडक्वार्टर हैदराबाद है, यहां से जो टर्मशीट भेजी गयी मौसम के बारे में, तापमान के बारे में, वह गलत भेजी गयी। एस डी एम हैडक्वार्टर पर जो मीटर लगा हुआ है, उस मीटर की रीडिंग को न मानकर इन्होंने मनचाही रीडिंग हैदराबाद भेजी है। माइनस चार डिग्री तापमान न बताकर, माइनस दो डिग्री बताया गया है, जबकि तारानगर में गत वर्ष रबी की फसल में चार डिग्री तापमान पहुंचा था। किसान धरने पर बैठे हैं।

सम्भाग का, बीकानेर दौरा था, तो माननीय कृषि मंत्री किसानों से मिले थे, मुख्य मंत्री स्वयं मिली थीं, कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी मुख्य मंत्री से वार्ता कराएंगे। तीन-चार बार बात की, टेलीफोन से भी, वहां पर धरने पर बैठे हुए भी कृषि मंत्री से बात की।

माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पर थोड़ा-बहुत वक्तव्य दिया जाय। उन किसानों को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष: सरकार ने सुन लिया है।

श्री हनुमान बेनीवाल।

जैसलमेर में बाड़मेर के कृषकों को असामाजिक तत्वों द्वारा परेशानियां

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मोहनगढ़ के अन्दर बायतू के किसान गमडाराम और उसके परिवार पर वहां की लुटेरी गैंग ने हमला किया। यह 17 जुलाई की बात है। मोहनगढ़ थाने में एफ आई आर 86/14 दर्ज हुई। पुलिस वहां 10 घण्टे देरी से पहुंची। ग्रामीणों ने तीन अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। करीब एक दर्जन अपराधी थे। मगडाराम के बच्चे के भी चाकू लगा, उसकी पत्नी के भी चोटें आयीं। इसकी निर्मम हत्या कर दी गयी। अध्यक्ष महोदय, वहां से लोग पलायन कर गये। बाड़मेर के लोग वहां नहरी क्षेत्र के अन्दर कमाकर खाने के लिए गये हुए हैं। वे इस लुटेरी गैंग से इतने

(श्री हनुमान बेनीवाल)

पीड़ित हैं कि उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही। कई परिवार मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र से पलायन करके अपने इलाके में चले गये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बचे हुए जितने भी अपराधी हैं जिन्होंने वहां कोहराम मचा रखा है, उस नहरी इलाके के अन्दर, सीमावर्ती इलाके के अन्दर, बाड़मेर में सरली के पूर्व सरपंच पूराराम पर एक आदतन अपराधी ने हमला किया, जिसका बाड़मेर थाने में मुकदमा दर्ज है। अभी उन अपराधियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। लोग सीमावर्ती इलाके में डर के साये में जी रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दोनों मामले बहुत गम्भीर प्रवृत्ति के हैं और लोग राजस्थान के अन्दर कानून-व्यवस्था की कमजोरी के कारण पलायन करने को मजबूर हैं। इसलिए सरकार इस दिशा में ध्यान दे और बचे हुए अपराधियों को तुरन्त पकड़ने की व्यवस्था करे और इस लुटेरी गैंग के खिलाफ कड़ी कार्यवाही राजस्थान की सरकार करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षित कर दिया।

मानिक चन्दजी सुराना।

(अनुपस्थित)

आज एब्सेंट हैं।

आप रेस्पोंड कर रहे हैं क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जैसा आपने स्वयं बताया, 17.7 को ही मुकदमा दर्ज हो गया और मुकदमे की कार्यवाही में दो मुलजिम पकड़े भी गये हैं। बाकी के बारे में, जैसे-जैसे केस आगे बढ़ेगा और जानकारी में आएगा, उसके आधार पर कार्यवाही होगी। इसमें एक मिनट भी कहीं डिले नहीं हुआ।

गैंग कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी ही जमीन के लेन-देन के बारे में कोई विवाद था, इस कारण से आये थे। उसका भाई चोखाराम, जो काका का लड़का है, जब वह स्वयं मौके पर आया तो उनको भागते हुए देखा। उसने उनका नाम तक बताया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। मैं माननीय सदस्यों को

(श्री अध्यक्ष)

निवेदन करना चाहता हूं, (व्यवधान) जो आपने लिखकर दिया है, नियमानुसार उसको कृपया पढ़कर यहां रखें।

श्री कैलाश चौधरी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बायतू उपखण्ड मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी की स्थापना

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत उपखण्ड मुख्यालय बायतू पर कृषि उपज मण्डी स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

बायतू उपखण्ड मुख्यालय पर किसानों और व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए कृषि उपज मण्डी को खोलना बहुत जरूरी हो गया है। कृषि मण्डी के अभाव में किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्हें अपनी पैदावार बेचने के लिए 60 किलोमीटर तक चलकर, कृषि उपज मण्डी, बालोतरा जाना पड़ता है, या 55 किलोमीटर तक चलकर, कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर जाना पड़ता है, जिसके कारण किसानों का अनावश्यक धन और समय बरबाद हो रहा है। यही नहीं, दूर-दराज से चलकर, कृषि उपज मण्डी, बालोतरा तथा कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर चलकर जाने वाले किसानों के साथ वहां के स्थानीय व्यापारी भी अपनी मनमर्जी करके किसानों की फसलों को औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर कर देते हैं। इस क्षेत्र के किसान, अपनी हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जब उन्हें अपनी फसल का समुचित दाम नहीं मिलता है, इसके कारण वे अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक प्रकार से, इस क्षेत्र के किसानों के साथ वास्तव में अन्याय हो रहा है।

पिछले विधान सभा सत्र के दौरान मैंने बायतू में कृषि उपज मण्डी खोलने का मुद्दा याचिका के माध्यम से उठाया था, जिसके बारे में हवाला दिया गया कि बायतू में कृषि उपज मण्डी खोलने की आय की सीमा-शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं जिसके कारण बायतू में कृषि मण्डी खोला जाना सम्भव नहीं है। वैसे देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की योजनाओं के लिए, राज्य के अन्य जिलों के लिए बनने वाली नीति-नियमों को ध्यान में रखते हुए इन जिलों में विकास कार्य को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

आज बाड़मेर जिला राज्य के अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक

(श्री कैलाश चौधरी)

राजस्व प्रदान करता है। तो यहां की जनता को जरूरी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को नियमों में कुछ शिथिलता देते हुए विकास कार्यों को करवाना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, कृषि उपज मण्डी बायतू में खोलने के लिए जरूरी नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए, कृषि उपज मण्डी की स्वीकृति दी जानी चाहिए जिससे इस क्षेत्र के किसानों, आम जनता और व्यापारियों को समुचित सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित कुमार।

राजस्थान राज्य बीज निगम के बारां स्थित संयंत्र में जमा गेहूं के बीज का प्रमाणीकरण

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बीज निगम के बारां स्थित संयंत्र में गेहूं के जमा बीज का प्रमाणीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में निवेदन है।

जिला मुख्यालय स्थित बीज निगम संयंत्र में वर्ष 2013-14 के लिए गेहूं की विभिन्न किस्मों के लिए निगम से बीज उत्पादन प्रोग्राम किसानों द्वारा लिया गया था। इस प्रोग्राम में वर्ष 2013-14 में किसानों ने विभिन्न किस्मों का 92 हजार क्विंटल गेहूं बीज संयंत्र में जमा करवाया था जिसे हर वर्ष की भांति संयंत्र में ग्रेडिंग कर किसान को उचित मूल्य दिया जाता है, परन्तु 85 हजार क्विंटल गेहूं बीज भण्डार में कमी बताकर बीज प्रमाणीकरण संस्था के निदेशक के आदेश अनुसार 11 जुलाई को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त करने का कारण किसानों द्वारा जमा की गई बोरियों पर चिह्नित कोड न होना बताया गया है, परन्तु प्रत्येक किसान संयंत्र में गेहूं प्रोग्राम जमा कराते समय चिह्नित कोड लगाकर जमा करवाता है। जमा कराने के पश्चात् गेहूं प्रोग्राम को ग्रेडिंग कराने की जिम्मेदारी राजस्थान राज्य बीज निगम संयंत्र के अधिकारियों व कर्मचारियों की होती है। ग्रेडिंग के समय गोदामों से जो बोरियां निकाली गईं उन पर चिह्नित कोड न होने की बात कहकर किसानों का 85 हजार क्विंटल गेहूं, निरस्त कर दिया गया है। अब बीज निगम के अधिकारीगण 85 हजार क्विंटल गेहूं को वापस किसानों को लौटाने की तैयारी कर चुके हैं।

अगर किसान इस गेहूं को बाजार में बेचता है तो जो मूल्य प्राप्त होगा, वह लगभग 1,400 रुपये प्रति क्विंटल होगा, परन्तु बीज निगम द्वारा पुन: जांच कर किसानों द्वारा लगाये गये चिह्नित कोड का निरीक्षण कर 85

(श्री ललित कुमार)

हजार क्विंटल गेहूं को ग्रेडिंग व प्रमाणित कर जो मूल्य सरकार व निगम ने लगभग 1,800 रुपये प्रति क्विंटल देने का प्रावधान रखा है, इससे किसान को 400 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ होगा। इसे निदेशक के निर्देश दिनांक 11 जुलाई के अनुसार रखा गया, तो प्रत्येक जिस किसान ने भी राजस्थान राज्य बीज निगम बारां से जो गेहूं का प्रोग्राम लिया है, उस पर वर्तमान में गेहूं के बाजार मूल्य के अनुसार 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ेगा। जिला मुख्यालय पर निजी क्षेत्र की एक मात्र बीज उत्पादन कम्पनी को बाजार में खुली छूट देने का यह तरीका गलत है।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि विभाग की कमी की सज़ा किसानों को भुगतने की कार्यवाही को विराम देकर, बारां स्थित संयंत्र की प्रमाणीकरण संस्था द्वारा फेल किये गये उस बीज के विधायन या ग्रेडिंग करने की स्वीकृति दिलाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: श्री विजय बंसल।

नंगला माना ग्राम (भरतपुर) में रास्ते का विवाद

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत मरौली में ग्राम नंगला माना स्थित है। उक्त ग्राम वर्ष 2001 में राजस्व ग्राम घोषित हो चुका है लेकिन आज तक इस ग्राम के लिए कोई रास्ता नहीं बना है। इस कारण ग्राम के बीमार लोग, गर्भवती महिला आदि को आकस्मिक घटना के दौरान बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले वर्ष अस्थायी रास्ते को लेकर ग्राम सेनावली एवं ग्राम नंगला माना के बीच काफी बड़ा झगड़ा हो चुका है, जिसमें काफी प्रयास के बाद खून-खराबा रोका गया था।

मैंने गत सरकार के समय में भी विभिन्न प्रश्नों एवं पर्ची के माध्यम से सदन में उक्त मुद्दे को उठाया था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गत सरकार ने उक्त समस्या के बारे में कोई कारगर कदम नहीं उठाये।

अत: मेरा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से आत्मीय निवेदन है कि उक्त ग्राम के रास्ते को, यदि कोई सरकारी रास्ता नहीं है, तो खातेदारों की जमीनों का अधिग्रहण कर, आम रास्ते का निर्माण करवाने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)।

खटौटी (नदबई) में स्वीकृत 132 जी.एस.एस. की शीघ्र शुरूआत

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव खटौटी में स्वीकृत किये गये 132 के.वी. जी.एस.एस. की ओर दिलाना चाहूंगी, जो अभी तक चालू नहीं हो पाया है। इसकी वजह से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के ग्रामीण इलाकों में काफी समय से विद्युत समस्या विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि नदबई स्थित 220 के.वी. जी.एस.एस. से 33/11 के.वी. के 9 जी.एस.एस. जुड़े हुए हैं जिनसे क्षेत्र के करीबन 200 गांवों को विद्युत सप्लाई की जा रही है। वर्तमान समय में बढ़ती विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए, इन जी.एस.एस. की स्थिति ओवरलोड की सीमा को पार कर गई है, जिसके कारण इन गांवों में 6 घंटे विद्युत आपूर्ति करने में काफी परेशानी हो रही है तथा वोल्टेज भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। अधिक विद्युत लोड के कारण आये-दिन फाल्ट की समस्या बनी रहती है जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अत: मेरा निवेदन है कि उपरोक्त विद्युत समस्या के समाधान के लिए 132 के.वी. जी.एस.एस. जो खटौटी में स्वीकृत किया जा चुका है, जिसकी चारदीवारी का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है, को शीघ्र चालू कराने की कृपा करें ताकि क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को समुचित सप्लाई मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जयराम जाटव।

अलवर में गैर खातेदारी भूमि के खातेदारी अधिकार उपलब्ध कराना

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के तहत विधान सभा क्षेत्र अलवर में गैर खातेदारी भूमि की खातेदारी दिलवाये जाने के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण क्षेत्र अलवर तहसील का ग्रामीण भाग है। नगर सुधार न्यास, अलवर ने 15 किलोमीटर दूर तक किसानों की भूमि का अधिग्रहण करा लिया है। अधिग्रहण

(श्री जयराम जाटव)

भूमि को पेरिफेरी सीमा में तय करने के पश्चात्, किसानों की भूमि में गैर-खातेदारी भूमि को खातेदारी में लेने के लिए किसानों को जो सरकारी कीमत सिंचित 2,000, गैर-सिंचित 1,000 के बजाय डी एल सी की 20 प्रतिशत दर से कीमत जमा कर किसानों को गैर-खातेदारी भूमि से खातेदारी सनद पट्टा दिया जाता है। जबकि किसानों की इस भूमि का न्यास द्वारा अधिग्रहण तो किया गया है परन्तु किसान को न्यास द्वारा एन सी आर से क्या लाभ मिला?

इस न्यास की पेरिफेरी में अधिकांश गैर-खातेदारी अनुसूचित जाति वर्ग की है। राजस्थान प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि का विक्रय अन्य वर्ग की जाति को नहीं किया जाता है। अन्य वर्ग में अनुसूचित जाति का बेचान नहीं होने पर, अनुसूचित जाति की भूमि बहुत कम कीमत में बिक रही है। इस कारण अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि गैर-खाते से खातेदारी में लेने के लिए सरकारी कीमत ना लेकर डी एल सी रेट की 20 प्रतिशत जमा कराने से अनुसूचित जाति वर्ग ना तो इस कीमत को जमा करा पाता है, न ही किसान को खातेदारी मिल पा रही है। नगर सुधार न्यास, अलवर के जमीन अधिग्रहण करने से किसान बरबाद हो रहे हैं।

मेरा यह आग्रह है कि राजस्थान सरकार इस कानून में संशोधन कर अलवर जिले के ग्रामीण किसानों को गैर-खातेदारी से खातेदारी हक दिलवाने व अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को तुरन्त खातेदारी हक दिलवाकर राजस्थान सरकार राहत प्रदान करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द एवं नाथद्वारा स्थित माइनिंग उद्योग में स्थानीय नवयुवकों को रोजगार की उपलब्धि

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से राजसमन्द एवं नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में लगे माइनिंग उद्योग में स्थानीय नवयुवकों को रोजगार देने के क्रम में।

वर्तमान सरकार प्रदेश में उद्योगों को काफी बढ़ावा दे रही है लेकिन जो उद्योग हमारे यहां राजसमन्द एवं नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के रेलमगरा तहसील में लगाये गये हैं, चाहे वह माइनिंग उद्योग या कोई अन्य हों, उनमें स्थानीय युवकों को नौकरी नहीं दी जाती है, जबकि ये युवक उद्योगों में कार्य

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

करने की योग्यता रखते हैं। रेलमगरा तहसील के जिन गांवों की जमीन उद्योगों में ले ली गई है, उन गांवों में बी.टेक., पोलीटेक्निक, डिप्लोमा, आई टी आई किये हुए काफी नौजवान बेरोजगार हैं। इन गांवों से उद्योगों के लिए जमीन की एन ओ सी ले ली एवं स्थानीय नौजवानों को नौकरी नहीं देते।

इन उद्योगों के जहरीली गैस से पर्यावरण भी दूषित हो रहा है और माइनिंग के उद्योग से आसपास की जमीन में पानी का स्तर दिन-प्रतिदिन नीचे जा रहा है। जो पीने का पानी मिल रहा है, वह भी फ्लोराइडयुक्त है। इससे रेलमगरा तहसील के गांवों के लोग बहुत परेशान हैं। स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिलने से युवा बेरोजगारों में भारी आक्रोश है व जन आंदोलन की तैयारी में हैं।

अत: उपरोक्त विषय को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इन उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को नौकरी मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन।

धोद में ओलावृष्टि से नष्ट फसलों का मुआवजा

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

विधान सभा क्षेत्र धोद में फरवरी व मई माहों में ओलावृष्टि से लगभग दो दर्जन गांव प्रभावित हुए थे। फरवरी माह में कासली, रामपुरा, संतोषपुरा, पुराछोटी, नेतड़वास, नागवा, ओला की ढाणी, रामबक्सपुरा, धोद, भुंवाला, रूपपुरा, माण्डोली, भवानीपुरा, खुडदी, लोसल रामपुरा, जेरठी, अजीतपुरा तथा पलथाना, इत्यादि गांवों में सरसों, चना, जौ तथा गेहूं की फसलें नष्ट हो गईं। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में किसानों को मुआवजा दिया गया था लेकिन धोद विधान सभा क्षेत्र के इन गांवों के किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है।

मई माह में लगभग इन्हीं गांवों में ओलावृष्टि हुई जिसमें कासली, रामपुरा, पुराछोटी, ओला की ढाणी, नेतड़वास, सोमालाई बालाजी, रामबक्सपुरा व धोद के आसपास हुई प्राकृतिक आपदा से किसानों द्वारा तैयार किये जा रहे तरबूज, टिण्डा, ककड़ी तथा मिर्च का भयंकर नुकसान हुआ था। इन फसलों पर बूंद-बूंद सिंचाई व ब्लीचिंग के द्वारा काफी खर्च होता है।

ओलावृष्टि से फसलें पूर्णतया नष्ट हो गई हैं। इसलिए किसानों को राहत प्रदान करने के लिए मुआवजा राशि प्रदान की जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राम लाल गुर्जर।

राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा को BCI नई दिल्ली से मान्यता

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख– राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा में आ रही बाधा के निराकरण हेतु।

बिन्दु संख्या 1-बी सी आई, नई दिल्ली से राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा को अनुमोदित विधि अध्ययन केन्द्र के रूप में अभी घोषित कराना बाध्यकारी है। इसके लिए सभी नियमों का पालन करवाना आवश्यक है।

बिन्दु संख्या 2-राजस्थान सरकार (उच्च शिक्षा विभाग) की उच्च शिक्षा नीति सत्र 2005-2006 से लेकर 2013-2014 तक में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि बी सी आई/यू जी सी, नई दिल्ली से मान्यता मिलने के बाद ही राजकीय विधि महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु बी सी आई/यू जी सी, नई दिल्ली का अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास करायें।

बिन्दु संख्या 3-राजकीय विधि महाविद्यालय सेवा नियम, 2014 तथा स्वतंत्र सेवा संवर्ग घोषित किया जाना एक पूर्ववर्ती विधिक शर्त है, जिसके पश्चात् ही बी सी आई, नई दिल्ली मान्यता प्रदान करेगा।

बिन्दु संख्या 4-राजकीय विधि महाविद्यालयों के लिए प्रथम वर्ष विधि में न्यूनतम प्रवेश सीमा 240 के स्थान पर 300 सत्र 2013-2014 से आगामी सत्रों के लिए आदेशित व अनुमोदित कराया जाना राजस्थान राज्य के लिए आवश्यक है, अन्यथा हमारे गरीब ग्रामीण एवं दलित वर्ग के छात्र किस प्रकार विधि शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे? राजकीय विधि महाविद्यालयों में शुल्क कम है, जबकि निजी विधि महाविद्यालयों में शुल्क रुपये 15,000 व अधिक है।

बिन्दु संख्या 5-राजकीय विधि महाविद्यालयों के लिए समस्त ढांचागत सुविधाएं और पर्याप्त स्टाफ मुहैया कराया जाये, जिसके पश्चात् ही मान्यता मिल पायेगी।

बिन्दु संख्या 6-राजकीय विधि महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले एस सी/एस टी/ओ बी सी/एस बी सी/अल्पसंख्यक/अन्य गरीब छात्रों के लिए प्रति छात्र कम से कम 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रति वर्ष संस्वीकृत कराई जाये।

(श्री राम लाल गुर्जर)

अत: मेरा सरकार के माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त गम्भीर विषय को ध्यान में रखते हुए छात्रों के भविष्य के लिए कारगर कदम उठाये जायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर शहर में यू आई टी की स्थापना

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख- ब्यावर शहर में यू आई टी शुरु कराने हेतु।

ब्यावर शहर राजस्थान का 13वां बड़ा शहर है। यहां की जनसंख्या तीन लाख से भी अधिक है। राजस्थान में सबसे बड़ा उपखण्ड है। रेवेन्यू के नाम पर आज भी 15 जिलों से भी ज्यादा 1,800 करोड़ की रेवेन्यू ब्यावर से राजस्थान सरकार को मिल रही है लेकिन फिर भी यहां जिला मुख्यालय नहीं है, यू आई टी नहीं है। इससे यहां का सारा विकास रुका हुआ है। आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है। कई जमीनों को कई भू-माफियाओं के द्वारा हड़पा जा रहा है। हमारी सरकार में जनवरी, 2014 में सरकार के द्वारा सर्वे कराया गया था और कहा गया था कि यू आई टी की आवश्यकता है, और भी कहा गया कि यू आई टी होनी चाहिए। उस सर्वे में ब्यावर का नाम प्रमुख रूप से एक नम्बर पर आया था, जो आज भी रिकार्ड पर उपलब्ध है। प्रचार-प्रसार भी सभी समाचार पत्रों में हुआ था लेकिन मुझे बहुत ही निराशा हुई क्योंकि बजट की सूची में भी ब्यावर शहर में यू आई टी का नाम नहीं आया है।

अत: आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि ब्यावर शहर में जिला/यू आई टी अतिशीघ्र शुरू करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

सादुलपुर में पेयजल समस्या का समाधान एवं रिक्त पदों की पूर्ति

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव- सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या एवं जलदाय विभाग में रिक्त पदों को भरने बाबत।

(श्री मनोज कुमार)

मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में लगभग 200 गांव व ढाणियां हैं; साथ ही, एक तहसील हैडक्वार्टर व एक उप तहसील कार्यालय भी है। इतने लम्बे व बड़े क्षेत्र में पानी की बहुत भारी किल्लत है। जमीन का पानी भी खारा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग पूर्णत: जलदाय विभाग पर ही आश्रित हैं। आधे से ज्यादा गांवों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां उन गांवों में पानी की व्यवस्था किसी भी माध्यम से करवाई जाये। शहर की सप्लाई भी 10 से 15 दिनों के भीतर की जाती है। अगर शहर में पानी की सप्लाई 10-15 दिनों के बीच की जाती है तो ऐसी स्थिति में वहां के लोग पानी के लिए भारी किल्लत झेल रहे हैं। जलदाय विभाग में लीकेज हो जाने पर लीकेज ठीक करने वाला कोई कर्मचारी नहीं है।

वर्तमान में सादुलपुर शहर में दो सहायक अभियन्ता व चार कनिष्ठ अभियन्ता के पद स्वीकृत हैं और सारे ही पद रिक्त हैं। इतने बड़े क्षेत्र में जलदाय विभाग को सम्भालने वाला कोई नहीं है जिससे आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रिक्त पदों को भरने बाबत् मेरे द्वारा पूर्व में भी सदन में कई बार सरकार से निवेदन किया जा चुका है किन्तु अभी तक उक्त विषय पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सादुलपुर शहर में दो-तीन दिन के बीच पानी की सप्लाई की व्यवस्था की जाये और रिक्त पदों पर तुरन्त प्रभाव से नियुक्ति की जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती गोलमा

(अनुपस्थित)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। इजाजत है?

श्री अध्यक्ष: इजाजत है।

अनुरोध एवं मांग

प्रतिपक्ष को अधिक समय दिये जाने का अनुरोध

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विशेष हाथ जोड़कर के निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने जो व्यवस्था दी है, अभी हमारे माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, आपने दो मिनट

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

की व्यवस्था दी। उसमें हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने आपसे निवेदन किया। सदस्य अपनी बात लेकर आता है और आपका आज सुबह से जो रवैया है और जो +++ उसका गुस्सा है, आपने आते ही, आसन पर बैठते ही दिखाया है।

श्री अध्यक्ष: इस पुस्तक के अनुसार दिया है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कभी हमने ऐसा देखा नहीं। यह गम्भीर मामला था आज का। कल बात हुई कि बीकानेर जेल में जिस तरीके से हुआ, हमने कहा, आपने वाक-आउट की बात कही, हमने सरकार से सी बी आई की मांग की। सी बी आई मांग की, सरकार ने मानी नहीं, एस.ओ.जी को जांच दी। यह चर्चा का विषय है, हम चर्चा करना चाह रहे हैं उस पर। आपने यह व्यवस्था दी थी कल कि हम सारे, जितने आप बोलना चाहो, प्रतिपक्ष, उनको मैं समय दूंगा और बुलवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: दिया है, पूरा दिया है। इनके वक्तव्य के बाद, मैंने कहा, मौका दूंगा और समय दिया है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कटौती की मांगों पर पूरे माननीय सदस्यों को उस पर बोलने का है...

श्री अध्यक्ष: नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): और उसमें आपने व्यवस्था दी कि आपके चीफ व्हिप हैं, जो आपकी लिस्ट बनाकर देंगे, उतने मैं बुलवाऊंगा। चीफ व्हिप के पास उन्होंने लिस्ट दे दी, हमने चालू कर दिया। आज हमने 21 में से 8 हमारे माननीय सदस्यों की लिस्ट, आपने माना नहीं। उसमें आपने कह दिया कि नहीं, आप तो तीन लेकर के आओ। आपने जब व्यवस्था दे दी, आज यह गम्भीर मामला है, यह सबके सोचने का है।

श्री अध्यक्ष: चाहे लोक सभा हो, चाहे कोई भी सभा हो, जब बजट पर भाषण होता है, या राज्यपाल के अभिभाषण पर भाषण होता है, या डिमांड्स पर भाषण होता है, उस समय सदस्यों की संख्या के अनुसार समय निर्धारित किया जाता है। मैंने आपके पिछली बार के आग्रह पर ज्यादा लेना चालू किया। मैंने कहा, तीन बनते हैं, तो एक बार पांच आ गये, एक बार आठ आ गये, एक बार छह आ गये। इससे मैं अपेक्षा करता था कि मुझे सहयोग मिले, लेकिन सहयोग मिला नहीं। तो मुझे पूर्ववत, अभी मैंने तीन-चार लेने की थी, उस पर आना पड़ा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका यह हमारे ऊपर आब्जर्वेशन...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: मैंने इजाजत नहीं दी, आप बैठिये। इनका अंकित न हो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपसे अपेक्षा यह करते हैं हम, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, आपने कहा, अभी हमारे चीफ व्हिप साहब ने आपको लिस्ट दी। आपने कहा कि आपने उसके अनुकूल व्यवहार नहीं किया; मैं लिबरल हुआ। आप एक मौका तो बता दीजिए, आपने हमारे अनुकूल व्यवहार किया, तो हम कहां आपकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे? शांतिपूर्वक चला। जब आपने जिसको बिठाया...। पहले मेरी बात सुने लें पूरी, साहब।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात हमेशा सुनता हूं पर उसका नतीजा नहीं निकलता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नतीजा निकलेगा।

श्री अध्यक्ष: आपको बोलने का अवसर देता हूं और आपके ही विधायक जो हैं, खूब यहां हांका करते हैं। (व्यवधान) मैं अपेक्षा यही करता हूं, और कोई बोले, आप बोलें, वरिष्ठ सदस्य हैं, तब कम से कम आपके विधायकों से अपेक्षा है कि आपकी बात शांति से सुनें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हांका तो इस सदन का ...(व्यवधान) सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अभी सुन रहे हैं, पहले दो दिन क्या हुआ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप मेरी बात सुन लें, साहब।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, सुनाइए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा आपसे यही अनुरोध है, कल आपने फरमाया था कि आपको पूरा मौका देंगे, आपने दिया भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का। शांतिपूर्वक सब काम हुआ। आज हमारे चीफ व्हिप साहब ने आपको लिस्ट दी; हमारे 21 सदस्य हैं, आठ आदमी के लिए कहा। आपने कहा कि मैं तीन ही आदमी अलाउ करूंगा।

श्री अध्यक्ष: 24 इनके, 3 आपके।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरी बात सुन लीजिए। समय का निर्धारण हो सकता है, नम्बरों का निर्धारण नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष: दस-दस मिनट हरेक को।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप मेरी बात सुनें। आज जब सदन का समय, आज तो निश्चित रूप से बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की डिमांड है। तो आप हमारे सदस्यों को एडजस्ट नहीं करेंगे तो हमें अपनी कहने का कौनसा दूसरा, फ़ोरम है? कोई, फ़ोरम तो हमारे पास है नहीं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, श्रीमान्‌जी,...

श्री अध्यक्ष: यह लोक सभा में भी तय होता है। मैं तीन बार रह कर आया हूं, आप वहां गये नहीं। वहां स्ट्रिक्टली मामला है। जब-जब वक्तव्य देना है, उस समय मिनिस्टर आ जाते हैं...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह लोक सभा नहीं, राजस्थान में, आप अपना ...(व्यवधान) दे दीजिएगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि पूर्व में भी आपने अलाउ किया, तो आज एकाएक आपको क्या हुआ कि आप अपनी व्यवस्था बदल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: अच्छा, उसी अनुरूप यह सब बोलना चालू करेंगे तो तीन दिन तक चलेगी। आप विराजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तीन दिन तक कौन कह रहा है? आपसे मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, ये बोल रहे हैं ना। यह बोल लें, तब अवसर दूंगा।

नारायण सिंहजी।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप समय तय कर दीजिए कि कितना समय होगा। उस समय में हम एडजस्ट कर लेंगे कि दो आदमी बोलें, तीन आदमी बोलें, या चार आदमी बोलें।

श्री अध्यक्ष: वह बता देंगे। बिलकुल आपकी वाजिब मांग है। इससे बढ़िया कोई मांग नहीं हो सकती।

मानिकजी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं। मैं यह समझा, अध्यक्ष महोदय, आज क्वेश्चन आवर के बाद ही जीरो आवर शुरू होगा और इसलिए मेरी यह भूल हो गई थी। मुझे क्वेश्चन आवर आज होगा ही नहीं, यह जानकारी नहीं थी। कृपा करके मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है, मुझे दो मिनट उस पर बोलने की अनुमति प्रदान करें। अभी जीरो आवर चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: जीरो आवर चल रहा है। आपके इस निवेदन पर बाद में विचार कर लूंगा, अभी नहीं।

पर्ची के माध्यम से, श्री श्रीराम भींचर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

मकराना में राशन कार्डों में त्रुटियां

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र मकराना के अन्दर जो अभी राशन कार्ड बने थे, उसके सम्बन्ध में चर्चा करना चाहता हूं। अभी मांग संख्या 32 पर दिनांक 23 तारीख को मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दिया था कि हमारे पास में जो भी शिकायत आएगी...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: नो, पाइंट आफ आर्डर। अभी कोई बिजनेस नहीं है। आप बैठिये, अभी कोई बिजनेस नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: आपका अधिकार मैं मानता हूं लेकिन जब बिजनेस चले, तब पाइंट आफ आर्डर आता है। अभी विराजिए आप। हां, बोलिए आप।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय मंत्रीजी ने उस दिन अपना वक्तव्य दिया था कि हमारे पास में जो भी शिकायतें आईं, उनका हमने निस्तारण कर दिया। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि हमारे मकराना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जितनी ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों में 20 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक लोगों के नाम गलत हैं। किसी में मुखिया का नाम है तो पूरे परिवार का नहीं है, किसी में पूरे परिवार के अगर नाम हैं तो उसमें मुखिया का नाम नहीं है। हमारा जो सबलपुर पंचायत हैडक्वार्टर है, उसमें सबलपुर की जगह पूरी पंचायत का ही सभलापुरा कर दिया। कई ग्राम पंचायतों में अभी दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह परसेंट राशन कार्ड बने हैं।

तो मंत्रीजी ने अभी जो वक्तव्य दिया कि हमारे पास जो शिकायतें आईं, उनका हमने तो निस्तारण कर दिया, तो हमारी मकराना पंचायत समिति की जो शिकायतें हैं उनका क्या हुआ? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: इसमें मैं कम्पेल नहीं कर सकता। आप रेस्पांड करेंगे क्या?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने राशन कार्डों के बारे में पर्ची के माध्यम से अपनी बात रखी है। तो मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि मकराना पंचायत समिति में राशन कार्डों के लिए कुल आवेदन पत्र 67 हजार 495 प्राप्त हुए, तैयार राशन कार्ड 65 हजार 360 और वितरित राशन कार्ड 65 हजार 360 । नगरपालिका मकराना में राशन कार्ड के लिए कुल आवेदन प्राप्त हुए 24 हजार 160, तैयार राशन कार्ड हुए 24 हजार 160 और वितरित राशन कार्ड हुए 24 हजार 160 । अत: नगरपालिका मकराना में 100 प्रतिशत राशन कार्ड तैयार कर वितरित करा दिये गये। ग्रामीण क्षेत्र में शेष रहे लगभग 2 हजार राशन कार्डों को भी जल्दी तैयार कराकर वितरित कर दिया जाएगा।

यह सही है कि तैयार किए गए राशन कार्डों में लगभग 20 से 30 प्रतिशत में त्रुटियां रह गईं। नगरपालिका मकराना में 3,624 एवं पंचायत समिति मकराना में 18,223 त्रुटियुक्त राशन कार्डों को प्रगणकों द्वारा वितरण के समय से ही त्रुटियां दूर कराने के लिए विभाग के निर्देशों की पालना में संशोधन कर जिला रसद अधिकारियों को उपलब्ध करा दिये गये हैं, जिन्हें एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत शुद्ध करके उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दिये जाएंगे। विभाग द्वारा समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देश प्रदान किया गया है कि 30 सितम्बर, 2014 तक समस्त राशन कार्ड बनकर तैयार हो जाएं तथा वितरण की कार्यवाही भी पूरी कर ली जाए। राशन कार्डों में आने वाली त्रुटियों को भी जल्दी से जल्दी दुरुस्त करवाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कंटालिया में 'रमसा' एस. टी./एस. सी. छात्रवृत्ति व अन्य अनियमितताएं

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का पर्ची के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं।

सरकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 'रमसा' के तहत विद्यालय विकास के लिए पैसे जमा कराती है और उस विद्यालय विकास के पैसों का वहां की विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष मिलकर के किस

(श्री केसाराम चौधरी)

तरह से दुरुपयोग करते हैं, उसका एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। उन्होंने विद्यालय विकास समिति के मार्फत 'रमसा' के तहत 8 लाख 75 हजार रुपये मारवाड़ जंक्शन बैंक में विद्यालय प्रबंध समिति, कंटालिया के खाते में जमा कराये थे। वह पैसे विद्यालय विकास समिति ने चैक द्वारा 8 लाख 75 हजार ही निकाल लिये और वहां का जो स्कूल निर्माण ठेकेदार था, उसको विद्यालय विकास समिति द्वारा चैक दिया गया और वह चैक विदआउट पेमेंट, खाते में पैसे नहीं होने की वजह से बाउंस होकर के ठेकेदार को पैसे नहीं मिले।

उसी तरह से, 'रमसा' के तहत एस सी/एस टी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए साठ हजार रुपये उसी बैंक खाते में जमा हुए थे। वह साठ हजार रुपये भी विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ने मिलकर निकाल लिये और एक भी छात्र को छात्रवृत्ति आज दिन तक नहीं मिली है, जो एक साल हो गया। पैसे जमा होने के बावजूद भी उनको पैसे नहीं दिये गये और पैसे खुद ने उठा लिये हैं। इसकी भी जांच की जाए।

लड़कियों को साइकिल देने के लिए स्टेट बैंक, सोजत रोड के खाते में पैसे जमा थे और उसके बावजूद, वह पैसे भी उन्होंने सेल्फ के नाम का चैक बनाकर के उठा लिये। लड़की को जो साइकिल के लिए चैक दिया, जाहिदा बानो अलाउद्दीन को 2,500 रुपये का चैक दिया, वह भी बाउंस हो गया, खाते में पैसे नहीं होने की वजह से लौटा, जबकि सरकार ने उस खाते में पैसे भेजे थे।

इसके अलावा, इसी विद्यालय में एस यू पी डब्ल्यू, छात्रों के फीस के पैसे जमा होकर के कोष बनता है और उसमें समाजोपयोगी काम के लिए वह पैसा उपयोग में लिया जाता है, मगर इसी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ने मिलकर के इन पैसों में से पचास हजार रुपये उठा करके, कैम्प का नाम बता करके खर्चा बता दिया और कैम्प बिलकुल कहीं लगा ही नहीं।

इस तरह से मैं निवेदन करता हूं कि कंटालिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल के प्रिंसिपल और वहां के सचिव और कोषाध्यक्ष ने मिलकर के 'रमसा' के पैसे और यह जो बच्चों के पैसे मिले हैं, उनका दुरुपयोग किया है और भ्रष्टाचार किया है।

श्री अध्यक्ष: बोल चुके हैं, आप स्थान ग्रहण करें। आ गया, आपका रिकार्ड पर आ गया।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी

(श्री केसाराम चौधरी)

विराजे हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को वहां से हटा करके ए पी ओ करें और उनकी जांच करवा कर उनके खिलाफ कार्यवाही करें। वे वहां से हट जाएं तो सच्चे मायने में माननीय शिक्षा मंत्रीजी...

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय विधायक ने जो बात कही है, उसके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की। यह बात सही है कि 'रमसा' में कक्षा निर्माण के भुगतान का चैक ठेकेदार द्वारा बैंक में लगाने पर बाउन्स हुआ। जिसकी शिकायत ठेकेदार द्वारा किये जाने पर ए डी पी सी श्री विनोद शर्मा द्वारा जांच की गई व पाया गया कि एल डी सी द्वारा चैक का भुगतान पूर्व में ही उठा लिया गया और फिर आठ लाख की पूरी राशि बाद में जमा करवा दी। जो एस डी एम सी के अध्यक्ष वहां के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जी और सचिव, ये व्याख्याता थे अंग्रेजी के, इनसे खाली चैक पर साइन करवा लिये।

तो यह घोर वित्तीय अनियमितता और घोर लापरवाही का काम है। मैं निश्चित रूप से इन तीनों अधिकारियों को और कर्मचारियों को ए पी ओ करने की घोषणा करता हूं और डी ई ओ, पाली को यह निर्देश देता हूं कि सात दिन में इसकी पूरी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जांच रिपोर्ट में जो भी डिटेल आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृता मेघवाल। (व्यवधान) श्री, श्रीमती, सुश्री, सबकी व्याख्या तो पहले हमारे घनश्यामजी कर चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमती अमृता मेघवाल।

जालौर जिला मुख्यालय पर विधि महाविद्यालय तथा सायला में महाविद्यालय की स्थापना

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका मिला।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जालौर में पांच विधान सभा क्षेत्र आते हैं और इनमें तीन राजकीय महाविद्यालय जालौर एवं भीनमाल हैं। मेरी मांग है कि जालौर मुख्यालय में एक विधि महाविद्यालय खोला जाए ताकि छात्रों का भविष्य बने तथा आगे विधि अध्ययन के लिए जोधपुर या किसी अन्य जगह नहीं जाना पड़े।

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उपखण्ड साहिला जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो जालौर मुख्यालय से 44 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, साहिला पंचायत क्षेत्र में 80 गांव आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि साहिला पंचायत समिति क्षेत्र में महाविद्यालय खुलवा दिया जाए तो पास स्थित बागौड़ा उपखण्ड के छात्र एवं छात्राओं को उक्त महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल सकेगा। यदि उक्त महाविद्यालय साहिला पंचायत समिति में खोल दिया जाता है तो आसपास के डेढ़ सौ गांवों के छात्र व छात्राओं को शिक्षा का अवसर प्राप्त करने का मौका मिलेगा तथा उन्हें आगे की शिक्षा हेतु अन्यत्र जाना नहीं पड़ेगा।

इसके साथ ही, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की उप-तहसील जीवाणा में एक भी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण कई छात्राओं ने आगे की पढ़ाई छोड़ दी है। यदि जीवाणा तहसील में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति जारी कर दी जाए तो इससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

जालौर में महिला महाविद्यालय है जहां पर वर्ष 2013-14 में प्रथम वर्ष कला में 186 छात्राओं ने प्रवेश लिया, जिनमें से 70 छात्राओं के सीनियर सेकण्डरी में भूगोल ऐच्छिक विषय था। इस महाविद्यालय में भूगोल विषय नहीं होने के कारण इन छात्राओं ने सहशिक्षा महाविद्यालय में प्रवेश लिया। महिला विधायक होने के नाते, मेरे विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय में भूगोल विषय को खोला जाए ताकि छात्राओं को अन्यत्र महाविद्यालय में नहीं जाना पड़े, क्योंकि पूरे जिले में एक मात्र महाविद्यालय है महिला का।

अत: मेरा इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरी उपरोक्त मांगों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विधान सभा क्षेत्र जालौर के महाविद्यालय में भूगोल ऐच्छिक विषय खोलने, साहिला पंचायत समिति क्षेत्र में महाविद्यालय एवं जीवाणा तहसील में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का आदेश जारी करावें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: महाराज रणधीर सिंह भीण्डर।

वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से जिस विषय को मैं उठाना चाहता हूं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि आजादी को सत्तर साल होने को आये हैं और यह हमारी चौदहवीं विधान

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

सभा है लेकिन पेयजल के लिए आज भी सरकार से अनुनय-विनय करना पड़े, यह हम सबके लिए एक दुखद बात है।

महोदय, मेरी तहसील, उदयपुर जिले का वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र उदयपुर जिले का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष: मैं भी वहीं का रहने वाला हूं।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): आप भी वहीं के विराजने वाले हों। 68 पंचायतें उस विधान सभा क्षेत्र में हैं और दो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सौभाग्यशाली है वह धरा जहां आप विराजते हों।

श्री अध्यक्ष: बहुत धन्यवाद इस एप्रिशिएशन के लिए।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 68 पंचायतें हैं, दो नगरपालिकाएं हैं, 380 गांव हैं और 3 लाख 30 हजार की आबादी है लेकिन आज भी डेढ़ लाख लोग ऐसे हैं जिनको पानी के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। महोदय, दोनों नगरों में पानी के जो भी स्रोत हैं, वे सूख चुके हैं, तालाबों से पानी पिलाया जा रहा है लेकिन वह इतना गन्दा है, फिल्टर की कमी के कारण और उसके ठीक नहीं होने के कारण बहुत ही गन्दा पानी दोनों नगरों में आ रहा है। पी एच ई डी की योजना है उनके स्रोत सूख चुके हैं।

हर विधान सभा क्षेत्र में आपने पंचायत समिति के हिसाब से ए ईएन की नियुक्ति कर रखी है। मेरे यहां पर 52 पंचायतें और एक ए ईएन है और जे ईएन की तीन पोस्टें हैं लेकिन सभी की पदोन्नति होने से मात्र एक ए ईएन पूरे विधान सभा क्षेत्र में 52 पंचायतें और दोनों नगरपालिकाओं की देखभाल कर रहा है।

महोदय, जनता जल योजनाएं जितनी भी हैं, वे सब ठप हो चुकी हैं और पंचायतें उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। इसी तरह से, टयूबवेल और हैंडपम्प नकारा हो चुके हैं। सरफेस वाटर के अलावा अब कोई सोर्स ऐसा नहीं बचा जिससे हम पानी सब पंचायतों को दे सकें।

2002 में जब अशोक गहलोतजी की सरकार थी, एक हैलिकाप्टर आया जिसमें से अशोकजी गहलोत और पूर्व गृह मंत्री, गुलाबसिंहजी शक्तावत उतरे, मानामीणा बांध का शिलान्यास किया। उन्होंने पब्लिक के सामने यह कहा कि हम 6 पंचायतें, वाणा, बरोड़िया, उंड़ेड़ा, अमरपुरा, केदारिया व मेनार को पानी की सप्लाई इस बांध से करेंगे, लेकिन 12 साल गुजर जाने के बाद,

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

न तो वह बांध बना, न उसकी कोई स्वीकृति आई, न मंत्रिमण्डलीय स्वीकृति आई।

इसी तरह से, पिछले 2003 से 2008 तक हमारी सरकार थी, उसमें हमने रानीडुगला, मालकीटुस, इन पंचायतों में जो बांध बने हुए हैं और पानी भरा हुआ है, हम देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, उसको हम पंचायतों में ले जाने की योजना बनाकर दे रहे थे लेकिन वह हमारा अंतिम वर्ष था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उस योजना को भी किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। कसोटिया बांध से हमने 154 गांवों को पेयजल की योजना बनाई थी, उस योजना पर भी उस सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

देवास योजना, जिसमें अभी भी 379 करोड़ सरकार ने स्वीकृत किये हैं, जब इसका एम ओ यू साइन हुआ, उस समय नाबार्ड बैंक ने यह कह दिया कि हम इर्रिगेशन के लिए पैसा नहीं देते। तब सरकार ने यह कहा था, हिन्दुस्तान जिंक, नाबार्ड और सरकार के बीच एम ओ यू साइन हुआ, उसमें कहा कि मावली और वल्लभनगर को भी हम पेयजल उपलब्ध कराएंगे। महोदय, हिन्दुस्तान जिंक को तो एक डेडिकेटेड पाइपलाइन अलग से दे दी, वह आराम से ले जाकर अपने क्षेत्र में पानी पिला रहे हैं, हिन्दुस्तान जिंक के अपशिष्ट से मेरे क्षेत्र की 12 पंचायतों का पानी बिलकुल खराब हो चुका है, वहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे वल्लभनगर का हिस्सा, क्योंकि उसमें बार-बार बात आती है उदयपुर नगर की, उदयपुर को पानी पहुंचाने की बात आती है, तो हमारा वल्लभनगर क्षेत्र, अपशिष्ट के कारण बिलकुल पानी खराब हो चुका है, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड पाइपलाइन आए, उसके लिए भी पंचायतों में पानी पहुंचाया जाए।

मुझे खुशी है कि राजस्थान ड्रिकिंग वाटर ग्रिड की घोषणा माननीया वसुधंराजी ने की है। उससे हमारी सभी योजनाओं में पानी आएगा और उस पर काम चलेगा। आर एस एम एम, जो मेरे क्षेत्र में ही, ऊपर की तरफ, उनके खानों में काम करने के कारण, मेरे क्षेत्र के सभी कुओं में पानी बिलकुल नीचे चला गया है। मेरे क्षेत्र में जो खनन हो रहा है, उस खनन के कारण नदियां भी सूखने लगी हैं। तो इसमें आर एस एम एम को भी बाध्य किया जाए कि उनके कारण जो नुकसान हमारे क्षेत्र में हो रहा है, वहां से पाइपलाइन लाकर गिरवा क्षेत्र की सभी पंचायतों में पानी पहुंचाया जाए।

मेरा विश्वास है कि सरकार इस पर ध्यान देंगी...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): और मेरे क्षेत्र में जो पानी की समस्या है, उसका समाधान करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हमारा समय तय किया? हमारा समय बोलने का तय किया?

श्री अध्यक्ष: करेंगे। अभी करते हैं आपसे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, यदि आप हमें पूरा समय बोलने का देते हों, राजस्थान में बहुत गम्भीर कानून -व्यवस्था की समस्या है। (व्यवधान) बोलने कहां दे रहे हैं? उसमें आपका भी इन्वाल्वमेंट है कि सरकार बिलकुल बच जाए और विपक्ष बोले नहीं। राजस्थान में कानून-व्यवस्था इतनी खराब है। अध्यक्ष महोदय, कल आपने व्यवस्था दी थी कि आपकी तरफ आपको पूरा समय दिया जाएगा और कल होम पर ही चर्चा है।

श्री अध्यक्ष: केवल उस विषय पर ...(व्यवधान) कल इनके विषय पर ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): होम पर ही चर्चा है। आपने आज के लिए कहा था कि हम आपको पूरा समय देंगे। (व्यवधान) हमारे सचेतक अभी आपको लिस्ट देकर गए थे। (व्यवधान) आपने बिलकुल कम्प्लीट मना कर दिया, लिस्ट को फेंक दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फेंका ही नहीं है। (व्यवधान) मना किया है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह, अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान) हमें यदि आप प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो हमें कौन देगा इस सदन के अन्दर? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रोटेक्शन दूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम राजस्थान की जनता की मांग रखने के लिए आये हैं।

श्री अध्यक्ष: नियमों के अनुसार दूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : हमारा अधिकार है यहां बोलने का।

श्री अध्यक्ष: नियमों के अनुसार दूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हमारा अधिकार है यहां बोलने का और आप हमें बोलने नहीं दे रहे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं नहीं बैठूंगा। मैं नहीं बैठूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री मान सिंह (गंगापुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष को बाधा डालने दीजिए। (व्यवधान) आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है लेकिन यह ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा शौर-शराबा)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री मान सिंह (गंगापुर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि वे अपनी-अपनी सीट पर बैठें और कार्यवाही को चालू करने दें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री मान सिंह (गंगापुर): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): ×××

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): ×××

श्री मान सिंह (गंगापुर): ×××

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): ×××

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था पर है, आपको पूरा अधिकार है, जितना चाहो उतना बोलो। मैं आज आपको निरुत्तर करके नहीं भेजूं तो मेरा नाम गुलाब चन्द कटारिया नहीं।।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): निरुत्तर करके नहीं भेजूं तो। मैं आपका पिछले पांच वर्षों से लेकर जो नक्शा खींचूंगा न, आप निरुत्तर हो जाओगे कि अपराध करने वाले कौन हैं। यह मेरी गारंटी है। बेकार की +++ करते हो यहां। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी, अभी हाउस आर्डर में नहीं है, प्रतिपक्ष हाउस में बाधा उत्पन्न करने के लिए तुला हुआ है। मैं चाहता हूं कि हाउस आर्डर में आएगा, गृह मंत्रालय की मांगों पर बहस होगी और किसी

(श्री अध्यक्ष)

कीमत पर, या तो ये बाधा डाल रहे हैं, इस बाधा को अलाउ नहीं किया जाएगा। (व्यवधान) अपनी सीट पर जाइए। जाइए, अपनी सीटों पर जाइए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: हाउस मैं चलाऊंगा और नियमों से चलाऊंगा। आप तो बी.जे.पी. में आना चाह रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं? पट्टी चल रही है आपकी कि किरोड़ीलाल मीणा बी.जे.पी. में आ रहा है। (व्यवधान) हाउस चलेगा, नियमों से चलेगा और मैं चलाऊंगा। आप हल्ला करते रहो, आप बाधा पैदा करते रहो।

मैं मदनजी राठौड़ को बोलने की इजाजत दे रहा हूं, बोलिये आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मसला है। आपको यह पता है कि हिन्दुस्तान के सर्वोच्च सदन में भी आंतकवादियों का हमला हुआ था, उसमें तीन सुरक्षाकर्मियों की जान को खतरा हो गया था लेकिन राजस्थान के इस सदन को भी खतरा है और वह है, नेता प्रतिपक्ष को जो अधिकार प्राप्त है, वे अपनी गाड़ी में किसी को भी साथ में बिठाकर के अन्दर ले आते हैं और गाड़ी में शस्त्र भी हो सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, और शस्त्रों के साथ में ये अन्दर आ सकते हैं। अन्दर आकर ये अपने नाम से पर्ची बनवाकर और वहां पर प्रवेश पत्र दिलवा देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह फोटो रखना चाहता हूं, जो विधान सभा के अन्दर कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों के फोटो, अध्यक्ष महोदय, उन कैमरों ने जो फोटो लिया है, वह फोटो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बीकानेर पुलिस का अपराधी, जो 'पासा' में वांटेड है, बीकानेर एस.पी. ने जो वांटेड की लिस्ट जारी की है, जो 13 अपराधियों की लिस्ट जारी की है, उसमें यह अपराधी शामिल है। अध्यक्ष महोदय, यह पांचू का है रामचन्द्र खिलेरी पुत्र मोहन लाल, उसको नेता प्रतिपक्ष अपने साथ विधान सभा में लेकर आये। अपने साथ में, अपने चैम्बर में लेकर आये।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है। हमारे विधायकों की सुरक्षा खतरे में है। अध्यक्ष महोदय, विधायकों की सुरक्षा भी खतरे में है। ऐसे अपराधी यदि नेता प्रतिपक्ष सदन के अन्दर ले आवें, इस कैम्पस के अन्दर ले आएं, अपने खुद के चैम्बर में ले आएं, यह बहुत गम्भीर मसला है। अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करवाएं।

मैं आपके आदेश के अनुसार यह मैं टेबल करना चाहता हूं। अध्यक्ष

(श्री मदन राठौड़)

महोदय, यह फोटो अपना जो कैमरा लगा है, क्लोज सर्किट टी.वी.... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपके सामने रखना चाहता हूं। बीकानेर पुलिस की जो वांटेड की सूची है, उसको मैं साथ में रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है। मैं यह टेबल करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल एवं नारे जारी)

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायकगण, सदन की कार्यवाही मैं नियमित रूप से चलाना चाहता हूं। इसके बावजूद, विरोध कर रहा है प्रतिपक्ष, लेकिन यहां कार्यवाही चलेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर राम लालजी को मैं अलाउ कर रहा हूं। इधर का एक शब्द भी अंकित नहीं किया जाए। राम लालजी बोल रहे हैं, वही अंकित कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा

राज्य में रोजड़ों द्वारा फसल को नुकसान

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदयजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रोजड़ों द्वारा जो फसल का तहस-नहस किया जा रहा है, वन विभाग और कृषि विभाग, दोनों ही इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। मैं माननीय गृह मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि आये दिन, क्योंकि रोजड़ों को भगाने के लिए वे रोड पर रोजड़ों को भगा देते हैं जिससे रोजड़े रोड पर चले जाते हैं, आये दिन मोटर साइकिल और गाड़ी-घोड़े में आने वाले, एकदम एक्सिडेंट होते हैं और वे जान से भी खतम होते हैं। आये दिन ये घटना हो रही हैं। इसके लिए वन विभाग भी जिम्मेदार है और आपका कृषि विभाग भी है।

रोजड़ों को बंदी बनाया जाकर जो रणथम्भौर अभयारण्य है, वहां पर वन विभाग की जो भूमि है, उसके अन्दर बाड़-बंदी कराई जाकर, उन रोजड़ों को अन्दर रखा जाए और जानवरों के पीने के लिए, इनके पानी और चारे की भी व्यवस्था की जाए ताकि आये दिन किसानों को पूरे राजस्थान में लगभग

(श्री राम लाल गुर्जर)

500 करोड़ का जो नुकसान होता है, उससे बचाया जा सके। मेरा आपसे निवेदन है कि वन विभाग और कृषि विभाग की पांच-पांच की टीम बनाकर, इन रोजड़ों को तारबंदी के अन्दर रखा जाएं, ताकि काश्तकारों का बचाव हो सके।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, शोरगुल एवं नारे जारी)

श्री अध्यक्ष: जोगाराम पटेल। बोलिये, आप पूरा बोलिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामलालजी गुर्जर ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है। राजस्थान के काश्तकारों से सम्बन्धित है। एक काश्तकार तपती हुई धूप में, 48 और 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान में खेती करता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह काश्तकारों की जो समस्या उठ रही है, इस तरह जो काश्तकार परेशान हो रहे हैं रोजड़े से, उसमें यह बाधा डाल रहे हैं। इनकी +++ देख लीजिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, उस परिस्थिति में उस काश्तकार के साथ जो हो रहा है, अपनी मेहनत करता है, अपने परिवार के साथ खेत में जाता है, रात-दिन मेहनत करता है, खेती...

श्री अध्यक्ष: इधर का अंकित मत करना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): खेती करने के उपरान्त वह अपना बीज बोता है और बीज बोने के उपरान्त फसल आती है और फसल आने के बाद जब फसल खेत में लहलहाती है, तो अपने परिवार के सदस्य के रूप में इस फसल को मानता है, उस फसल को अपने बाल-बच्चों की तरह मानता है, उस फसल को अपने जीवन का खून और पसीना मानता है, उस फसल को अपने जीवन की आस मानता है, परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कुछ जंगली जानवर हैं, वह जंगली जानवर जिनको नीलगाय कहा गया है, यह कोई नीलगाय नहीं है, यह हमारी भाषा में, लोकल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में इनको रोजड़े कहते हैं और ये रोजड़े और सूअर, ये जंगलों में रहते हैं, इनका किसी तरह का कोई उपयोग नहीं है। ये खड़ी फसल होती है, खेत की फसल के अन्दर घुस जाते हैं और फसल को पूरी तरह बरबाद कर देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस फसल को इतनी बरबाद कर देते हैं कि काश्तकार के साथ घोर अन्याय होता है और घोर अन्याय होने के उपरान्त, वह काश्तकार जब सुबह जाकर अपने खेत में अपनी फसल को देखता है तो वह बरबाद हो

(श्री जोगाराम पटेल)

जाता है। अपने आपको, भगवान को, सबको कोसता है कि मेरी खड़ी फसल बरबाद हो गयी। जैसे जवान बच्चे की डैथ होती है, उस तरह उसकी फसल बर्बाद हो जाती है।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, शोरगुल एवं नारे जारी)

मैं, माननीय, आपकी मार्फत सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा और दो-तीन सुझाव भी देना चाहूंगा। या तो सरकार इन सब रोजड़ों को ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका पूरा भाषण जा रहा है, आप आराम से बोलिये। आपका पूरा भाषण जाएगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सुझाव है इस सम्बन्ध में, चूंकि यह काश्तकार के जीवन से सम्बन्धित है, राजस्थान के पूरे काश्तकारों के जीवन से सम्बन्धित है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान का किसान परेशान है और यहां किसान के प्रतिनिधि उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। ये किसानों के प्रतिनिधि बनते हैं और रोजड़े की समस्या पर विचार हो रहा है और ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यह सब आप देखो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उस किसान की पीड़ा को समझें। उस किसान की पीड़ा को समझने के लिए...। हमारे साथी, वे आराम से बैठे-बैठे व्यवधान डाल रहे हैं। इससे पता लगता है, आपके मार्फत राजस्थान की जनता देख रही है कि ये किस तरह से किसान की बात के लिए किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह का आचरण कर रहे हैं, किस तरह का भाषण दे रहे हैं, किस तरह के नारे लगा रहे हैं, किस तरह का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह अपनी जगह कह रहे हैं कि मुझे किसान की बात इस सदन में रखनी है, आपकी मार्फत रखनी है और मैं किसान की पीड़ा जानता हूं। मैं उस किसान का बेटा हूं जिसने अपने हाथ से खेती की है। हम भयंकर गर्मी में, मई-जून की गर्मी में खेती करते हैं। खेती करने का समय आता है जब जून और जुलाई में, तब खेती करते हैं और खेती करने के बाद बीज बोते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना महंगा बीज होता है, इतनी महंगी खाद होती है। उस महंगी खाद और बीज में हम अपना खून और पसीना लगाकर, धरती को छीलकर, धरती को फाड़कर, उसमें खेती करते

(श्री जोगाराम पटेल)

हैं। फिर भगवान की मेहरबानी होती है, इन्द्र देवता की मेहरबानी होती है और बरसात आती है तो हमारे धीरे-धीरे उन खेतों के अन्दर फसल लहलहाती है। परन्तु उसके बाद दुनिया में कई ऐसे रोजड़े हैं, जो मुझे बात भी नहीं कहने देते हैं और वे रोजड़े हमारी फसलों को खा जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वह फसल खड़ी होती है, एक फीट, दो फीट, तीन फीट की फसल खड़ी होती है, तब किसान खुश होता है, अब तो कोई न कोई मेरी मेहनत की कमाई मिलेगी और जब मेहनत की कमाई का समय आता है तो यह जंगली जानवर, जिसका नाम रोजड़ा है, यह कोई नीलगाय नहीं है, गाय इसको नहीं कह सकते, कोई उपयोग नहीं इसका, परन्तु कुदरत का जानवर है, इसकी भी सुरक्षा होनी चाहिये, लेकिन मेरा निवेदन है कि काश्तकार की फसल की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है और काश्तकार की फसल की सुरक्षा करने के लिए यह जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार का दायित्व है कि उनको वह कोई न कोई सुरक्षा दे।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, शोरगुल एवं नारेबाजी जारी)

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): रोजड़े वास्तव में बहुत नुकसान कर रहे हैं। रोजड़े नुकसान कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पहला सुझाव यह है कि ...(व्यवधान) कहीं जंगलों में डाल दिया जाए, या ऐसे कोई अभयारण्य हैं, अभयारण्यों में डाल दिया जावे ताकि ...(व्यवधान) का उपयोग हो जायेगा और ये जीवित भी रह जायेंगे। ...(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, कई बार एक्सिडेंट भी होते हैं। रोड पर चलते हैं और रोजड़े बीच में आ जाते हैं तो एक्सिडेंट भी होते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अगर वह नहीं हो तो काश्तकारों को मुआवजा दिया जावे; काश्तकारों के खेतों की तारबंदी कर दें और तारबंदी कर के, उसका लोन दिया जावे, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जावे, रिकवरी नहीं की जावे। काश्तकार अपने खेत की चारों तरफ सुरक्षा कर लेंगे तो उसकी फसल बरबाद नहीं होगी और जब उसकी फसल बरबाद नहीं होगी तो उन रोजड़ों की वजह से जो उसके साथ अन्याय हो रहा है, वह नहीं होगा।

रोजड़ों के साथ, गांव के आसपास, शहर के आसपास जो जंगली सूअर

(श्री जोगाराम पटेल)

हैं, वे भी ऐसे घुस जाते हैं और वे भी फसल को बरबाद करते हैं। उनसे भी सुरक्षा की जावे। (व्यवधान) यह बोलते रहेंगे। इनको पता नहीं, काश्तकार क्या होता है। इनको काश्तकार का दर्द पता नहीं है।

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि काश्तकार को लोन दिया जावे जिससे वह खेत की मेड़बंदी करे, तारबंदी करे और तारबंदी करने के उपरान्त, उस तारबंदी के अन्दर अपनी फसल को सुरक्षित करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि उनको ऐसा भी प्रोटेक्शन दिया जावे कि सरकार इन सारे रोजड़ों को इकट्ठा कर अपने जंगल में, अभयारण्य में रख देवे या ऐसा कोई अभियान चलाए जिस अभियान से यह जहां खेती होती है, उस एरिया में नहीं रहें।

मेरा यह भी निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि का महत्व समझना पड़ेगा, घटती हुई कृषि को समझना पड़ेगा, महंगी पैदावार को समझना पड़ेगा, किसान के दर्द को समझना पड़ेगा, किसान के खून और पसीने को समझना पड़ेगा, किसान के उद्देश्य को समझना पड़ेगा। आने वाले युग में, उसकी लहलहाती फसल का, जिस तरह से किसी का मर्डर किया जाता है, उसी तरह से उसकी लहलहाती फसल का मर्डर हो रहा है।

इसलिए मेरा निवेदन है, मैंने जो सुझाव दिये, सरकार उन पर प्रतिक्रिया दे, काश्तकार की कोई न कोई सुरक्षा करे।

आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल वर्मा।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, शोरगुल व नारे जारी)

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आज आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आज आपने एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लिया है। आज विशेष चर्चा के दौरान जो एक संवेदनशील मुद्दा लिया है, यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि राजस्थान के नहीं, पूरे देश के किसानों की बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आज राजस्थान की जनता 70 प्रतिशत से ज्यादा खेती पर निर्भर है और खेती पर आज हर किसान की रोजी-रोटी निर्भर करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है कि आज यदि किसान के घर में कृषि की आय नहीं आये तो उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई नहीं होती। मैं आज आपके माध्यम से कहना

(श्री बाबूलाल वर्मा)

चाहता हूं कि किसान साल भर के बाद जब वह बीज बोता है, तो बीज बोने के बाद और फसल आने के बीच में, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान को बार-बार मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, किसान जब जमीन में बीज डालता है, बीज डालने के समय यदि बारिश नहीं होती है तो उसको अकाल की मार पड़ती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको खाद और डीजल के भाव की महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। इतनी महंगाई की मार झेलने के बाद और जब उसको यह उम्मीद होती है, साल भर के बाद या छह महीने के बाद जब अपनी फसल बेचने के लिए जायेगा, बेचने के पहले बीच में एक ऐसे वन्य जीव का सामना करना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कड़ाके की ठंड में वह किसान जागता रहता है और रात भर खेत के चारों तरफ उन रोजड़ों से अपनी फसल की रखवाली करने के लिए लगातार घूमता रहता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आज का मुद्दा है, मैं आज आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी सदन में कई बार चर्चा हुई है, यह चर्चा कोई आज का विषय नहीं है लेकिन एक विशेष चर्चा के दौरान आज जो आपने व्यवस्था दी और आज एक व्यवस्था के दौरान आप इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करा रहे हो, यह आज हमारे सब के लिए चिंता का विषय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बार-बार चर्चा हुई, माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा की और जहां तक मेरी जानकारी में है, आज से 15 साल पहले इसका एक सर्वे हुआ था और सर्वे में पूरे राजस्थान में जब रोजड़ों की गिनती की गयी तो 2,31,729 रोजड़े यहां गिने गये। मैं आज कह सकता हूं कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में लगभग चार-पांच लाख रोजड़े हैं जो कि पूरी कृषि की लगभग 500 करोड़ की पैदावार को यह नष्ट कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा इश्यू नहीं है। मैं आज सब सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोग इस पर विचार करके इस पर पूरी चर्चा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा इश्यू यह है कि जब यहां चर्चा की गयी, केन्द्र सरकार में चर्चा की गयी, यह जो वन्य जीव है, जो हमारा वन्य जीव अधिनियम है, जो संरक्षण अधिनियम है, इसको धारा तीन के अन्दर शिड्यूल में रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार यहां से

(श्री बाबूलाल वर्मा)

चर्चा कर के केन्द्र सरकार को निवेदन किया गया कि इसको धारा पांच में ट्रांसफर किया जावे, इसको किया जावे, लेकिन केन्द्र सरकार से चर्चा करने के बाद केन्द्र सरकार ने व्यवस्था दी कि हम इसको शिड्यूल पांच में ट्रांसफर नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह व्यवस्था की कि यदि आवश्यकता हो, तो। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो हमारा कानून है, उस कानून में एक व्यवस्था की गयी है कि यदि मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को यह संतोष है कि अनुसूची दो, अनुसूची तीन, अनुसूची चार में निर्दिष्ट किया गया कोई पशु, मानव, जीव या सम्पत्ति, किसी भूमि पर खड़ी फसल को सम्मिलित करते हुए, इसके लिए हानिकारक है, या इस प्रकार से असमर्थ या रोग-युक्त हो गया है, स्वस्थ नहीं हो सकता, तो वह मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक लिखित रूप से आज्ञा द्वारा, उसको दर्शाते हुए, ऐसे व्यक्ति को शिकार करने की अनुमति देगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम किसी वन्य जीव को मारने से सहमति नहीं रखते, हम आज चाहते हैं, आज हम आपसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और पूरे डिपार्टमेंट से इस बात को कहते हैं कि हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि किसी रोजड़े को मारा जाए, हम कभी इस बात की चर्चा नहीं करते; आज हमारा उद्देश्य यह है कि किसानों को जो फसल का नुकसान हो रहा है, उसको बचाया जाए, आज किसान की रोजी-रोटी को बचाया जाए। हमारा टारगेट यह है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, मेरे प्रतिपक्ष के साथी कई तरह की बात कर रहे हैं, यदि आज इतने सेंसिटिव इश्यू पर, आज इतने संवेदनशील मुद्दे पर, जिस पर कि पहली बार विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 127 के तहत चर्चा हो रही है, मैं आज कहना चाहता हूं कि यह कोई केशोरायपाटन का या बूंदी जिले का सवाल नहीं है, यह पूरे राजस्थान का सवाल है और इस पर हम लोगों को पूरी चर्चा करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रोजड़ों की बाड़ाबंदी के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, इनके लिए एक तो खाने के लिए घास और पीने के लिए पानी, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहां इन जानवरों को पीने के लिए पानी

(श्री बाबूलाल वर्मा)

और खाने के लिए घास मिलेगी, ये रोजड़े वहां जाकर विचरण करेंगे। आज नेचुरल दृष्टि से इनको जंगलों में घूमना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां किसानों की खेती होती है, उस खेती में आकर यह रोजड़े फसलों का नुकसान करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं राजस्थान के जिस बिन्दु पर चर्चा करना चाहता हूं, राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में एक कॉरिडोर बना कर, इनको एक जोड़ कर, वहां रखने के लिए आपसे मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको पता है, धौलपुर के रामसर वन विहार में, करौली जिले के कैला देवी में, सवाई माधोपुर के रणथम्भोर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई मानसिंह अभयारण्य और बूंदी का रामगढ़ विषधारी, कोटा के दर्रा की बात करता हूं और जवाहर सागर के राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य, मुकन्दरा हिल्स की, बारां है, यह कुछ हमारा एक ऐसा कोरिडोर है और यह प्रदेश के लगभग 11 हजार वर्ग किलोमीटर के एरिया में है, यह एक ऐसा क्षेत्र है, यदि इस क्षेत्र में हम लोगों ने इनको रखने की व्यवस्था की...

(13.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संवेदनशील मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इस संवेदनशील मुद्दे पर आज किसानों की जो रक्षा होगी, आज किसानों की जो फसलें बचेंगी, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान के जन-जन से जुड़ा एक मुद्दा, जिस पर किसान का जीवन निर्भर करता है, ऐसे मुद्दे पर बहस करवाकर के जो मौका आपने दिया, इसके लिए मैं सदन की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समूचे किसान वर्ग की पीड़ा के रूप में इस बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह अति संवेदनशील मुद्दा है, प्रत्येक जन-जन और प्रत्येक किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान तक जब यह आवाज सदन के माध्यम से पहुंचेगी तो किसान को बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, किसान को लगेगा कि हमारे द्वारा चुने गये जन-प्रतिनिधि सदन में बैठकर के हमारी समस्याओं का जिक्र करते हैं, हमारी पीड़ा पर वे चर्चा करते हैं।

(श्री जगदीश नारायण)

माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजड़ों से जुड़ा हुआ मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कहता हूं कि 80 प्रतिशत जनसंख्या हमारे हिन्दुस्तान की जो खेती पर निर्भर करती है, उसके माध्यम से, उस किसान के माध्यम से हमारा समूचा देश चलता है। जिस किसान को हम अन्नदाता के नाम से सम्बोधित करते हैं, अगर उस किसान की पीड़ा पर समय रहते सदन में चर्चा नहीं की गयी तो इससे बड़ा कोई गुनाह भी नहीं होगा। इस चर्चा में अगर किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करने की कोशिश की गयी तो उससे बड़ा किसान का कोई दुश्मन भी नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रोजड़ा प्रजाति हिरण की प्रजाति है। इसको लोग नील गाय के रूप में मानते हैं। यह कतई नील गाय नहीं है, यह हिरण प्रजाति का जानवर है। यह हिंसक जानवर है। जब इसको लगता है कि मुझे कोई रोकने वाला है, मेरे भोजन पर कोई बाधा पहुंचाने वाला है तो यह जानवर इतना हिंसक भी बन जाता है कि किसान के ऊपर एकाएक हमला भी बोल देता है। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे उदाहरण भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजड़ों के अटैक से, रोजड़ों के हमले से बहुत सारे किसानों ने जान गंवाई है। यह तेज रफ्तार से दौड़ने वाला, छलांग के साथ जम्प लगाने वाला जानवर है। कई बार रोड क्रोस करते समय इतनी जबरदस्त छलांग लगाता है कि कई राहगीर, कई साधन, कई गाड़ियां, कई मोटर साइकिलें इसकी चपेट में आ जाती हैं और कई तो आन स्पाट, मौके पर ही खतम हो जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे भयंकर, ऐसे हिंसक जानवर से किसान को बचाने की सख्त आवश्यकता है। किसान आज अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान की कोई सुन नहीं रहा है। किसान इस पीड़ा को लेकर के दर-दर की ठोकरें खा चुका है। सारी-सारी रात किसान अपने घर-बार को छोड़कर के खेतों में पड़ा रहता है लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी फसल को नहीं बचा पाता, क्योंकि यह इतना चतुर जानवर है कि मौका देखकर के खेत में घुसता है। जब किसान मौजूद होता है तो यह जानवर खेत में नहीं आता। किसान ज्यों ही खेत से दूर हटा तो यह तुरन्त खेत में आता है और खेत को तब तक चरता रहता है जब तक वह फसल चरने लायक रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह झुंड के रूप में रहता है। यह अकेला नहीं चलता है, दस-बीस की तादाद में चलता है। जिस खेत में घुस गया, उस खेत का पूरी तरह से सफाया करके चलता है।

(श्री जगदीश नारायण)

इस रोजड़े का उचित निदान हो, किसान को उससे सुरक्षा मिले, इसके बारे में सरकार को और सदन को गम्भीरता से लेना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान इस रोजड़े को मार नहीं सकता, किसान इस रोजड़े पर हमला नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई सबूत मिल गया तो वन अधिकारी या पुलिस के लोग किसान के खिलाफ कार्यवाही करते हैं। जब रोजड़ा किसी किसान को मारता है, किसी किसान के व्यक्ति के साथ में अनहोनी घटना घटती है, या दुर्घटना करता है, तो उसके बारे में सरकार भी किसान की मदद करने के लिए आगे नहीं आती है। वन अधिकारी भी किसान की सुध-बुध पूछने के लिए आगे नहीं बढ़ते। ऐसे जानवर के बारे में समय रहते जरूर कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की फसल को जब रोजड़ा नष्ट करता है तो किसान की फसल की भरपाई किसी प्रकार की नहीं होती है। ना तो वन विभाग के अधिकारी उसकी भरपाई करते हैं और ना सरकार की तरफ से कोई भरपाई होती है। यह रोजड़ा किसान की फसल को बरबाद करके, किसान के बच्चों को भूखे तरसने के लिए मजबूर कर देता है।

मेरे बन्धुओं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप कम से कम, यह अति-संवेदनशील मुद्दा है, यह किसानों का मुद्दा है, मुश्किल से ऐसे मुद्दों को सदन में चर्चा के लिए लाने का मौका मिलता है और उसमें भी आप हो-हुल्लड़ करना चाहते हैं। इसका मतलब है, आप राजस्थान के किसान के साथ क्या करना चाहते हैं? राजस्थान के किसान से क्यों छलावा कर रहे हैं? किसान देख रहा है और किसान ने आपको अच्छी तरह से देखा है। यह देखने का ही परिणाम रहा है कि आप इस संख्या में आकर के बैठे हैं। मेरे बन्धुओं, किसान ने अगर पूरी तरह से अपना तीसरा नेत्र खोल लिया तो आने वाले समय में, आप तो कहते हैं कि हम सत्ता में आयेंगे, आपका सफाया हो जायेगा। आप यहां नजर नहीं आयेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजड़ों से बचाने के लिए माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं, मेरा भी इसमें सुझाव है, मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय कृषि मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, रोजड़े वनों के अन्दर ही सुरक्षित रहें। वनों की बाउंडरी वाल हो, वहां तार फेंसिंग हो। वहां बाउंडरी करके, इस जंगली जानवर, इस वन के जानवर को वनों में रखने की

(श्री जगदीश नारायण)

व्यवस्था की जाये ताकि किसानों के खेतों तक इस जानवर की पहुंच नहीं हो, यह किसान के खेत तक नहीं आ पाये। ऐसी सुरक्षा, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जब तक बाउंडरी की व्यवस्था नहीं हो, तार फेसिंग की व्यवस्था नहीं हो, तब तक किसान को कर्ज देकर, किसान को सरकार द्वारा इस तरह का एक लोन दिया जाये जिसमें सब्सिडी हो। उस सब्सिडी के माध्यम से किसान को अपनी फसल बचाने के लिए किसान को मजबूती दें। किसान को सहारा देने के लिए सरकार अपने स्तर पर काम करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि रोजड़ों का सफाया हो, रोजड़ा जाति लुप्त हो। रोजड़ों की प्रजाति चलती रहे, वनों में इसकी सुरक्षा हो, इनके लिए पानी की व्यवस्था, इनके लिए चारे की व्यवस्था हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान खून-पसीना बहाकर के अपनी फसल तैयार करता है, महंगे दामों में खाद खरीदता है, महंगे दामों में बीज खरीदता है, जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार सत्ता में आकर के डी ए पी के कट्टे की रेट 500 से बढ़ाकर 1,400-1,500 रुपये पर ले गयी, ऐसी कीमती खाद को खरीदकर वह अपनी फसल तैयार करता है और उसके बाद ये रोजड़े उसकी फसल को नष्ट करते हैं तो मैं कहता हूं, किसान को आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि इस प्रजाति पर रोक लगायी जाये, किसान को रोजड़ों से सुरक्षा दिलायी जाये। रोजड़ों के साथ-साथ में जो आवारा गायें हैं, खेतों में जो घूम रही हैं, खेतों को साफ कर रही हैं, किसान को उससे भी बचाव करने के लिए मदद दी जाये। जैसा कि पार्टी ने घोषणा-पत्र में भी डिक्लेयर किया है कि ऐसे किसानों को हम ऋण देंगे, लोन देंगे और उसमें छूट देंगे, उसके माध्यम से किसान अपने खेत की तारबंदी कर पायेगा, बाड़ाबंदी कर पायेगा, उसकी सुरक्षा कर पायेगा। इस पर भी सरकार ध्यान दे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र पाल सिंहजी। उसके बाद आपका नम्बर है।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना जारी)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज किसानों को सबसे ज्यादा कष्ट देने वाली जो बात है, उस पर सदन का ध्यानाकर्षित करते हुए इतना समय दिया है।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

अभी बीकानेर के अन्दर राजस्थान सरकार 12 दिन तक रही थी। राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी हमारे गांवों के अन्दर गये और मेरे गांव के अन्दर भी गये। जब उन्होंने लोगों से पूछा कि आपकी समस्या क्या है सबसे बड़ी तो उन्होंने कहा कि हमारी सारी समस्या खतम हो जायेगी, आप तो रोजड़ों से हमारी मुक्ति करवा दो। उसका एक कारण था। मान्यवर, हमारा जो क्षेत्र है, वह बार्डर के साथ लगता हुआ है और पाकिस्तान से, वहां तारबंदी कर दी हमारी सरकार ने। अब जितने रोजड़े वहां पूरे जिले से हैं, जाते हैं, बार्डर की तरफ आगे वह तारबंदी है और सारे के सारे रुक जाते हैं और झुण्डों के झुण्ड सीमा क्षेत्र पर रोजड़ों के, वे सारी फसल किसान की खा जाते हैं।

मान्यवर, कई गांवों में लोगों ने 25 से 30 हजार रुपये महीने पर सुबह और शाम वहां चौकीदार रखे हैं। अब यह इतना ताकतवर जानवर है कि उसको भगाने के लिए घोड़े लेकर लोगों ने दिये उन चौकीदारों को और रात को उनको भगाने के लिए आग जला कर, वह हाथ में पकड़ कर, उनको भगाते हैं। इतनी पीड़ा है।

यह इतना हिंसक जानवर है, मान्यवर, जब कोई रोजड़ी अपने बच्चे देती है, तो हमारे यहां गन्ने की फसल होती है तो उसके अन्दर छिपकर बच्चे देती है और जब कोई किसान रात को पानी लगाने जाता है तो वह रात को वहां पानी नहीं लगा सकता। कई किसानों पर हमला कर दिया, कई किसानों की जान चली गई।

यह ऐसा जानवर है जो बहुत ज्यादा डरता भी है। अगर सड़क पर आ जाये तो पता नहीं, किस तरफ चला जाये। इसका कोई कंट्रोल नहीं। दो बार मैं स्वयं रोजड़ों से एक्सिडेंट में बचा हूं। एक दफा मैं राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम का चेयरमैन था, दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में रोजड़े से एक्सिडेंट हुआ, मेरी गाड़ी तीन पलटी खा गई, ड्राइवर पूरी तरह जख्मी हो गया। दूसरी बार, अभी छह महीने पहले चूरू के पास में जा रहा था, रोजड़ा लगा और गाड़ी पलट गई। ढाई लाख रुपये गाड़ी का नुकसान हुआ और ड्राइवर का हाथ टूट गया।

अब यह जीवन के लिए सड़कों पर भी खतरा है और खेतों के अन्दर भी यह खतरा पैदा करते हैं। इनकी प्रजनन शक्ति इतनी है, इतनी वंश वृद्धि हो रही है कि साल में दो और कई दफा चार बच्चे भी देती है। इतनी इसके अन्दर ताकत है कि अगर कोई आदमी उसको भगाने के लिए जाता है और उसके पीछे पड़ गया तो वह आदमी को मार देता है। इतना खतरनाक जानवर है।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

इसकी इतनी स्मेल पावर है कि अगर कहीं सब्जी, मूंग, कोई फसल हो तो यह रात को, आदमी चारपाई पर जो सोया है, सुबह सारी चारपाई के नीचे फसल बची रहेगी, सारी फसल चट कर जाते हैं। हमारे यहां मूंग उगाने का वहां बहुत बड़ा क्षेत्र था और बहुत अच्छी मूंग होती थी लेकिन एक बीघे में किसान मूंग इसलिए नहीं बीजता कि जब मूंग पकती है तो सारी मूंग यह रातोंरात चट कर जाते हैं। आज किसान के लिए यह एक बहुत बड़ा सिरदर्द है।

धार्मिक भावना इसके साथ जोड़ दी। अब इसको नील गाय का रूप दे दिया। अब गाय हमारे लिए पूजनीय है, वह दूध देती है, वह गोबर देती है, उसका मूत्र काम आता है, उसका बछड़ा काम आता है, हमारे ऋषियों, मुनियों ने उसको माता माना है, लेकिन यह तो हमारे मारने के अलावा और हमारे को उजाड़ने के अलावा कुछ काम ही नहीं आता। इसलिए इसका नाम रोजड़ा है।

चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे सामने, जो गांव के लोग बता रहे थे, हमारे एस एच ओ को बुलाया, हमारे वहां के तहसीलदार को बुलाया। उन्होंने पूछा कि कौनसे कानून में, जिसमें आप कहते हैं, इस पर आप फायर नहीं कर सकते? अब रात को कोई जा रहा है, उसके हाथ में हथियार है, सामने से रोजड़ा आ जाये तो अपनी रक्षा कैसे करे? ना तो कोई ऐसा कानून बना पाये। इसके ऊपर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा और सब लोगों के बीच में कहा कि आप इसको आत्म-रक्षा के लिए यदि मारना पड़े तो मार दो। यह चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे गांव में सब लोगों के बीच में कहा कि आप इसको मारो और इसको आत्म-रक्षा के लिए भगाओ, और सी आई को बुलाकर कहा, तहसीलदार को बुलाकर कहा कि आप इसको आइन्दा कोई भी आदमी मारे तो कोई मुकदमा दर्ज मत करना। मेरा निवेदन है कि आत्म-रक्षा के लिए कोई उस पर फायर कर दे तो उस पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। अपने बचाव के लिए हथियार कोई भी व्यक्ति रखता है, उसको अपने जीवन पर खतरा है तो कोई फायर कर दे, अपने बचने के लिए कर दे तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है।

मेरी यह सदन के माध्यम से मांग है कि यह बहुत गम्भीर मसला है, मान्यवर, और इस रोजड़े के ऊपर जब तक आप इसको कोई व्यवस्थित रूप से कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, किसानों की इतनी खून-पसीने की मेहनत, दिन-रात मेहनत करके पकी-पकाई फसल जब चट हो जाती है तो किसान को जो पीड़ा होती है, वह कोई किसान ही समझ सकता है। तो इस पवित्र सदन के माध्यम से, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतना संवेदनशील मुद्दा, हर व्यक्ति आज

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

इस पर बोलने के लिए उतावला है क्योंकि किसान हर जगह से पीड़ित है। इसलिए इस रोजड़े को, किस तरह से इसको खतम किया जाये, किस तरह से रोजड़े से रक्षा की जाये और इसके ऊपर शिकार करने पर, प्रतिबन्ध करने के नाम पर, मुकदमे हो रहे हैं, जो हैं वे भी वापस लिये जायें और इसके ऊपर रोक नहीं हो। मेरा निवेदन है।

मैं आपका राजस्थान के किसानों की तरफ से आभारी हूं कि वास्तव में आपने किसान की पीड़ा को समझते हुए और इतने संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का समय दिया है। निश्चित तौर पर आज की चर्चा से किसानों को लाभ होगा, वे आपको साधुवाद देंगे और वास्तव में किसान हित के अन्दर वे आपको दुआएं देंगे।

मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि ये लोग जो हल्ला करते हैं, यह तो इनका काम है क्योंकि इन्होंने तो सारे राजस्थान को +++ चट कर दिया, यह भी +++ इन्होंने कोई छोड़ा नहीं राजस्थान के अन्दर। इसलिए +++ प्रतिबन्ध तो जनता ने लगा दिया और अपने रोजड़ों पर प्रतिबंध सरकार लगाये, यह मेरा आपसे निवेदन है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रणधीर सिंह भीण्डर। (व्यवधान) इनके बाद आप।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना जारी)

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने जिस विषय पर चर्चा रखी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान ही नहीं, दूसरी कई विधान सभाओं में इस पर चर्चा हुई और टाइगर के बाद अगर किसी विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो रोजड़ों पर हुई है। (व्यवधान) आप वह बनने की कोशिश मत करो, आप रोजड़े बनने की कोशिश मत करो। वे फसल कर रहे हैं और आप सदन का समय खराब कर रहे हो। मेरा आपसे निवेदन है ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य हमें पर्ची भेज-भेजकर यह निवेदन कर रहे हैं कि वे रोजड़ों पर हो रही चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। आप अपील कर दो तो ये चले जायेंगे अपने स्थान पर बोलने के लिए। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी भावना भी है, यह ऐसा ही विषय है।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ..(व्यवधान)... आप अगर बात करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा विषय है, किसानों से जुड़ा हुआ, इनसे भी जुड़ा हुआ विषय है, एक बार इनसे अपील करके देख लें। एक बार अपील करके देख लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रणधीर सिंहजी, आप चालू रखिये। (व्यवधान) आप यहां से नहीं बोल सकते, अपनी सीट पर जाकर बोलो। अपनी ओरिजनल सीट पर जाकर बोलो। (व्यवधान) बैठिये आप। रणधीर सिंहजी।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजड़ों पर मैंने बहुत रिसर्च की है। (व्यवधान) जो इसकी फीमेल होती है, उसको 'रोज' कहते हैं और जो मेल होता है, उसको 'नील' कहते हैं, औरंगजेब ने इसके आगे 'गाय' लगा दिया जिससे इसे नील गाय कहने लगे, जबकि यह घोड़े जैसा प्राणी है, 250 किलो का है और एन्टिलो प्रजाति का है। इसको बचाने के लिए, वाइल्ड-लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के बाद में इसको मारा नहीं जाने लगा। उसके कारण, जहां पर यह अधिक है, वहां पर गेहूं की फसल में 35 से 60 प्रतिशत, चने की फसल में 50 से 70 प्रतिशत ...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप मांग करते रहो, हो-हुल्लड़ करते रहो, यही लिखा है आपके तकदीर में। आप यही करते रहो।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): मूंग में 45 से 60 प्रतिशत, ग्वार में 20 से 35 प्रतिशत, कपास में 25 से 40 प्रतिशत नुकसान पहुंचाते हैं। सरसों की फसल को ये खाते नहीं लेकिन चलने-फिरने से भयंकर नुकसान हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके सड़क पर अचानक आ जाने के कारण बहुत सी भयंकर दुर्घटनाएं हुई हैं जो भारत में 21 केस प्रति राज्य प्रति दिन होने हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किये हैं। हमने इनको डराने का प्रयास किया, बंदूक छोड़ कर, शुरू-शुरू में, शुरू-शुरू में तो ये डर गये लेकिन अब ये बिलकुल खड़े रहते हैं। इसके अलावा, केमिकल रिपेलेंट होते हैं जिससे इनको भगाया जा सकता है लेकिन वह एक छोटे से क्षेत्र में ही हो सकता है। कैप्चर-ट्रांसलोकेशन की भी एक पद्धति है लेकिन इनको इंजेक्शन वन विभाग वाले लगाते हैं वह दस एमएल का ही होता है उससे हिरण तो बेहोश हो सकता है लेकिन यह प्राणी केमिकल इंजेक्शन है उससे बेहोश नहीं होता है। इसलिए उनको उठाकर वहां से कहीं और नहीं ले

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

जाया जा सकता। ना ही इनका कैस्ट्रेशन हो सकता है क्योंकि ये बेहोश होते ही नहीं हैं।

यह किसने, पता नहीं, चालू कर दिया कि इसको मारा नहीं जा सकता, जबकि जहांगीर ने 900 नील गायें मारीं, 900, और उसका प्रिय शिकार ही नील गाय था। गाय यह है नहीं। इसको मारने के लिए सरकार यहां से एक प्रस्ताव भेजे कि जो एक्ट है, उसमें इसको वर्मिन घोषित किया जाये ताकि किसान इसको भगा सकें, मार सकें और फसलों को नुकसान से बचा सकें। मेरा आपसे निवेदन है कि एक प्रस्ताव यहां से लेकर केन्द्र में भेजा जाये कि इसको वर्मिन घोषित किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए। (व्यवधान) उनके बाद इधर आ रहा हूं। किसानों की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, इसलिए मैं पूरा समय दूंगा बोलने का। किसानों के नकली प्रतिनिधि इसमें बाधा डाल रहे हैं।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना जारी)

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो महत्वपूर्ण मुद्दा आज माननीय सदस्य उठा रहे हैं रोजड़ों का, उसी प्रकार का मुद्दा मेरे हाड़ौती क्षेत्र में बारां जिले का है। बारां जिले के अन्दर रोजड़ों का जिस प्रकार आतंक इस क्षेत्र में है, उसी प्रकार मेरे क्षेत्र में हिरणों का आतंक है और हिरणों की वजह से किसान बरबाद हो रहे हैं। उनकी 12 महीने की जो तपस्या है उस तपस्या पर एक रात में पानी फिर जाता है। इस गम्भीर समस्या को आप मद्देनजर रखते हुए इस पर विशेष ध्यान दें और हिरणों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए या तो उनको कहीं अभयारण्य में छुड़ाइये, या फिर किसानों के खेतों के अन्दर ऊंची तारबंदी करें जिससे इस प्रकार की हानि से बचा जा सके।

माननीय अध्यक्षजी, इस गम्भीर मुद्दे पर ये विपक्षी गम्भीर नहीं हो रहे हैं। इनको +++ किसान इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? इनको वहां फील्ड में जवाब देने के लिए मुद्दा नहीं मिलेगा। अब तो शर्म करो। (व्यवधान) किसानों जैसे गम्भीर मुद्दे पर तो चुप हो जाओ। क्या जवाब देंगे? +++

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी यही विनती है, मेरे हाड़ौती क्षेत्र में भी हिरणों के आतंक से किसानों को बचाने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए हिरणों को अभयारण्य में छुड़ाया जाए, या उनके खेतों की तारबंदी की जानी चाहिए। इसी के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं।

श्री अध्यक्ष: मान सिंहजी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): आदरणीय अध्यक्षजी, राजस्थान का जो किसान अन्नदाता है, जो सर्दी के अन्दर, गर्मी के अन्दर, जिस किसान से सर्दी कांपती है, जिस किसान से गर्मी कांपती है, उस किसान की समस्या को लेकर आज आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

एक किसान के बेटे की हैसियत से, इस समस्या से जिस प्रकार से राजस्थान का किसान जूझ रहा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे साथियों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये और उन सुझावों के अन्दर जिस प्रकार की बात निकलकर आयी है, माननीय अध्यक्षजी, मैं कह सकता हूं, आज अच्छा होता, राजस्थान की यह विधान सभा किसान के मुद्दे पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करती कि आर्टिकल 5 के अन्दर वन्य जीव अभयारण्य की इस धारा में बदलाव किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान की विधान सभा में इस किसान के मुद्दे पर +++ किसान को मिल रहे हैं। किसान की इस बात को, जैसे किसान रोजड़ों से राजस्थान में परेशान है, उसको पता नहीं था कि राजस्थान की विधान सभा में भी आपकी समस्या के लिए ये सामने आ जाएंगे। इसलिए, अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह राजस्थान विधान सभा वन्य जीव अभयारण्य के आर्टिकल 5 में बदलाव करे और यह व्यवस्था की जाय कि राजस्थान के अन्दर जो रोजड़े हैं उनके लिए संरक्षित क्षेत्र किया जाय और उस क्षेत्र के अन्दर, हम नहीं कहते कि उनकी हत्या हो, उनका वध किया जाय लेकिन जिस प्रकार से आज किसान की फसल को चौपट करने का काम किया जा रहा है, आज जिस प्रकार से किसान, जिस मेहनत से जिस कमाई को करने का काम करता है, सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के अन्दर, चाहे वह ग्रीन हाउस हो, चाहे होर्टीकल्चर हो, किसान को तारबंदी की व्यवस्था के लिए, माननीय कृषि मंत्रीजी, आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी जो विशेष कृषि जिंसों की योजना है उसके अन्दर किसान को तारबंदी के लिए पैसा दिया जाय, जिससे किसान अपनी फसल को बचा सके। आपसे अनुरोध करूंगा, आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने किसान की चिन्ता इस बजट में की है और किसान की जो उन्होंने चिन्ता की है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। यह सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान के किसान को नहीं बचाया गया तो यह कृषि का प्रोडक्शन घटेगा और जब कृषि का प्रोडक्शन घटेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में हमारे किसान की जिंस में कमजोरी आएगी।

(श्री मान सिंह)

अध्यक्षजी, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, इस किसान को बचाने के लिए, किसान को रोजड़ों से निजात दिलाने के लिए, यहां से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा जाय कि केन्द्रीय वन्य जीव अभयारण्य के अन्दर जो इसका कानून है, आर्टिकल 5 में बदलाव करके, इनको राजस्थान में कोई निश्चित स्थान दे दिया जाय, उस निश्चित स्थान पर रोजड़े रहें, लेकिन किसान बचें।

आज जिस प्रकार से रोड पर एक्सिडेंट होते हैं, दर्दनाक मौतें होती हैं, मैं मेरे विपक्ष के भाइयों से कहना चाहता हूं, जरा इस जमीन पर झांककर देखो, किस प्रकार से आज किसान चिंतित है। आज किसान की फसल को बचाने का सवाल है, राजस्थान की बड़ी समस्या पर चर्चा है। जब किसान की चर्चा होती है, कृषि की चर्चा होती है तो आप निर्लज्ज होकर भाग जाते हों, लेकिन किसान की समस्या पर आप चर्चा नहीं करते।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान के किसान को बचाने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था हमको करनी चाहिए, यह कानून बहुत पुराना है, 1966 के इस कानून के अन्दर बदलाव हो और इस कानून के अन्दर बदलाव करके राजस्थान के किसान को बचाने का काम किया जाय। इसके लिए विशेषज्ञ समिति बनाकर राजस्थान के अन्दर पहल की जानी चाहिए कि देश में जिस प्रकार से रोजड़ों की समस्या है, राजस्थान प्रदेश में सबसे पहले किसान को इससे राहत मिले।

आपने यहां बोलने का मौका दिया, इस महत्वपूर्ण विषय को रखने का काम किया, उसके लिए, अध्यक्षजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय किसान।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। इनके बाद आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, आज किसान जिस चीज से परेशान है और मैं तो कहूंगी कि किसान ही नहीं, बल्कि इस राजस्थान का, इस देश का मानव जीवन भी इन रोजड़ों से बहुत ज्यादा परेशान है। उस विषय पर मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं, क्योंकि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आती हूं, दर्रा अभयारण्य वहां पड़ता है, मुकन्दरा हिल वहां पड़ती है। गत 5 महीने पहले का एक आंखों देखा हाल आपको बताना चाहती हूं। जैसा कि मुझसे पूर्व सभी माननीय सदस्यों ने अपने

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

विचार व्यक्त किये हैं और उन्होंने किस तरह से पीड़ित किसान के बारे में चर्चा यहां पर की कि हमारा किसान इन रोजड़ों से किस तरह से परेशान है।

माननीय अध्यक्षजी, किसान हमारी आत्मा है। किसान दिन-रात मेहनत करके हम लोगों को खाने को अन्न देता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसे किसी की चिन्ता नहीं रहती, लेकिन उसके बावजूद जब उसकी फसल पककर तैयार होती है और यह रोजड़ा आकर उसकी फसल को नष्ट करता है तो उसकी आत्मा से हम पूछें कि उसका क्या हाल होता होगा। माननीय अध्यक्षजी, मैं कहना चाहती हूं कि अगर एक किसान उसके खेत में आने वाले किसी भी रोजड़े को हाथ लगा ले तो किस तरह से वाइल्डलाइफ वाले उन किसानों पर अत्याचार करते हैं। वन के जो जानवर हैं वे हमारे किसानों को परेशान करें, लेकिन कोई भी किसान अगर उसके साथ कोई अत्याचार करे तो उसे कितनी बड़ी सज़ा दी जाती है। जो वन्य प्राणी हैं उनसे हम सभी प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां इस प्रदेश की बनी हैं, उसके चलते हुए कहीं न कहीं वाइल्डलाइफ के नियमों में परिवर्तन होना चाहिए और यह पूरे सदन का दायित्व है कि किस तरह से परिवर्तन के लिए संसद में हम इस बात को भेजें, दिल्ली के अन्दर इस बात को भेजें ताकि राजस्थान के किसानों को इसका फायदा मिले।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि किसानों की फसलों को हम कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए तारबंदी, चाहे नरेगा के माध्यम से करें, चाहे कैसे भी, सरकार उनको सहायता देकर करवाए। यह भी हमको निर्णय लेना चाहिए।

दूसरा निवेदन करना चाहूंगी, अभी 5 महीने पहले जब मैं मेरी पीपाखेड़ी पंचायत के अन्दर गयी और जो मैंने उस महिला का हाल देखा, इन रोजड़ों की वजह से, वह मैं आपको सुनाना चाहती हूं। माननीय अध्यक्षजी, एक महिला अपने खेत में फसल को काटने के लिए गयी, उस महिला का इस रोजड़े ने क्या हाल किया कि उसके चेहरे से लेकर पैरों तक उसकी हड्डियां बची हुई थीं। मैंने खुद ने खेत में जाकर उस महिला को देखा। आप देखिए, पूरे गांव में सनसनी फैल गयी। उस रोजड़े ने रामगंजमण्डी से लेकर मण्डाना तक जो हाल किया, दौड़ा-दौड़ाकर, और वन्यकर्मी खुद उनके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके एक लट्ठ की मार ले, या एक पत्थर भी उसके ऊपर फेंक दें। इस तरह का भय जनता में और वहां के वनकर्मियों में था। उससे यह लगता है कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जिस तरह से मानव हानि, मैं तो यह कहूंगी कि यह फसलभक्षी ही नहीं, बल्कि नरभक्षी भी यह रोजड़ा हो चुका है। इसलिए हमें बड़ी चिंता करनी चाहिए और कुछ न कुछ नियमों में परिवर्तन करके किसानों के हित की बात सोचनी चाहिए। जितना हम किसानों का हित कर सकते हैं उतना हित भी हमें करना चाहिए। मैं तो कहूंगी, क्योंकि राजस्थान के किसानों ने, हम सब गांवों से आते हैं और किस तरह से उनका विश्वास हम जीतकर आये हैं और कितना बड़ा आशीर्वाद हमें देकर भेजा है, तो उनकी चिंता अगर हम नहीं करें तो यह उन किसानों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं।

मैं तो नीचे बैठने वाले मेरे भाइयों को भी कहना चाहूंगी कि आप मेरी बात को शांति से सुन रहे हों, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं लेकिन जितने भी सदस्य इस बारे में विचार रखें, उनकी बात को भी ध्यान से सुनें। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर किसानों की फसलों को बचाने के लिए, रोजड़ों से निजात दिलाने के लिए चर्चा हो रही है और उस चर्चा में किसान की जो चिंता की है और आपने मुझे उसके लिए जो समय दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं।

किसान या तो राम पर भरोसा करता है, या राज पर भरोसा करता है। किसान की फसल कभी ओलों से खराब होती है, कभी शीतलहर से खराब होती है, कभी अतिवृष्टि से खराब होती है, कभी कम वृष्टि से खराब होती है। किसान किसको कहे? या तो राम से कहता है कि हे भगवान, तू मेरी सहायता कर, या राज से कहता है कि हे राज के नुमाइंदों, आप बैठे हैं और आप हमारी मदद करें।

आज किसान जिसको नील गाय बोलते हैं मगर वह नील गाय नहीं है, उसको रोजड़ा बोलते हैं, वह रोजड़ा खेती को इस तरह से चौपट कर देता है कि किसान की चार महीने तक मेहनत की हुई फसल बिलकुल चौपट हो जाती है। वो पूरे चार महीने तक रखवाली करता है और एक रात भी कहीं रखवाली में कमी रह गई तो वह रोजड़ा पूरे खेत को ऐसे चौपट करता है कि जैसे कोई बोया ही नहीं है।

(श्री केसाराम चौधरी)

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजड़े के साथ-साथ, वन्य जीव और ग्रामीण सूअर की मेरे क्षेत्र में इतनी समस्या हो गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ग्रामीण सूअर और जंगली सूअर में भेद भी किसान नहीं कर पाता है, उसके पता भी नहीं रहता कि यह ग्रामीण सूअर है या जंगली सूअर है। ऐसा ही केस मेरे भांवता गांव में नारायण लाल चौधरी जो उप सरपंच है, उसकी औरत ने देखा। ग्रामीण सूअर है और उस सूअर ने अपने बच्चों को घास में छिपा रखा था, वह महिला उसके पास चली गई। उस जंगली सूअर ने उस पर हमला कर दिया और उसकी बुरी हालत कर दी। वह मरने से जरूर बची पर उसके हाथ भी टूट गये। इस बारे में मैंने पूर्ववर्ती सरकार से बहुत बार मांग की कि उसको मुआवजा दिया जाए, आपके वन्य जीव ने नुकसान किया है मगर इस सरकार ने आज दिन तक उसको एक रुपये का मुआवजा नहीं दिया। आपके द्वारा उन फाइलों को कैन्सिल कर दिया गया।

माननीय कृषि मंत्रीजी सुन रहे हैं, मैं कहता हूं कि उस गांव की जांच की जाए और उस गरीब को इस निकम्मी सरकार ने, जो वन्य जीव के द्वारा हमला किया गया, पूर्ववर्ती सरकार, आप जैसे रोजड़ों वाली सरकार ने गरीबों को, किसानों को जो मुआवजा देना चाहिए था, वह नहीं दिया, उल्टा, मेरी जिंजाड़ी पंचायत के पहाड़ी गांव में, किसान को समझ में नहीं आया कि जंगली सुअर है या ग्रामीण सूअर और उसके हाथ से उसने ग्रामीण सूअर समझ कर मार तो दिया, पर मारने पर उस गरीब को तीन महीने की जेल के बाद जमानत हुई। यह ऐसी निर्दयी सरकार थी, इसीलिए इसका पतन हुआ है। किसानों की बद्दुआ लगी है और आगे भी लगेगी, क्योंकि आज किसान की फसल को चौपट करने वाले जीव पर चर्चा हो रही है और आप उसमें व्यवधान डाल रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से आपका आने वाले समय में भी इससे बढ़कर हाल होगा, यह किसान आपको बद्दुआ दे रहा है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में आज इतनी बरसात हुई कि आज नदियां कल-कल करती बह रही हैं। नदियों में इतना उफान आया हुआ और किसान इतनी खुशी से झूम रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस किसान की फसल को बचाने के लिए, रोजड़े और जंगली सूअर से बचाने के लिए, आपसे निवेदन करता हूं कि उसके लिए तारबन्दी में या तो अनुदान दिया जाए या किसी तरह से इस जीव को वन्य अभयारण्य में डालकर बन्द किया जाए ताकि किसान को इनसे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। आपकी बात आ गई। श्री कैलाश भंसाली। विराजो। श्री कैलाश भंसाली का नाम ले लिया है मैंने। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं कि इस राजस्थान की विधान सभा में भी +++ जिनका उपचार आप कर सकते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जिम्मे यह खेती है और इस खेती को उजाड़ रहे हैं, इसलिए इस खेती को भी बचाना आपके जिम्मे है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा पर विपक्ष को चाहिए कि इसमें भाग लेकर किसानों की बात को रखें। विधान सभा को भी +++ बचाना है, माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। श्री कैलाश भंसाली। इनके बाद हीरालाल निवाई, उनके बाद आप। (व्यवधान)

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्षजी, आज आपने किसानों की जो समस्या है, उसके बारे में समय दिया एक घंटे की चर्चा का, उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं।

आये दिन कापड़ा से लेकर बिलाड़ा, जो जयपुर की मेन रोड है, उसमें रोजड़े एक झुण्ड में आ जाते हैं और हर महीने एक-दो एक्सिडेंट होते हैं। कई लोग उसमें मारे गये हैं। जो इंश्योरेंस होती है उसमें यह कवर नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे ऐसा है ही नहीं कि रोजड़े से मारे जाने वाले को हम मुआवजा दें। मेरा निवेदन है कि रोजड़े एक साथ झुण्ड में आते हैं और इस तरह से हमला करते हैं, जैसा काफी लोगों ने कहा है कि किसान को खुद को मार देते हैं।

मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह से पाले की समस्या के बारे में इस विधान सभा ने प्रस्ताव पास किया है, इसमें राज्य सरकार केन्द्र सरकार से मुआवजा मांगेगी,...

श्री अध्यक्ष: आप शांति से बैठिये। आप शांति से विराजिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मैं उसी बात को कहता हूं कि रोजड़े की समस्या को समाप्त करने के लिए भी इस तरह का प्रस्ताव आज सर्वसम्मति से पास हो और किसानों को राहत दी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप नहीं। श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की इस महापंचायत में जो आज किसानों के बारे में चर्चा हो रही है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान की इस धरती पर 70 प्रतिशत काश्तकार हैं जो

(श्रीमती संजना आगरी)

कृषि का कार्य करते हैं और राजस्थान वह प्रदेश है जहां पर हर तीन वर्ष के अन्दर अकाल की स्थिति बनी रहती है। अध्यक्ष महोदय, आज इस राजस्थान की विधान सभा में राजस्थान के काश्तकारों का, जो सर्दी, गर्मी के अन्दर, चाहे बरसात हो, बारिश का मौसम हो, खेती पैदा करता है और उस खेती का उत्पादन करके राजस्थान ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान की जनता का पेट कैसे पले, उनका भरण-पोषण कैसे हो, उसके लिए वह अनाज पैदा करता है।

आज उसका बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जिससे किसान दु:खी है, वह है रोजड़े और रोजड़े के साथ ही जंगली सूअर का आतंक है। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र सोजत से आती हूं, उस विधान सभा क्षेत्र में भी इन रोजड़ों के साथ में जंगली सूअर का आतंक है, जहां आये दिन, हम लोग किसी भी ग्राम पंचायत के गांवों में जाते हैं और वहां पर सभा होती है तो सारे काश्तकारों का एक ही विषय रहता है, उनका एक ही चिंतन रहता है कि मैडम, इन रोजड़ों से कैसे बचाया जा सके, हमारे परिवार कैसे सुरक्षित रह सकें और हम जो खेती करते हैं, उस खेती की फसल को इन रोजड़ों और इन जंगली सूअरों के आतंक से कैसे बचाया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही चिंतन का विषय है।

अभी सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी कि इन रोजड़ों का इतना आतंक है कि नेशनल हाइवे के ऊपर से जब गाड़ियां पूरी 100-140 की स्पीड से निकलती हैं तो वहां पर भी, उन हाईवे पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किये जाते हैं जिससे आये दिन यहां पर एक्सिडेंट और कई तरह की दुर्घटनाएं होती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मसला है और मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी सरकार को इसके ऊपर काश्तकारों के लिए कि उनके खेत और फसल कैसे सुरक्षित रहें, इसका निर्णय करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारी माननीया विधायक, चन्द्रकांताजी महिला के बारे में बता रही थीं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जंगली सूअरों का भी इतना आतंक है कि जब गांव में घरों के आस-पास खेत रहते हैं, उन खेतों में जब उन महिलाओं के छोटे-छोटे बच्चे, उनका जो खाना लेकर जाते हैं, तो कई बार हाथ में टिफिन देखकर ये जंगली सूअर और रोजड़े उन बच्चों पर अटैक कर देते हैं। कई बार तो उन मासूमों की निर्मम हत्या भी हो जाती है।

(श्रीमती संजना आगरी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मसला था। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इन जंगली सूअरों से हमारे किसान की, हमारे किसान के परिवार की कैसे सुरक्षा हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा इनके खेतों के चारों तरफ मेड़बंदी हो या कोई तारबंदी करवाई जाये। इसके लिए सरकार जरूर चिंता करेगी और, नहीं हो तो इनको कुछ लोन देकर, इनको सब्सिडी के माध्यम से, इनके खेतों की कैसे सुरक्षा हो, इनका खुद का जीवन कैसे सुरक्षित रह सके, इसके लिए हमारी सरकार से हमें पूर्ण भरोसा है कि इन किसानों के हित के बारे में सरकार बहुत अच्छा निर्णय करेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजें। विराजिये। आपका बाद में। आप स्थान ग्रहण कीजिये। विराजिये विराजिये। आप विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। आप बोलिये।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): माननीय अध्यक्षजी, रोजड़ों के बारे में विशेष चर्चा के बारे में और किसानों के बारे में बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं ओसियां विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वह भरपूर होना चाहिए किसानी और एग्रीकल्चर में। पूरे भारत के अन्दर जैसे मथानिया की लाल मिर्च फेमस है, एकदम बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। वहां पर पानी की प्रचुरता होते हुए पूरे खेतों के अन्दर नील गाय का, रोजड़ों का इतना आतंक है, उससे किसान दिन-रात दु:खी रहते हैं। इन रोजड़ों के साथ-साथ आजकल, पिछले 5-7 वर्षों के अन्दर, ग्रामीण सूअरों का इतना आतंक हो गया है कि मेरे खुद के खेत के अन्दर, जैसे कई बार मैं अपने गांव में होता हूं तो उनसे मुकाबला करते-करते, ऐसा कई बार वे सामने अटैक की स्थिति में आ जाते हैं...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अब तो रोजड़ों के साथ-साथ आपकी भी बात कर रहे हैं। आप भी उनसे कम नहीं हैं।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): ...और किसानों के लिए इतनी भयावह स्थिति हो जाती है कि एक तो रात-रात भर वह जाग-जागकर अपनी फसल की सुरक्षा करते हैं और दिन भर इतनी गर्मी के अन्दर परेशान होते हुए अपने खेत की रखवाली करते हैं।

इसके अलावा, पिछले पांच सालों के अन्दर एक भिन्न प्रकार की घास वहां पर उगने के लिए आई है, उसको ऊंट कंटालिया बोलते हैं। यह घास पिछले पांच सालों के अन्दर, जैसे कांग्रेस की सरकार के अन्दर, पता नहीं,

(श्री भैराराम चौधरी)

कहां-कहां से आ गयी, पूरे ओसियां क्षेत्र के अन्दर हर खेत, हर गली में ऊंट कंटालिया हो गयी। कोई आदमी रास्ते चलता हुआ पैदल, वह जैसे रास्तों में, खेत में चल नहीं सकता है। यह, पता नहीं, हो सकता है, पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने हेलिकाप्टर से बरसाया, या, पता नहीं, कहां से बरसाया, हर खेत के अन्दर ऊंट कंटालिया घास हो गई। उससे भी किसान बहुत दु:खी है।

ये रोजड़े की बात कर रहे हैं, आज से कम से कम 20 साल पहले एक रोजड़े ने मुझ पर अटैक किया हुआ है और रोजड़े का अटैक खाया हुआ शायद इस विधान सभा का मैं खुद एक सदस्य हूं। मैं आपसे एक बात का निवेदन कर रहा हूं कि यदि किसानों को उनके खेत की चारदीवारी या उनके खेत की तारबंदी की तरफ यदि सरकार की तरफ से ध्यान हो और उनको अनुदान के रूप में मिल जाये तो किसान अपने जीवन में खुशहाल होगा।

रात के समय में जो ग्रामीण सूअर आते हैं, इनका तो इतना भयावह रूप हो गया है कि किसान रात को खेत में पानी नहीं दे सकता। होता यह है कि बिजली की सप्लाई कभी दिन में होती है और कभी रात को होती है। हमारे वहां पर अमूमन बिजली की सप्लाई रात को होती है और रात के समय उन ग्रामीण सूअरों का इतना आतंक होता है कि आप अपने खेत के अन्दर पानी नहीं दे सकते हैं। अपने खेत के अन्दर पानी देते हुए रात के समय कई बार उनके ऊपर अटैक हो गया।

तो यह बहुत ही गम्भीर मसला है और मैं आपके माध्यम से यह नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इन किसानों के हितों के लिए इसके ऊपर महत्वाकांक्षी कृषि मंत्रालय से कोई ऐसी योजना बने जिनसे इन किसानों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्री राजेन्द्रजी भादू। इनके बाद आप। फिर बहस पर जवाब आयेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा चल रही है। किसान की फसल को रोजड़ों से कैसे बचाया जाये। आज के दिन राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या किसानों के लिए यही है। हमने बार-बार, जगह-जगह, जहां भी उचित माध्यम मिला, उचित मंच मिला, सरकार से निवेदन किया। तारबन्दी कराने के लिए हमने निवेदन किया लेकिन तारबंदी से भी इन रोजड़ों की समस्याओं का हल होने वाला नहीं है।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से गौ-पालन के लिए एक अलग विभाग बनाया है, उसी तरह से जंगली जानवर हैं, वे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए हमें कुछ न कुछ इस तरह का कदम उठाना चाहिए। जैसे हम गौशाला के अन्दर हमारे आवारा पशु हैं, उनको भेज देंगे; हमारी गाय वहीं रहेंगी; हमारे बैल हैं, उनको वहां भेज सकते हैं। उसी तरह से, इसकी तारबंदी के अलावा जो हमें राजस्थान सरकार से मुख्यत: बात करने की जरूरत है और जिससे हम फसल बचा सकते हैं, जिससे हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, वह मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, अध्यक्षजी, उसके लिए ऐसी कोई टास्क फोर्स बने जिसके अन्दर वन विभाग के सम्बन्धित लोग हैं, जो इस बात के लिए ट्रेंड हों, वे रोजड़ों को अलग-अलग जगह में, वन विभाग के डी एफ ओ हैं, उसके अन्दर एक ऐसी टास्क फोर्स बनाकर उनको वहां से पकड़कर कोई ऐसे उद्यान में छोड़ें, ऐसी जगह पर छोड़ें, जहां जंगली दूसरे जानवरों के साथ-साथ वे रोजड़े भी रह सकें। इतने ज्यादा रोजड़े हैं, परन्तु कोई बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं हैं। अगर इस तरह का एक अभियान के रूप में काम चलायें राजस्थान की सरकार, तो निश्चित रूप से किसानों को उससे राहत मिलेगी। दूसरे जो छोटे-मोटे जानवर हैं, उनसे निपटारे के लिए सरकार सब्सिडी देकर नरेगा के अन्दर इसकी तारबंदी करायें ताकि किसानों को इससे बहुत बड़ी राहत मिले।

इसी तरह से, गौशाला के अन्दर निश्चित रूप से यह किया जाये कि जो हमारे आवारा पशु हैं, उनको वहां भेजें तो ठीक है, अन्यथा किसान को राहत मिलनी मुश्किल है। आने वाले समय के अन्दर किसानों को बचाने के लिए जब तक आवारा पशु और रोजडों से पीछा नहीं छूटेगा, तब तक हमारे लिए किसान की फसल को बचाना बहुत मुश्किल होगा।

आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्रीचन्द कृपलानी। श्रीचन्दजी के बाद आपका जवाब होगा। (व्यवधान) नहीं, अब नहीं। पर्याप्त हो गया। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं था कि राजस्थान की जनता ने +++ (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, शोरगुल व नारेबाजी)

हां, तो +++ पर ही बोल रहा हूं मैं, +++ अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आसन को सम्बोधित कीजिये। श्रीचन्दजी, आसन को सम्बोधित कीजिये। आपस में नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हमारे क्षेत्र में, जैसा कि माननीय सदस्यों ने रोजड़ों की समस्या बताई है, मुझे ध्यान है कि आज के 25 साल पहले जब मैं विधायक बनकर यहां आया था और माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री थे राजस्थान के, उस समय भी मैंने यहां पर रोजड़ों की समस्या को उठाया था। अध्यक्ष महोदय, उस समय कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्यों ने विरोध किया था कि ये रोजड़े नहीं हैं, नील गाय हैं ये और आज 25 साल के अन्दर माननीय सदस्य आपके सामने बोले हैं। इस बात को आपने महसूस किया होगा कि इन रोजड़ों ने इस राजस्थान के किसानों का सत्यानाश कर दिया। आर्थिक नुकसान...

श्री अध्यक्ष: आप बोलते रहो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, पहले तो आप इन +++ को संतुष्ट करो। मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सिर्फ किसानों की फसल ही रोजड़ों से नष्ट नहीं हो रही...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): रोजड़े दो प्रकार के होते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष के।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ...अगर आप होम डिपार्टमेंट से जांच करायें तो राजस्थान में पिछले 25 सालों में जितने एक्सिडेंट्स हुए हैं, 50 प्रतिशत एक्सिडेंट रोजड़ों से हुए हैं। कितने लोग मर जाते हैं। रोजड़े सड़क पर आ जाते हैं, कार से टकरा जाते हैं। परिवार के परिवार नष्ट हो गये। राजस्थान के लिए यह बहुत ही गम्भीर समस्या है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री, माननीया वसुन्धराजी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा कि रोजड़ों को पकड़ने के लिए, या किसानों के खेतों की रक्षा के लिए हम तारबंदी करें, तारबंदी हो जाये।

दूसरा, जिस तरह बैलों का है, उसी तरह रोजड़ों के लिए भी ऐसा इंजेक्शन ईजाद किया जाये और उनको नपुंसक बनाया जाये ताकि उनकी उत्पत्तियां ज्यादा नहीं हों। तभी राजस्थान में इन पर कंट्रोल हो सकता है। मुझे विश्वास है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हमारी संवेदनशील सरकार निश्चित रूप से यह चाहती है...(व्यवधान) क्या तकलीफ हो गई +++ को? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप आसन को सम्बोधित कीजिये। ये तो अपनी +++ बता रहे हैं। आप ध्यान मत दीजिये। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, रोजड़ों के लिए, तारबंदी के लिए सरकार व्यवस्था करे; रोजड़ों को नपुंसक बनाने के लिए जो इंजेक्शन होता है उसको बनाने की व्यवस्था करें; उसके लिए स्पेशल जोन बनाकर रोजड़ों के लिए व्यवस्था करें; और उससे बड़ी व्यवस्था इन +++ की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय राजेन्द्र सिंहजी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, शोरगुल व नारे जारी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से आपको धन्यवाद दूं। लम्बे अंतराल के बाद नियम 127 के अन्दर अविलम्बनीय लोक महत्व के इस रोजड़े के विषय को समझकर, आपने इस सर्वोच्च सदन के अन्दर आज माननीय सदस्यों को और सरकार को अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार इस समस्या ने विकराल रूप लिया है, आज रोजड़ों की बात को लेकर किसान सड़कों पर आने लग गया है। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही के अन्दर चित्तौड़गढ़ के अन्दर किसान इस बात को लेकर रोष व्यक्त करते हुए सड़क आया कि रोजड़ों के कारण आज इनकी फसल नष्ट हो रही है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, मैं क्षमा चाहता हूं। ये लोमड़ियां कहां से आ गईं इस सदन में? इस सदन में ये लोमड़ियां कहां से आ गईं जिनकी आवाज आ रही है?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में हंगामा)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, ये +++ सदन में भी व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अपनी भावना व्यक्त की, मैं उन भावनाओं के साथ अपनी भावनाएं सम्मिलित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आज रोजड़ों के कारण से किसान बरबाद हो रहा है। आज यह समस्या राजस्थान के उन 67 परसेंट लोगों की है जो 44 हजार गांवों में रह रहे हैं और इसीलिए, अध्यक्ष महोदय, जब सुराज संकल्प यात्रा को लेकर हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी निकली थीं, जब किसानों ने इस बात को बताया तो उन्होंने एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

घोषणा पत्र के अन्दर, घोषणा पत्र, वह सुराज संकल्प पत्र जिसको सरकारी दस्तावेज का रूप दे दिया पहली मंत्रिमण्डल बैठक में, अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर यह साफ लिखा गया कि रोजड़ों की समस्या के समाधान के लिए सरकार नीतिगत निर्णय करेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, राजस्थान वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 लागू है। इस वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के कारण से राजस्थान में किसी भी वन्य जीव का शिकार नहीं किया जा सकता, किसी वन्य जीव को मारा नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह जो रोजड़ा, बायोलोजिकल नेम बोसिलेफस ट्रेगो कैमल्स है, यह गाय की प्रजाति से बिलकुल अलग है। गाय का बायोलोजिकल नेम है बीटोटस और इसका नाम है बोसिलेफस ट्रेगो कैमल्स। अध्यक्ष महोदय, इसकी आयु 21 वर्ष है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसकी प्रजनन दर जो है, जो इसकी प्रजनन दर है, वह 14 परसेंट है। अभी 2011, 2012 और 2013, इन तीन सालों के मैं आंकड़े रख रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, 2011 में राजस्थान के अन्दर रोजड़ों की संख्या थी 73 हजार 428 और एक वर्ष बाद जब दुबारा सर्वे कराया गया, संख्या बढ़कर हो गई 83 हजार 750 और 2013 के अन्दर यह समस्या बढ़कर हो गई 94 हजार 476 । यह समस्या लगातार ही बढ़ती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि यह जो जीव है यह शक्तिशाली जीव है; यह जीव हिंसक जीव बन चुका है; इस वन्य जीव के कारण, इन रोजड़ों के कारण जहां राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है, वहीं अब हर वर्ष राजस्थान के अन्दर 20 से लेकर 28 तक इन रोजड़ों के हमले से किसान के घायल होने के आंकड़े भी सामने हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 है, इसकी धारा-11 (1) (बी), इसमें एक अनुसूची है। इस शिड्यूल के अन्दर शिड्यूल-1 से लेकर 5 तक वन्य जीवों का वर्गीकरण कर रखा है और शिड्यूल-1 से लेकर 4 तक किसी भी वन्य जीव को बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के मारा नहीं जा सकता। अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल-5 के अन्दर वे जीव हैं जिनको वर्मिन जीव कह सकते हैं, जो खतरनाक हो सकते हैं, जिनको मारने की अनुमति है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 है, इसकी धारा-11 (बी) में जो शिड्यूल-3 है, इसके अन्दर यह रोजड़ा है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उस रोजड़े को मारने के लिए राजस्थान की सरकार ने 3.3.1994 को उप वन संरक्षक को, अगर कोई किसान कहे कि मेरे यहां खेत में रोजड़ा नुकसान कर रहा है तो उप वन संरक्षक से वह अनुमति लेकर मार सकता है। जब इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय, तो 19.1.1996 को और 30.4.1999 को यह अधिकार दे दिया क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंजर को। उसके बाद, इससे भी जब समाधान नहीं हुआ, किसान इससे भी परेशान रहा तो सरकार ने सोचा, यह अधिकार अब नायब तहसीलदार को दे दें, बी.डी.ओ. को दे दें, तहसीलदार को दे दें, एस.डी.एम., डीवाई.एस.पी., कलक्टर, एस.पी. को दे दें। इसी शिड्यूल के अन्दर अगर कोई किसान एप्लाई करे तो उसको वन्य जीव के रूप में रोजड़ों को मारने के लिए एक लाइसेंस या एक प्रपत्र मिल जाता है। अध्यक्ष महोदय, 31.7.2000 को इस प्रकार का काम हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा संकट एक है, यह जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972, इसमें एक धारा है, धारा-39 (2) (ए), इसमें यह प्रावधान है कि किसी भी वन्य जीव को, जो अधिनियम के शिड्यूल-1 से लेकर 4 तक है, अगर उसको अनुमति लेकर मारा जाता है तो भी उसको सरकारी सम्पत्ति माना जाएगा और मारने के बाद उसको जब दफनाया जाएगा या उसको जलाया जाएगा, उसमें सरकार का प्राधिकृत अधिकारी हो। इसके कारण से किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या है।

अध्यक्ष महोदय, गुजरात में इस संदर्भ में एक काम किया था, मैं वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। गुजरात सरकार ने अपने गजट के अध्यादेश में, 1,545 ग्राम पंचायतें हैं वहां, वहां सारे सरपंचों को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा-4 उप-धारा (1) खण्ड (ख) के तहत अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त कर दिया था। राज्य सरकार ने, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की धारा-5 (2) के तहत उसको धारा-11 उपधारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्राप्त शक्तियां थीं; अपने अधीनस्थ, जिनमें अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त किया है, उसमें सरपंच को शामिल कर लिया था। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार इस समस्या के विकराल रूप को देखते हुए अब नियमों में संशोधन करके सरपंच को अधिकार देगी कि ग्राम पंचायत का सरपंच, अगर किसान वहां आवेदन पत्र करेगा तो ग्राम पंचायत का सरपंच उन रोजड़ों को मारने की अनुमति देगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में जो अनुसूची-3 है, इससे इसको निकालकर अनुसूची-5, जो वर्मिन है, जिसमें पीड़ित जंतु कहते हैं, उसमें स्थानान्तरित करें। उसमें अगर यह चला जाता है तो इसको मारने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

राजस्थान की सरकार ने इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी 4.1.1992 को, 29.2.1992, 31.3.1992 को, 31.1.1999 को और 3.4.1999 को भारत सरकार को पत्र लिखा था और पत्र में यह कहा था कि राजस्थान के अन्दर रोजड़ों का आतंक बढ़ता जा रहा है, किसान बरबाद होता जा रहा है, इसलिए रोजड़ों को शिड्यूल-3 से निकलकर शिड्यूल-5 में डाला जाए। अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है। पर, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, सदन की नेता ने भी कहा है, हम इसके लिए प्रयास करेंगे; भारत सरकार को लिखेंगे कि इस रोजड़े को शिड्यूल-3 से निकालकर शिड्यूल-5 में डालें ताकि इस सारी समस्या का समाधान हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, यहां बात चली, कई माननीय सदस्यों ने इन रोजड़ों को नील गाय के रूप में कहा। अध्यक्ष महोदय, नील गाय और गाय, ये दो शब्द हैं। गाय की हम सब लोग पूजा करते हैं, हमारे सबके लिए सम्माननीय है। इन दोनों में अंतर कितना है, अध्यक्ष महोदय, गाय गोबर करती है, नील गाय मेंगनी करता है; गाय अलग-अलग जगह पर गोबर करती है, नील गाय एक ही ढेरी पर करता है; गाय में रंग नर और मादा का एक हो सकता है, नील गाय में नर काला/नीला और मादा बादामी और भूरी होती है; अध्यक्ष महोदय, सींग गाय के अन्दर नर और मादा दोनों में होते हैं और इन रोजड़ों के अन्दर केवल नर में होते हैं; गाय के गले में झालर होती है, रोजड़ों के गले में झालर नहीं होती है; गाय के गले में गल मूंछ होती है और उनके नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं यह घोषणा करता हूं, माननीय सदस्यों ने कहा कि जो अभयारण्य हैं, अभयारण्य के अन्दर हम किस प्रकार इन पशुओं को ले जा सकते हैं। इनका रूट है। एक विशेषज्ञों का दल बनाएंगे, अध्यक्ष महोदय, वह दल यह अध्ययन करेगा, इन रोजड़ों में मैंने तीन बातें कही हैं, एक तो गुजरात के पैटर्न पर हम सरपंच को अधिकृत करेंगे कि वह रोजड़ों के जो नियम बने हुए हैं, इन नियमों के तहत उसे वन्य जीव प्रतिपालक

(14.00 बजे)

घोषित करेंगे ताकि किसान उससे अनुमति ले सके; नम्बर-2, माननीय अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, इसे शिड्यूल-3 से शिड्यूल-5 में डालने के लिए सरकार भारत सरकार को फिर लिखेंगे, हमारी मुख्य मंत्रीजी भी कोशिश करेंगी; और तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अध्ययन दल बनायेंगे और वह अध्ययन दल हमारे जितने अभयारण्य हैं, उन अभयारण्यों में हम किस प्रकार, किस ट्रांजिट रूट से, इन रोजड़ों को ले जाकर वहां पहुंचा सकें, इसके लिए कोशिश करेंगे। सरकार चिन्तित है और, माननीय सदस्य, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह समस्या जो विकराल रूप लिये हुए है, इस समस्या के समाधान के लिए जो कुछ भी होगा वह करेंगे। विशेषज्ञों का एक अध्ययन दल बना कर पूरी चीज का अध्ययन करेंगे, शिड्यूल-3 से निकाल कर शिड्यूल-5 में डालने के लिए भारत सरकार को लिखेंगे और गुजरात की तर्ज पर हम सरपंचों के पास यह अधिकार देंगे कि वह रोजड़ों को मारने के लिए किसान को अनुमति दे। मुझे इतना ही कहना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं प्रतिपक्ष से कहूंगा कि कृषि की डिमाण्ड पर इन्होंने भाग नहीं लिया, सिंचाई की डिमाण्ड पर इन्होंने भाग नहीं लिया, पेयजल की समस्या पर यहां चर्चा हुई इन्होंने भाग नहीं लिया। ये किसान की बात करते हैं, ये किसान की बात करते हैं और जब किसान के हितों की बात यहां होती है तब ये बात नहीं करते। बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। माननीय मंत्री महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का भाषण सारे राजस्थान के किसान बड़ी बेताबी से स्वागत करेंगे क्योंकि उनकी बहुत गम्भीर समस्या थी।

आप भी बोलेंगे क्या? कृषि मंत्रीजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत सदन में चर्चा हो रही है। रोजड़ों की बढ़ती हुई संख्या और उनके विचरण के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने अपना विस्तृत ज्ञान सदन को दिया है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जब रोजड़ों की समस्या होती है तो निश्चित रूप से राजस्थान का किसान जब अपनी फसल को बोता है, उसको सारी रात जागना पड़ता है। उसके प्रिवेंशन के लिए सुराज संकल्प यात्रा के दौरान राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने रोजड़ों से निजात दिलाने के लिए तारबंदी का भी जिक्र किया है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब किसानों पर चर्चा हो रही है, किसान खेतों में रोजड़ों से परेशान रहता है और विधान सभा में जब चर्चा होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान पर, तब, मैं आपको रोजड़े नहीं बताना चाहूंगा लेकिन यहां अभी अशांति होते हुए भी मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां होर्टीकल्चर की जो हमारी क्रोप होती है, उन फसलों को जब रोजड़े नष्ट करते हैं तो सारी उद्यान की फसलें नष्ट हो जाती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्राकृतिक आपदा मद में, जो अभी प्राकृतिक आपदा मद बना हुआ है उसमें प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, शीत और जीव से होने वाले नुकसान का भी मुआवजा देने का प्रावधान होता है, इसलिए राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे कि आपदा प्रबंधन में रोजड़ों से होने वाले फसल के नुकसान को भी सम्मिलित किया जाए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा निवेदन मैं आपको करना चाहूंगा कि अभी जो नरेगा योजना चली हुई है, उस नरेगा योजना के चैप्टर-4 में यह प्रावधान किया हुआ है कि कोई भी किसान, जो छोटे किसान, लघु और सीमान्त एस सी/एस टी के किसान हैं, वे अपने खेतों पर मेंड़बंदी का काम ले सकते हैं। लेकिन अभी पंचायत राज मंत्रीजी ने और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस पर चिन्ता की है और यह प्रयास कर रहे हैं कि नरेगा में तारबंदी को भी जोड़ा जाए तो राजस्थान के किसान को इसका लाभ मिल सकेगा।

जिन माननीय सदस्यों ने आज सदन में चर्चा की है, मैं इतना ही निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि हम सब मिल कर, इन रोजड़ों से निजात दिलाने के लिए सर्वसम्मत एक फैसला होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का किसान न भारतीय जनता पार्टी का होता है और न कांग्रेस का होता है, सभी का होता है। इसलिए हम सब मिल कर यह प्रयास करें कि भारत सरकार को एक प्रस्ताव बना कर, यहां से माननीय मुख्य मंत्री महोदयाजी पंचायत राज के हिसाब से वहां भिजवायेंगी और रोजड़ों से निजात के लिए होर्टीकल्चर की फसलों के साथ-साथ, सभी छोटे किसानों को तारबंदी का दिया जाए। उसमें जो पैसा मिलता है, चालीस प्रतिशत पैसा अभी नरेगा योजना में मैटेरियल का मिलता है लेकिन वह कम पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी सुझाव हमारे पास आये हैं कि बीस प्रतिशत पैसा किसान का जन सहयोग में देने को भी तैयार हैं।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

इसलिए ऐसी महत्वाकांक्षी योजना को पंचायत राज विभाग के माध्यम से राजस्थान सरकार भारत सरकार को भेजेगी तो निश्चित रूप से हमें इससे निजात मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्दजी सुराणा।

सूचना

राज्य में न्याय प्रणाली ठप्प होना

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान में अभिभाषकों की हड़ताल, वकीलों की हड़ताल के प्रति इस सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 जुलाई से राजस्थान की न्यायिक प्रणाली ठप पड़ी है और न्यायिक प्रणाली जो ठप पड़ी है, उसके फलस्वरूप अदालतों में काम नहीं हो रहा है। अफसोस की बात यह है, ...(व्यवधान) वकीलों के प्रति आपकी भी कोई जिम्मेदारी होगी, बन्धुओं। (व्यवधान) चलो, कृषि के प्रति नहीं है तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप अपना भाषण चालू रखिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह जो असामान्य स्थिति राजस्थान में पैदा हुई है कि न तो वकील काम कर रहे हैं और न्यायिक प्रणाली और वकील आमने-सामने हो रहे हैं, तो यह कंफ्रंटेशन जो जुडिशियरी और एडवोकेट्स के बीच में है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे अफसोस इस बात का है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, न तो चीफ जस्टिस को फुर्सत है, पूरी जुडिशियरी को फुर्सत नहीं है और, माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्जीक्यूटिव को कोई दखलंदाजी वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के बीच में जो टकराव है, उसमें कोई पहल करने की आज तक इनको फुर्सत नहीं मिली। (व्यवधान) अभी मैं सुन नहीं रहा हूं। न आपको सुन रहा हूं, न और किसी को सुन रहा हूं, मेरी बात कह रहा हूं। मैं आपको भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकरण पर आप चुप रहें और शांति से बात को सुनने की कोशिश करें। तब वकील और अधिकारी समझेंगे कि आप वाकई में बहुत चिन्तित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना दुर्घटना में बदलती गई। एक वकील साहब का कोई प्रकरण था, उनकी बेदखली का मामला था और बेदखली का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आर्डर तो अदालत में किसी के भी खिलाफ होता है, उस बेदखली के प्रकरण में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 7 जुलाई को राजस्व अपील अधिकारी का पद समाप्त न हो, इसको लेकर जयपुर के वकीलों ने हड़ताल की और 7 तारीख को हड़ताल थी, बार एसोशियेशन के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी उन जज साहब को कहने चले गये कि आज आप कार्यवाही न करें क्योंकि आज हमने हड़ताल कर रखी है। अफसोस की बात यह है कि उनके खिलाफ कंटेंप्ट आफ कोर्ट के मुकदमे बना दिये गये और कंटेंप्ट आफ कोर्ट के मुकदमे भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, चीफ जस्टिस के द्वारा नहीं, पत्र तो गया चीफ जस्टिस को और दूसरे माननीय जज महोदय ने स्वज्ञान से प्रेरित होकर प्रसंज्ञान ले लिया।

यह कंफ्रंटेशन जो शुरू हुआ है उसकी शुरुआत इस 7 जुलाई से हो गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 जुलाई को ओ टी एस में जुडिशियल आफिसर्स की बैठक होती है और उसमें दो सौ जुडिशियल आफिसर्स हाजिर होते हैं और वे प्रस्ताव पास करते हैं कि जयपुर में जो जिला न्यायालय है, इसको तोड़ा जाए, इसके चार टुकड़े किये जाएं। एक को उत्तर में बैठाया जाए, एक को दक्षिण में, एक को पूर्व में और एक को पश्चिम में। यह भी कहा गया कि यदि किसी प्रकार से वकीलों के खिलाफ कोई मुकदमा आ गया तो हम बार काउंसिल को लिखेंगे कि इनकी सनद रद्द कर दी जाए। सनद तो उनको सज़ा होगी तो रद्द होनी ही है, लेकिन आज सज़ा होने से पहले ही, मुकदमा चालान आते ही आप कह रहे जज महोदय कि उनके लाइसेंस को निरस्त किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कंफ्रंटेशन जुडिशियल आफिसर्स में, जो यहां डिस्ट्रिक्ट जज जयपुर हैं, उनके कारण, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके द्वारा कर्मचारियों को भी भड़काया गया, जुडिशियल आफिसर्स को भड़काया गया और चीफ जस्टिस बहुत समझदारी से काम करते तो निश्चित रूप से इंटरवेंशन, छोटा-मोटा किसी एक अधिकारी को यहां से वहां तबादला करने से और खास तौर से ए डी जे नम्बर-13 का तबादला करने से समस्या का समाधान हो सकता था। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, चीफ जस्टिस को क्या पड़ी थी कि वे इन्टरवीन करते? उनका तबादला तो राजस्थान से उड़ीसा में हो गया और जब उनका तबादला हो गया तो उन्होंने देखा कि राजस्थान से जाना है तो अपने को क्या मतलब कि अपन इंटरवीन करें।

तो यह दुर्भाग्यपूर्ण जो परिस्थिति बनी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज सारे वकील हड़ताल पर हैं, न्यायिक अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

न्यायिक अधिकारियों का दृष्टिकोण, जो प्रस्ताव पास किये गये हैं कि जिला न्यायालय को तोड़ा जाए ...

श्री अध्यक्ष: बातचीत नहीं। बातचीत नहीं की जाए। बातचीत मत करो। उनसे कहो। भेजो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जुडिशियल अफसर कौन होते हैं? जुडिशियल का क्या क्षेत्राधिकार है कि जो अच्छी खासी डिस्ट्रिक्ट-जजी और सारे न्यायालयों का परिसर, यथा सम्भव जो एक स्थान बनीपार्क में है कि उसको तोड़ा जाए, उसके चार टुकड़े किए जाएं? ये प्रस्ताव जो पास किये गये हैं, ये दुर्भावनापूर्ण और द्वेषपूर्ण प्रस्ताव हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि राज्य सरकार, पूरा मंत्रिमण्डल, उनमें से किसी को फुर्सत नहीं है कि वह इसमें इंटरवीन करे। जो इंटरवीन न करने का एक मोटा कारण है, वह यह है कि जजेज को तो हाथ नहीं लगाया जा सकता, चीफ जस्टिस को कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप किसी भ्रम में न रहें कि चीफ जस्टिस हमेशा न्याय करते हैं। चीफ जस्टिस हमेशा रूल आफ फ्लो से चलते हैं। पूरे जयपुर... (व्यवधान) यह सदन करेगा, सदन न्याय करेगा आपके साथ, चिंता न करिये और जनता न्याय करेगी। इसमें क्या है? आप मेरा ध्यान डाइवर्ट न करें, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य। मैं दस मिनट बोल लूं। दस मिनट बोलूं, फिर देखेंगे। आपका यह धर्म नहीं है कि आप इंटरवीन करें।

श्री अध्यक्ष: वरिष्ठ विधायकों के प्रति भी यहां सम्मान नहीं दिया जा रहा है, माननीय राजाखेड़ा से आने वाले विधायक।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, राजाखेड़ा के विधायक।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने मुझे सम्बोधित किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने मुझे सम्बोधित किया है तो मेरा भी तो निवेदन सुनना पड़ेगा आपको।

श्री अध्यक्ष: बोलिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सुराना साहब,...

श्री अध्यक्ष: इंटरवीन कर रहे हैं। फिर आपको वापस मौका मिलेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सुराना साहब बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने उनको स्थगन प्रस्ताव के जरिए...। मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है, आप बोलें, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है,..

श्री अध्यक्ष: डिस्टर्ब कर रहे हैं ना आपके ये बैठे-बैठे। देख नहीं रहे क्या आप?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पांच मिनट से ज्यादा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप देख रहे हैं कि नहीं? आपको दिख रहा है कि नहीं? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पांच मिनट से ज्यादा अनुमति नहीं। हमारे आदमी दो मिनट बोलेंगे। यह कहां का न्याय है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। (व्यवधान).

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह कहां का न्याय है? हमारे लोग दो मिनट बोलेंगे। उनको समय दिया जाना चाहिए, ज्यादा दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे कोई एतराज नहीं है, वे पांच मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं। आपका यह भेदभाव, यह हमको स्वीकार्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मानिकजी, बोलिए। मेरा डिस्क्रीशन है कि कौन कितना बोले। इसने मुझे यह अधिकार दे रखा है कि समय देना, मेरी वह है। यह मेरा डिस्क्रीशन है कि कौन कितना बोले। उनको मैंने इजाजत दी है। उनको मैंने इजाजत दी है और मैं समय तय कर सकता हूं। आपको भी मालूम है। (व्यवधान) तय कर रखा है, स्पीकर समय दे सकता है। बोलिए, मानिकजी, बोलिए। आप अपना ...(व्यवधान) अब आप उनको बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, आप उनको बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वे बोलें, इसी भेदभाव का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विषय की गम्भीरता को देखकर ऐसे निर्णय लेता हूं। विषय की गम्भीरता को देखकर ऐसा निर्णय लेता हूं। आज राजस्थान के सारे लिटिगेंट्स, लाखों की तादाद में जो लिटिगेंट्स हैं, वे पिछले दिनों से दुःखी हो रहे हैं। बैठिये आप। ...(व्यवधान) हां, मानिकजी, बोलिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैंने भी रखा था और मुझे अनुमति नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, यही स्थगन मैंने रखा था और विधान सभा ने यह कहा था, यह न्यायपालिका का मामला है। अध्यक्ष महोदय, आपने मना किया था। अध्यक्ष महोदय ने इसी स्थगन के लिए मुझे मना किया कि यह न्यायपालिका का और अदालत का मामला है, इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं देता। कैसा न्याय है आपका? कैसे मना किया? आज कैसे अनुमति दे दी। इसी सदन की अनुमति, मेरा स्थगन लगा हुआ है और मुझे अनुमति नहीं दी।

श्री अध्यक्ष: मानिकजी, आप बोलिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): यह कहा कि यह न्यायपालिका का मामला है, मैं आपको अनुमति नहीं देता।

श्री अध्यक्ष: मानिकजी, आप बोलिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आज कैसे दे दी इसी मामले में? सेम मामला। कोई परिवर्तन नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। मानिकजी का ही। अंकित नहीं होगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मानिकजी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोल रहे हैं। आप बोलिए। राजस्थान के लाखों लिटिगेंट्स आज परेशान हैं। (व्यवधान) उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आप बोलिए अपनी बात।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए अपनी बात, आपका जाएगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: यह मेरा विवेक है। I will look into it.

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरा विवेक है। आपकी मर्जी आए, जो कीजिए। यह मेरा विवेक है, मैं टाइम दूं कि नहीं दूं। आपको मर्जी आए, जो कीजिए। बैठें तो बैठ जाइये या नारे लगाइये। अच्छी औकात दिखा रहे हैं आप। अच्छे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है और आप यहां बाधा डाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं ...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कि हाई कोर्ट को कोई नियुक्तियां करनी थीं, उसका विज्ञापन ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ...(व्यवधान) 25.7.2008 को निकाला।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान सूचना आयोग का प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 (4) के अन्तर्गत राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2010-11)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 34(3)(का) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। राजकुमारी दियाकुमारी।

याचिका

चम्बल सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना को शीघ्र पूर्ण करवाया जाना

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी

(राजकुमारी दियाकुमारी)

अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में चम्बल सवाई माधोपुर-नादोती पेयजल परियोजना के अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

आभानेरी में मौणाजी मंदिर से तिवाड़ियों की कोठी तक सड़क का निर्माण

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, ग्राम पंचायत आभानेरी में मौणाजी मंदिर से तिवाड़ियों की कोठी तक सड़क निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: न्याय कर रहा हूं, पूरा न्याय कर रहा हूं। इस संचालन की पुस्तिका से ...(व्यवधान) न्याय कर रहा हूं और वह ही न्याय करूंगा। मैंने बहुत पक्षपात ...(व्यवधान) किया आपका, उसका भुगत रहा हूं मैं।

श्री मनोज कुमार।

राजगढ़ से पिलानी रोड स्थित रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजगढ़ से पिलानी रोड स्थित रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम। (व्यवधान) क्यों मान लूं? नहीं, कतई नहीं। आप बोलिए, अगर बोलना है तो। बस तो।

श्री घनश्याम।

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी की कितनी संख्या है? आप 20 हों 200 में से। अगर 100 मिनट विधान सभा चलेगी ...(व्यवधान) 100 मिनट विधान सभा चलेगी, आपका केवल 10 मिनट का अधिकार है। दस मिनट मैं दूंगा, आपको कहता हूं। जो आपका अधिकार है, वह दूंगा। मैं मना नहीं करता। आपकी जो +++ है पार्टी की यहां संख्या में, वह आपको भी मैंने देकर गलती

(श्री अध्यक्ष)

की है। (व्यवधान) आपकी जो औकात है, उससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री अमृतलाल।

जयसमंद झील को पानी से भरा एवं निरन्तर हरा-भरा रखा जाना

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, जयसमंद झील को पानी से भरने एवं निरन्तर हरी भरी रखने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मेरी चिंता मत करो, मेरे बी पी की चिंता आप मत करो। मुझे बी पी आपने वैसे ही चढ़ा दिया है।

श्री जोगाराम पटेल।

विभिन्न समाजों के न्याति नौहरों को नगरीय विकास कर से मुक्त किया जाना

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, विभिन्न समाजों के न्याति नौहरों को नगरीय विकास कर से मुक्त करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुनलाल।

बिलाड़ा के राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण, रिक्त पदों की पूर्ति व छात्र संख्या बढ़ाया जाना

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण, रिक्त पदों को भरने तथा छात्र संख्या बढ़ाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र पारीक।

ब्रह्मपुरी खुर्रे से पौण्डरिक उद्यान तक बिजली/पेयजल/सीवर/दूषित पानी की पृथक लाइनें डाला जाना

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, ब्रह्मपुरी खुर्रे से पौण्डरिक उद्यान तक सड़क के दोनों ओर बिजली की केबल, सीवरेज, पेयजल की लाइन पृथक से डलवाये जाने तथा गंदे पानी की निकासी हेतु अलग से सीमेंट के बड़े ब्लाक्स डलवाये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

शेरगढ़ में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति

(1) बजट भाषण 2014-2015 में की गई घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करवाने बाबत; व

शेरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

(2) बजट भाषण 2014-2015 में की गई घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी। (व्यवधान) निश्चित अंकित होगा उनका। आपका ही अंकित नहीं हो रहा है। मैंने आदेश दे रखे हैं कि आपका अंकित नहीं हो। उनका अंकित हो रहा है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

अरांई में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृति

(1) पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अरांई कस्बे में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 में करवाये जाने बाबत; व

सुरसुरा ग्राम (किशनगढ़) स्थित वीर तेजाजी महाराज निर्वाण स्थली एवं लाच्छा बावड़ी का जीर्णोद्धार

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम सुरसुरा में स्थित वीर तेजाजी महाराज निर्वाण स्थली एवं लाच्छा बावड़ी को धार्मिक स्थल घोषित कर जीर्णोद्धार कराने बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमित से,

(श्री मदन राठौड़)

कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

सुमेरपुर में रीको का अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक कार्यालय खोला जाना

(1) सुमेरपुर में रीको का अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक कार्यालय खोलने बाबत; व

सुमेरपुर में आर डी 61500 पर पुलिया निर्माण एवं आर डी 63500 स्थित कच्ची नहर को पक्का बनाया जाना

(2) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के जवाई कमाण्ड क्षेत्र में आर डी 61500 के पास नहर पर किसानों के आवागमन हेतु पुलिया निर्माण करने एवं सिन्दरू आर डी 63500 पर कच्ची फीडर नहर को पक्की बनाने बाबत।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री राजपालसिंह शेखावत।

समिति प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति (2014-15)

(क्र. सं. 1 से 15 तक)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2014-15 के निम्नांकित 15 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1- राजस्थान राज्य वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 1998-99) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का प्रथम प्रतिवेदन;

2- राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 1999-2000) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014 -2015 का द्वितीय प्रतिवेदन;

3- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि. (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2000-01) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का तृतीय प्रतिवेदन;

4- राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लि. (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2007-08) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का चतुर्थ प्रतिवेदन;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

5- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2007-08) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का पांचवा प्रतिवेदन;

6- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2006-07 व 2007-08) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का छठा प्रतिवेदन;

7- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2008-09) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का सातवां प्रतिवेदन;

8- राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2004-05) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 29वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का आठवां प्रतिवेदन;

9- राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2005-06) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 30वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का नवां प्रतिवेदन;

10- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि. (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2007-08) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 51वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का दसवां प्रतिवेदन;

11- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2004-05) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 के 68वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का ग्यारहवां प्रतिवेदन;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

12- राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2005-06) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 के 69वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का बारहवां प्रतिवेदन;

13- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2003-04) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 के 83वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का तेरहवां प्रतिवेदन;

14- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2004-05) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2012-13 के 98वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का चौदहवां प्रतिवेदन; एवं

15- ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियां (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2007-08) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2013-14 के 112वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का पन्द्रहवां प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्ष: परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान, वर्ष 2014-2015। परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान, वर्ष 2014-2015 की द्वितीय अवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 - पुलिस की प्रस्तुति

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 - पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,17,51,64,000/- (छत्तीस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अरब सत्रह करोड़ इक्यावन लाख चौंसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 16 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

मांग संख्या 17 - कारागार की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17- कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को सामप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,24,39,78,000/- (एक अरब चौबीस करोड़ उनतालीस लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 17 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब इन मांगों पर बहस होगी। बहस के लिए प्रत्येक वक्ता को 10 मिनट दूंगा। इस विधान सभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे देश में किसी भी विधान सभा में हो, संख्या के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी को सौ मिनट में 80 मिनट दूंगा, दस मिनट दूंगा कांग्रेस पार्टी को और दस मिनट अन्य पार्टियों के सदस्यों को दूंगा। इस तरह आठ इनके बोलेंगे दस-दस मिनट, एक कांग्रेस का बोलेगा, एक दूसरा बोलेगा। उसके बाद ग्यारहवां नम्बर होगा। ग्यारह के बाद अठारह यहां से बोलेगा, उसके बाद एक इनको एक मिलेगा, फिर उनको एक मिलेगा। यह न्यायिक व्यवस्था है। लोकसभा में, सारी विधान सभाओं में यह चलती है। ये नहीं मानें तो इनको हल्ला करने दो। इनकी पार्टी के नेता हैं, इनको नियंत्रित करते हैं। ये नियंत्रित नहीं भी होते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं, हमारे इधर पक्ष का, सत्ता का ... (व्यवधान) हां यह है, यह नियम है। यह बजट होता है। (व्यवधान) यह मेरी व्यवस्था है, मेरी व्यवस्था चलेगी। मैं सत्ता पक्ष के विधायकों को निवेदन करता हूं, आप बहस प्रारम्भ करेंगे, आठ आप बोलते रहिये। आपका अंकित होगा तो किसी भी रूप में आपका स्पीच जाएगा। आठ के बाद एक इनका वक्ता बोलेगा और नौ के बाद दसवां वक्ता कांग्रेस के अलावा बोलेगा। फिर 11 से 18 तक सत्ता पक्ष के वक्ता बोलेंगे, फिर उन्नीसवें पर कांग्रेस बोलेगी, फिर उधर से सदस्य बोलेंगे। यह क्रम चालू रहेगा।

मैं अब अमरारामजी को निवेदन करता हूं कि वे आज की बहस प्रारम्भ करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : व्यवस्था शिरोधार्य है, अध्यक्ष महोदय। आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन था। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन था। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन सुनें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जिस वक्ता को मैंने बुलाया है बोलने के लिए, उसी वक्ता का रिकार्ड कर लीजिए। उसी वक्ता का अंकित होगा। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: गुप्ताजी, आप बैठिये। व्यवधान) मैंने आपको नहीं पुकारा है। मैंने जिनको पुकारा है, वे ही बोलेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 16 व 17 कारागार पर आपकी आज्ञा से अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर जो पुलिस व्यवस्था है, उसके लिये मुझे गर्व है कि हमारी राजस्थान पुलिस अन्य प्रान्तों की पुलिस से बहुत अच्छी पुलिस है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपका नहीं जा रहा है, बैठिये आप। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (पचपदरा): महात्मा गांधी ने कहा था, जहां तक पुलिस के कार्य का सम्बन्ध है, वे न तो मुसलमान हैं, न हिन्दू हैं और न सिक्ख हैं; वे केवल भारतीय हैं, जो धर्म की ओर ध्यान दिये बिना दुखियों को पूरा-पूरा संरक्षण प्रदान करने के लिए सबसे बंधे हुए हैं। यह महात्मा गांधी ने कहा था। उसी के अनुरूप, हमारी जो राजस्थान की पुलिस है, इसका कर्म पुलिस, इसका धर्म पुलिस, ऐसी पुलिस है हमारे यहां की। उस पर मुझे गर्व है।

आज हमारे यहां पर, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पुलिस के जो अलग-अलग कार्य हैं, पुलिस के आधुनिकीकरण के बारे में, पुलिस द्वारा जो अपराध

(श्री अमराराम)

पहले हुए हैं, उनमें उसके बाद के तुलनात्मक किस प्रकार से क्राइम कम हुए हैं, किस प्रकार के क्राइम हमारे इस राजस्थान के अन्दर हो रहे हैं, यह हमारा राजस्थान जिसके आस-पड़ोस के जो प्रांत हैं और उन्हीं के कारण से कुछ हमारी ऐसी घटनाएं जो हमारे प्रदेश में होती हैं, लेकिन हमारी पुलिस बहुत ही मजबूत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की ओर से नान-प्लान के अन्दर पैसे मिलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी गृह मंत्री रहे हुए हों और हमारे भाई साहब कटारियाजी गृह मंत्री रहे हैं, उस समय के अन्दर जो व्यवस्था थी और जिस प्रकार का ढांचा था, उसके बाद में पांच साल जब इन्होंने राज किया तो कहां-कहां घटनाएं हुई हैं, यह इनको पता है। आज हत्या का मामला हो, लूट का मामला हो, बलवा का मामला हो, चोरी का मामला हो, एट्रोसिटी का मामला हो, एन.डी.पी.एस. के मामले हों, कई-कई प्रकार के ऐसे क्राइम्स हो गये हैं, मान्यवर, ऐसे क्राइम्स जिनको ट्रेस-आउट करना भी बड़ा मुश्किल है लेकिन हमारी जो भी, मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी लेबोरेटरी के जो भी विशेषज्ञ हैं, बहुत विशेषज्ञ हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि उन्होंने बड़ी गोपनीयता के साथ में, बड़ी निष्पक्षता के साथ में क्राइम्स को खोलने में हमेशा मदद की है। एविडेंस एक्ट की धारा जो-45 है, साक्ष्य अधिनियम की धारा-45 के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उन एक्सपर्टस की ओपिनियन है वह हमारे निर्णय करने के अन्दर सहायता करती है। आज ज्यों-ज्यों क्राइम्स बढ़ रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए तरह-तरह के हमारी, भारत सरकार की मदद से, राज्य सरकार की मदद से वाहन, उपकरण, हथियार, आदि खरीदते हैं। हमारा पुलिस बल बहुत ही अच्छा बल है।

इसके साथ में, हमारा सशस्त्र बल, हमारी आर.ए.सी., हमारा बोर्डर होम गार्ड और हमारी जो हाड़ी रानी बिग्रेडियर बटालियन, इस प्रकार की हमारे यहां पर पुलिस की व्यवस्था है। जहां तक हमारे आज 77 हजार पुलिस के कांस्टेबल्स, वगैरह हैं, हमारे 11 हजार से भी अधिक पुलिस की कमी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती है, त्यों-त्यों ये अपराध बढ़ते जाते हैं लेकिन जनसंख्या के साथ-साथ हमारी पुलिस में जो जिस प्रकार से राजस्थान के अन्दर व्यवस्था कर रखी है, वह अन्य प्रांतों से हमारा जो क्राइम है वह कम है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इस प्रकार का

(श्री अमराराम)

क्राइम हुआ, उदाहरण के लिए, एक मकान के अन्दर एक औरत मरी हुई थी और उसका हसबेंड फांसी लटका हुआ था। तो हमारे विशेषज्ञों ने मौके पर जाकर देखा और देखकर यह फाइंड-आउट किया कि जिस व्यक्ति ने फांसी खायी, उससे पहले उसने अपनी औरत को मारा है। इसीलिए हमारे यहां के जितने भी एक्सपर्टस हैं, वे किसी निर्दोषी को तो जेल में नहीं भेजते हैं, बल्कि बड़ी निष्पक्षता से, बड़ी गोपनीयता से और बड़ी चतुराई से इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जिससे हमारी पुलिस की आज बड़ी-बड़ी साख है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं मानता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, इनके जो मामले हैं, वह 40 परसेंट से ज्यादा वे मामले हैं, कुछ जो लोग किराया देकर झूठे मुकदमे करते हैं। हमारी जो पुलिस है, हमेशा सही काम करती है। आज जनजाति के चालान पेश करने में 98-99 तक पहुंच गया है।

जगह-जगह जो इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, इसीलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कई हमारे ऐसे जो बहादुर लोग हैं और उन्होंने जो काम किया है, आज पुलिस के अन्दर हमारी रेलवे पुलिस है उन्होंने भी जिस प्रकार से रेलवे के अन्दर सुरक्षा के लिए, रेलवे में डकैती होती है, रेलवे में बलवा होता है, रेलवे में चोरी होती है और आजकल तो ऐसे खाने-पीने में यात्रियों को लोग खिला कर ऐसी कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन रेलवे पुलिस ने भी कम से कम उन अपराधों को खोलने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए हमारी रेलवे पुलिस भी कोई कम नहीं है।

इसके अलावा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज जो हमारा, हमारे समय में जो आंकड़े थे, 2007, 2008 और 2009 के अन्दर, उस संदर्भ में मैं अर्ज करूंगा कि 2007 व 2008 की अपेक्षा 2009, इनमें आंशिक वृद्धि हुई। बलवा जैसे गम्भीर अपराध में वर्ष 2007, 2008 की अपेक्षा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री अमराराम (पचपदरा): उल्लेखनीय कमी हुई है। डकैती के अपराधों में वर्ष 2007-2008 की अपेक्षा कमी हुई है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों हमारी पुलिस सतर्क हुई है। हमको आधुनिक जो हर थाने के अन्दर हथियार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, वाहन मिले हैं, उसी से कुछ क्राइम कम हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? एक तो

(श्री अमराराम)

प्रोपर्टी के कारण से, आज जो भी धंधा कर रहे हैं, उसमें एक-एक जमीन का दस-दस बार बेचान होता है। एक-एक जमीन के जो फर्जी दस्तावेज बनते हैं, उन पर कब्जा करने के लिए, इसीलिए आज इस प्रकार के जो क्राइम्स हैं वे बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। उस पर भी हमारी पुलिस बड़ी सतर्क है। उनमें 420, 468, 471 के ऐसे कई मामले हैं, 467, वगैरह के भी, जिनका कि बहुत मुश्किल से इंवेस्टिगेशन उनको करना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो डकैती हुई, नकबजनी हुई, यहां जो हमारे जौहरी बाजार के अन्दर सोना कांड हुआ, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी पुलिस ने बड़ी सतर्कता के साथ में, अपना धर्म और कर्म समझकर और बड़ी ईमानदारी से काम किया, एक नया परिचय दिया। इसके अन्दर यह क्राइम जो है, उसमें हमें खोलने में कामयाबी मिली है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ में मेरा निवेदन यही है कि जितनी भी जो भर्ती हमारी पुलिस कांस्टेबल्स की हो रही है, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दो साल तक ऐसे जो कांस्टेबल्स भर्ती हों, उनको अगर मान लीजिए, 12 हजार रुपये मिल रहे हैं तो 6 हजार उनके फिक्स डिपोजिट हर साल होना चाहिए। दो साल में मतलब, महीने के 12 हजार मिलें, 6 हजार की एफ.डी. हो तो 72 हजार रुपए एक साल के हो गये और 72 हजार ही दूसरे साल के हो गये। इस प्रकार के पैसे उसके फिक्स डिपोजिट हो गये तो वह कांस्टेबल जब रिटायर होगा तो उनको लाखों रुपए मिलेंगे और लाखों रुपए मिलेंगे तो उसको कोई भी पैसा मांगने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। आज हमारी पुलिस के अन्दर लोग अंगुली उठाते हैं कि पुलिस भ्रष्ट है, हमारा कांस्टेबल भ्रष्ट है लेकिन शुरू से ही, चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, नौकरी लगते ही दो साल अपनी आधी तनख्वाह की एफ.डी. करवा दे तो फिर उसको कोई रिश्वत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोर्डर होम गार्डस के बारे में अर्ज कर रहा हूं। आज बोर्डर होम गार्डस के लोगों को 7,100 रुपये मिल रहे हैं और महंगाई भत्ता मिल रहा है, कुल 15 हजार मिल रहे हैं।

(श्री अमराराम)

यह आर.ए.सी. की तरह ही इनका वेतन होना चाहिए। आज हमारी चार बटालियन हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने इनको परमानेंट कर दिया है और दो बटालियन को परमानेंट करके एस.आर.पी. में मर्ज कर लिया। दो बटालियन को परमानेंट कर दिया। इसलिए त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम-बंगाल, आदि जगह पर जो हमारे बोर्डर होम गार्डस के जो ...(व्यवधान) दो मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। स्थान ग्रहण कीजिए, 12 मिनट हो गये। दो मिनट आगे बोल गये।

श्री अमराराम (पचपदरा): मैं अर्ज कर रहा हूं कि उनके लिए वर्दी तैयार, उनके लिए टैंट तैयार, हथियार तैयार। मैं कहता हूं कि आप कोई नई बटालियन बनाकर खर्चा करेंगे तो उससे तो अच्छा है कि इनको ही परमानेंट करो। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।

श्री अमराराम (पचपदरा): जेल के बारे में बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल के बारे में बोल रहा हूं। आज क्यों जेल में क्राइम होता है? मुझे कहना है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अमराराम (पचपदरा): मुझे अनुभव है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अमराराम (पचपदरा): आज जेल के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अमराराम (पचपदरा): जिस प्रकार के क्राइम होते हैं, ...(व्यवधान) जो अत्याचार बढ़ रहा है, इसका कारण एक है। आप हमारे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरा निवेदन है, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अमराराम (पचपदरा): जिस प्रकार का ढांचा हमारे जेल का था, वह जेल का ढांचा तितर-बितर हो गया।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। मेरा निवेदन है, आप स्थान ग्रहण कीजिये। अंकित नहीं होगा इनका।

श्री अमराराम (पचपदरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप मेरी बिना इजाजत के बोल रहे हैं, यह अंकित नहीं होगा। इनका भी अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (पचपदरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अमराराम (पचपदरा): ×××

श्री अध्यक्ष: दूसरे वक्ता। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अमराराम (पचपदरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। अंकित नहीं हो रहा है। राव राजेन्द्र सिंहजी। नहीं बोलना चाहते? बहुत अच्छे। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, शोरगुल व नारेबाजी जारी)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की कानून-व्यवस्था की मांग पर जो बात हो रही है, ये विपक्ष के लोग पुलिस की कानून-व्यवस्था को बराबर नहीं बनने देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पिछले पांच वर्षों में राजस्थान की स्थिति का इन्होंने बंटाढार कर दिया था, आज यह बात करते हैं, अरे, हिम्मत है, हमसे आंकड़े बताओ। हमारे सामने आकर बात करो। ये जेलों की बात करते हैं...

श्री अध्यक्ष: आप बोलो। बोलो। ये अपनी बता +++ रहे हैं। आप बोलते रहिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आनन्दपाल सिंह, यह अपराधी जो बना, भरतपुर जेल में कांग्रेस सरकार के समय उनको 12 लाख रुपये की जिम बनाकर सुविधा दी इन्होंने और कांग्रेस के नेताओं के साथ में फोटोग्राफ बने हैं। यह किस गवाही की बात करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कानून की व्यवस्था इस कांग्रेस की सरकार के समय में इतनी बिगाड़ कर रख दी है, हम सुधारना चाहते हैं, हम इनको बनाना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पुलिस से अपेक्षा करते हो तो पुलिस की व्यवस्था के बारे में, पुलिस के हितों के बारे में भी विचार करना पड़ेगा। आप लोगों ने आज दिन तक पुलिस के हितों के लिए बात नहीं की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी बात मैं एक उदाहरण से प्रारम्भ करूंगा। पिछली बार जेलों का जो मामला चला है, जेलों में अभी जो डी.जी. हैं, पूर्व में जेल डी.जी. थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, पुलिस के अधिकारियों

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

को जेल में डेपुटेशन पर लगाया। उसके कारण, मंत्री महोदय, उन जेलों की व्यवस्था सुधरी और यह हुआ, यही जेलें, मेरी एक पत्रकार से बात हुई, उन्होंने कहा कि दौसा जेल मोबाइलमुक्त हो गयी और उसके कारण जयपुर के वाहन चोरी, सम्पत्ति चोरी के जो क्रिमिनल रिकार्ड हैं, वे कम हो गये। इसीलिए आप यह करिये कि कम से कम जो केन्द्रीय कारागृह है और 'ए' कैटेगिरी की जो जेल हैं, उनमें पुलिस के अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजिये जिससे जेलों का, आज हार्ड-कोर अपराधी को पुलिस पकड़ती है और उस बारे में पुलिस जानकारी लेती है। जेल के अधिकारियों को मालूम नहीं होता है कि वह अपराधी कैसा है।

माननीय मंत्री महोदय, आपसे एक निवेदन करता हूं कि किसी भी शातिर, किसी भी संगीन अपराधी को अलग जेल में रखा जाए। 1998 में दहेज प्रताड़ना का एक जेल से छूट कर आया हुआ व्यक्ति मिला। उसको संगीन अपराधियों ने क्या-क्या प्रताड़ना नहीं दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो हार्ड-कोर अपराधी हैं, आज पूरे राजस्थान में सभी जेलों में लगभग 18 हजार अपराधी हैं, 18 हजार कैदियों में से सिर्फ 10 प्रतिशत हार्ड-कोर हैं, उन हार्ड-कोर अपराधियों के लिए एक ऐसी जंगल में जेल बनाई जाए, जिस जेल के अन्दर कभी मोबाइल टावर नहीं पकड़े। (व्यवधान) ये भी अपराधी हैं। इन्होंने आनन्दपाल सिंह को भरतपुर जेल में व्यवस्थाएं दी थीं। ये अपराधी हैं। यह +++ । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, जेलों की व्यवस्था सुधारें, इसमें हार्ड-कोर अपराधियों के लिए अलग जेल बनाई जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस थानों की व्यवस्था, आपने कम्प्यूटराइज तो कर दिया लेकिन हर थाने में, मंत्री महोदय, कम से कम दो कांस्टेबल, जो कम्प्यूटर जानते हैं या इलेक्ट्रोनिक तकनीकी विशेषज्ञ हों, ऐसे हर थाने में दो कांस्टेबल लगाएं, जिससे थानों का काम बराबर हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक थानेदार से लगाकर एक आई.पी.एस. को ट्रेनिंग के समय उनको लैपटाप दिया जाए और उसी से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप चालू रखिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी हार्ड-कोर फैसले होते हैं, एस.पी. उसमें चालान करता है, तो जमीन-जायदाद से

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

जुडे हुए जितने भी फैसले हैं, वह अधिकार भी एस.पी. को देना चाहिये, जिससे कम से कम संगीन अपराधों में कमी होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में अमन-चैन होगा और पुलिस की व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो आपके पर्यटन पर, आपके उद्योग पर निवेशक आएंगे। बाहर से लोगों को लाने के लिए और राजस्थान में यह पाकिस्तान से जुड़ी हुई सीमा, जो राजस्थान में बहुत ही अपराध होते हैं और ये कांग्रेस के लोग, ये प्रतिपक्ष के लोग, इन्होंने विदेशी सहायता का सामान यहां पर लाया हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पुलिस व्यवस्था अच्छी बनाने के लिए एक बीट होती है और बीट व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बीट आफिसर या बीट का जो कांस्टेबल होता है, उसको सारी व्यवस्थाएं दो, वाहन-भत्ते दो। तो सारी व्यवस्थाएं देने के बाद वह दृढ़ता से काम करेगा। जैसा पिछली सरकार में 2003 से 2008 के बीच में, गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने केस आफिसर के माध्यम से एक रिकार्ड कायम किया और राजस्थान के अन्दर एक अच्छी पुलिस व्यवस्था कायम की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, जिस प्रकार से ये प्रतिपक्ष के लोग राजस्थान की कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, इनके साथ जो कुछ भी करो, वह न्याय होगा।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, शोरगुल एवं नारे जारी)

श्री अध्यक्ष: यह नाटक अब बंद कीजिये। यह नाटक बंद कीजिये आप। माननीय, यह नाटक बंद कराइये आप। मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मुझे अब सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जो यह नाटकबाजी हो रही है, सदन की मर्यादा के खिलाफ है, सदन की व्यवस्था के खिलाफ है, सदन के अनुशासन के खिलाफ है। यह जो नाटकबाजी हो रही है...(व्यवधान) वह भी कर लेंगे। (व्यवधान) मारोगे क्या? बाहर मारोगे क्या? मारोगे बाहर? यह नाटक नहीं चलेगा। मुझे मजबूर मत कीजिये। (व्यवधान) नो। नो। स्थगित नहीं होगी। पूरी चलेगी विधान सभा, पूरी चलेगी।

आप बोलिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है, राजस्थान की बिगड़ती कानून-व्यवस्था

(श्री शुभकरण चौधरी)

पर चर्चा हो रही है। आप धमकियां मत दें, आप जो निर्णय लेना है, लें, ताकि हम लोग इस सदन को सुचारु रूप से चला पाएं।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): अध्यक्ष महोदयजी, आसन को धमकी दे रहे हैं माननीय विधायक।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): आप सख्त कदम उठा लीजिये। इनका यही रास्ता है। हाउस को आर्डर में लाएं। (व्यवधान) बात पर चर्चा करना चाहता है, पुलिस की बातें सुनना चाहते हैं।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): आसन को धमकी दे रहे हैं माननीय विधायक।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हटाइये। आपको जो कदम उठाना हो, उठाइये। इनको निकालिये यहां से बाहर।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): पूरा राजस्थान देख रहा है आपके शासन की तरफ। इतने एक विद्वान विधान सभा अध्यक्ष यहां विराजे हैं, उनके रहते इस प्रकार का नाटक शोभा नहीं देता। इसलिए जो भी सख्त कदम आपको उठाना है, उठाइये।

श्री अध्यक्ष: गुलाबजी, मुख्य सचेतक को भेजिये, प्रस्ताव लगायें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 269 में एक प्रावधान है...

श्री अध्यक्ष: जनता ने देख लिया आपका कंडक्ट। हां, बोलिये आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, किसी भी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 269 में है।

तो ये माननीय सदस्य यदि धरना दें, कोई आपत्ति की बात नहीं है लेकिन व्यवस्थित रूप से धरना दें, शांति से बैठें। इनको धरना देने का

(श्री मदन राठौड़)
अधिकार है, यह चुपचाप बैठे रहें, यह प्रावधान है लेकिन अव्यवस्थित रूप से, कि कोई खड़ा हो, कोई घूमता रहे, यह ठीक बात नहीं है। अपने नियम 269 में यह प्रावधान है। ये धरना दें, ये बैठे रहें, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। कोई घूमता रहे, कोई चिल्लाता रहे, कोई बैठा रहे, यह ठीक बात नहीं है। इनका व्यवस्थित रूप से आचरण करने का इसमें प्रावधान है, इनकी पालना करवायी जाए।

श्री अध्यक्ष: आप चालू रखिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि किसी भी सज़ा के प्रावधान में तीन लोग मजबूत होते हैं, एक पुलिस, पुलिस के बाद होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका के बाद होती है जेल। तो इन तीनों की एक समन्वय की मीटिंग कम से कम तीन महीने में हो, जिससे कैदी कैसा है, उसका संगीन अपराध किस तरह का है, उसका व्यवहार कैसा है, यह आपस में बातचीत हो जाए। यह ऐसी एक व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें माननीय न्यायपालिका के साथ भी उनकी तीन महीने में एक बार बैठक हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मेरी दो-तीन समस्याएं हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भादराजून मेला है, जहां चौकी है, स्टेट हाई-वे पर है, उसे थाना बनाया जाए। वहां पर काफी क्राइम बढ़ रहा है और जोधपुर के नजदीक है, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, तीन जिलों की सीमाएं हैं। उसको थाना बनाया जाए। आहौर विधान सभा क्षेत्र है, तहसील है, उसमें जालौर और आहौर का पार्ट है, उसको सी.ई.ओ. सर्कल बनाया जाए। यह मेरा एक निवेदन है।

हम सभी मिल कर कानून में एक अच्छी व्यवस्था करेंगे और उसके बाद में राजस्थान की पुलिस इतनी बढ़िया तरीके से हो, सारी व्यवस्थाओं के साथ, सारी चुस्ती के साथ और पुलिस को जो कोई भी मोरल सपोर्ट देना चाहिए, जैसे हार्ड-कोर अपराधी को ऊंचा-नीचा करने में उनको करना पड़ेगा, उनके पीछे हम खड़े हैं। जब तक पुलिस को मजबूत नहीं करोगे, तब तक राजस्थान मजबूत नहीं होगा और राजस्थान में निवेशक नहीं आयेंगे, राजस्थान में उद्योगपति नहीं आयेंगे, राजस्थान के पर्यटन का विकास नहीं होगा।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस में सुधार कर के पुलिस की व्यवस्था में मजबूती

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

लाएं। इस राजस्थान में गौवंश की तस्करी को रोकने के लिए भी हमें पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा। जो सीमा पर, राज्य के बार्डर पर हैं, उन थानों को मजबूत करें और उनमें मजबूत आफिसर लगायें।

इन्हीं बातों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री मानसिंह गुर्जर।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, शोरगुल व नारे जारी)

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, आज गृह एवं कारागार विषय पर, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है। राजस्थान की पुलिस किस प्रकार से मजबूत हो, हमारी कानून-व्यवस्था में अगर कोई खामी है तो उस पर हम खुल कर विचार करें। इस सर्वोपरि सदन के अन्दर खुल कर विचार हो कि हम किस प्रकार से हमारे स्वस्थ प्रदेश को आन्तरिक सुरक्षा प्रदान कर सकें। हमारा व्यापारी, हमारा उद्योगपति, आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। जिस प्रकार भी यहां पर एक मजबूत व्यवस्था है, उस पर आज राजस्थान की विधान सभा में चर्चा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान के अन्दर आज जब हम खुल कर चर्चा करते हैं तो एक आदमी जब थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराने जाता है तो निश्चित रूप से उसको टरकाने का काम होता है। आज मैं खुल कर कहना चाहता हूं कि हम सब लोग इस बात की सदन में पवित्र रूप से चर्चा करें कि हमारे थानों के अन्दर आम आदमी को न्याय मिले, आम आदमी की बात को सुना जाए। उसकी एफ.आई.आर. का जो मामला है, अगर इस व्यवस्था को आनलाइन करना हो तो यह व्यवस्था आनलाइन होनी चाहिए। व्यवस्था में किसी को एफ.आई.आर. के लिए चक्कर नहीं काटना पड़े, इस व्यवस्था को आनलाइन किया जाए। इस व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से हमारे आम आदमी को सुरक्षा चाहिए, उसी प्रकार से हमारी पुलिस को भी चुस्त-दुरुस्त होने के लिए, पुलिस महकमे के अन्दर भी जो पी.टी. परेड है वह पी.टी. परेड नियमित रूप से होनी चाहिए। पुलिस के अन्दर जो गेम हुआ करते थे, आज वे गेम लगभग बंद हो चुके हैं। पुलिस के अन्दर भी पूरा चुस्त-दुरुस्त करने के लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज चाहे पुलिस की भर्ती होती है, उस भर्ती में मेरा

(श्री मान सिंह)

विशेष अनुरोध है कि दौड़ को बंद नहीं किया जाए, दौड़ के माध्यम से ही भर्ती हो। उसमें वे जवान आयें, हमारी पुलिस के अन्दर इस प्रकार की ताकत नौजवान की आये कि वह हर तरह का मुकाबला करने को तैयार हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि पुलिस में दौड़ की व्यवस्था को जारी रखा जाए और दौड़ को उसकी भर्ती प्रक्रिया के अंग में मजबूती से रखा जाए।

माननीय अध्यक्षजी, जिस प्रकार की हमारी व्यवस्था है, थाने में जब आम आदमी आता है तो वह यह स्वच्छ महसूस करना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि मैं मेरी बात को कहने के लिए जहां जा रहा हूं, मुझ को न्याय मिलेगा। इसके लिए थानों के अन्दर कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए। बाहर से कोई भी आदमी जाता है, उससे किस प्रकार का व्यवहार, डील किया जाता है, वह कैमरे में रिकार्ड होना चाहिए जिससे कि किसी भी न्यायप्रिय आदमी के साथ में, सच्चे आदमी के साथ में, किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की गुंजाइश नहीं रहे। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

इसी के साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार से मिलिटेरी के अन्दर शराब पर पाबंदी लगाने के लिए, जो शराबी कर्मचारी होता है, उसकी शराब छुड़ाने के लिए विशेष अस्पतालों की व्यवस्था है, पुलिस में भी जो इस प्रकार के आदतन शराबी लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको शराब के लिए पाबंद किया जाए। कई बार थानों के अन्दर शराब के कारण घटनाएं घटित हो जाती हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस प्रकार के विशेष अस्पतालों की व्यवस्था हो और वह पुलिस का कर्मचारी शराब नहीं पी सके, इसके लिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था के अन्दर मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था वह ही पुराने ढर्रे पर चल रही है। हम जब वहां से चलते हैं तो हमको यह पता नहीं होता कि आगे जाकर के ट्रैफिक जाम मिलेगा या कोई एक्सिडेंट हो गया। आज इक्कीसवीं सदी के अन्दर जब हम सड़क पर जाते हैं, जब हम मेगा हाइवे पर चलते हैं तो हमको आगे से यह सूचना मिल जानी चाहिए। हमारी ट्रैफिक व्यवस्था इतनी चुस्त-

(श्री मान सिंह)

दुरुस्त होनी चाहिए कि आगे वाले रास्ते के अन्दर एक्सिडेंट हो चुका है, आप अपना रास्ता बदल लें। वहां पर इस प्रकार का एक्सिडेंट हुआ है, उस एक्सिडेंट का अलार्म सिस्टम पुलिस के पास में होना चाहिए।

कई बार जब पुलिस रोजनामचे में यह दर्ज करती है कि मेरे को सूचना इतने मिनट पर इतने बजे मिली, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुलिस के सम्बन्धित अधिकारी हैं उनको अलर्ट सिस्टम से सूचना मिली चाहिए। उसमें यह गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि रोजनामचे में क्या लिखा गया है, क्योंकि रोजनामचे को बनाने के लिए टाइम मिल जाता है। इसलिए, माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी इस व्यवस्था को इक्कीसवीं सदी के हिसाब से चुस्त-दुरुस्त किया जावे और इसके अन्दर जो अलर्ट सिस्टम है, चाहे वह ट्रैफिक का सिस्टम है, आज ट्रैफिक की व्यवस्था जिस प्रकार से चरमरायी हुई है, हमारा ट्रैफिक का कर्मचारी अपनी उगाई के लिए लगा रहता है। उसको यह पता नहीं होता है कि किस प्रकार से मुझे ट्रैफिक की व्यवस्था करनी चाहिए।

(15.00 बजे)

इस सदन में मैं पुलिस की व्यवस्था में सुधार की चर्चा करना चाहता हूं, इस सदन में पुलिस को मजबूती देने की बात की चर्चा करना चाहता हूं, मैं पुलिस का मनोबल कमजोर नहीं करना चाहता। पुलिस का मनोबल मजबूत होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिस के अन्दर जो हमारी ए सी बी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसको मजबूत किया जाना चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो जितना मजबूत होगा, किसी भी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होगी। वह सोचेगा कि मैं अगर गलती करूंगा, तो उसको ए सी बी का भय उसके दिमाग में होना चाहिए। ए सी बी को इतना मजबूत कर दिया जाये कि एक बार तो कोई भी कर्मचारी अगर गलती कर रहा है तो उसके अन्दर से उसका रोम-रोम हिल जाना चाहिए कि अगर मैंने गलती की तो मेरे बाल-बच्चों का क्या होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर कानून-व्यवस्था मजबूत हो, राजस्थान का कानून आम आदमी को सुरक्षा प्रदान करे। इसके लिए मैं आज आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, 2008 से 2013 तक, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का आंकड़ा है, गंगापुर

(श्री मान सिंह)

सिटी का, उसमें कुल मामले गंगापुर में इस दौरान जो दर्ज हुए, वे हैं 1,233; इनमें 1,233 मामलों में से 1,114 मामलों में एफ.आर. दे दी गयी; चालान हुए केवल 117 में और पेंडिंग हुए 2। यह जो आंकड़ों का सिस्टम है कि पेंडेंसी कितनी है, पेंडेंसी को मिटाने के लिए जिस प्रकार का चालान होता है और जिस प्रकार से एफ.आर. लगाई जाती है, इन आंकड़ों के सिस्टम में दुरुस्ती होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से एक विधान सभा क्षेत्र में जब 1,300 मुकदमों में से साढ़े-1100 मुकदमों में एफ.आर. लगती है, तो इसके अन्दर लूट, हत्या, बाइक चोरी, नकबजनी, इनके जो टोटल मुकदमे हैं, उनके अन्दर आप यह देखेंगे, उनके अन्दर जो रिकवरी होती है, वह 5 साल के अन्दर रिकवरी का परसेंटेज रहा साढ़े-4 परसेंट। 5 साल में मोटर साइकिलों की चोरी का साढ़े-4 परसेंट। अभी इन 6 महीनों के अन्दर साढ़े-23 परसेंट हुआ है रिकवरी का। इसमें हम किस प्रकार से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त चले?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सर्वाधिक चोरियां, लूटपाट, नकबजनी की घटनाएं होती हैं। दिल्ली-मुम्बई ब्रोडगेज पर वह स्थित है। मेरे वहां के रेलवे स्टेशन पर और हमारा जो अस्पताल है, वहां पर भी अभी एक घटना हुई, एक नवजात की चोरी हो गयी। एक मां का नवजात शिशु इसलिए चोरी हो गया कि वहां पर व्यवस्था नहीं थी। आज तक उस नवजात का पता नहीं लगा। माननीय मंत्रीजी, आप इस मामले को भी दिखायें कि आखिर उस नवजात की जिम्मेदारी पुलिस की क्यों नहीं रही? अस्पताल के अन्दर एक चौकी की स्थापना की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ, एक बहुत ही स्वच्छ परम्परा के तहत मैं हिन्दुस्तान की न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदर करता हूं, लेकिन पुलिस की व्यवस्था के साथ-साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जब हम सुनते हैं कि हमारी जुडिशियरी का जज, मैं सम्मान करता हूं जुडिशियरी का, बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जब हमारी जुडिशियरी का जज भ्रष्टाचार के अन्दर, अजय शारदा जैसा आदमी जब गिरफ्तार होता है और उससे पुलिस और वकीलों की मिलीभगत जब सामने आती है, माननीय मंत्रीजी, मैं मेरी और राजस्थान की जनता की चिंता से

(श्री मान सिंह)

आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इस देश में अगर सर्वोपरि है तो या तो यह सदन है या संसद है। कोई भी यूनिट अपने आपको सर्वोपरि बनाकर काम नहीं कर सकती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से शेट्टी कमीशन का निर्माण करके अपनी सुख-सुविधाएं बढ़ाने का जुडिशियरी ने काम किया है, मैं मेरी चिंता से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग जिस प्रकार से पुलिस एक्ट में बदलाव की बात करते हैं कि पुलिस एक्ट में बदलाव होना चाहिए, हमारी आई पी सी, आर सी पी सी जो बहुत पुरानी है इसके अन्दर भी बदलाव की आवश्यकता है, जब हम इसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हैं तो क्यों नहीं हम जुडिशियरी के अन्दर जूरी की व्यवस्था की बात करें? आज सम्पूर्ण व्यवस्था पर सवाल है कि किस प्रकार से पुलिस से लेकर के हमारी जुडिशियरी को, किस प्रकार से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को, किस प्रकार से इस सदन की महत्ता रहे, किस प्रकार से यह संसद और सदन मजबूत रहें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर आम आदमी को न्याय मिले; आम आदमी अपने आपको सुरक्षित महसूस करे; कानून-व्यवस्था हमारी दुरुस्त हो; हमारी पुलिस अमले की भी नफरी बढ़ाई जाये; उसकी सुख-सुविधाओं के लिए माडर्न तरीके से जो व्यवस्था हो सकती है, वह भी करनी चाहिए, लेकिन हमारी मजबूती इतनी हो कि कोई भी अगर इसमें गलती करने का काम करें तो हमारी ए सी बी इतनी मजबूत हो कि वह आदमी सलाखों के अन्दर मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि चाहे वह हमारा कारागार हो, चाहे हमारा ट्रैफिक हो, चाहे हमारा पुलिस थाना हो, सारे तंत्र को मजबूत करने के लिए आज आमूलचूल परिवर्तन की बात को जब हम महसूस करते हैं, पुलिस एक्ट में बदलाव की बात को जब हम महसूस करते हैं, तो इस प्रकार का भी अंकुश होना चाहिए कि इस राज का और इन सुख-सुविधाओं का कोई अपने आप उपयोग नहीं कर सके।

इसलिए इस जुडिशियरी शब्द की मैंने मेरी भावनाओं के तहत चिंता व्यक्त की है। यह सदन जुडिशियरी का सम्मान करता है लेकिन हमको यह अधिकार है कि इस देश के अन्दर यह सदन और संसद सर्वोपरि हैं। इनके ऊपर कोई नहीं है।

(श्री मान सिंह)

यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, शोरगुल व नारे जारी)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 एवं 17, पुलिस और कारागार पर चर्चा की जा रही है। मैं अपने आपको बहुत गौरवशाली समझती हूं कि मैं पुलिस की मांग संख्या 16 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं क्योंकि मैं स्वयं एक पुलिस आफिसर की लड़की हूं और पुलिस के बारे में बोलूं, तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस की कोई निन्दा नहीं करूंगी मगर मैं मेरी बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि आजकल हम कहां पहुंच गये हैं, क्या जमाना आया है। सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है। अगर पुलिस का मनोबल घटाया है तो इस कांग्रेस ने घटाया है। जब-जब भी भैरोंसिंहजी का राज आया था, जब-जब भी वसुंधराजी आयी हैं, पुलिस का मनोबल बढ़ाया है। इस कांग्रेस ने आज तक सबसे ज्यादा मनोबल घटाया है और सबसे ज्यादा राज किया है। (व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हों? आपका इतिहास बोल रहा है। 'तू क्यों बोले चालनी, तेरे कोतर बेज'। आप तो बोल ही नहीं सकते हों, माननीय सदस्य। क्यों आप 2 घंटे से टाइम खराब कर रहे हों?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ खाली जगहों के बारे में भी बात करना चाहूंगी। रिक्त पदों की समस्या बहुत है। पुलिस डिपार्टमेंट में काफी रिक्त पद हैं। मगर मैं यह भी जानती हूं कि रिक्त पद एकदम नहीं भरे जा सकते हैं, फिर भी मेरी मांग है कि उन रिक्त पदों को भरने के लिए गम्भीर प्रयास किये जायें। यह भी सत्य है कि एक साथ इतने पदों को भरा भी नहीं जा सकता है।

मेरा निवेदन है कि आधुनिक डिजिटल सी सी टी वी कैमरों का केन्द्रीय कार्यालय से गम्भीरतापूर्वक नियमित प्रयोग करने से हम कुछ हद तक अपराधों से निपट सकते हैं। लेकिन बजट की कमी से काम अटका पड़ा है। प्रमुख स्थलों पर यदि सी सी टी वी कैमरों की तैनाती हो तो अपराधियों से निपटने में आसानी होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई, जयपुर में हुई। जोधपुर के अन्दर कांग्रेस राज में यह जो कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गयी, लेकिन उनकी व्यवस्था कुछ भी नहीं की। कई दिनों तक तो

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कमिश्नर साहब इधर बैठे, उधर बैठे, फिर एक डाक बंगला था उसका पार्टिशन किया। स्टेट के टाइम का डाक बंगला, इतना सुंदर बना हुआ था, उसका पार्टिशन करके उस डाक बंगले के अन्दर कमिश्नर साहब को बैठाया। इधर डी सी पी अलग बैठा है, उधर डी सी पी अलग बैठा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि आप क्षेत्रीय व्यापार संघों से, जोधपुर में कई ऐसे व्यापारी और कई ऐसे संगठन हैं जो सी सी टी वी कैमरों की तैनाती और संचालन के लिए जन सहयोग से साधन उपलब्ध करवा सकते हैं। (व्यवधान) आप तो बोलने लायक ही नहीं हों। आप क्यों बोल रहे हों? आप मुट्ठी भर तो हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, घातक मादक पदार्थों, स्मैक, आदि के बढ़ते चलन को कठोरता से रोकने की आवश्यकता है। अच्छे और संभ्रात परिवारों के बच्चे इन घातक मादक पदार्थ, स्मैक, आदि के चक्कर में पड़कर अपना जीवन खराब कर रहे हैं। गली-मोहल्ले, चाय की थड़ियां, गांव, ढाणियों में स्मैक खुले आम मिल रही है। पुलिस के अलावा सबको मालूम है कि स्मैक कहां-कहां मिलती है। दबाव बढ़ने पर पुलिस-कार्यवाही के नाम पर पुलिस केवल मात्र सबसे छोटे, इक्का-दुक्का रिटेलर को पकड़ कर पल्ला झाड़ रही है। इस अवैध व्यापार के किसी भी व्होलसेलर या सप्लायर को नहीं पकड़ा जा रहा है, जिससे पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरी मांग है कि पूरे प्रदेश में घातक मादक पदार्थों के विरुद्ध गम्भीरतापूर्वक अभियान छेड़ा जाये और इनके विरुद्ध जीरो-टालरेंस नीति अपनाई जावे।

(सदन कूप से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा टिप्पणियां)

श्री अध्यक्ष: इसे अंकित नहीं किया जाये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मान्यवर, मैं पुन: कह रही हूं कि यदि इस अपराध को रोका नहीं गया तो समाज के संभ्रांत परिवारों के बच्चों का भविष्य खराब हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूरसागर से जन-प्रतिनिधि हूं और वहां पर चेन स्नैचिंग, बैग लिफ्टिंग जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध जमकर हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि आम राह चलती अथवा घर के बाहर खड़ी, पेट्रोल भरवा रही महिलाओं की चेन स्नैचिंग और बैग लिफ्टिंग कर रहे हैं। पुलिस विभाग इन घटनाओं को बहुत हल्के में लेता है। मेरा आपसे

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

निवेदन है कि ऐसे अधिकांश मामलों में अपराधी पकड़ा ही नहीं जाता है, जब पकड़ा भी जाता है तो हल्की धाराओं के मामले बना देते हैं।

मेरा मानना है कि ऐसे अपराधों से महिला के मन में भय बहुत गहरे बैठ जाता है। यह महिलाओं के प्रति शारीरिक और मानसिक हिंसा भी है। ऐसे मामलों में, यदि चेन खींचने के समय गला कट जावे अथवा बैग छीनते समय महिला वाहन से गिर जावे तो अपाहिज होने का खतरा रहता है। मेरी मांग है कि चेन स्नैचिंग और बैग लिफ्टिंग के अपराधियों को हत्या के प्रयास का अपराधी माना जावे। इनके विरुद्ध कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। बलपूर्वक सामान छीनना डकैती है तो ऐसे मामलों को भी डकैती की धारा में माना जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगी कि पुलिस थानों में आम जन की प्रोपर सुनवाई हो। पुलिस थानों में आम जन की रिपोर्ट लिखने और जन सुनवाई के लिए अलग से कक्ष बनाकर उसमें सी सी टी वी कैमरे लगावें और उनकी मानिटरिंग पुलिस कमिश्नर अथवा एस पी, डी सी पी कहते हैं आजकल, मेरी आदत है एस पी कहने की, स्वयं के कक्ष में हो। इससे आम जन की सुनवाई नहीं होने की समस्या का निदान हो सकता है।

इसके साथ ही, आनलाइन एफ आई आर और शिकायत दर्ज कराने के तंत्र को प्रभावी बनाया जाये। अभी चल रहा सिस्टम पर्याप्त नहीं है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाये। विशाल संख्या में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के अपराधों में शामिल होने के अनेक मामले सामने आये हैं। मेरी मांग है कि सरकार इन्हें वापस भेजे और इन्हें संरक्षण देने वालों पर कठोरतम कार्यवाही करे।

अनेक नये बसे क्षेत्रों में दूसरे प्रदेशों से अपराधी आकर रहते हैं और अपराध करते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में देवनगर में नया पुलिस थाना खोला जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाटक कीजिये आप। ...(व्यवधान)... हां, नाटक करो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में खोले गये महिला पुलिस थाना (पश्चिम) को भूमि व भवन सहित संसाधन उपलब्ध कराये जावें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो महिला थाना खोला गया है पश्चिम, वह एक किराये के मकान में खोला गया है, उसको मैं चाहती हूं कि भूमि लेकर उसको थाना बनाया जावे।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नई पुलिस चौकियां खोली जायें। विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में नफरी बढ़ाई जावे और रिक्त पदों को भरा जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उपवास कर रहा हूं, पिछली बार मैंने जो पक्षपात किया, उसका।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नवचौकिया में खांडाफलसा थाना बना हुआ था, थाना मैंने मेरे फंड से, सबसे ज्यादा मेरा फंड है, वह पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने एक दफा कहा था कि तुम सब जगह देते हो, तुम पुलिस थाने जाकर देखो, क्या हालत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं सिटी पुलिस थाने के अन्दर गई, मुझे समझ में नहीं आया कि वहां पुलिस कांस्टेबल कैसे रह रहे थे। कांग्रेस ने इतना राज करने के बाद सुध नहीं ली उन बिल्डिंगों की, कभी धन राशि नहीं दी। मैंने जो सारा हाल देखा, करीब पुलिस लाइन थी, वहां हाथी बंधते थे पहले, बाद में पुलिस लाइन गई वहां पर। सबसे पहले कोतवाल वहां मेरे पिताजी थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगी कि इन पुलिस वालों के लिए, कांस्टेबलों की भर्ती ज्यादा से ज्यादा हो और उनके क्वार्टर अच्छे बनाये जायें, उनको अच्छा मैस भत्ता दिया जाये। एक और भी मेरी मांग है कि जो इनको कपड़ों की धुलाई दे रहे हैं, वह भी नहीं के बराबर है। मैं चाहूंगी कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी मेरी बात को जरूर स्वीकार करेंगी कि इनको धुलाई भत्ता अच्छा दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 1980 में राजमाता साहब को लेकर बाड़मेर गई थी, पश्चिमी राजस्थान का दौरा किया था। वहां पुलिस के डिप्टी जब आये थे तैनात होकर, राजमाता ने उनको बुलाकर पीठ थपथपाई और उनको इनाम भी दिया। मैंने कहा, राजमाता, यह तो इनकी ड्यूटी है, क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप समझती नहीं हों। ये जितनी कठोर सर्विस करते हैं और कितनी कठोर ड्यूटी देते हैं, ऐसे कोई नहीं देता है। होली, दीपावली, सब लोग अपने घर जाते हैं मगर ये ड्यूटियां दे रहे हैं। मैं इसलिए इनको इनाम दे रही हूं। तो यह राजमाता साहब की लड़की हैं, धौलपुर की महारानी हैं, तो मैं यह समझूंगी कि पुलिस वालों के लिए इसके बारे में ये जरूर विचार करेंगी और विचार करके मेरी बातों को जरूर मानेंगी और मेरी बात को सुनेंगी।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा मांग नम्बर 17-कारागार पर बोलना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: आपका एक मिनट बाकी रहा है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का काम है, मैं तो आपके अनुशासन में हूं, मैं इनके जैसे थोड़े हूं, आप कहोगे तो नहीं बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष: बोलो, बोलो आप। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जेलों से गम्भीर अपराधों को रोकने के लिए ठोस योजना बनाकर लगातार काम किए जाने की आवश्यकता है। जोधपुर के केन्द्रीय कारागार में, जेल में भारत भूषण भट्ट को कब मारा था? यह कांग्रेस राज में मारा था और उस समय आप स्टेप ले लेते तो आज यह बात नहीं होती। उनकी हत्या कर दी थी। अजमेर जेल में बंद खतरनाक आतंकवादियों से मोबाइल फोन, आदि बरामद हुए थे। अब बीकानेर की घटना हो गई। ये सभी घटनाएं इसलिए घटित हुईं क्योंकि हम घटना होने के बाद ही जागते हैं। ठोस योजना बनाकर लगातार काम किये जाने की अति-आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश स्तर पर अधिकार प्राप्त कारागार निरीक्षण दल का गठन कर उनसे लगातार औचक निरीक्षण करवाया जाये। ये निरीक्षण लगातार और अचानक, बिना सूचना के ही होने चाहिये। इस दल में पर्याप्त सदस्य हों जो एक बड़े जेल को एक साथ थोड़े समय में देख सकें। यह जांच रिपोर्ट देने के साथ ही कार्यवाही करने में भी सक्षम होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक छोटी सी बात रह गई है, एक सेकंड की है। मेरे यहां खांडाफलसा थाना है, वह सिवांची गेट आ गया है। वहां एक थाना जबरदस्त हेरिटेज की तरह से बना दिया। मैं चाहूंगी कि वहां जो पुलिस चौकी थी, वह नवचौकिया चली जाये। यह आज यहां सारे अधिकारी भी बैठे हैं और आपके सामने भी बात कह रही हूं, क्योंकि वह चौकी तो है ही, उसको कोई करना नहीं है, सिर्फ वहां पर ले जाना है। यह मेरी मांग है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें। श्री रामचन्द्र।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, कई माननीय सदस्य भूखे हैं, खाना खाने जाना चाहते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो चले जायें। कृपया आप अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष: खाना खाने कैसे जायेंगे? भूख हड़ताल पर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र (डग): सम्माननीय अध्यक्षजी, आपने मांग संख्या 16 व 17, पुलिस एवं कारागार पर बोलने का जो समय दिया है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।

राजस्थान पुलिस का अपना एक गरिमामय और गौरवशाली इतिहास है और राजस्थान पुलिस पूरे देश में अपने अनुशासन के लिए पहचानी जाती है। क्योंकि अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है, इस उक्ति को सारगर्भित करते हुए राजस्थान पुलिस की पूरे प्रदेश में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्थापना की गई। समाज में अनेकानेक प्रकार के विचार वाले लोग होते हैं और उन विचार वाले लोगों में कई ऐसे कुकृत्य कर देते हैं, असामाजिक तत्व अवांछनीय गतिविधियां करते हैं, उनकी रोकथाम के लिए इस राज में पुलिस विभाग की व्यवस्था है जो इनको प्रताड़ना देता है, अंकुश लगाता है और इनकी रोकथाम के पूरे प्रयास करता है। मैं इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में अगर पुलिस विभाग न हो तो ऐसी-ऐसी समस्याएं, ऐसे-ऐसे दिग्पाल, गुण्डा तत्व, असामाजिक तत्व, साम्राज्य स्थापित कर लें। इन पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान की पुलिस अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत श्रेष्ठत्तर और अव्वल है।

मैं इस बात का प्रमाण देना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस पिछले कई सालों से प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिस प्रकार कटिबद्ध है, उसकी अनुपालना कर रही है, क्योंकि मेरा पुलिस से बड़ा नाता रहा है, मैं जब नौकरी में लगा था तब मेरे सारे नोर्म्स पूरे नहीं हो रहे थे, तब मैंने पुलिस विभाग के कर्मचारियों का एक दल लेकर उस नौकरी को बचाया था। लोग कहते हैं, पुलिस के साथ सम्बन्ध रखना गलत होता है; न ये भाई के, न भतीजे के होते हैं। मैं कहता हूं, पुलिस अपने व्यवहार से लोगों का साथ देती है और लोगों को आगे बढ़ाती है।

इस मामले में मैं कहना चाहता हूं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग अगर संसार में ज्यादा होंगे तो कई बार ऐसा कहा है-

(श्री रामचन्द्र)

बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि-दिन बीति।

बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति।

बिना भय के प्रीत हो नहीं सकती, रामचरितमानस में तुलसीदासजी महाराज ने यह लिखा है। एक और चीज उन्होंने लिखी है-

काटेहिं पइ कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सींचा।

बिनयन मान खगेस सुनु डाटेहिं पइ नवनीच।।

केले के पेड़ को अगर फल देने के बाद सींचो तो फल नहीं देगा। ऐसे ही किसी दुष्प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को अगर आप सम्मान दोगे तो नहीं मानेगा, अगर उसके जूत और लात दोगे तो निश्चित रूप से मानेगा। इसलिए यह शास्त्रों की व्यवस्था है, यह कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है।

मैं इन पुलिस अधिकारियों और इनके सदस्यों के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। हम अपेक्षा रखते हैं कि पुलिस वाले हमारे साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, आये हुए लोगों का स्वागत करें, उनको बिठायें, चाय पिलायें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि अपराध करने वाले को अगर चाय पिलाना शुरू कर दिया तो अपराध की प्रवृत्ति और बढ़ेगी। इसलिए आवश्यक है कि पुलिस उन पर अंकुश लगाये, उनकी अपराध की प्रवृत्तियों को, उनके दुर्व्यवहार के लिए उनको दुत्कार लगाये ताकि राजस्थान प्रदेश में व्यवस्था बनी रहे।

मैं पुलिस विभाग और माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पिछली सरकार में आपने राजस्थान पुलिस के इन कर्मियों के लिए प्रत्येक थाने के अन्दर आवास की व्यवस्था की। उस आवास व्यवस्था से यह हुआ, पहले पुलिस वाले अकेले रहते थे, वे परिवार के साथ नहीं रहते थे, लोग जाते थे उनके साथ गाली-गलौच करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, लेकिन आज जब वे परिवार के साथ थानों में रहने लगे, अपने परिवार को रखने लगे तो उनको मालूम है कि कब बच्चा गुजरेगा, कब उसकी पत्नी वहां से निकलेगी। तो उनको लगेगा कि यह गाली देना कितना गलत है, उसका प्रभाव अपने बच्चों पर पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और डी जी पी साहब को कि आपने 10 हजार आवास बनाने की सृजना की है। आप सोचिए, राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ है और राजस्थान का पुलिस बल है 1,07,222। अगर इसके अनुपात में हम सोचें तो 1,07,222 पुलिसकर्मी और इधर 7 करोड़। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस पुलिस बल का कि वे इतनी कम संख्या में होने के बावजूद राजस्थान प्रदेश

(श्री रामचन्द्र)

की कानून-व्यवस्था को सजग और मजबूत बनाये रखे हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा, राजस्थान पुलिस में एक मेरा निवेदन है कि prevention is better than cure, कभी बीमारी हो उससे पहले ही उसकी रोकथाम होनी चाहिए। राजस्थान में आप प्रौद्योगिकी व अभियांत्रिकी दृष्टि से, टेक्निकली बहुत तेज हैं, आपने संसाधन जुटाये हैं, आप और जुटाएंगे; आपके पास हथियार हैं; आपके पास सब चीजें हैं और राजस्थान में जब ये नई व्यवस्थाएं नहीं थीं तब भी अपराध को रोकने में राजस्थान की पुलिस बहुत आगे रही है। मैं राजस्थान पुलिस को कोई प्रमाण-पत्र नहीं दे रहा हूं, इनकी साख नहीं बना रहा हूं, लेकिन इनका काम जिस सरकार में भी हुआ है, मैं एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं, माहवार अपराध की तुलनात्मक स्थिति, माह अप्रैल, 2013, माह अप्रैल, 2014, इसमें हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, अपहरण, नकबजनी, चोरी; हत्या में 20 परसेंट कमी हुई है, हत्या के प्रयास में 16 प्रतिशत कमी हुई है, लूट में कमी हुई है, बलवा में कमी हुई है, चोरी में कमी हुई है और अन्य भारतीय दण्ड संहिताओं के तहत अपराध हैं उनमें भी कमी हुई है। राजस्थान पुलिस ने अप्रैल माह में डकैती और लूट के जो प्रकरण हुए हैं, उनमें माल बरामदगी करने में श्रेष्ठता हासिल की है, 43.92 परसेंट; लूट में जो माल बरामद हुआ, 72.69 प्रतिशतता रही है। इन सबके बावजूद, प्रदेश में सरकार आने के बाद अपराधों में रोकथाम हुई और माल जो बरामद किया, एक्साइज एक्ट में, जुआ एक्ट में, इसमें भी बढ़ोतरी है। अप्रैल माह में पहले जो 4,192 थे, वे एक्साइज एक्ट में 5,695 हुए; जुआ एक्ट में 6,007 थे, अब 6,231 हुए। ऐसे ही महिला अत्याचार के मामले में कमी आयी है। एस सी, एस टी एक्ट में अप्रैल माह में मात्र शून्य, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ राजस्थान में; अनुसूचित जनजाति में भी माइनस है। वर्ष 2014 में अब तक 627 भगोड़े, 42 घोषित अपराधी, 6,556 स्थायी वारंटी, अब तक 516 भगोड़े, 85 प्रतिशत घोषित अपराधी और 4,385 स्थायी वारंटियों का निस्तारण किया है।

इनके अलावा, अभी राजस्थान प्रदेश के अन्दर कई जिलों में लूट, नकबजनी के जो मामले हुए हैं, चोरी, वाहन चोरी, अवैध शराब, इनमें पुलिस विभाग द्वारा जिन अधिकारियों ने अच्छा काम किया, उनको इनाम देने का, इंसेंटिव देने का जो काम किया, इसकी भी मैं सराहना करता हूं। इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे किशनगढ़ बास वाले पुलिस अधीक्षक महोदय ने 2,500-2,500 रुपये इनाम घोषित किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में बात पूरी कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट आपको अलाउ।

श्री रामचन्द्र (डग): मैं राजस्थान पुलिस से एक अपेक्षा रखता हूं कि आपका विभाग राजस्थान में कुछ नई चीजें करे और उसके लिए आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम फेल है। अपराधी को अपराध करने से पहले रोका जा सकता है। अपराधियों को चिह्नित किया जाना चाहिए।

साथ ही साथ, स्टेट बोर्डर में उन अपराधियों को चिह्नित किया जाना चाहिए, उन पर निगरानी रखें, मूल निरोधात्मक कार्यवाही हो। ये बोर्डर के जो अपराधी हैं उनको चिह्नित कर रोका जाये। बोर्डर स्टेट की मीटिंग होती है, इनमें आपस में कोओर्डिनेशन होनी चाहिए और अपराधों पर सतर्कता बरतनी चाहिए। इनमें जो बड़े अधिकारी मीटिंग लेते हैं, वे सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बोर्डर के पास के जो थाने हैं, उनको इसमें शामिल किया जाये ताकि उस दिशा में सही अमलीजामा पहनाया जा सके।

क्रिमिनल इंटेलिजेंस प्रिवेंशन पर अलग से जिला स्तर और राज्य स्तर पर टीम गठित करनी चाहिए। वह सूचना एकत्रित कर अपराध पर नियंत्रण रखें।

नाकाबंदी और गश्त में अपराधियों को पकड़ने के लिए स्पेशली प्रशिक्षण देना चाहिए। जहां नाकाबंदी होती है, अपराधी चकमा देकर चले जाते हैं। इसमें हमारे लोगों को पुलिस विभाग प्रशिक्षण नहीं देता है और कई बार वे निकल जाते हैं। तो हमारा नाकाबंदी का खाका है, वह ऐसा तैयार होना चाहिए कि यहां से बच गया तो अगले वाले नाके पर जाकर पकड़ा जाय। ऐसी व्यवस्था हो।

ला एंड आर्डर की समस्या से निपटने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि कहीं बलवा हो, कुछ हो तो सीधी फायरिंग न करें और उस स्थिति से बचा जा सके।

एक रेस्पोंस टाइम कमजोर है। हम मेट्रो सिटी में देखते हैं या बड़ी सिटी में देखते हैं कि सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच जाती है लेकिन गांव और छोटे स्तर पर पुलिस का रेस्पोंस टाइम है वह बहुत कमजोर है। उसको ठीक करना चाहिए।

इसके अलावा, बोर्डर चैक पोस्ट...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामचन्द्र (डग): मेरा एक निवेदन है कि माकूल सशक्त पुलिस बल होना चाहिए। (व्यवधान) धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा भाषण टेबल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां करिये। आप बहुत अच्छे आदमी हैं।

(माननीय सदस्य श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) द्वारा मांग संख्या 16-पुलिस व 17-कारागार के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 3A देखें)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस, कारागार की मांग संख्या 16 व 17 पर चर्चा हो रही है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था ठीक रहे, सब सुखी व शांतिपूर्वक रह सकें, हर महिला सुरक्षित रहे, चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, हत्या, बलवों से हमको निजात मिले, ऐसी प्रत्येक नागरिक की अपेक्षा रहती है। वैसे भी जहां कानून-व्यवस्था ठीक रहती है, वहां निश्चित रूप से विकास आगे गति पकड़ता है। आज हम प्रगति करना चाहते हैं, राज्य को देश के प्रथम स्थान पर लाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कानून-व्यवस्था ठीक करनी होगी। गत कुछ दिनों में जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, निश्चित रूप से वे पीड़ादायक हैं, लेकिन आज यह सोचना पड़ेगा कि ये बातें क्यों हो रही हैं? मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता लेकिन तथ्यों के आधार पर हमारी सरकार को विरासत में क्या मिला है, इस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा।

कानून-व्यवस्था गत पांच वर्षों में जर्जर व्यवस्था में पहुंच चुकी है। जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2013 तक प्रदेश में हत्या, लूट, चोरी, नकबजनी, साइबर क्राइम के 8 लाख 62 हजार 316 मुकदमे इनकी सरकार के समय दर्ज हुए। दलित अत्याचार 31,032 हुए, महिलाओं पर अत्याचार 94,836 हुए। और तो और, अपराधों में राजस्थान दूसरे नम्बर पर पहुंचा। महिलाओं पर अत्याचार में तीसरे नम्बर पर रहे, 82 हजार मुकदमे दर्ज हुए। दलित अत्याचार में राजस्थान देश में प्रथम नम्बर में। देश में तो एक हजार पर 2.9 लेकिन राजस्थान में एक हजार पर 7.5 रहे। आर्थिक अपराध, देश भर के अपराधों में 24 प्रतिशत राजस्थान के रहे। पर्यावरण और वन विभाग में अपराध, भारत में राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। 64 हजार अपराधी भगोड़े हैं।

जब ऐसी परिस्थिति हो और पुलिस का मनोबल गिरा हुआ हो, इनकी सरकार के समय 2,273 बार राज्य की पुलिस अपराधियों से पिटी है, ऐसा

(श्री वासुदेव देवनानी)

अगर दर्दनाक स्तर होगा, चेचट के अन्दर महिला कांस्टेबल के साथ रेप होगा, जोधपुर में जेल अधिकारी की हत्या होगी, फूल मोहम्मद को जलाया जाएगा और बिजौलिया के पास कांस्टेबल की हत्या होगी, तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से राजस्थान में पुलिस का जो मनोबल है, वह गिरा हुआ है। उसको हमारी सरकार ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रही है। आज पिछले पांच वर्षों में 24 हजार से अधिक महिलाएं और बालिकाएं गायब हो चुकी हैं। पिछले 5 वर्ष के अन्दर 86 बार गोलियां चली हैं, 34 लोग उनमें मारे गये हैं। आखिर यह सारी स्थिति जो हमको विरासत में मिली है, इसको ठीक करने में निश्चित रूप से समय लगेगा।

मैं कहना चाहूंगा, आखिर इस स्थिति का दूसरा कारण क्या रहा? मैं हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नफरी की राजस्थान में बहुत ज्यादा कमी है। यू.एन.ओ. के हिसाब से एक लाख में 220 की संख्या होनी चाहिए लेकिन राजस्थान में इस समय केवल 121 हैं। स्वीकृत पदों में से 30 प्रतिशत पद लगभग खाली हैं। टोटल हमारी पुलिस फोर्स के 81,954 पद बनते हैं उनमें से 16,000 पद खाली हैं। आज पुलिस निरीक्षक के 1,244 में से 499 पद खाली हैं, उप निरीक्षक के 4,365 में 2,191 खाली हैं, हैड कांस्टेबल के 13,271 में से 5,862 खाली हैं। यदि यही हाल है तो यह स्थिति निश्चित रूप से शोचनीय है। मैं सरकार से, माननीय गृह मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमको आगे बढ़कर नफरी की कमी को दूर करना होगा।

दूसरे सुधार के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि पुलिस की कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना होगा। पुरानी कार्य प्रणाली अब नहीं चलेगी। उनको आधुनिक हथियार और उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए बजट में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी।

मैं एक उदाहरण दूंगा, आज आखिर नफरी में वर्तमान स्थिति में भी सुधार किया जा सकता है। एक जिला पुलिस अधीक्षक के पास 30-35 कांस्टेबल आज कार्यरत हैं, जबकि उनके यहां लिपिकीय और अकाउंट्स में अलग से स्टाफ भी है। एडिशनल एस.पी. और उप अधीक्षक कार्यालय में, आखिर कार्यालय में 30 से 35 लोग काम करते हैं, कुछ उनके घरों पर काम करते हैं, तो कानून व्यवस्था के लिए फिर कांस्टेबलों की और नफरी की निश्चित रूप से कमी होती है। आज पुलिस थानों में भी यही स्थिति है। एक पुलिस थाने के अन्दर तीन कांस्टेबल केवल लिपिकीय काम करते हैं। एक को

(श्री वासुदेव देवनानी)

अपराध के अभिलेख का काम दिया जाता है, एक पुलिस वेतन, यात्रा, मेडिकल बिल, अकाउंट्स का काम करता है और एक की ड्यूटी मालखाने में लगती है। यदि तीन-तीन वहां रहेंगे तो बाकी काम के लिए कौन रहेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि लिपिकों और लेखाधिकारियों की अलग से नियुक्ति की जाए। जिस प्रकार सी आर पी एफ के अन्दर पुलिस लिपिक व पुलिस लेखाकारों की अलग से भर्ती होती है, राजस्थान के अन्दर भी पुलिस के लिए लिपिक और लेखाधिकारियों के लिए अलग से नियुक्ति होगी तो निश्चित रूप से उसमें एक सुधार भी होगा। यदि कोई पुलिस थाने में शिकायत लेकर जाता है तो उस समय आने वाले पर पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार सम्बन्धी आरोप लगते हैं। यदि इस प्रकार की लिपिक की व्यवस्था होगी तो इन आरोप से बचा जा सकता है और जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

आज आपराधिक गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं, उसके दो मूल कारण हैं। एक, पुलिस का काम है, अपराधियों को पकड़ना, जांच करना, न्यायालय में पेश करना, और न्यायालय से फिर सज़ा मिलती है। लेकिन इसके पीछे छिपा एक महत्वपूर्ण कार्य बाकी रह जाता है। आज किसी व्यक्ति की जमीन मान लो, किसी व्यक्ति ने हड़प ली। हड़प करने के बाद, यदि क्रोधित होकर उसने मारपीट या हत्या कर दी। जमीन हड़पने की प्रक्रिया में क्या परिस्थिति रही, इस ओर नहीं जाते और हम केवल उस हत्यारे को या उस मारपीट करने वाले को सज़ा दिलाते हैं। लेकिन वास्तव में जिस पटवारी, तहसीलदार, भू-माफिया के कारण उसकी जमीन हड़पी गई, वह इस सारे प्रकरण से बच जाता है। इसलिए उसकी भी कोशिश की जानी चाहिए और उसमें उनको सज़ा दिलानी चाहिए।

परिस्थितिजन्य अपराध जब घटित होते हैं, हत्या होती है, तो उसके परिवार भी अपराध की ओर न बढ़ें, इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

यदि ये कुछ व्यवस्थाएं हमने कीं तो पुलिस व्यवस्था में सुधार की अपेक्षा की जा सकती है।

यही हाल आज जेलों के हैं, जेलों में भी पद खाली हैं। आज उप-कारापाल के 53 में से 42 पद खाली हैं, सहायक कारापाल के 135 में से 84 पद खाली हैं, मुख्य प्रहरी के 371 में से 123 पद खाली हैं और प्रहरी के 2,302 में से 1,102 पद खाली हैं और कुल 2,900 में से 1,300 पद खाली हैं। तो फिर जेलों में किस प्रकार की व्यवस्था हम कायम कर सकेंगे? यह इनकी विरासत हमें मिली है, उसे ठीक करने की आवश्यकता है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

आज जब आपत्तिजनक वस्तुओं के पहुंचने से, बढ़ रही गैंगवार से, ज्यादा चिंताजनक स्थिति हो गई है। तो उसके लिए मेरी मांग है कि जेल के अन्दर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाएं। इसकी हमारी सरकार ने घोषणा भी की है, उन्होंने कहा है कि सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगेंगे, 4जी सेल्यूलर जैमर भी लगेंगे। यह जो घोषणा की है, इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन ये जैमर जल्दी लगें। मैंने एक प्रश्न लगाया था, तो पिछले पांच साल में सरकार केवल एक ही सम्भाग केन्द्र की जेल पर लगा पाई है और बाकी 7 के लिए यह सरकार कुछ नहीं कर पाई। इसलिए उसमें व्यवस्था की जानी चाहिए।

जेलों में कैदियों को सुधारने हेतु हमने जेलों में आई.टी.आई. भी प्रारम्भ किये थे और उन आई.टी.आई. की संख्या बढ़नी चाहिए। पिछली सरकार ने उसको बन्द करने का प्रयत्न किया था।

इसी प्रकार, विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो बीकानेर और अजमेर में घोषणा की है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं।

इस अवसर पर मैं माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कारागार प्रहरियों का वेतन पहले पुलिसकर्मियों के बराबर रहता था लेकिन कुछ वेतन आयोग के बाद उन प्रहरियों का वेतन कम हो गया। इसलिए कारागार प्रहरियों के वेतनमान पुलिसकर्मियों के समान किये जाएं। इस प्रकार मैं आग्रह करूंगा कि किस प्रकार परिस्थितियों में हम सुधार कर सकते हैं।

अब मैं एक बात और कह रहा हूं कि अजमेर की स्थिति बड़ी सेंसिटिव है। वहां पर जायरीन भी आते-जाते हैं, मेला भी लगता है, काफी लोग आते हैं, लेकिन आज सबसे बड़े बारूद के ढेर पर अजमेर बैठा हुआ है। आज आपराधिक गतिविधियों में भारी वृद्धि इस कारण से हो रही है कि जो बांग्लादेशी हैं, उनकी घुसपैठ वैसे तो सारे राजस्थान में है लेकिन अजमेर में सर्वाधिक बांग्लादेशियों की घुसपैठ है। हमने पकड़वाने की कोशिश भी करवाई, पर तब भी पिछले दिनों एक सीमित मात्रा में ही 274 बांग्लादेशी पकड़े गये। लेकिन आश्चर्य तब हुआ, जब उनके फोटो, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, सब कुछ बन चुके थे। वे रिक्शा चालक के रूप में आ जाते हैं, कई बार घरों में सस्ती लेबर के रूप में मिल जाते हैं। इस प्रकार, इन बांग्लादेशियों को पहचानना भी कठिन होता है। क्योंकि दरगाह के आस-पास का एरिया इतना है

(श्री वासुदेव देवनानी)

कि उसमें आकर रह लेते हैं और फिर आपराधिक गतिविधियों में जब भाग लेते हैं, तो निश्चित रूप से कठिनाई होती है।

आज अजमेर में अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी व नशाखोरी सबसे ज्यादा है, चोरी और चेन स्नैचिंग के मामले बढ़ रहे हैं; वाहन चोरी हो रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी और ढिलाई के कारण यह सब हो रहा है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं, अजमेर के अन्दर हम चाहेंगे कि पुलिस अधीक्षक के दो पद सृजित किए जाएं, शहर का भी अलग और जिले का भी अलग, तो जाकर कुछ नियंत्रण हो पायेगा।

दूसरा, आज पुलिस का विशेष दल बनाकर या अभियान चलाकर दरगाह के आसपास के एरिये के अन्दर सारे बांग्लादेशियों को पकड़ा जाये। दरगाह और गंज थाना वी आई पी विजिट के कारण ध्यान नहीं दे पाता। मेरे नागफणी और दरगाह सम्पर्क सड़क पर पहाड़ी वन क्षेत्र में बांग्लादेशी अवैध अतिक्रमण करके रह रहे हैं। वहां पर एक स्थायी चौकी की स्थापना की जाये।

इसी तरह, पुष्कर रोड, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, बी.के. कौल, कोटड़ा नया, वहां पर नये थाने बनाये जायें; गश्त प्रणाली को अधिक सक्रिय किया जाये; शहर के प्रमुख मार्गों पर सी सी टी वी कैमरे लगाये जायें; और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर का अलग से पद सृजित किया जाये। हमारे यहां जो...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...ए डी ओ को क्रमोन्नत किया गया है, उसमें एक निरीक्षक का पद सृजित कर, अन्य नवसृजित पदों पर पुलिस की व्यवस्था की जाये। इस प्रकार, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार के कई मामले हैं। होमगार्ड्स को स्थायी किया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बाधा नहीं डालें। इनका भाषण चल रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, पहले तो प्रद्युम्न सिंहजी खाना खाकर आये, अब वे डोटासराजी खाना खाने जा रहे हैं। यह गलत बात है, साहब। धरने पर बैठे हैं तो पूरा बैठें। एक-एक करके खाना खाने जा रहे हैं ये।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। देवनानी साहब, आप अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह भेदभावपूर्ण नीति है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं समाप्त कर रहा हूं, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: चलो, एक मिनट।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जनता के सामने यह नाटक क्यों कर रहे हों? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): गत वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में अजमेर का एस.पी. मंथली प्रकरण के अन्दर, अन्दर आ चुका है। इसलिए आज अजमेर के सभी थानों में जिस प्रकार से इस भ्रष्टाचार को रोकने की बात है, इसकी व्यवस्था की जाये। इसमें मेरा सुझाव है, कांस्टेबल से ए एस आई तक को तीन साल या पांच साल के बाद यदि उसको जिले से बाहर भेजेंगे तो भ्रष्टाचार में कमी आयेगी। नहीं तो, वहीं का वहीं रहता है तो भ्रष्टाचार के अन्दर लिप्त हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी व्यघस्था की जाये।

इसमें साइबर क्राइम के लिए अलग से साइबर क्राइम सेल की जिला स्तर पर व्यवस्था करेंगे और इस प्रकार यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से सुधार होगा।

आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्री शत्रुघ्न गौतम।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 व 17 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

विपक्ष के लोग जिस कानून-व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इनके शासन में इनके किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के बेटे की जेल से षड़यंत्र रचकर हत्या हुई।

इनके तत्कालीन कोटा से आने वाले गृह मंत्री के लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उनके बड़े-बड़े विज्ञापन कोटा के बहुत बड़े अपराधी के साथ समाचार पत्रों में और कोटा में बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर लगें। कोटा में उसी अपराधी के घर पर सुबह 5 बजे रेड हुई और 90 दिन तक पुलिस ने चालान पेश नहीं किया। 90 दिन तक चालान पेश नहीं होने की वजह से वह मुख्य अपराधी अजमेर जेल से छूट गये और जुलूस के रूप में वह कोटा आये। उस घटना का प्रभाव यह पड़ा कि बिजौलिया के पास पुलिस कस्टडी में एक

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

कुख्यात अपराधी का मर्डर हुआ और उसमें दो निर्दोष पुलिसकर्मी मौत के घाट उतार दिये गये। यह इनका शासन था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, राजस्थान राज्य सहित पूरे भारत वर्ष में अपराध बढ़ने के कई कारण हैं, अशिक्षा, बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या व अन्य कई कारण हैं, लेकिन इन सबके अलावा वर्तमान में अपराध बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण है, जेलों से संचालित संगठित अपराध। बहुत ही दुर्जन और खतरनाक अपराधी विभिन्न अपराधों में जेल में बंद हैं और जेलों में बैठकर वे मोबाइल, टेलीफोन का उपयोग कर अपने आपराधिक साम्राज्य को फैला रहे हैं। नई पीढ़ी को मोबाइल पर अपनी ओर आकर्षित कर अपराधों में धकेल रहे हैं। इसे रोकने के लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाये। इसका जीता-जागता उदाहरण अभी मैंने आपको निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष: आपसी बातचीत नहीं। आपसी बातचीत नहीं।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन घटनाओं को रोकने के लिए मेरा सुझाव है कि जेलों में मोबाइल फोन बंद किये जायें, 4-जी जैमर सिस्टम लगाया जाये। लेकिन, मेरे ज्ञान के अनुसार, जैमर सिस्टम लगाने से समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि राजस्थान में बहुत सी जेल हैं जो शहर के मध्य में बनी हुई हैं और पास में रहने वाले लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकार को राजस्व की आय भी प्राप्त होगी, इन जेलों को शहर से दूर शिफ्ट किया जाये, जिससे किसी भी व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और जेल में सुचारु रूप से कानून-व्यवस्था स्थापित हो पाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग एक अनुशासन-प्रिय विभाग माना जाता है, पुलिस की वेशभूषा और वर्दी, अनुशासन के महत्वपूर्ण अंग हैं लेकिन मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पुलिस विभाग में सिपाही से लेकर महानिदेशक पद पर आसीन महत्वपूर्ण कर्मचारी व अधिकारियों की वर्दी के रंग एवं सिलाई के अलग-अलग प्रकार देखने में आते हैं। खाकी के रंग में 36 प्रकार के विभिन्न रंग पाये जाते हैं और यह सिलाई भी अलग-अलग तरीके से पाई जाती है। इस समस्या के निदान के लिए, पुलिस लाइन में सिपाही से लेकर महानिदेशक तक के लिए एक ही प्रकार का कपड़ा पुलिस लाइन के सेंट्रल स्टोर में उपलब्ध कराया जाये ताकि उनकी सिलाई का तरीका भी पूरे राज्य में, राजस्थान राज्य में सिपाही से लेकर महानिदेशक तक की सिलाई में समरूपता का होना आवश्यक है।

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या अपराधों पर नियंत्रण पाने में बाधक है। आवश्यकता के अनुसार पूरे प्रदेश में नई चौकियां व नये थाने खोले जायें तथा उन चौकियों पर कर्मचारी/अधिकारी व सिपाही, स्वीकृत नफरी के अनुसार पुलिस बल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के गृह विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के स्तर पर पदोन्नति की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए, जिससे उनकी कार्य में रुचि बढ़ेगी और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस में सिपाही से लेकर बड़े अधिकारी व कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या है जिसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पुलिस विभाग में कार्य करने वाले किसी भी कर्मचारी व अधिकारी को सरकारी या गैर-सरकारी बैंक, फाइनेंस कम्पनी या इंश्योरेंस कम्पनी से किसी प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं होता। इसलिए पुलिस का कर्मचारी मानसिक रूप से प्रताड़ना झेलता है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको लोन उपलब्ध होना चाहिए। जो कर्मचारी लोन वापस नहीं चुकाते, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होनी चाहिए, या उनकी तनख्वाह में से कटना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग में कार्य करने वाले सिपाही को उसके सी ओ सर्कल में पोस्टिंग नहीं दी जाती है, यह कहा जाता है कि सिपाही इसी सी ओ सर्कल का रहने वाला है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं, वह सिपाही अपराधियों को जानता है, वह सब चीज जानता है कि इस स्थिति में कहां अपराधी होगा, या क्या कार्य करता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि सिपाही जैसे व्यक्ति को उसके सी ओ सर्कल में लगाया जाये। यदि किसी सिपाही की शिकायत है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये और सी ओ सर्कल से बाहर निकाला जाये, लेकिन इसकी सज़ा सभी छोटे कर्मचारियों को नहीं मिलनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के थाने में 700 से भी अधिक मुकदमों का रजिस्ट्रेशन है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केकड़ी में केकड़ी शहर और केकड़ी सदर थाना अलग से

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

बनना चाहिए। सरवाड़ कस्बे में सब-इंस्पेक्टर का थाना है, उसकी जगह सी आई का थाना क्रमोन्नत होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सराना बारामील में एक पुलिस चौकी की स्थापना होनी चाहिए जिससे अपराधों पर नियंत्रण हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिला बहुत बड़ा जिला है। इस जिले में 34 थाने और आठ सी ओ सर्कल हैं। जिस तरह से अजमेर में दरगाह में जायरीन और पुष्कर में ब्रह्मा नगरी में यात्री आते हैं, आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसलिए अजमेर शहर में दो पुलिस अधीक्षक कार्यालय होने चाहिए, एक ग्रामीण और एक शहर। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केकड़ी और ब्यावर की समय-समय पर मांग उठती रही है कि दोनों को जिला बनाया जाये। उसको देखते हुए मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर में एक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16-पुलिस और 17-कारागार, इन पर चर्चा हो रही है। पूरे राजस्थान की जनता की सुरक्षा करने का काम पुलिस का है और कल मीटिंग में आपके सामने भी प्रतिपक्ष के नेता और माननीय प्रद्युम्न सिंहजी उस मीटिंग में थे, एक सार्थक बहस करना चाहते थे। आज राजस्थान में जिस तरह का राज, अगर कहीं कोई दिक्कत है, प्रशासन में कोई दिक्कत है, पुलिस की व्यवस्था में कहीं दिक्कत है, अपन बैठकर सार्थक बहस में हिस्सा लेते, तो राजस्थान की जनता ने जिस तरह से इनको चुनकर भेजा है और ये अगर उसके अन्दर, इस मांग के अन्दर अपनी चर्चा में हिस्सा लेते...

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं हो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ...तो बहुत अच्छा लगता कि राजस्थान की जनता के प्रति ये चिंतित हैं।

पुलिस ऐसा विभाग है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पुलिस को पुलिस के अलावा जो काम करने पड़ते हैं, उनमें अवैध खनन, अवैध खनन के साथ में भू-माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, इतने और सारे जो काम हैं कि हर काम में पुलिस की

(श्री धर्मपाल चौधरी)

जिम्मेदारी रहती है। ऐसी स्थिति में, राजस्थान की पुलिस सुदृढ़ हो, इसके लिए सबसे पहले जिस तरह से हमारे यहां पुलिस की नफ़री में कमी है, पुलिस भर्ती करनी चाहिए और पुलिस की भर्ती होने के बाद, क्योंकि हमारा अलवर हरियाणा से और दिल्ली से लगता हुआ है, हमारे यहां जिस तरह के अपराध होते हैं, मेवात क्षेत्र भी हमारे यहां लगा हुआ है, उसके अन्दर बार्डर पर चौकियां हों और वहां पर अपराध रोकने का काम करें।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विपक्ष के भाइयों से कहना चाहता हूं कि पांच साल में अलवर जिले में जंगल राज हो गया था। भिवाड़ी से लेकर अलवर तक आने के लिए रात के समय कोई बहन-बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। तिजारा में जैन मंदिर हैं, इतना बड़ा धार्मिक स्थान है और उस धार्मिक स्थान पर दिल्ली और बाहर से जो लोग आते थे, उनकी बहन-बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। मेंहदीपुर बालाजी और इन सब स्थानों पर आने के लिए, अगर रास्ते में चलते तो उस मेवात क्षेत्र में आदमी सुरक्षित नहीं था। वहां पर अवैध खनन होता है। अवैध खनन के अलावा वहां महिलाएं, बहनें, उनके साथ जैसा व्यवहार होता था, वहां पर सामने देख लीजिए, हिम्मत नहीं होती थी।

एक गांव के अन्दर एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद में उसके घर को जला दिया। कांग्रेस के भाई दिल्ली से भी आये, बड़े-बड़े नेता आये लेकिन उस गरीब महिला के घर पर नहीं गये। वोट के खातिर सीधा मेव भाइयों के घर पर गये। उसमें न्याय नहीं मिला। हमारी पार्टी ने पूरी तरह उस मामले को उठाया लेकिन उस मामले में न्याय नहीं मिला।

गोपालगढ़ काण्ड हुआ। गोपालगढ़ काण्ड में कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता मोटर साइकिल पर आये, मोटर साइकिल भी चोरी की। एक अपराधी के साथ में मोटर साइकिल पर बैठकर जाएं और उस गोपालगढ़ काण्ड के अन्दर सिर्फ एक ही धर्म के लोगों से मिलकर के आ जाएं। हमारी मुख्य मंत्रीजी भी गई थीं वहां पर, सबसे पहले मदरसे पर गईं, उनकी बात को सुना, उसके बाद में बाकी लोगों की बात सुनकर, वहां गोली काण्ड के स्थान पर गईं।

एक तरफ तो ऐसी मुख्य मंत्री और एक तरफ ऐसा जंगल राज कांग्रेस का। उनको इतनी बड़ी शह देकर उस क्षेत्र के लोगों में जिस तरह भय व्याप्त किया था, उसका परिणाम है कि आज कांग्रेस के अन्दर एक भी मुसलमान

(श्री धर्मपाल चौधरी)

भाई नहीं जीत कर आया। अगर दो जीत कर आये हैं तो हमारी तरफ ही जीत कर आये हैं।

इस तरह की कानून-व्यवस्था के बाद में आज इस प्रदेश में जिस तरह का भू-माफिया पनप रहा है...

श्री अध्यक्ष: आप आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): इस तरह का भू-माफिया पनप रहा है। जिस तरह से मेरे क्षेत्र में नीमराणा और शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन औद्योगिक क्षेत्रों में बांग्लादेशी और बाहर के जो लोग आ रहे हैं, उन पर भी ध्यान देने की बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि ऐसे लोग वहां पर पनप रहे हैं, धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और एक बहुत बड़ी आशंका है कि आने वाले समय में वहां पर बहुत खतरा होगा। उसकी तरफ भी ध्यान देने की बात है। हमारे यहां जितने भी बड़े अधिकारी हैं उन्होंने उस पर भी अंकुश लगाने की कोशिश की है।

अलवर के अन्दर ट्रक का टायर सुरक्षित नहीं था, गांव में किसान की भैंस सुरक्षित नहीं थी, गाय माता सुरक्षित नहीं थी और मोटर साइकिल, बोलेरो गाड़ी, ट्रैक्टर किसान का सुरक्षित नहीं था। आज हमारे राज के आने के बाद में जिस तरह का वातावरण अलवर जिले में हुआ है, उस जिले में जिस तरह से मोटर साइकिल पहले चोरी होती थीं, आज के टाइम पर वे मोटर साइकिलें बरामद हो रही हैं। ऐसे ही बोलेरो गाड़ी और ट्रैक्टर की चोरियां बंद हो गईं, ट्रकों के टायर चोरी होना बंद हो गये। सब तरह का ऐसा वातावरण अगर बनाने काम किया तो हमारी सरकार ने किया है। (व्यवधान) इस तरह से पूरे राजस्थान में हमारी सरकार के आने के बाद आज बहन-बेटी की इज्जत सुरक्षित है। जिस तरह का वातावरण पहले था, इन सब बातों पर हमारी सरकार के आने के बाद सुरक्षा बढ़ी है।

मैं एक भू-माफिया की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आज जिस तरह का भू-माफिया पनप रहा है, जयपुर के अन्दर एक बहुत बड़े भू-माफिया का सर्किल बन गया है, जो कांग्रेस के राज के समय पैदा हुआ था। एक लायन्स जो है एक कालोनी कटी हुई है, उस कालोनी में जिस तरह से महादेव पूनिया नाम के आदमी ने, जो गुलाबबाड़ी सोसायटी का मेम्बर भी नहीं है, उसने गलत नक्शे बनाकर और जिस तरह से जनता को लूटने का काम किया। एडिशनल एस.पी. है, जयपुर में है, जो कांग्रेस के राज में नकली घी

(श्री धर्मपाल चौधरी)

मामले में डी.एस.पी. थे, आज जे डी ए में एडिशनल एस पी है और जिस तरह से जयपुर में लूटने का काम कर रहे हैं, मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि ऐसे +++ जो एडिशनल एस.पी. है, जो नकली घी के मामले में भी मिले हुए थे, उनको पोस्टिंग बाहर देनी थी, उनका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन होने के बाद जे डी ए जैसे विभाग में आज एडिशनल एस.पी. के रूप में बिठा रखा है। वह एडिशनल एस.पी. जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है। उस पर भी हमारे पुलिस विभाग को ध्यान देना चाहिए। जो लोग वहां पर वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गये, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। क्योंकि वह भू-माफिया से ऐसा मिला हुआ है जिसके कारण से उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई।

राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने, कि पुलिस के पास अच्छे साधन हों, क्योंकि आज के जमाने में अपराधियों के पास जो साधन हैं वैसे पुलिस के साधन नहीं हैं, 23 करोड़ रुपये माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दिये हैं नई गाड़ियां खरीदने के लिए और 37 करोड़ रुपये जेल सुधार के लिए दिये। जेलों के अन्दर जिस तरह का वातावरण हो रहा है, उनमें सी.सी.टी.वी. कैमरे लगें और वहां जो अपराधी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री ले जाते हैं, उन पर भी अंकुश लगे। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री नवीनजी पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर सिचुएशन इस राजस्थान में बड़ा गम्भीर विषय है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के ग्राफ दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस बात का खुलासा, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के वर्ष 2013 के जारी किए गए आंकड़ों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महिलाओं पर अत्याचार की दर जो है, सबसे ज्यादा दिल्ली-146 परसेंट, उसके बाद में आसाम, उसके बाद में त्रिपुरा और चौथे नम्बर पर राजस्थान में वृद्धि हुई है, 83.13 । वर्ष 2013 में महिलाओं के प्रति कुल दर्ज मामलों के आधार पर, आंध्र प्रदेश में 32 हजार 809, उत्तर प्रदेश में 32 हजार 546, दूसरे स्थान पर, और राजस्थान तीसरे स्थान पर है,

(15.50 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

27 हजार 934 हैं। अपहरण के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। बलात्कार के आंकड़ों में, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर-4 हजार 335, और

(श्री नवीन पिलानिया)

राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है, 3 हजार 285। यह 2013 का आंकड़ा है। बड़ी भयावह स्थिति है। दहेज हत्या में भी राजस्थान, 453, चौथे स्थान पर रहा है। घरेलू हिंसा में पश्चिम बंगाल, 18 हजार 116, के बाद में राजस्थान का दूसरा नम्बर आता है, जिसका आंकड़ा 15 हजार 194 है। राजस्थान में जनवरी से अप्रैल, 2013 की तुलना में जनवरी-अप्रैल, 2014 में महिलाओं के प्रति कुल अपराध 12 प्रतिशत बढ़े हैं। 2013 में 2 हजार 549 बलात्कार के मामले दर्ज किये, 2014 में यह बढ़कर 3 हजार 29 हो गये हैं।

(16.00 बजे)

यही हाल पिंक सिटी जयपुर का, हम देखते हैं तो वर्ष 2013 में देश के प्रमुख शहरों में दुष्कर्म के जो मामले सामने आयें, उसमें जयपुर तीसरे स्थान पर है। देश का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। दिल्ली शहर जो महानगरी है, में सबसे ज्यादा 1,380, मुम्बई जो महानगरी है उसमें 391 और जयपुर में 192 मामले दर्ज हुए हैं। मुझे डर है कि कहीं पिंक सिटी धीरे-धीरे शेम सिटी न हो जाए। इसके लिए बहुत जरूरत है, पुलिस महकमे को और साथ-साथ राजस्थान की जनता को, कि वे इस मामले में पूरा सहयोग करें। इसी तरीके से, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं, वर्ष 2012 में जयपुर शहर में 134 अपराध दर्ज हुए थे, जो 2013 में 43 प्रतिशत बढ़ कर 192 हो गये। 143% was the increase. एक आश्चर्य की बात और है कि जो कुल चोरी के मामले दर्ज हुए, उनमें से 81 परसेंट वाहन चोरी के मामले हुए हैं।

मेरा निवेदन यह है, यह स्थिति तो मैंने आपको महिलाओं पर हो रहे अपराधों के बारे में बताई थी और विडम्बना यह है कि राजस्थान में ऐसी करिश्माई महिला मुख्य मंत्री हैं और एक संवेदनशील महिला राज्यपाल भी हैं और फिर भी लगातार महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।

इससे भी ज्यादा चिन्ताजनक बात ला एंड आर्डर सिचुएशन की राजस्थान के बारे में है, वह आर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में है। आर्गेनाइज्ड क्राइम ने यह हालत कर दी है, सभापति महोदया, पड़ोस के राज्य पंजाब और हरियाणा से दारू के ट्रक चलते हैं, लिकर स्मगलिंग का इतना भयावह रूप है, पांच सौ-साढ़े पांच सौ किलोमीटर पूरा राजस्थान पार करते हैं और बांसवाड़ा और डूंगरपुर होते हुए गुजरात की सीमा में जाते हैं। उस तरफ से चित्तौड़ और झालावाड़ से डोडा और अफीम के ट्रक चलते हैं और पूरा राजस्थान पार करते हुए पंजाब और हरियाणा में जाते हैं। मैं आपसे सदन के माध्यम से यह

(श्री नवीन पिलानिया)

जानना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव है कि ट्रक के ट्रक चले जाएं? न जाने कितने आबकारी थाने बीच में आते हैं, न जाने कितने जिलों की पुलिस बीच में आती है, लेकिन यह सरेआम होता है और पुलिस इसके बारे में कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि बिना पुलिस की मिलीभगत के इस पैमाने पर यह स्मगलिंग होना सम्भव नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। किसी भी तरीके से राजस्थान की पुलिस, माननीय महोदय यहां विराजमान हैं, एस ओ जी की विशेष टीम, इस तरीके की जो लिकर स्मगलिंग है, लिकर माफिया पनपता है, जो ड्रग माफिया पनपता है, उसके साथ-साथ ही अवैध हथियार भी इसी चीज में काम आते हैं, उनकी स्मगलिंग भी इसी कारण से बढ़ती है। इस पर अंकुश लगाया जाना निहायत जरूरी है। जनता भी इस बात को नहीं मान सकती कि बिना महकमे की मिलीभगत के यह कैसे सम्भव है कि ट्रक के ट्रक निकल जाएं। इसी कारण, इस आर्गेनाइज्ड क्राइम के कारण इल्लीगल मनी जनरेट होता है और वह ही हमारे इस पूरे तंत्र को करप्शन में डुबोता है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसी के साथ-साथ लैंड माफिया भी पनपता है। यह इल्लीगल मनी जो इससे जनरेट होती है, इसके बारे में और इसी के कारण से ये गैंग्स पनपी हैं। पहली दफा यह देखने में आ रहा है कि यू पी और बिहार की जो सूरत हमारे सामने होती थी, इस तरीके की जेल के अन्दर अनेकों गैंग-वार्स की घटनाएं जिसमें अभी तीन व्यक्ति, तीन बंदी जेल परिसर के अन्दर मारे जाते हैं, ये इसी गैंग वार का नतीजा है। इस पर कठोरता से कदम उठाये जाने चाहिए।

ऐसा नहीं है, महोदया, राजस्थान पुलिस का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, बड़ा गौरवमय इतिहास रहा है। राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आई पी एस हिन्दुस्तान के जो वरिष्ठ पद हैं, चाहे वह डायरेक्टर, सी बी आई हो, चाहे वह डी जी, सी आर पी एफ हो, चाहे डी जी, बी एस एफ हो, चाहे वह आई.बी. की जगह हो, उन सब उच्च पदों पर राजस्थान के निकले हुए हमारे कैडर के आई पी एस पहुंचे हैं। हमें बड़ा गर्व है और इस बात का भी गर्व है मुझे कि आज जो पुलिस महकमे के मुखिया हैं, जो डी जी पी हैं, वह एक ऐसे आफिसर हैं जिनकी ट्रांसपेरेंट इंटीग्रिटी है और जिनके कंडक्ट और his honesty is beyond doubt. लेकिन इसके बावजूद, महोदया, बड़ा अफसोस होता है, अभी पिछले कुछ दिनों में जो देखने को मिला है, दो जिलों के पुलिस अधीक्षक, not of these two districts but which are very important district headquarters, of Ajmer and Kota, जिस तरीके से उनके कारनामे सामने आये हैं, कितने महीनों तक सर्विलेंस की

(श्री नवीन पिलानिया)

गई, फोन टेप हुए, फोनों की सर्विलेंस हुई, तब जाकर के यह चीज निकल कर आयी है, यह आर्गेनाइज्ड करप्शन रैकेट के रूप में निकल कर आया है। यह सबसे बड़ी गम्भीर बात है। यह कोई स्ट्रे इंसिडेंट करप्शन का नहीं है, थानों से वसूली लेना। क्या भरोसा रह जाता है? आज जनता को क्या भरोसा होगा, जब दो वेरी इम्पोर्टेंट डिविजनल हैडक्वार्टर्स के एस.पी. इस तरीके से आर्गेनाइज्ड करप्शन के चार्जेज में फ्रेम होते हैं? तो पुलिस का इकबाल कायम होना चाहिए। जो उसका अतीत था, वह वापस कायम हो। यह ही मेरा निवेदन है। उसके लिए कम से कम इतना तो इस सरकार को इंश्योर करना चाहिए। आदरणीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, कम से कम जो तैंतीस जिले हैं, उनके अन्दर जो पुलिस अधीक्षक लगे हैं, कम से कम उनकी इंटीग्रिटी पर तो जनता को डाउट नहीं हो। यही अगर आप कर देंगे तो इससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। इस मामले में जितना हमारे एंटी-करप्शन ब्यूरो को सुदृढ़ किया जाए, जितना मजबूत किया जाए, उससे जनता को लाभ मिलेगा। मेरा यह मानना है।

मैं अभी आंकड़े देख रहा था ए सी बी के, उसमें माडर्नाइजेशन में पिछले चार साल में शून्य-शून्य दर्शाया गया है। इस दफा 48.75 lakhs have been allocated. यह भी बढ़ना चाहिए। जहां तक हो सके, पुलिस माडर्नाइजेशन के लिए, पुलिस वेलफेयर के लिए, हमारी जो कांस्टेबुलरी है, पुलिस फोर्स की तकरीबन नब्बे परसेंट फोर्स कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल की आती है, माननीय मंत्री महोदय, उनकी दशा भी दयनीय है। चाहे वह बैरेक्स के हाल हों, चाहे उनके ड्यूटी आवर्स हों, जितना भत्ता बढ़ सकता है वह बढ़ना चाहिए। उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए, वह सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। उनकी जो लीव्ज हैं, जब उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए, वह होना चाहिए।

एक और बात, महिला कांस्टेबल्स की बहुत जरूरत है। हिन्दुस्तान में जो आंकड़ा है पुलिस फोर्सेज में, अभी तक पांच प्रतिशत का है, तकरीबन यही आंकड़ा राजस्थान का भी होगा। इसे कृपा करके बढ़ाया जाना चाहिए। उससे महिला अपराधों में कमी आएगी। अभी रिसेंटली गुजरात में, very recently Gujarat has announced increase in women force by up to 30%. इसी तरीके की पहल अगर राजस्थान में हो तो नारियों को सम्बल मिलेगा।

आज जो हालात हैं, आम आदमी भयभीत है और गुनहगार भयमुक्त है। होना उलटा चाहिए, आम आदमी निर्भय होना चाहिए और अपराधियों को

(श्री नवीन पिलानिया)

डरना चाहिए। किसी तरीके से राजस्थान में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करके, पुलिस की जो कांस्टेबुलरी है, उसे अधिक से अधिक, मैं अभी देख रहा था, बजट में बेनेवोलेंट फंड में सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया जाता है, पुलिस वेलफेयर के लिए सरकार की तरफ से बहुत कम दिया जाता है। इन दोनों मदों में, जितना हो सके, उतना, मैं आग्रह करूंगा कि सरकार उनका ध्यान करे। उनके रहने की, जैसा कि सदस्या बता रही थीं कि बैरक के क्या हाल हैं, मैंने देखे हुए हैं। बहुत जगह जो बंदियों को खाना मिलता है उससे भी घटिया खाना हमारी कांस्टेबुलरी को मिलता है। उसे भी बढ़िया करने की जरूरत है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्री जोगारामजी पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सभापति महोदया, आज सबसे महत्वपूर्ण पुलिस और कारागार की मांग संख्याओं 16 और 17 पर सुबह से विचार हो रहा है। विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपने-अपने लिहाज से अनेक तरह के सकारात्मक सुझाव दिये। मैं जिस सम्भाग और जिस शहर से आता हूं, उस लिहाज से पाकिस्तान से लगता हुआ पूरा बार्डर है, रेगिस्तानी बार्डर है; मैं उस सम्भाग और शहर से आता हूं जहां पर खालिस्तान के कैदी रखे गए थे, जहां पर कश्मीर के आंतकवादी रखे गए थे, जहां पर सलमान खान को रखा गया था, जहां पर, राजनेताओं के नाम मैं नहीं लूंगा पर आप परिचित हैं, उन राजनेताओं को रखा गया था। इतना ही नहीं, जब सन् 1965 और 1971 के वार हुए तो सबसे ज्यादा बम जिस स्थान और जिस जेल पर पड़े थे, मैं उसी शहर से आता हूं और उसी सम्बन्ध में निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदया, आपको यह भी जानकारी है कि गत वर्ष जोधपुर में हथियारों का जखीरा पकड़ा गया था। यह तो पुलिस की काबिलियत है कि समय से पहले उनको पकड़ लिया, अदरवाइज तो अंदाज ही नहीं लगाया जा सकता कि जोधपुर शहर और उसके आसपास के कितने गांव समाप्त हो जाते। इन परिस्थितियों में, जेल से सम्बन्धित या कारागार से सम्बन्धित मांग संख्या 17 है, उस पर मैं अपना निवेदन करूंगा।

जेल एक समय में डर का स्थान होता था, भय का स्थान होता था परन्तु धीरे-धीरे समय ने अपनी करवट ली और आजकल कई मुजरिम अपने आपको सुरक्षित करने के लिए जेल में जाते हैं। मैं आपके सामने अभी उसके कारण भी गिनाऊंगा।

(श्री जोगाराम पटेल)

सबसे पहले मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जेल में, जितने भी, हमारे राजस्थान के सात जेल हैं जिनमें से जोधपुर की सेन्ट्रल जेल का अपना एक अलग इतिहास है। चाहे दिल्ली की जेल का इतिहास हो, उससे भी अधिक बढ़कर जोधपुर की सेन्ट्रल जेल का इतिहास है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि चाहे खालिस्तान के खूंखार कैदी हों, चाहे कश्मीर के आतंकवादी हों, या बड़े फिल्म स्टार हों, या बड़े राजनेता हों, वे सभी इसी जेल में रखे गए हैं और इस जेल ने बराबर उनकी सुरक्षा की है। परन्तु धीरे-धीरे उसमें कमी आती रही है और उस कमी के दो-तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है, जेल में दो तरह का विजन होता है, दो तरह का स्टाफ होता है, जेल सुपरवाइजर स्टाफ और गार्ड का स्टाफ। धीरे-धीरे जेल सुपरवाइजर स्टाफ है, उसमें दिनोंदिन कमी आती रही है। अगर राजस्थान लेवल पर लें तो 55 से 56 तक जेल सुपरिंटेंडेंट और उनकी पोस्टें होती हैं, वे धीरे-धीरे 8 और 10 तक सिमट गई हैं। तो सुपरविजन जितना कम होता जा रहा है, उतनी ही उसमें कमियां आ रही हैं। जेल की सुरक्षा में हो, जेल के रखरखाव में हो, आंतकवादियों को रखने में हो, प्रहरियों के निरीक्षण करने में, जेल सुपरविजन का लेवल, मेरा आपसे पहला अनुरोध है, जेल सुपरविजन को जितनी जरूरत हो उसके अनुसार बढ़ाया जाए। जितना अधिक सुपरविजन होगा, उतना ही जेल या कारागार है वह कन्ट्रोल होगा। इसी तरह से जेल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट है, अन्य पोस्ट हैं, सब पोस्टों में कम से कम 30 से लगाकर 40 और 45 तक का स्टाफ कम है। इसलिए मेरा पहला निवेदन यह है कि जेल सुपरविजरी स्टाफ जितना भी है, उनकी पोस्टें की जाएं, उन पोस्ट्स को भरा जाए, उन्हें यह निर्देश दिया जाए कि वह सुपरविजन बराबर करें। सुपरविजन अगर बराबर होगा तो आजकल जेल में जो अपराध हो रहे हैं उनमें कमी आएगी।

दूसरा मैं निवेदन कर रहा हूं, सब लोग यह मानते हैं कि जेल कोई ऐसा स्थान है जहां अपराध करने के बाद कैदी रह रहा है। मेरा इससे अलग मानना है। मेरा अनुभव अपना अनुभव है 35 साल का कि जेल में जाने वाला व्यक्ति है, जिसको हम अपराधी या एक्यूज्ड का रूप दे रहे हैं, वह चाहे अंडरट्रायल है, चाहे कंविक्टेड है, उसके पीछे की मानसिकता क्या रही है, उसके पीछे का कारण क्या रहा है, वह परिस्थिति क्यों आई है, इसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। अगर इसका अध्ययन करेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि नहीं, इसके पीछे जो कारण रहा है, अपराध करने की जो प्रवृति पैदा हुई है, या उस अपराध की जो मां है, उसका पता लगाया जाना चाहिए।

(श्री जोगाराम पटेल)
इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हमारे पास ऐसा स्किल्ड सुपरवाइजरी स्टाफ होना चाहिए जो उस कैदी की मानसिकता को समझ सके।

अपराध करने के लिए मोटे-मोटे रूप में अगर देखेंगे तो दो-तीन ही कारण होते हैं। कुछ तो पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से अपराध करते ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संगत की वजह से करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से अपराध की प्रवृति में चले जाते हैं। एक तरह के अपराधी वे होते हैं, अभाव की वजह से अपराध कर लेते हैं। उनको जिस चीज की जरूरत है, वह चीज उनके पास नहीं है और प्रयास करने के बाद भी वह नहीं मिलती है, तो अपराध प्रवृति के मार्फत वे धीरे-धीरे उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उस चीज में चले जाते हैं। तो इन चीजों की स्टडी की जानी चाहिए। इन तीन चीजों की, या इससे अलग और भी चीजें हो सकती हैं, उनकी हम स्टडी करें। वह कैदी जो हमारे पास आया है, उसको धीरे-धीरे, उस चीज की तरफ उसका मांइड ठीक करें कि आपने इस वजह से किया है, अब भविष्य में नहीं करना चाहिए; आपका यह फलां अभाव रहा है, समाज में बैठेगा, परिवार के साथ बैठेगा तो आपका अभाव कम हो जाएगा; आपकी परिवार की संगत ठीक नहीं है, आप किसी गलत संगत में चले गए हो। तो मेरा पहला मानना यह है कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाना चाहिए। अभाव की वजह से हुआ है, संगत की वजह से अपराध किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे प्रोफेशनल, जो वेल प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। समय समय पर वह हमारे जेल के स्टाफ को भी, सुपरवाइजरी स्टाफ को भी, कैदियों को भी, अगर प्रोफेशनल उनको ट्रेनिंग मिलेगी तो धीरे-धीरे अपराध में कमी आएगी और जेल की सुरक्षा और प्रशासन में भी सुधार होगा।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदया, हमारी जेल की दोनों तरह की अथोरिटी हैं, चाहे वह सुपरविजन अथोरिटी है, चाहे फील्ड में रहने वाली अथोरिटी है, उनको भी टाइम-टू-टाइम ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। उनको किस फील्ड में, कौन से एरिया में जाएंगे, किस तरह के अपराध आ रहे हैं, उस अपराध के पीछे पृष्ठभूमि क्या है, तो वह भी उनको कन्ट्रोल करने में आसानी रहेगी। एक जनरल ट्रेंड कभी अपराध का हो ही नहीं सकता, समय और परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग अपराध होते हैं। किसी अलग प्रदेश में जाओगे तो अलग तरह के अपराध आएंगे, उसकी पृष्ठभूमि अलग होगी; किसी अलग प्रदेश में जाओगे तो अलग तरह के अपराध आएंगे, उसकी पृष्ठभूमि

(श्री जोगाराम पटेल)

अलग होगी; किसी अलग प्रदेश में जाओगे तो अलग तरह के अपराध आएंगे, उसकी पृष्ठभूमि अलग होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी जेल अथोरिटी को भी बराबर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए।

इतना ही नहीं, वर्तमान युग में इस बात की भी ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि जेल पर कन्ट्रोल भी बहुत है, चाहे वह मानवाधिकार का कन्ट्रोल है, चाहे वह सरकार का कन्ट्रोल है, चाहे कोर्ट का कन्ट्रोल है। ये तीनों ही अथोरिटी बारम्बार इसमें निरीक्षण करती हैं, निर्देश देती हैं, जांच करती हैं। इसलिए हमारा नियंत्रण, निगरानी है, उसमें भी कैदियों को किस तरह से रखा जा रहा है, उनको क्या खाना दिया जा रहा है, उनके साथ किसी तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इसको भी देखा जाना चाहिए।

इन जनरल बातों पर यदि हम ध्यान देंगे तो मेरा ऐसा मानना है, कुछ समय के अंतराल के उपरान्त कैदी का माइंड भी ठीक होगा, वह बाहर निकलेगा तो निश्चित रूप से दुबारा ऐसा अपराध नहीं करेगा।

मैं इसके बाद थोड़ा जोधपुर सेन्ट्रल जेल की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदया, हमारा जोधपुर सेन्ट्रल जेल भारत की उन जेलों में से है, जैसा मैंने अभी आपके सामने गिनाए कि इस तरह के अपराधी यहां रहे हैं। उसका अपना इतिहास भी रहा है। ऐसी स्थिति में, वर्तमान में वहां 1,350 कैदी हैं जिनमें से 550 तो कंविक्टेड हैं और 700 के करीब अंडरट्रायल हैं। उसके बावजूद भी जेल सुपरिंटेंडेंट की एक पोस्ट है, वह खाली है; दो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट हैं, दो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पोस्टों में से एक खाली हैं; दो जेलर हैं जिनमें से एक खाली है; चार डिप्टी जेलर हैं जिनमें से तीन खाली हैं; चार असिस्टेंट जेलर हैं जिनमें से दो खाली हैं; 15 हैड हैं उनमें से 10 खाली है; और एक सिपाही, उसमें से बहुत कम नफरी है, वह भी खाली है। तो ऐसी स्थिति में, जेल की जो नफरी है, उस नफरी को भी, हो सकता है, एकदम नफरी नहीं भरी जा सकती है, पर फिर भी मेरा ऐसा निवेदन है, इसी तरह अन्य जेलों में होगी, उस नफरी की पूर्ति की जाना भी बहुत जरूरी है। नफरी की पूर्ति करने के बाद उस जेल अथोरिटी से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वह अब जेल में सुधार करे। जब तक नफरी पूरी नहीं कर दी, उसके अभाव में अपेक्षा करना ठीक नहीं है।

मैं चार सुझाव भी दूंगा। सबसे पहला, आज की तारीख में, सी सी कैमरे का हर माननीय सदस्य ने निवेदन किया है, वह सी सी कैमरा लगना

(श्री जोगाराम पटेल)

जरूरी है। सी सी कैमरे लगने बहुत जरूरी हैं और सी सी कैमरे भी ऐसे लगने जरूरी हैं कि वे हर बैरक में लगें और उनका कन्ट्रोल सीधा जेल सुपरिंटेंडेंट के पास हो। जैसे आजकल प्राइवेट कम्पनीज और मल्टीनेशनल कम्पनीज में होता है, एक स्थान पर बैठा-बैठा पूरे इंस्टिट्यूट को देख लेता है। इसी तरह हमारी जो अथोरिटी है, अगर वह देख ले और छोटी-मोटी गतिविधि वह तुरन्त पहचान ले तो अपराध घटित नहीं होगा।

दूसरा मेरा है, जो जैमर है, वह जैमर जोधपुर में 2जी का लगा था, वह पूर्ण रूप से अनुपयोगी है। 3जी या 4जी का जैमर लगना चाहिए। उसमें यह ध्यान भी रखना जरूरी है, जैसे अभी एक माननीय सदस्य ने बताया था कि 3जी या 4जी का जैमर लगने से आसपास की बस्ती है, उसमें कोई प्राब्लम हो जाएगी। इसलिये हमारा यह भी निवेदन है कि जोधपुर की जो सेण्ट्रल जेल है, वह बिलकुल शहर के बीचों-बीच आ गई है। उसमें ले जाने में भी परेशानी हो रही है। वर्तमान में आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं। चाहे कोई राजनेता हो, या धार्मिक आसाराम बापू जैसे कैदी हों, उनको ले जाने में बहुत सारी दिक्कते हैं। इसलिए इस जेल को जोधपुर के बाहर किसी स्थान पर शिफ्ट किया जावे। यह भी मेरा निवेदन है।

इतना ही नहीं है, वीडियो क्रांफ्रेंस की भी आवश्यकता बहुत जरूरी हो गई है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस कैदी को कोर्ट में ले जावें और उसको सिर्फ ले जाना, लाना ही, इसमें कोई इफेक्टिव हीयरिंग ही नहीं हो, तो उन परिस्थितियों या उन केसेज में सिर्फ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये ही उसकी पेशी हो जानी चाहिए। या बहुत ज्यादा खतरनाक अपराधी है, या प्रशासनिक दृष्टि से या ला एंड आर्डर की दृष्टि से उसको कोर्ट में ले जाना सुविधाजनक नहीं है, या असम्भव है, तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही उसकी पेशी होनी चाहिए, या उसका कोर्ट का ट्रायल होना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है।

महिला जेल जो हमारी बनी हुई है, उस महिला जेल में भी महिलाओं को अलग-अलग रखा जावे। एक मिनट ही लूंगा।

आखिर में, प्रहरियों के वेतन भत्ते, जिनके बारे में सब माननीय सदस्यों ने कहा, मैं उनकी बात को साथ रखते हुए, एक बिन्दु पर आपका ध्यान दिलाऊंगा। आजकल जेल में, मेरा अनुभव है, जेल में जो चौथ-वसूली का कार्य चल रहा है, वह बहुत खतरनाक ढंग से चल रहा है। तीन तरह के अपराधी आते हैं, एक खूंखार अपराधी आता है, एक सिविल नेचर का अपराधी

(श्री जोगाराम पटेल)

आता है, एक फेमिली डिस्प्यूट का अपराधी आता है, एक प्रापर्टी डिस्प्यूट का अपराधी आता है। जो सिविल नेचर के केसेज हैं, और जो खूंखार अपराधी आते हैं, उनसे रोज वे चौथ-वसूली लेते हैं। जेल के अन्दर बैठे-बैठे बहुत बड़ा-बड़ा धंधा करते हैं। वे जेल के अन्दर ही रहना चाहते हैं वे बाहर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि जेल के अन्दर जो उनकी कमाई हो रही है, वह बाहर जाकर इतनी कमाई नहीं हो सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में भी गम्भीरता से विचार कर इसका भी निराकरण करना चाहिए।

श्री सभापति: सम-अप करें, माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): भू-माफिया हो, बजरी माफिया हो, शराब माफिया हो, नकल माफिया हो, डोडा-अफीम माफिया हो, हथियारों के माफिया हों, इन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 और 17 के विचार, पारण और माननीय मंत्री महोदय के उत्तर तक समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय माननीय मंत्रीजी के उत्तर आने तक बढ़ाया जाए, आप सब इसमें सहमत हैं?

(स्वीकृत)

मांग पारित होने तक समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री शुभकरणजी चौधरी। श्री शुभकरणजी चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री मदनजी राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदया, मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा चल रही है। इसमें कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त

(श्री मदन राठौड़)

किये हैं। पुलिस का सबसे बड़ा मोटो है, अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, लेकिन अपराधियों में भय कैसे रहेगा? जब तक ये जो जन-प्रतिनिधि हैं, वे भी अपराधियों का संरक्षण करना बंद करें तो अपराधियों में भय रहेगा। यदि जन-प्रतिनिधि भी अपराधियों को संरक्षण देना शुरू कर देवें तो मैं समझता हूं कि अपराधियों में भय नहीं रहेगा। जैसे, अभी सुबह भी चर्चा चली थी, मैं उसी विषय पर थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूंगा। उसके बाद मैं इस मांग पर विचार रखूंगा।

सभापति महोदया, ऐसे जघन्य अपराधियों को यदि साथ में लेकर जन-प्रतिनिधि घूमते रहेंगे तो मैं सोचता हूं कि अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। केवल यहीं की बात नहीं है, और भी कई स्थानों पर इस प्रकार की स्थिति बनी है। ...(व्यवधान) आप तो बैठे रहो, धरना दो। मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं कि अभी एक ऐसा अपराधी जो नोखा के अन्दर, जिसने मूंगफली ढुलाई का काम किया, मूंगफली ढुलाई का ठेका लिया और 4,972 बोरियां जिसने गायब कर दीं; सहकारी समिति से जिसने ठेका लिया, व्यवस्थापक ने मुकदमा दर्ज कराया है। अभी की ही बात है, नोखा में। ऐसे अपराधियों को भी जो संरक्षण देते हैं, मैं सोचता हूं कि यह अपराधियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से जन-प्रतिनिधियों को भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान) क्या? कहना क्या चाहते हो आप?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप चेअर को एड्रेस करिये। आप अपनी बात कंटिन्यू रखिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदया, ये कितनी भी धमकाने की कोशिश करें, इनकी धमकी में मैं आने वाला नहीं हूं।

श्री सभापति: आप तो चेअर को एड्रेस करते हुए अपना वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इन लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, आप जैसों को, कइयों को सीधा हमने किया है। आप जैसे कई आये और गये। ऐसे ही चलते रहेंगे। आप जैसों को सीधा करने का काम हमारा है। (व्यवधान) आप इस बात में कतई परवाह नहीं करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप चेअर को एड्रेस करके बोलिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे अभी जेल की घटना ताजा है। जेल के अन्दर लगभग, राजस्थान की जेलों में लगभग बीस हजार कैदी हैं। उनमें से लगभग तेरह हजार तो ऐसे हैं जो अण्डर-ट्रायल हैं, लगभग सात हजार हैं जिनको सज़ा हो चुकी है, जिनको सज़ा दी जा चुकी है। इनमें से भी कुछ ऐसे हैं, जिनको जघन्य अपराधों में सज़ा मिली है, कुछ ऐसे हैं जिनको सामान्य अपराधों में सज़ा मिली है। जघन्य अपराधों में जिनको सज़ा मिली है, उनको अलग से रखने की व्यवस्था होनी चाहिए और उनको प्रत्येक को सेपरेट रखा जाए ताकि वे इस तरह की घटना, षड्यंत्र वहां कामयाब नहीं हो सकें। षड्यंत्र करने में जो कामयाब नहीं हो सकें, इस प्रकार की व्यवस्था अलग से इनके लिए की जानी चाहिए। सामान्य अपराधों में जिनको सज़ा मिली है, उनको अलग से रखे जाने की व्यवस्था, यह की जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए।

जैसे जो जघन्य अपराधी हैं, उनको नियमित रूप से पेशी पर लाएंगे तो बहुत बड़ी व्यवस्था पुलिस की उनको करनी पड़ती है, बहुत सुरक्षा की व्यवस्था उनके लिए करनी पड़ती है। इसलिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उनकी पेशी करवा दी जानी चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान, हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने अभी हाल ही के बजट में यह प्रावधान किया है ताकि इस प्रकार की व्यवस्था की जा सके। जघन्य अपराधियों को पेशी पर ले जाएं और वे कहीं फरार भी हो जाते हैं, कई ऐसी चीजें, सामग्री साथ में ले करके जेल में आ जाते हैं। तो इससे बचाया जा सकेगा। उनको वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये से पेशी करवाने की व्यवस्था इसमें की जानी चाहिए।

सभापति महोदया, जो ड्यूटी पर जाते हैं, उनको अपडेट रखना चाहिए। यह व्यवस्था अब निश्चित रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। जेलों में जो अपराधी हैं, उनको अलग से कैसे रखा जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रावधान है। सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की, यह प्रावधान अभी राजस्थान के इस बजट में हमारी सरकार ने रखा है।

सभापति महोदया, 4जी सेल्यूलर जैमर्स की जो बात की गई है, यदि 4जी का, जैसे अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, इसका यदि आस-पास के लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ता हो तो एक और प्रावधान किया है कि शहर के अन्दर जो जेलें हैं, उन जेलों को बाहर शिफ्ट किया जाना चाहिए। शहर के अन्दर जो जेलें हैं, उनको बाहर शिफ्ट करने का प्रावधान इस बार और रखा है।

(श्री मदन राठौड़)

सभापति महोदया, पुलिस बल सक्षम होना चाहिए। अपराधी बहुत सक्षम हैं। क्योंकि ऐसे-ऐसे लोग जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, बड़े-बड़े अपराध करते हैं, उनको भी संरक्षण देते हैं, उनके पास में साधन हैं, लेटेस्ट टेक्नोलोजी उनके पास में है, तो निश्चित रूप से हमारी पुलिस के पास में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अभी राजस्थान की श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने इस प्रकार का प्रावधान किया है और हमारी पुलिस को भी सक्षम करने का प्रयास किया। उनके पास में साधन हों, उनकी गाड़ियां हों, उनके पास में भी और आधुनिक सुविधाएं हों।

जैसे अभी क्राइम्स बढ़ रहे हैं, क्राइम्स ऐसे बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो साइबर क्राइम का प्रशिक्षण हमारे पुलिस के कर्मचारियों को दिलवाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से, यह जो क्रिमिनोलोजी है, उसकी शिक्षा भी पुलिस-कर्मियों को दी जानी चाहिए। यही नहीं, फोरेंसिक साइंस की ये जो लेबोरेटरीज हैं, उनको और मजबूत किया जाना चाहिए, उनको सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी परिणाम आ सकें और दोषियों को सज़ा दिलवाई जा सके। साइकोलोजी का भी और अध्ययन करवाना चाहिए। यही नहीं, जेंडर एजुकेशन, यह भी पुलिस-कर्मियों को करवाने की जरूरत है।

पोलिटिकल साइंस का, यह भी बहुत जरूरी है। आजकल, इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं, जो पोलिटिक्स से, किसी भी प्रकार से पोलिटिक्स में आ गये, ये जो सामने धरने पर विराजमान हैं, तो पोलिटिकल साइंस में ये पुलिस-कर्मी पढ़ सकें, समझ सकें कि कौन किस प्रकार का संरक्षण दे रहा है।

चेहरा पढ़ने की, एक इनका जैसे होता है कि अपराधी सामने आता है, तो पुलिस-कर्मी यदि प्रशिक्षित हो तो उसका चेहरा पढ़कर बता देगा कि किस प्रकार का यह संरक्षण दे रहा है, किस प्रकार का यह अपराधी है; झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। इसकी जांच करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

पोलीग्राफ सेंटर, हमारे यह जो विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं, उनमें भी इस प्रकार का प्रावधान करने का इस बार इस बजट में रखा है।

माननीय सभापति महोदया, पूर्व सरकार ने बहुत मजाक किया हमारे साथ में। आपको तो पता है कि महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने हेल्पलाइन, यह टोल-फ्री का प्रावधान रखा था, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। शून्य काम किया है। उसमें आगे नहीं बढ़े। ऐसा कोई काम ये कर नहीं पाये। ग्राम रक्षक दल,

(श्री मदन राठौड़)

यह 9 हजार का बोला था, 9-10 हजार करेंगे, कुछ भी नहीं किया। इसी प्रकार से, स्टूडेंट और पुलिस कैडर की स्कीम बनाने की इन्होंने बात कही थी, लेकिन किया नहीं। ऐसे ही, वाहन देने की बात इन्होंने की, वह भी नहीं की।

नफरी की बात, इन्होंने घोषणा की थी अपने 2011-12 के बजट में कि हम प्रत्येक शहरी थानों में 60 की नफरी करेंगे, आज कल्पना करें कि 60 की छोड़कर, मेरे यहां पर 20 की नफरी नहीं है सुमेरपुर में। यह इनकी स्थिति है। यह ग्रामीण थानों में भी इन्होंने इस प्रकार का प्रावधान करने के लिए कहा था।

आई.पी.एस. के 23 पद खाली हैं। माननीय सभापति महोदया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उप अधीक्षक के 200, पुलिस निरीक्षक के 499, यह 01 जनवरी, 2014 की बात मैं आपको बता रहा हूं जो इन्होंने यह बताया है, इनके पास में सहायक उप निरीक्षक के 2,015 पद खाली हैं, हैड कांस्टेबल के 11,863 पद खाली हैं। अब ये किस प्रकार से सोचते थे कि हम पुलिस की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे, पुलिस को मजबूत करेंगे? यह मैं नहीं समझ पाया।

माननीय सभापति महोदया, कई प्रकार के ऐसे अपराध हैं जैसे धारा 498-ए, ये अपराध, यह थोड़ा समाज में हमारे इन लोगों को, जो यह कुत्सित मानसिकता के जन-प्रतिनिधि बन गये हैं, इनको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार का ये संरक्षण दे रहे हैं। आजकल ऐसे जो अपराध आ रहे हैं तो अधिकांश समय पुलिस का उनमें लगता है, 498-ए में लगता है। माननीय सभापति महोदया, कई अपहरण की बातें आती हैं। कई झूठे मुकदमे भी होते हैं, कई सही मुकदमे भी होते हैं। तो यह जो बात है, इसमें काफी समय पुलिस का लग जाता है।

मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आजकल अधिकांश मुकदमे आ रहे हैं कि महिलाओं का अपहरण हो गया, लड़कियों का अपहरण हो गया। तो अभी कांग्रेस सरकार ने, मैं कहूंगा, आपको शर्म आएगी जब आप सुनेंगे तो, कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार ने एक ऐसा कानून बनाने का, अध्यादेश के जरिये, अध्यादेश लेकर आये थे और अध्यादेश क्या था, 16 साल की लड़की किसी के साथ घूमने जा सकती है। कितनी शर्मनाक बात थी। शादी की उम्र 18 साल तय है, लेकिन अध्यादेश लेकर आये। अध्यादेश छह महीने तक रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पत्रकारों को भी, समाचार-पत्रों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी आवाज को उन्होंने बुलंद किया और इस अध्यादेश को

(श्री मदन राठौड़)

कानून नहीं बनने दिया। हिन्दुस्तान की संसद में वह कानून नहीं बन पाया। लेकिन यह कितने, हो सकता है कि यह पाश्चात्य देशों में होता होगा, इटली में होता होगा, हमारे हिन्दुस्तान का आम नागरिक इसको कतई बरदाश्त नहीं कर सकता। यह देखिये तो सही कि किस प्रकार की मानसिकता इनकी है। घटिया कानून ये लाने का प्रयास कर रहे थे। शादी की उम्र बढ़ाने का, शादी की उम्र को कम करने का प्रावधान यह केन्द्र सरकार में करते, तब तो फिर भी समझ में आता था कि यह 16 वर्ष करते; यह समझ में आ सकता था, लेकिन आप तो 16 वर्ष की लड़की को घूमने की इजाजत दे रहे हो। यह आपकी कोई संस्कृति में पता नहीं चलता होगा, हमारी भारतीय संस्कृति में इस प्रकार का कतई बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

माननीय सभापति महोदया, आज रोज एक्सिडेंट्स हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं। इसका एक मात्र कारण, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी स्टीयरिंग हाथ में पकड़ लेता है, वह ड्राइवर बन जाता है। यह अंग्रेजों के जमाने का कानून है। अंग्रेजों के पास में इस प्रकार के वाहन हुआ करते थे। उस समय हिन्दुस्तान के नागरिकों के पास में गाड़ियां नहीं थीं, कारें नहीं थीं और हिन्दुस्तान के नागरिक उनकी टक्करों से, उनके सामने आ जाते थे, अंग्रेजों की गाड़ियों से कुचले जाते थे। तो वे अंग्रेज ड्राइवर फंसे नहीं, इसलिए धारा 304-ए का प्रावधान किया। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस धारा में बदलाव लाना चाहिए। आप कल्पना करें कि कोई भी ड्राइवर किसी भी आदमी को, या जैसे मैंने सदन में बोला, यह डोटासराजी के, नहीं, यह क्या नाम है, ये नेता प्रतिपक्ष, डूडी साहब के जंच जाए और मैं बाहर निकलूं और ये कार लेकर आयें और मुझे एक्सिडेंट करके मार दें। तो मेरी लाश तो बाद में पहुंचेगी, ये जमानत करवाकर पहले घर पहुंच जाएंगे। यह इस प्रकार का प्रावधान जो किया है, मैं सोचता हूं कि इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। धारा 304-ए में सज़ा दिलवाने का यह प्रावधान निश्चित रूप से होना चाहिए। जो घायल व्यक्ति है, या जो मर गया, तो उसका पोस्टमार्टम होकर डैड बाडी घर पहुंचेगी, उससे पहले वह ड्राइवर अपनी जमानत करवाकर, क्योंकि थाने में ही जमानत हो जाती है। इस प्रावधान में परिवर्तन करवाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदया, ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, ये अपहरण की जो घटनाएं हो रही हैं, ...

श्री सभापति: आप थोड़ा जल्दी समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं शार्ट में निवेदन करूं। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, मैंने अभी समाचार-पत्रों की प्रशंसा भी की लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा कि समाचार पत्रों में जो घटिया विज्ञापन आते हैं, किस प्रकार के विज्ञापन आते हैं, आप कुर्सी पर बैठी हैं, यदि कोई दूसरा होता तो मैं बताता कि ऐसे विज्ञापन घटिया आ रहे हैं कि हम अख़बार को छुपाते हैं। छुपाना पड़ता है कि कहीं बच्चे देख नहीं लें। अब इस प्रकार के घटिया विज्ञापन समाचार-पत्रों में छपेंगे तो क्या होगा? नई पीढ़ी को किस प्रकार के संस्कार मिलेंगे? यह विचार करने की जरूरत है। कोई पैसा कमाना आवश्यक नहीं है, समाज को संस्कार देना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से घटिया विज्ञापनों पर अंकुश लगाने का कोई प्रावधान आप यदि कर सकें, मंत्री महोदय, मैं माननीय सभापति महोदया के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा। किस प्रकार के, कोई बढ़ाना, घटाना, पता नहीं, किस-किस प्रकार के और घटिया विज्ञापन समाचार-पत्रों में आ रहे हैं। इस पर जरूर चिंता करने की आवश्यकता है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदया, हम अपने बच्चों को जिस प्रकार के संस्कार देते हैं, उनको कैसे कपड़े पहनाते हैं, यह नई पीढ़ी को भी हम कैसे तैयार कर रहे हैं, आप विचार करें। एक पौधा तैयार हो रहा है, ऊपर कोई चट्टान आ गयी तो वह पौधा मुड़ कर चला जाएगा; ऊपर दूसरी चट्टान आ गयी तो वह पौधा फिर से मुड़ कर चला जाएगा। यदि वह मुड़ा हुआ पेड़ बन गया तो उसको सीधा करना बहुत ही मुश्किल है। माननीय सभापति महोदया, वह टूट जाएगा, सीधा नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नई पीढ़ी को, नए बच्चों को हम किस प्रकार से संस्कारित करना चाहते हैं, इसके बारे में समाज को भी सुसंस्कृत करने की जरूरत है। नई पीढ़ी को कैसे कपड़े पहनाते हैं, कैसे उनको रखते हैं ताकि आगे जाकर वे भी एक संस्कारवान नागरिक बन सकें, इस प्रकार का प्रावधान करें, और समाज को हम यह देना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार थी 2003 से 2008 तक, कई माननीय सदस्य उसके गवाह हैं कि हमने हिन्दुस्तान में जो पुलिस का माडल एक्ट है, उसको हमने सबसे पहले यहां पर बनाकर दिया। अभी जो आदरणीय मंत्रीजी विराजमान हैं, ये उस समय उस कमेटी के भी अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस प्रकार

(श्री मदन राठौड़)

का प्रावधान तैयार करके दिया, माडल एक्ट तैयार किया। उसी की नकल और कई प्रांत कर रहे हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है कि हमने बहुत कुछ करके दिया।

एक और बहुत बढ़िया बात थी, आपने की, मंत्री महोदय, केस आफिसर स्कीम आपने लागू की। कोई भी बड़ा अपराध होता है, जघन्य अपराध होता है तो उसमें आपने किसी आफिसर की ड्यूटी तय कर दी कि वह उसको सज़ा दिलाने तक, पेशी पर भी, और निगरानी रखेगा कि जो गवाह है वह सरेंडर नहीं हो जाए, होस्टाइल नहीं हो जाए। इस प्रकार का प्रावधान आपने केस आफिसर स्कीम का जो लागू किया, मैं कहना चाहूंगा और आपको इसके बारे में धन्यवाद देना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूं कि आज कई प्रकार के अपराध होते हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बहुत सारे लोगों को बोलना है। सभी सदस्य ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने, कोई बात नहीं, जितना समय दिया, लेकिन इनको कई ऐसे साधनों से सुसज्जित किया जाना चाहिए, पूरा यह सेट इनको देने की जरूरत है। सीमा पर कई गतिविधियां होती हैं, कई ऐसे जो नकली नोट लेकर आते हैं हिन्दुस्तान में, इन पर भी अंकुश किस प्रकार से लगाया जा सके, जासूसी के प्रकरण हैं, उन पर भी अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए भी इनको साधन देना चाहिए, सुसज्जित करना चाहिए और ट्रेनिंग देनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बंशीधरजी खण्डेला। उपस्थित नहीं।

श्री बंशीधर (खण्डेला)

(अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्रजी पारीक।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, हंगामा व शोरगुल जारी)

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय सभापति महोदया, आज पुलिस और कारागार की मांग पर विचार-विमर्श में अपने आपको शामिल करते

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

हुए, सबसे पहले तो मैं हमारी राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जिस जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार का विश्वास जनता को दिलाया था, उसमें वे खरी उतरी हैं। आज प्रत्येक शहर और गांव में हर आदमी इस सुशासन से खुश है और वसुन्धराजी के राज से भी खुश हुआ है। पिछले पांच साल के दौरान जिस प्रकार से प्रदेश के अन्दर कानून और व्यवस्था रही थी, उससे जनता में जिस प्रकार का रोष था, वह धीरे-धीरे कम होने लगा है।

राजस्थान एक ऐसा प्रदेश रहा है जिसकी पूरे देश भर में जब भी कहीं पर भी चर्चा होती थी कि सबसे शांतिप्रिय प्रदेश कौनसा है, तो चर्चा होती थी कि राजस्थान है। जब कहीं भी अन्य प्रदेशों में, चाहे आसाम में हो, चाहे बंगाल में हो, जब भी कोई उपद्रव हुए, जब भी कोई ज्यादतियां हुईं, जब दंगे हुए और वहां से लोग सुरक्षित स्थान पर जाने की सोचते थे तो वे सोचते थे कि राजस्थान में चल कर बसो, जयपुर में चल कर बसो। लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों में जिस प्रकार के अपराध जयपुर में बढ़ने लगे हैं, उससे यहां भी अशांति का वातावरण पैदा हुआ है। उसका कारण, कुछ तो पड़ोस के प्रदेशों से लोगों का यहां आकर अपराध करके चले जाना, कुछ बांग्लादेश से जो लोग यहां आकर बसे, वे भी अपराध में काफी लिप्त रहे हैं। इस बात के अखबारों में भी काफी समाचार छपे हैं, बांग्लादेशियों के रात की गाड़ियों से यहां आने का भी समाचार अख़बार में छपा लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाने के कारण आज काफी सारे बांग्लादेशी यहां बसे हुए हैं और अपराध में लिप्त हैं।

आज जिस प्रकार के अपराध यहां घटित हो रहे हैं, जिस प्रकार के अपराधियों के पास हथियार हैं, आज पुलिस प्रशासन को उसी प्रकार के हथियारों को देने की जरूरत है।

पुलिस प्रशासन के पास जो सूचना का तंत्र है, जब तक वह विकसित नहीं होगा, तब तक अपराध पर नियत्रंण होना भी बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार पुलिस प्रशासन के पास जो इनके सूचना का तंत्र है, उसको विकसित करने के लिए जो भी सहायता की आवश्यकता है, वह भी इन्हें प्रदान की जाए।

दूसरी तरफ, एक बात रोज आती है कि पुलिस में जितने भी आवश्यक अधिकारियों की कमी है, पुलिस के स्टाफ की कमी है। अभी जैसा

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

मदन सिंहजी बता रहे थे कि 11-12 हजार पुलिस में कांस्टेबल, इंस्पेक्टरों, लिपिकों की कमी है, उन सबकी शीघ्र भर्ती कराई जाकर इस कमी को पूरा किया जाना चाहिये, ताकि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक ढंग से चल सके।

जयपुर में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसका मेन कारण मैं मानता हूं कि पुलिस के थानों में जो कमी है, पुलिस में लोगों की कमी है, उसकी वजह से पुलिस प्रशासन सब जगह सब कार्यवाही नहीं कर पाता। आज जितने भी सार्वजनिक स्थान बने हुए हैं, वहां पुलिस को निश्चित रूप से अपनी गश्त बढ़ानी चाहिये, ताकि वहां पर आमजन आसानी से सुविधापूर्वक उन स्थानों पर जा सके और वहां का उपयोग कर सके। आज जैसे गोविन्द देवजी का मंदिर, जय निवास उद्यान, पौण्डरिक उद्यान, तालकटोरा, जलमहल, आदि जगहों पर कोई भी परिवार सहित जाने में झिझकता है। उसका कारण, वहां समाजकंटकों का इकट्ठा रहना, उनके द्वारा फब्तियां कसना और उनके आने-जाने में दिक्कत पहुंचाना है। (व्यवधान) खासाकोठी की करनी है न।

श्री सभापति: आप अपनी बात कंटिन्यू रखें।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय सभापति महोदया, जब तक समाज में सामाजिक सुरक्षा आश्वस्त नहीं होगी, तब तक एक गरीब व्यक्ति अपनी झोंपड़ी में सोता हुआ अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेगा। इसलिये पुलिस को अपने व्यवहार में अन्तर लाना पड़ेगा, पुलिस को यह तय करना पड़ेगा कि आमजन और पीड़ितजन के साथ उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है और एक किसी अपराधी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। कई बार यह देखने को मिलता है कि अपराधी पुलिस के थानों में बैठे रहते हैं। तो उससे जो मेसेज पब्लिक में जाता है, उससे लगता है कि मेरी यहां कोई सुनवाई नहीं होगी। हालांकि हर थाने के अन्दर एक विज्ञापन लिखा हुआ मिलता है- 'आम जन में विश्वास और अपराधी में डर', लेकिन जब व्यावहारिकता में हम देखते हैं तो इससे बिलकुल उलटा मिलता है। यह बात पुलिस के डी.जी. साहब ने भी महसूस की है और उन्होंने एक आदेश भी निकाला है कि थानों के अन्दर आम जन के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो। इसलिए पुलिस को अपना व्यवहार सुधारना चाहिये जिससे कि आम जन आसानी से थाने में जाकर अपनी जो भी बात कहनी हो, वह कह सकें। जब पब्लिक को यह महसूस होने लग जाएगा कि जो पुलिस वाला खड़ा है, यह मेरी रक्षा के लिए है, तो उसमें एक विश्वास पैदा होगा और अपराधी को उसको

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

देखकर डर लगेगा, तो पुलिस प्रशासन की सही स्थिति में काम करने की दशा पैदा होगी। पुलिस का जिस प्रकार का रोल रहता है, उसका सब राज्य सरकार के ऊपर इंगित होता है। पुलिस जिस प्रकार का काम करती है, अगर पुलिस प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसका सरकार पर भी असर पड़ता है।

मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से आज पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनको देना चाहूंगा। एक तो कई बार यह देखने को मिलता है कि ट्रैफिक पुलिस, एक तो एक तरफ तो इनके पास पेट्रोल की कमी है, दूसरा, जो स्टाफ लगा हुआ है, वह बजाय अपना, जो काम उसको मिला हुआ है, वह करने के बजाय और कामों में व्यस्त हो जाता है। आज यातायात पुलिस के पास जो यातायात व्यवस्था ठीक करने का काम है, उसका उस काम में ध्यान कम और चालान करने में ध्यान ज्यादा रहता है। आप किसी चौराहे पर चले जाओ, वहां ट्रैफिक जाम रहता है और वे दोनों कोने में खड़े हुए कहीं न कहीं चालान करते हुए मिलते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि जहां कहीं जेब्रा लाइन बना दी कि पब्लिक यहां से क्रोस करेगी, लेकिन पब्लिक वहां से क्रोस नहीं करती, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है उसको। जब ट्रैफिक छूटता है, जब लोग वहां से क्रोस करते मिलते हैं और ट्रैफिक बाधित होता रहता है। जो पुलिस वाले वहां लगे हुए हैं, वे कहीं न कहीं चालान की व्यवस्था करते रहते हैं।

इसी प्रकार, थानों में भी चेतक गाड़ियां सरकार ने दी हुई हैं। अगर वे चेतक गाड़ी घूमती रहेंगी तो उससे अपराध में भी कमी आएगी और लोगों में भय भी पैदा होगा। लेकिन वह चेतक गाड़ी वाले भी कहीं न कहीं कोने पर लगाकर चालान करने का काम करते रहते हैं।

इसलिए पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि जो चालान की प्रथा है, यह चालान की प्रथा बंद करके, जो काम पुलिस का है, उस काम में पुलिस लगे तो ज्यादा ठीक होगा। कई बार हेलमेट लगाकर आते हैं, तो उनको भी वे रोकेंगे और रोककर, उससे पूछताछ करके उसका कोई न कोई चालान करने का काम पुलिस वाले करते रहते हैं। (व्यवधान)

इसलिए, माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को निवेदन करूंगा कि एक बार यह चालान की प्रथा कम कराकर, जो भी काम पुलिस के जिम्मे है, उसमें लगायें। दूसरा, आम जन के प्रति जो पुलिस का व्यवहार होना चाहिये, उस व्यवहार में सुधार होना चाहिये। अगर ये

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

दोनों-तीनों बातें होंगी तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन का काम भी ठीक होगा और जनता की भावना ठीक होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं।

आज सुबह से ही पुलिस की व्यवस्था को लेकर चर्चा होती रही। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और पुलिस व्यवस्था को लेकर ही माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभी अपने साथियों के साथ यहां बैठे हैं। मैं बताना चाहूंगा, पांच साल कांग्रेस का राज रहा, तब राजस्थान की जैसी दुर्दशा हुई और जिस तरह से पुलिस का मनोबल गिरा और जैसी-जैसी घटनाएं राजस्थान में हुईं, उससे राजस्थान का सिर देश में झुका है। चाहे चेचट में थाने के अन्दर महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या हो, चाहे राजस्थान पुलिस के सी.आई. फूल मोहम्मद को भीड़ द्वारा पुलिस के जाप्ते के बीच में जला दिया जाए, चाहे गोपालगढ़ की घटना हुई हो। बहुचर्चित भंवरी कांड भी राजस्थान में कांग्रेस के राज में हुआ और पूर्व मंत्री खाद्य आपूर्ति मंत्री भी एक स्कैण्डल में जेल में गये। तब उस समय भी कांग्रेस का राज था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सुन तो लो। सुनने में क्या दिक्कत है?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अगर आपको सुनना है तो जरा ..(व्यवधान)

श्री सभापति: आपको उनके जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप चेयर को एड्रेस करके अपनी बात कहते रहिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मैं अलवर जिले की चर्चा करना चाहूंगा। आपका राज रहा, कांग्रेस के राज में अलवर को तो बारूद के ढेर पर पहुंचा दिया था। बहुत सारी घटनाएं अलवर में हुईं। पालपुर तिजारा में गांव पड़ता है, अपराधियों का गढ़ बन गया। अलवर जिले के आठ थानों की पुलिस उस गांव में पिटी, लगभग 4 थानेदार वहां पर घायल हुए। इसी तरह से, फुलावास में हरियाणा पुलिस की आठ थानों की पुलिस मय जाप्ते के, मय हथियार फुलावास में आई। वहां के अपराधियों के हौसले इतने बढ़े थे कांग्रेस के राज में, कि हरियाणा के सारे पुलिस के अधिकारियों और पुलिस वालों को

(श्री रामहेत सिंह यादव)

उठाकर बंदी बना लिया। कांग्रेस ने वोटों के लालच में, उनके वोट खराब नहीं हो जाएं, पुलिस को बंदी बनाने वाले, हथियार खोंसने वाले अपराधियों के खिलाफ एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं की। उसी का कारण था कि अलवर जिले में गत पांच वर्ष में 100 से अधिक बार पुलिस के कर्मचारी पिटे। अपराधियों के हौसले बुलंद थे।

यही नहीं, खनन माफिया, शराब माफिया, नकली पेट्रोल, नकली दूध, नकली घी, नकली सोना, यह सब कांग्रेस के राज में हुआ और गौ-तस्करी का तो लाइसेंस अपराधियों को दे रखा था कांग्रेस के राज में। जब से माननीय वसुन्धराजी का राज बना, राजस्थान में पुलिस की व्यवस्था को ठीक किया।

अलवर में भी पुलिस की व्यवस्था ठीक हुई है। लेकिन मैं दूसरे पहलू पर भी बताना चाहता हूं, अपराध पर अंकुश लगा है, अपराध कम नहीं हुए। आज अलवर जिले के हालात हैं, वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। पहले पुलिस पिटती थी, अपराधियों पर अब पुलिस प्रहार करती है तो कांग्रेस के माननीय लोगों को चिंता होती है। ये उनको, अपराधियों को अपना वोट समझते हैं, संरक्षण देते आये हैं। लेकिन हमको विचार करना होगा, विशेषकर अलवर जिला, सोता नाला से लेकर गोविन्दगढ़ तक, लगभग 150 किलोमीटर अलवर जिले की सीमा हरियाणा से लगती हुई है। हरियाणा से दारू की तस्करी होती है, हरियाणा से गौ-तस्करी होती है, हरियाणा से नकली नोटों की तस्करी होती है, अवैध खनन में भी हरियाणा राजस्थान को प्रभावित करता है, उसके लिए माकूल व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमको चिंता करनी पड़ेगी कि जो भी सीमावर्ती, बार्डर के जिले हैं, उनमें क्या फोर्स पर्याप्त है, पुलिस की व्यवस्था माकूल है?

मैं अलवर जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, लगभग पुलिस के 700 पद रिक्त हैं और जितने भी सीमावर्ती थाने हैं, उनमें जितने पद हैं उससे आधे पद रिक्त हैं। इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यही नहीं, अलवर जिले में जो पुलिस की व्यवस्था है वह बहुत पुरानी है, उसको पुनर्गठित करना पड़ेगा। जब 14-15 थाने होते थे उस समय की यह व्यवस्था है, आज 38 थाने हैं पुलिस के, दो आबकारी के हैं, दो बिजली विभाग के हैं, इस तरह से 42 थाने हैं। उसमें इतना बड़ा पुलिस का बेड़ा होने के बाद भी, उसका ज्योग्राफिकली क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें कानून-व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि अलवर में अलग से एक भिवाड़ी में पुलिस अधीक्षक की व्यवस्था हो और उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें हमारे बानसूर को, बहरोड़ को, मुण्डावर

(श्री रामहेत सिंह यादव)

को, तिजारा को, किशनगढ़ को, कोटकासिम को जोड़ा जाए। उन सर्कलों को भी अलग से बनाया जाए।

जिस तरह से आज की डेट में पुलिस चौकियां हैं, उनमें एक-एक, दो-दो सिपाही हैं, उसके पास डण्डा है। वह पर्याप्त नहीं है। जिस तरह के संसाधन हैं, चाहे गौ-तस्कर हों, चाहे भू-माफिया हों, चाहे हार्ड-कोर क्रिमिनल हों, जो भी अपराध करने आता है उसके पास इतने अच्छे संसाधन होते हैं कि हमारे यहां अपराध करके वह 15 मिनट में हरियाणा सीमा को क्रास कर जाता है, राजस्थान बार्डर पार कर जाता है। उसी हिसाब के साधन चाहिए, उसी हिसाब की नफरी चाहिए। एक बात और है कि पुलिस का मनोबल कांग्रेस के राज में गिरा है, इसलिए उसी तरह के अत्याधुनिक हथियारों की भी आवश्यकता है।

मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहां भिवाड़ी-अलवर रोड पर रोज जो घटनाएं होती थीं, उन पर तो, सभापति महोदया, अंकुश लगा है लेकिन चोरियों का ग्राफ अभी कम नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र की बताऊं, पालपुर, फतियाबाद, रायपुर जाटान, किशनगढ़, खैरथल, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां दर्जनों चोरियां अभी भी हुई हैं और उसमें पुलिस की नफरी कम होने की वजह से पुलिस उनमें कामयाब नहीं हुई है। इसलिए पुलिस की व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो पद हैं, उनको भरा जाए और जो बार्डर के थाने हैं, वहां पर और अधिक पुलिस व्यवस्था करनी पड़ेगी, पद और सृजित करने पड़ेंगे।

इसी तरह से, अगर भिवाड़ी एस.पी. आफिस होता है तो उसमें दो सी.ओ., इसी तरह से तिजारा और भिवाड़ी, दोनों में, जो तिजारा विधान सभा क्षेत्र में पड़ते हैं, और कोटकासिम और किशनगढ़ बास है, वे किशनगढ़ बास विधान सभा में पड़ते हैं, उनकी जो क्राइम की नेचर है, अपराधी हैं, आवागमन के जो रास्ते हैं, वे सेम, एक ही नेचर से, एक ही दिशा से अपराधी आते हैं। तो अगर उनका सी.ओ. एक हो, उनका एडिशनल एक हो, उनका एस.पी. एक हो, उनकी मानिटरिंग व्यवस्थित रूप से हो, तो सीमावर्ती क्षेत्र से जो अपराध होता है उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा।

अलवर में जिस तरह से अवैध खनन होता है, खुले रूप से अवैध खनन और यह मेरी मान्यता नहीं, आम जनता की मान्यता है। माइन्स विभाग और वन विभाग के पास कोई व्यवस्था नहीं है और वह सारा ले-देकर पुलिस के ऊपर आता है कि जो अवैध खनन होता है, वह बगैर पुलिस की शह के, बगैर पुलिस के संरक्षण से नहीं हो सकता। जिस तरह से कांग्रेस के राज

(श्री रामहेत सिंह यादव)

में तीन-तीन हजार ट्रक पर-डे अवैध खनन होता था, चूंकि फोरेस्ट का गार्ड है, फोरेस्ट का रेंजर है, फोरेस्टर है, या ए.सी.एफ. है, उसके पास मैनपावर नहीं है और इसी तरह से माइन्स विभाग के पास भी मैनपावर नहीं है, अल्टिमेटली जब तक पुलिस से सहायता मांगते हैं तब तक तो वे एकाध फोरेस्ट के कर्मचारी को या माइन्स के कर्मचारी को पीट-कूट कर उस साधन को लेकर चले जाते हैं। कई बार पुलिस पीछा करती है लेकिन हाथ नहीं आते।

इसी तरह से गौ-तस्करी का मामला है, गौ-तस्करी के मामले में हमारे अलवर में बहुत ज्यादा घटनाएं होती हैं। वे जिस तरह का हथियार काम में लेते हैं, जिस तरह के साधन होते हैं, उनकी स्पीड जिस तरह से होती है, उस पर पुलिस कुछ नहीं कर पाती।

मैं इस समय एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में टोल टैक्स वालों ने गौ तस्कर को पकड़ा और दूसरे दिन गौ तस्कर ने आकर के बाकायदा उस टोल वाले को धमकाया, उससे कहा कि हम वापस आयेंगे, सूचना पुलिस को भी दे दे और जिसको कहना है उसको कह दे। और वापस दूसरे दिन गौ तस्कर आते हैं, हरियाणा बार्डर पर 20 मीटर पहले, वहां फायरिंग करते हैं, बीरणवास चौकी पर वहां फायरिंग करते हैं और टोल पर फायरिंग कर के निकल जाते हैं। जब तक पुलिस आती है, वे हाथ नहीं आते। उसका कारण हुआ कि मुलजिम को, जो पुलिस कस्टडी में पहले दिन मुलजिम लिये थे, पुलिस की गलती के कारण, पुलिस की नासमझी के कारण, जो गोलियां चलायी थीं, उस घटना का उस एफ.आई.आर. में तो नाम नहीं था लेकिन रोजनामचे में रपट डालते, उसकी पुलिस केस डायरी जो है अगर उसमें मेंशन करते तो मुलजिम का रिमांड भी मिलता और वह उनको पकड़ने में भी सुविधा होती। लेकिन कारण, क्या होता है, कहीं न कहीं हमारे पुलिस के लोग भी मिले होते हैं।

इसी तरह से जो मोटर-साइकल चोरी का मामला है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि अलवर में अभी भी बहुत ज्यादा मोटर-साइकलें चोरी होती हैं और जिसकी एक बहुत लम्बी फेहरिस्त है। पुलिस ने तय कर लिया कि मोटर-साइकल चोरी के मामले में, चूंकि जिसकी मोटर-साइकल चोरी होती है उसका तो बीमा होता है, वह तो चाहता है कि इसमें एफ.आर. जल्दी लग जाए।

इसी तरह से ट्रांसफार्मर चोरी के मामले होते हैं। कांग्रेस के राज में लगभग 27 करोड़ रुपये के ट्रांसफार्मर चोरी हुए, लेकिन पांच साल में एक भी

(श्री रामहेत सिंह यादव)
मुकदमे में इन्होंने मुलजिम नहीं पकड़ा, सामान नहीं पकड़ा। वह ही परम्परा है। कम तो हुए हैं लेकिन उस पर रोक नहीं लगी।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस की माकूल व्यवस्था हो। कहीं न कहीं पुलिस के कुछ नीचे लेवल पर कर्मचारियों के तार जुड़े रहते हैं आपस में और विशेषकर मोटर साइकल चोरी के मामले में वे कहते हैं, अपना ले-देकर अपनी वापस ले लो। फिरौती का काम बहुत जोर से चलता है।

इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है, विशेषकर इन सब चीजों की मानिटरिंग कराएं। चाहे ट्रांसफार्मर चोरी का मामला हो, चाहे मोटर साइकल चोरी का मामला हो, हो सकता है उसको क्लेम मिल जाए, लेकिन अपराध तो बढ़ा है, एक केस तो बढ़ा है। इसी तरह से उसके हौसले तो बढ़े हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप कन्क्लूड करें। बहुत लम्बा हो गया।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जिले में अपराध बढ़े हैं उस पर अंकुश लगे, जो रिक्त पद हैं उनकी व्यवस्था भी करें।

जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि साधन नहीं हैं, बार्डर एरिया में साधन बढ़ाने चाहिए। कहीं भी थाने में चले जाओ, पुलिस वाले कहते हैं, साहब, हमको दो सौ लीटर डीजल मिलता है, इसमें कितना भाग लें? 150 लीटर डीजल मिलता है, हमारे पास साधन नहीं हैं, दो मोटर-साइकल हैं, एक गाड़ी है, एक गाड़ी गश्त में चली जाती है, हम क्या करें? पुलिस कैसे आयेगी? इस तरह की बात है तो वहां संसाधनों की भी आवश्यकता है, अपराध के हिसाब से।

इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि अलवर में भिवाड़ी में एक अलग से एस.पी. पद सृजित हो और पुलिस की नफरी बॉर्डर एरिया में और बढ़े। यह कहना चाहता हूं।

इसी तरह से, मेरे क्षेत्र में एक जेल है किशनगढ़ जेल, जिसकी क्षमता 120 है, आज की डेट में उसमें 270 कैदी हैं। पिछले दिनों झगड़ा हो गया था वहां जेल में और उस समय देखा गया था कि ना तो पानी की व्यवस्था प्रोपर है, ना ही वहां पर गार्ड है और उसकी क्षमता नहीं है। मैं मंत्री महोदय से

(17.00 बजे)

(श्री रामहेत सिंह यादव)

कहना चाहता हूं कि एक तो वह किशनगढ़ कस्बे के बीच में आ गयी है, इसलिए उसको बाहर शिफ्ट करें; उसकी क्षमता बढ़ायें; वहां पर पानी की भी दिक्कत है; वहां रसोई की भी दिक्कत है; वहां पर स्टाफ बहुत कम है। उसकी भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामलाल जी शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 16 और 17 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

पुलिस का नारा है, 'अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास'। अगर पुलिस अपने नारे में थोड़ा-सा संशोधन और कर ले और उसमें एक चीज और जोड़ दे कि 'हकदार को सम्मान और गुनाहगार को सज़ा', तो मैं मानता हूं कि जिस तरह से चिकित्सक को लोग भगवान मानते हैं, वैसे ही पुलिस को भी लोग भगवान मानने लग जायेंगे।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा, जो विगत सरकार के दौरान कालाडेरा थाने की है। इस घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि पुलिस जो कार्यवाही करती है, उस कार्यवाही के अन्दर कितनी तत्परता दिखाती है। पिछली सरकार के समय कालाडेरा थाने में पुलिस के ही एक कांस्टेबल ने एक एफ.आई.आर दर्ज करायी कि आज से 2 दिन पहले मेरे साथ एक लूट हुई और लूट के अन्दर अमुक-अमुक व्यक्ति शामिल थे। जब पुलिस ने कार्यवाही शुरू की तो मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मैंने एस एच ओ से बात की कि आपने एक व्यक्ति को जो हिरासत में लिया है, क्या यह घटना के अन्दर इन्वाल्व था? तो कहा कि मेरी कलम से कभी गलत नहीं होता। मैंने कहा कि आप अपनी कलम को चैक कर लेना; मेरी जानकारी में जहां तक है, वहां तक इस व्यक्ति का इस घटना में कोई इन्वाल्वमेंट नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, आपको विश्वास नहीं होगा, जब उच्चाधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी गयी तो आप आश्चर्य करोगे कि जिस व्यक्ति का घटना में एक परसेंट भी इन्वाल्वमेंट नहीं है, हमने पुलिस के उच्चाधिकारियों से कहा कि इस व्यक्ति की काल डिटेल निकलवाइये; इस

(श्री रामलाल शर्मा)

व्यक्ति से अमुक व्यक्ति का सम्पर्क था या नहीं था, इसकी आप जानकारी कीजिये। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुलिस के उच्चाधिकारियों को कि उन्होंने वास्तविकता की जांच की और उससे उस व्यक्ति को 169 में रिहाई तो मिल गयी लेकिन उस व्यक्ति को 2 महीने 17 दिन तक जो हिरासत में रहना पड़ा, जो सामाजिक अपमान उस व्यक्ति का रहा, उस व्यक्ति की भरपाई कौन करेगा ?

माननीय सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से इतना निवेदन जरूर है कि पुलिस कार्यवाही करे लेकिन कार्यवाही करने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर ले कि मैं जो कार्यवाही कर रहा हूं, यह कार्यवाही सही और उचित है।

माननीय सभापति महोदया, इसी तरह की एक और घटना उस थाने के अन्दर हुई। एक ग्राम की ग्राम पंचायत ने एन ओ सी दी और एन ओ सी के अन्दर यह कहा कि अमुक मंदिर जीर्ण-शीर्ण हो गया है। गांव के सभी व्यक्तियों ने बैठकर सहमति बनाई। उसके बाद उस मंदिर का काम शुरू हुआ। मंदिर बनकर के करीब-करीब पूरा हो गया। एक व्यक्ति ने एफ आई आर दर्ज करायी कि इन 5 लोगों ने मंदिर को तोड़ा और मूर्तियों को खंडित करके ये ले गये।

माननीय सभापति महोदया, कांग्रेस के राज में, मैं यह बताना चाहूंगा, पुलिस ने कार्यवाही करते हुए, ग्राम पंचायत की एन ओ सी और सब आदमियों की सहमति के बावजूद, तत्कालीन समय के एस एच ओ ने इतनी बदमाशी की, 4 आदमियों को कहा कि मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है, आपकी कल जमानत हो जायेगी। जब मजिस्ट्रेट के सामने पत्रावली गयी तो उन्होंने जे सी की और जे सी करने के बाद में जब वास्तविकता की जांच की तो पुलिस के उच्च अधिकारियों ने यह माना कि अमुक एफ आई आर के अन्दर जो पुलिस ने कार्यवाही की है, वह गलत की है। तत्कालीन समय के एस एच ओ को लाइन हाजिर किया और उनके खिलाफ 16 सी सी ए के नोटिस भी दिये।

माननीय सभापति महोदया, इन घटनाओं का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुलिस को कार्यवाही करने से पहले उन तथ्यों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वास्तव में घटना सत्य है। अगर सही घटना की कार्यवाही होती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से एक बात निवेदन और करना चाहूंगा, जिस तरीके से सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी

(श्री रामलाल शर्मा)

कहा था, कानून के दायरे के अन्दर पुलिस भी कभी-कभी अपने आपको ऐसा महसूस करती है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे 498-ए की धारा है, इस धारा में जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं, क्या वे सत्य होते हैं? पुलिस को इसमें संयम बरतने की आवश्यकता है। हो सकता है कि कुछ मामलों के अन्दर आपसी सहमति के आधार पर, आपसी काउंसलिंग करने के आधार पर मुकदमे निपट सकते हैं। इन मामलों के अन्दर भी पुलिस को थोड़े से संयम के साथ में कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सी एल जी के सदस्य बनते हैं, क्या पुलिस ने सी एल जी के सदस्यों का कोई मापदंड तय कर रखा है? पुलिस के अन्दर सहयोग करने के लिए सभी आदमी तैयार रहते हैं। कैसा भी सहयोग हो सकता है। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि थानों के अन्दर आज जो स्थिति है, चाहे मैस की स्थिति है, चाहे वहां की चारदीवारी बनाने की बात है, चाहे थानों के अन्दर और वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता है, उनमें जन सहयोग भी लिया जाता है। इन मामलों में, मेरा एक निवेदन है कि कम से कम एक मापदंड तय हो कि हम उन व्यक्तियों को सी एल जी के सदस्य नहीं बनायेंगे जो बाहर पुलिस को जाकर बेचने का काम करते हैं। मैं यह बात इस आधार पर कह रहा हूं कि कई लोग सी एल जी के ऐसे सदस्य बने हुए हैं जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। लेकिन हो सकता है कि महात्मा गांधी की फोटो छपी हुई पर लोगों की आस्था ज्यादा है, इसलिए उन लोगों को सी एल जी का सदस्य बनाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इन पर अंकुश लगे। गृह मंत्रालय की तरफ से सभी थानों को या एस.पी. साहिबानों को एक मेसेज जाये कि कम से कम ऐसे व्यक्तियों को सी एल जी का सदस्य नहीं बनाया जाये जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस को मजबूत करने की आवश्यकता है, पुलिस को ताकत देने की भी आवश्यकता है, पुलिस को खुला छोड़ने की भी आवश्यकता है, लेकिन जिस तरीके से अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि अलवर के अन्दर जिस तरीके का एक संगठित अपराध डवलप हो रहा था पिछले कई वर्षों से, माननीय सभापति महोदया, जिस तरीके से वर्तमान में पुलिस के अधिकारियों

(श्री रामलाल शर्मा)

ने कार्यवाही की, यह मात्र अलवर की कार्यवाही नहीं है। आज अलवर के अन्दर पुलिस जो कार्यवाही अपराधियों के खिलाफ कर रही है, जिस तरह की डकैती, जिस तरह की लूट, जिस तरह के संगठित अपराधों को बढ़ावा मिल रहा था, उससे पूरे राजस्थान के अन्दर प्रभाव पड़ा है। मैं तो मेरी विधान सभा क्षेत्र की कहूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो चोरियों की घटनाएं होती थीं, बोलेरो चोरी होती थी, जीप चोरी होती थी, पिकअप चोरी होती थी, उन घटनाओं पर भी अंकुश लगा है। अलवर की कार्यवाही से मात्र अलवर तक सीमित नहीं है, आसपास के जिले भी उससे प्रभावित हैं। इसलिए पुलिस को अधिकार जरूर मिलें, ताकत भी मिले, लेकिन उसके साथ-साथ अंकुश भी नितांत आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के जो बीट अधिकारी हैं, उन बीट अधिकारियों की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। वे जो जांच करते हैं, वे जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके ऊपर भी कम से कम एक जिला स्तर के ऊपर, जिस तरह से जितने भी डवलपमेंट होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट तैयार होते हैं, उन सब प्रोजेक्टों की आडिट होती है, उसी तरीके से पुलिस महकमे में भी एक सेल जिला स्तर के ऊपर जरूर बने ताकि जिले के अन्दर जितनी भी पत्रावलियां हैं, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन पत्रावलियों का निरीक्षण वह करे। उसके आधार पर आपको इस बात का भी पता रहेगा कि अमुक बीट अधिकारी ने या अमुक जांच अधिकारी ने जो कार्यवाही की है, वह उचित की है या गलत की है। कम से कम जिला स्तर के ऊपर इस प्रकार की सेल जरूर बने।

श्री सभापति: अब आप सम-अप करें। रामलालजी, अब सम-अप करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): बस, दो मिनट में। माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आज भी जिस तरह से पदोन्नतियां रुकी हुई हैं, जो हकदार व्यक्ति है अगर उसको उचित समय पर आप पदोन्नति नहीं दोगे तो उसमें नीरसता का भाव पैदा होगा। इसलिए समय के ऊपर पुलिस में पदोन्नति हो, इस बात का जिक्र भी मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदया, जो ट्रैफिक पुलिस है, यह ट्रैफिक पुलिस यातायात को तो सुव्यवस्थित करने के लिए होती है, लेकिन आज अगर हम देखें तो एक भी चौराहे के ऊपर पुलिस ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए

(श्री रामलाल शर्मा)

नहीं है। चालान की एक बुक लेकर खड़ी रहती है। आज एक भी चौराहा ऐसा नहीं है जहां पर पुलिस व्यवस्था करने के लिए लगी हो। पुलिस चालान जरूर करे, जो भी गलत ड्राइविंग करता है, तीन सवारी ले जाता है, या जो भी आपके कानून के दायरे के अन्दर कर सकते हो, लेकिन कम से कम उस ट्रैफिक व्यवस्था के लिए तो वह ध्यान रखे कि हमारे कर्तव्य के प्रति भी हम सजग रहें।

माननीय सभापति महोदया, एक बहुत बड़ा कैडर हमारे पास है, वह है एन सी सी का। एक मेरा सुझाव है कि एन सी सी के जो वालंटीयर हैं, उनको आप थानों से जोड़कर, आपकी ट्रैफिक की व्यवस्था में उनका सहयोग ले सकते हैं, या आपका जो ऑफिशियल वर्क है उसके अन्दर आप उनका सहयोग ले सकते हैं। यह राजस्थान में एक बहुत बड़ा कैडर है। सामाजिक दृष्टि से अगर इन लोगों को हम जोड़कर के चलेंगे तो इसके नये परिणाम सामने आयेंगे।

माननीय सभापति महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाटावाली चौकी है, उसके तीन तरफ से रोड निकलती है। एक अजमेर से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क भी है, एक चंदवाजी से चौमूं को जोड़ने वाली सड़क भी है और एक जाटावाली से लेकर अजीतगढ़ को जोड़ने वाली सड़क भी है। इन तीनों के कार्नर पर जाटावाली चौकी है। अगर इस जाटावाली चौकी को भी थाने के रूप में क्रमोन्नत किया जाता है तो उस क्षेत्र की दृष्टि से और टी पाइंट की दृष्टि से उपयुक्त रहेगा। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जाटावाली जो चौकी है उसको भी आप करें।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अंतिम निवेदन करना चाहता हूं कि आम आदमी जब थाने में जाता है तो उसके मन में पुलिस के प्रति एक भय रहता है कि पता नहीं, कौन अधिकारी है, कैसा अधिकारी है, मेरे से कैसे बात करेगा, मेरी बोलचाल भी ठीक नहीं है, मेरी वेशभूषा भी ठीक नहीं है। तो कम से कम एक पुलिस महकमे में मन के अन्दर एक भावना जरूर रहे कि हम भी एक समाज के अंग है और यह जिम्मेदारी हमें मिली, या हमारे कर्म ठीक थे, इसलिए आज हम इस पद पर बैठे हुए हैं। इसलिए आम जनता से उनका जो व्यवहार है, वह सकारात्मक व्यवहार रहे। इतना मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदया, एक अंतिम निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। माननीय सभापति महोदया, आज की तारीख के अन्दर जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अन्दर, पूरे प्रदेश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं,

(श्री रामलाल शर्मा)

उन घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है। अब वह अंकुश एक ही प्रकार से लग सकता है। जहां तक मेरी सोच है, हर व्यक्ति को इतनी पावर जरूर मिले कि कम से कम सही जो व्यक्ति है, उसके मन में यह विश्वास हो कि मैं मेरी जगह सही हूं, इसलिए मुझे न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन जिन व्यक्तियों में अपराध के प्रति कोई खौफ नहीं है और दिन-दहाड़े जिस तरीके से अपराध की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून के दायरे में रहकर जिस प्रकार की कार्यवाही हम कर सकते हैं, वह कार्यवाही पुलिस निश्चित रूप से करे।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं।

श्री सभापति: श्री जयरामजी जाटव।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाशजी चौधरी

(अनुपस्थित)

श्री अर्जुन लालजी

(अनुपस्थित)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): सभापति महोदया, आपने मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदया, पुलिस और पब्लिक का ऐसा सम्बन्ध है, आये दिन पुलिस को पब्लिक से और पब्लिक को पुलिस से, एक दूसरे से काम पड़ता है, मिलना-जुलना होता है, कई विषयों में। ऐसा मानते हैं कि पुलिस का काम तब तक आसान नहीं होता, जब तक पब्लिक का सहयोग न हो। माननीय सभापति महोदया, पब्लिक तो पुलिस के साथ सम्बन्ध बनाने में सदैव सहयोग करती है लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि एक आम आदमी पुलिस थाने जाता है एक एफ आई आर लिखाने के लिए, गांव का ग्रामीण व्यक्ति को जो अपने गांव से पुलिस थाने तक 100 रुपये खर्च करके थाने पहुंचता है, थाना अधिकारी या ड्यूटी आफिसर उसकी एफ आई आर लिखने में उसके चार चक्कर लगवा देता है। उसके बाद वह गरीब आदमी सोचता है कि अब मेरे जाने की गुंजाइश नहीं है; बार-बार मैं थाने जाऊंगा, सौ रुपये खर्च होते हैं। इससे उस अपराध को बढ़ावा मिल जाता है।

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि एफ आई आर लिखाने में ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस थाने में बड़ी समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को आदेश देना चाहिए कि वे थाने में इस तरह की परिस्थितियां पैदा न करें।

माननीय सभापति महोदया, पिछली सरकार में हम रोज, आये दिन पढ़ा करते थे कि आज फलाने जिले में यह हुआ, आज उस जिले में यह हुआ, पिछले सात महीनों में ऐसा कम देखने को मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अत्याचार कम हो गये, या गुनाहगार राजस्थान छोड़कर चले गये। माननीय सभापति महोदया, हमारे जिले सवाई माधोपुर में आज भी मोटर साइकिल चोरी की वारदात, आज भी चोरी की वारदात, डकैती की वारदात और पिछली सरकार ने जो पैदा किये थे भू माफिया, इनके गुनाह दिन-पर-दिन बढ़ते जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, आये दिन गरीब आदमी दु:खी होकर शहर की ओर पलायन कर रहा है। कई जगह तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि अपनी जमीन, अपना खेत, अपना कारोबार, अपना सब कुछ छोड़कर उसे अपने गांव से जाना पड़ता है क्योंकि कुछ बाहुबली लोग उनकी थाने में एफ आई आर तक नहीं होने देते।

माननीय सभापति महोदया, दहेज उत्पीड़न का मामला, एस सी/एस टी उत्पीड़न का मामला, ये ऐसी धाराएं हैं जिनको लेकर पुलिस में कम्पलेंट लिखने के बाद, दूसरे व्यक्ति को डराने का एक बहुत अच्छा माध्यम मिल जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि इन धाराओं का दुरुपयोग होता है।

माननीय सभापति महोदया, पिछले पांच साल में एस सी/एस टी अत्याचार जो हमारे राजस्थान में बढ़े, उसका अनुपात लगभग पहले के मुकाबले 12.50 प्रतिशत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हमें पुलिस के अन्दर बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है।

जैसा कि मेरे से पूर्व सदस्यों ने कहा वेतनमान को लेकर, हाउसिंग सुविधा को लेकर, अच्छे साधनों को लेकर, ये आपको उपलब्ध करवाने चाहिए।

मैं आपका ध्यान मेरे पास के जिले दौसा में लालसोट तहसील के मंडावरी गांव की तरफ ले जाना चाहता हूं। क्योंकि मैं एस सी वर्ग से आता हूं, हमारे समाज का बालीनाथजी संत का स्थान है, लगभग दो महीने पहले उस मूर्ति को खण्डित कर दिया जाता है और पुलिस द्वारा दो महीने तक उस पर

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

कोई कार्यवाही नहीं होती है। जब बार-बार जाने पर पुलिस पर दबाव बनता है, कई जन-प्रतिनिधि हम लोग वहां पर इकट्ठे होकर गये तो दबाव बना पुलिस पर। एक व्यक्ति की उसमें बरामदगी दिखायी और बाकी सात लोग अभी भी खुले आम घूम रहे हैं और गांव में दादागीरी कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, हमारे यहां पर तो कई बार ऐसा होता है कि मोटर साइकिल चोरी हो गयी और पुलिस-कर्मी खुद फोन करके मोटर साइकिल वालों को यह कह देते हैं कि भैया, तुम्हारी मोटर साइकिल मिल तो जायेगी लेकिन उसमें इतना पैसा खर्च हो जायेगा। यह वस्तु स्थिति है। क्या इससे यह समझना चाहिए कि पुलिस इस बात को जानती है कि मोटर साइकिल चोरी करने वाला कौन है? क्या पुलिस मोटर साइकिल उपलब्ध करवा सकती है अनआफिशियली? और अनआफिशियली करवा सकती है तो आफिशियली क्यों नहीं करवाती?

माननीय सभापति महोदया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें मेरे से पूर्व सदस्यों ने आपके सामने रखीं। मैं मेरे क्षेत्र की दो बात कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं।

मेरे खण्डार विधान सभा क्षेत्र में पांच थाने आते हैं और उनमें 62 पद रिक्त हैं। जब पुलिस के थाना इन्चार्ज के पास कांस्टेबल-हवलदार ही नहीं होंगे तो कानून-व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करेंगे? माननीय सभापति महोदया, सवाई माधोपुर जिला हैडक्वार्टर से मेरा खण्डार लगभग 45 किलोमीटर दूर है और बहुत सारी दिक्कतें वहां पैदा होती हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार के माध्यम से वहां सी ओ आफिस खुलवाया जाये जिससे कि वहां पर क्राइम पर अंकुश लग सके।

माननीय सभापति महोदया, इन सब चीजों का ध्यान उच्च अधिकारियों की ओर इसलिए ले जाना चाहता हूं मैं कि कभी भी गांव से हताश होकर कोई भी ग्रामीण व्यक्ति जब जिला हैडक्वार्टर पर पुलिस अधीक्षक के पास आते हैं या जयपुर आते हैं तो मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको पुलिस पर विश्वास बनाये रखना है जनता का, तो प्रत्येक उच्च अधिकारी को, जो भी शिकायत उनके पास आती है, उस पर कार्यवाही जरूर करानी चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि नीचे से हताश हुआ आदमी ऊपर तक आयेगा और उसके बाद वहां से भी एक संदेश लेकर जायेगा कि नीचे के थानेदार ने भी नहीं सुनी और ऊपर के थानेदार ने भी नहीं सुनी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्रजी गुर्जर। (व्यवधान) प्लीज आप सदन की कार्यवाही को चलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): धन्यवाद। माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 16 और 17 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान पुलिस को कानून में होने वाले संशोधनों की पूर्ण जानकारी नहीं होती है। राजस्थान पुलिस को नवीन संशोधनों की पूर्ण जानकारी हो, इसके लिए जरूरी है कि पुलिस आफिसर व पुलिस कर्मियों को कानून के संशोधन के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रशिक्षण हो, जिससे उन्हें नये कानून व पुराने कानून में संशोधनों की जानकारी हो। जैसे उदाहरण के तौर पर धारा 41, दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया था। संशोधन करने के उपरान्त, सात वर्ष या उससे कम की सज़ा वाले अपराधों में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले निम्न शर्तों की पालना होनी चाहिए। पुलिस तभी गिरफ्तार कर सकती थी जब यह सम्भावना हो कि वह व्यक्ति आगे और अपराध करेगा, या अपराध के उचित अनुसंधान हेतु आवश्यकता, या साक्ष्य में छेड़छाड़ या साक्ष्य को नष्ट करने की सम्भावना हो, या गवाह को प्रलोभन, धमकी देने की सम्भावना हो, या व्यक्ति के कोर्ट में उपस्थित होने की सम्भावना न हो। पुलिस को उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, उसके गिरफ्तार करने के उपरान्त कारण लिखने पड़ेंगे। अन्यथा पुलिस यह पाती है कि गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, तो कारण लिखते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी। उसके उपरान्त भी पुलिस उक्त प्रावधानों की पालना नहीं करती, क्योंकि पुलिस को कानून में हुए उक्त संशोधनों की पर्याप्त जानकारी नहीं है।

इस प्रकार, पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करना चाहिए जिससे सही व सटीक अनुसंधान हो सके और न्याय प्राप्त हो सके। जैसे महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों में तो वैज्ञानिक अनुसंधान की पूर्ण आवश्यकता है। धारा 498-ए, भारतीय दण्ड संहिता के मुकदमों में अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए क्योंकि धारा 498-ए, भारतीय दण्ड संहिता के मुकदमों में चार्जशीट पेश करने की दर तो अधिक है, किन्तु उसमें दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। ऐसी स्थिति में, पुलिस को अनुसंधान कर किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट नहीं पेश करनी चाहिए और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर उसे सज़ा दिलानी चाहिए।

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

मेरा इसी संदर्भ में और निवेदन है कि पुलिस का 'आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर', यह नारा अपने को हर थाने में लिखा मिलता है, पर, वास्तव में, लिखा हुआ ही है, वास्तव में ऐसा है नहीं। जब किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, मारपीट हो जाती है और वह थाने में जाता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि मेरी पुलिस सुनती है। वहां जाने के बाद पुलिस अधिकारी का व्यवहार ऐसा होता है कि रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले उसे इतनी बातें सुना देते हैं कि अपनी बात कहने का उसे मौका ही नहीं मिलता। मेरा निवेदन है कि अच्छे ईमानदार अधिकारियों को थाने में लगाया जाय। थाने में जो भी आये, उसकी बात सुनें और उसकी बात सुनकर न्याय दिलाएं, एफ आई आर दर्ज करें और पुलिस अनुसंधान करे जिससे कि उसे न्याय मिल सके।

आज जिस तरह से शराब की दुकानें हम लाइसेंस की देते हैं, उसके बावजूद कई दुकानें अवैध खोल लेते हैं। उसमें भी अगर पुलिस चाहे तो जितनी भी अवैध शराब की दुकानें हैं, उन्हें बंद कर सकते हैं। बाकी क्षेत्र में जाते हैं तो कई महिलाएं शिकायत करती हैं कि एक ही गांव में चार-चार, पांच-पांच दुकानें खुली रहती हैं, जबकि लाइसेंस एक दुकान का रहता है। उसमें कई बार पुलिस अधिकारियों से बात की जाती है तो कहते हैं कि यह आबकारी विभाग का काम है। आबकारी विभाग वालों के पास इतना स्टाफ भी नहीं होता। पुलिस चाहे तो इन्हें आसानी से बंद कर सकती है। मेरा निवेदन है कि ऐसी जो अवैध दुकानें हैं, जिसे ब्रांच भी कहते हैं, वे बंद होनी चाहिए।

आज जिस तरह से हमारे युवाओं में नशे की लत पड़ी हुई है, कई जगह अफीम, शराब और गांजा, सुल्फा, इसमें बिक्री ज्यादा होती है। इनकी बिक्री पुलिस की नजर में होती है। बगैर पुलिस के कोई भी अपराधी ज्यादा लम्बे समय तक पनप नहीं पाता। जो भी गैंग पनप रही है, या जो भी अपराधी पनपते हैं, ये कहीं न कहीं, कोई न कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी से मिला होता है। बगैर पुलिस की शह के सम्भव ही नहीं है कि कोई गैंग या अपराधी पनप सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए।

अच्छे अधिकारियों को थाने पर लगाना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। अच्छे अधिकारी लाइन में पड़े रहते हैं और बाकी सेटिंग के आधार पर, अधिकारियों से लेकर, थाने पर लग जाते हैं और वे अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं और जो कमजोर लोग हैं उनको दबाते हैं। कई जगह ऐसा देखने में आया है, राठौड़ी में कब्जा हटाने चले जाते हैं, दुकानें खाली

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

कराने चले जाते हैं और लोगों को धमकाते हैं। कई ऐसे हैं जो मकान तक खड़े करवा देते हैं। उनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसे अधिकारियों की जानकारी हमारे पुलिस अधीक्षक को भी होनी चाहिए और बराबर उनकी मानिटरिंग भी होनी चाहिए कि ऐसा कौन पुलिस अधिकारी है जिससे आम जन में रोष है। क्योंकि जनता जब-जब भी पुलिस के पास जाती है तो उसको विश्वास होना चाहिए कि मेरी बात सुनेंगे और मेरे साथ न्याय होगा। जब वह वहां जाता है, उसका रवैया देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी हमारी पुलिस है जो सही होते हुए भी हमें डांटती है।

कई मामलों में किसी का बेटा अपराध कर देता है तो उसके बाप को थाने में बिठा देते हैं, उसके परिवार को लाकर 3-3, 4-4 को अन्दर बिठा देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं, क्या करें? बिठाएंगे तभी तो मुलजिम आएगा। जब अपराध बेटे ने किया है तो अपराध की सज़ा बेटे को मिले। बाप को क्यों मिले? इस तरह से लोगों को प्रताड़ना दी जाती है, उनसे अपशब्द कहे जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस तरह की घटनाएं न हों। (व्यवधान)

मैं जेल के विषय में भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जेल में हार्डकोर अपराधी रहते हैं, एक सामान्य कैदी जाता है तो उनकी बैरक अलग-अलग होनी चाहिए। क्योंकि एक ही बैरक में ये रहते हैं। हार्डकोर अपराधियों के दिन भर कोई काम तो है नहीं, दिन भर बैठे-बैठे योजनाएं बनाते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, किसका अपहरण करना है, किससे वसूली करनी है। ऐसे लोगों को जो साधारण अपराधी हैं, उनको अलग रखना चाहिए। कोई गलती से, मजबूरी में, कोई आदमी पहली बार अपराध करके जाता है, पर वहां जाने के बाद उनका मजबूत ऐसा गठजोड़ होता है कि उसके माध्यम से वे अपराध करते हैं।

वहां बैठे-बैठे सबसे ज्यादा अपराध मोबाइल के द्वारा होता है। मोबाइल से उनका नेटवर्क चलता है। सारा नेटवर्क मोबाइल के द्वारा हो रहा है। मोबाइल तो जरूर बंद होना चाहिए। क्योंकि जो भी हथियार, अफीम, गांजा, चरस, जो भी जेल में जाती है, आपको सब कुछ मिल जाता है। चैकिंग में कई बार हुआ और पकड़े भी गये। तो इसके पीछे सिर्फ मोबाइल है। इसलिए जेल में मोबाइल के लिए जैमर लगाएं या सी सी टी वी कैमरे लगाएं। मोबाइल बिलकुल बंद होना चाहिए। यह मोबाइल की वजह से ही सब काम हो रहा है। इससे अपराधों में कमी आएगी।

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

जेल में कैदियों को अंग्रेजों के जमाने के खाने के बर्तन सिल्वर के आज भी देते हैं। सिल्वर के बर्तनों से बीमारियां होती हैं। अंग्रेजों के जमाने में लोगों को मरने के लिए जेल में डाला जाता था। उसी तरह, आज भी बर्तन और खाने का स्तर ठीक नहीं है। उनका खाने का स्तर भी सुधारना चाहिए।

कोई बीमार हो जाता है तो उसे हास्पिटल लेकर आते हैं। हास्पिटल ले जाने के बीच में अपराधी के भगने की ज्यादा सम्भावना होती है। ऐसे अपराधी भाग सकते हैं या ज्यादा गम्भीर बीमारी नहीं है, उनका इलाज जेल में होना चाहिए। वहां कम्पाउंडर या डाक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अस्पताल न जाना पड़े। कई लोग तो हास्पिटल जाते ही इसलिए हैं कि उनको सब सुविधाएं मिल जाती हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ईमानदार अधिकारी हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए। कई बार देखने को मिलता है, सादा वर्दी में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने जाते हैं, किसी को भी। सादा वर्दी में नहीं जाना चाहिए। इससे दुर्घटना हो सकती है। कई बार पुलिस अधिकारियों को भी चोटें आ जाती हैं और गलतफहमी में आदमी उन पर हमला कर देता है। वह समझ ही नहीं पाता, बदमाश कौन है। उनको कई बार बदमाश समझ जाते हैं। गांव के लोग सीधे रहते हैं, कई बार कोई अपराध कर देता है और वे जाकर सीधे उसको पकड़ते हैं तो समझते हैं, उसको पीटने आ गया। ऐसी स्थिति में, वे सीधे उस पुलिस अधिकारी पर हमला कर देते हैं। उसके बाद पुलिस अधिकारी कहते हैं कि देखो, गांव वालों की इतनी हिम्मत कि हमारे खिलाफ ही इन्होंने मारपीट कर दी। उसको अदरवाइज ले जाते हैं। हालांकि थोड़ी उनकी नासमझी की वजह से दुर्घटना हो जाती है। इसलिए मेरा मानना है, जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाय तो वर्दी लगाकर जाय।

मैं इतनी ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हीरालालजी।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17, इन दोनों मांगों में मैं अपने आपको शामिल करता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

जब परिवर्तन यात्रा 2003 में माननीया वसुन्धराजी के नेतृत्व में हुई

(श्री हीरालाल)

तो जन-जन की नेता को जनता ने पलक-पांवड़े बिछाकर अपने सिर-आंखों पर बिठाया और मुख्य मंत्री पद पर बिठाया। उस दौरान माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया साहब गृह मंत्री थे। माननीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में और कटारिया साहब के मार्गदर्शन में जो पुलिस में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हुई, यह भारतीय जनता पार्टी, माननीया वसुंधराजी के राज में हुआ। (व्यवधान) आदरणीय सभापतिजी, माननीय डाक्टर ज्ञानप्रकाशजी पिलानिया साहब ने एक कल्पना की थी कि थाने को मन्दिर के रूप में देखा जाए। यह उनकी कल्पना थी और उनकी सोच सकारात्मक थी। थानों में एक प्लेट लिखी मिलती थी, 'MAY I HELP YOU', मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उससे जनता में यह मेसेज गया कि अब पुलिस की सोच जनता के प्रति सकारात्मक है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें।

श्री हीरालाल (निवाई): आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद, माननीया वसुंधराजी के मुख्य मंत्री बनने के बाद अपराधों में कमी आई है। आपके राज में क्या हुआ, वह तो सब आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) आदरणीया ज्यादा बढ़िया होता कि जो माननीय सदस्य नीचे बैठे हैं वे इस सकारात्मक वाद-विवाद में भाग लेते और अपना अनुभव बताते ताकि राजस्थान की जनता भी देख पाती कि हमारे यहां से जो आदमी चुनकर गया है, पक्ष-विपक्ष का, वह हमारे प्रति कितना वफादार है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

आदरणीय सभापति महोदया, सवाई माधोपुर का फूल मोहम्मद हत्याकांड याद है, कोटा में महिला कांस्टेबल के साथ क्या हुआ आपके राज में, ये याद हैं?

माननीया सभापति महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी नौकरी के 28 साल के सेवाकाल में कई प्रशासनिक अधिकारियों, कई आई.पी.एस. अधिकारियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जिनकी सोच, उन प्रशासनिक अधिकारियों का ऐसा सोच था कि जनता को न्याय मिले। आदरणीय एस. अहमद साहब, आदरणीय सुनीलजी अरोड़ा साहब, जो ए.सी.एस. हैं, राकेशजी श्रीवास्तव, राकेशजी वर्मा और इधर जो राजस्थान के डी.जी.पी. हैं, भरतपुर में उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो उनकी

(श्री हीरालाल)

सोच जनता के लिए काम करने की, जनता को सहयोग देने की, जनता को कैसे न्याय मिले, इस तरह की सोच थी। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदया, यह तरीका ठीक नहीं है। या तो आप इनको सदन से बाहर निकालो। (व्यवधान)

श्री सभापति: निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठें और माननीय हीरालालजी को बोलने दीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हर सदस्य के खड़े होने पर डिस्टर्ब करना जरूरी है क्या इनका? डिस्टर्ब करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। आप बोलो न। (व्यवधान) आप बोलो न वहां जाकर। (व्यवधान) रोटियां खा-खाकर आकर फिर बैठ गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान) आप बैठें।

श्री हीरालाल (निवाई): जनवरी, 2009 से जून, 2014 तक 470 दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 218 व्यक्ति काल के ग्रास बन गये और 753 व्यक्तियों के दुर्घटनाओं में अंग भंग हो गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2003 में जब मैं विधायक था तब, माननीय सभापति महोदया, मैंने एक मांग की थी कि जो बजरी के ट्रक आते हैं, वे तिरपाल से ढक कर आयें। आज ऐसी स्थिति है कि बजरी के ट्रक आते हैं, वे खुले होते हैं और दुपहिया वाहन से कोई आते हैं तो उनकी आंखों में रेत चली जाती है और दुर्घटनाओं की सम्भावनाएं ज्यादा हो जाती हैं।

मेरा यह भी निवेदन है कि जो यह अंग्रेजों के समय से आई.पी.सी. कानून बना है, इसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। आज कोई भी वाहन, ट्रक दुर्घटना कर देता है और आदमी काल का ग्रास हो जाता है। तो उस ड्राइवर की जमानत हो जाती है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करना चाहूंगा कि इस नियम में संवैधानिक तरीके से सुधार होना चाहिए। चूंकि अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था कि उस जमाने में हिन्दुस्तान के आदमियों के पास गाड़ियां नहीं थीं, उनके पास ज्यादा गाड़ियां थीं, हिन्दुस्तानी मर जाए तो तुरन्त जमानत हो जाए। इसलिए इस कानून में भी सुधार होना चाहिए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीपलू ऐसा क्षेत्र है जहां बजरी का अवैध खनन होता है। गांव के लोग और बजरी माफिया आमने-सामने हो जाते हैं। उससे कानून-व्यवस्था को भी देखना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपनी बात को बोलें।

श्री हीरालाल (निवाई): जो आपने लिया, वह तो मालूम ही है। बहुत अच्छी बात है। बैठ जाइये आप।

माननीय सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज पीपलू में ऐसी स्थिति है कि गहलोद, डोडवाड़ी, मूण्डिया, मारखेड़ा, वहां पर ग्रामीण और बजरी माफिया आमने-सामने हो जाते हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है। इससे प्रशासन को भी कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने में काफी परेशानी होती है। मेरा मानना है कि इनको रोकने के लिए आर.ए.सी. लगाई जाए ताकि बजरी का अवैध खनन बन्द हो। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि अगर इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वहां पर दुर्घटनाएं होने में कोई कमी नहीं रहेगी। ग्रामीणों और बजरी माफिया में झगड़ा होगा तो निश्चित है कि दुर्घटना में आदमी मारे जाएंगे।

माननीय सभापति जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में निवाई बाइपास पर इतनी दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें कई लोग काल के ग्रास होते हैं। वहां पर एक सदर थाना खोला जाए। इसी तरह गहलोद में पुलिस चौकी खोली जाए। पीपलू उप खण्ड पर उप अधीक्षक का कार्यालय खोला जाय। चूंकि वह निवाई के अन्तर्गत आता है और अलग से वहां व्यवस्था होगी तो कानून-व्यवस्था भी ठीक हो पायेगी। नोहटा मोड़ पर पुलिस चौकी, बगड़ी पीपलू में पुलिस चौकी और सदर थाना निवाई बाइपास पर खोला जाए। मेरा आपसे अनुरोध है... (व्यवधान) आप तो बैठ जाओ न। क्या माथा-फोड़ी कर रहे हो। फिर कभी बोलने नहीं दूंगा। इस होश में मत रहना, माथा-फोड़ी करते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री हीरालाल जी, आप अपनी बात रखें।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि पुलिस के प्रति हमारा सकारात्मक सोच होना चाहिए और पुलिस का जनता के प्रति सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए। जब इन दोनों सोचों में आपस में तालमेल होगा तो किसी तरह की आपस में भ्रांतियां नहीं होंगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो अच्छा पुलिस अधिकारी हो उसको पारितोषिक मिलना चाहिए, जो अच्छा काम करे उनको एप्रिशियेट करना चाहिए, तभी हमारा जनता के साथ अच्छा सहयोग रहेगा।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और जो बैठे हैं, वे बाहर जाओ। यहां क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री निर्मल जी कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदया, आज गृह विभाग पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं पूरे सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में अपराध जिस गति से बढ़ रहे हैं, वह हम सबके लिए चिंता का विषय है और पार्टी-लाइन से ऊपर उठकर हमको इस पर विचार करना चाहिए।

मैं समझता हूं कि इस साल के अन्त तक शायद नई भर्तियों के माध्यम से काफी नई नफरी और नये कांस्टेबल पुलिस को मिल जाएंगे और हमारा बैकलोग पूरा भरेगा, परन्तु उसमें टेक्निकल कमियां हैं, उन्हें हमें सुधारना होगा।

सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा, उसमें चार थाने आते हैं परन्तु वहां की जो भौगोलिक स्थिति है और आबादी तेजी से बढ़ रही है, तीन थानों की आबादी तो एक है और एक अकेले थाने की आबादी 50 प्रतिशत है। कहीं न कहीं इसकी पूरी संरचना को वापस पुनर्गठन करने की आवश्यकता है ताकि टाइमली पुलिस अपना काम कर सके। क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके हिसाब से वापस उसका पुनर्गठन होना चाहिए।

इसी के साथ-साथ, आधुनिकीकरण की भी बहुत आवश्यकता है। कई थानों में हमारे आज भी पुराने संसाधन हैं, पुरानी जीपें हैं, पुरानी गाड़ियां हैं। अपराधी अपराध करके 100-125 किलोमीटर की स्पीड से चला जाता है और पुलिस के पास साधन होने के बावजूद भी उसको कवर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भी हमें गम्भीर मंथन करना पड़ेगा।

सभापति महोदया, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार पूरे सरकारी कर्मचारियों का, सबका कार्य समय तय है कि आठ घंटे की ड्यूटी करेंगे, उसके बाद में ओवरटाइम करेंगे, उनको और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, क्यों न पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ थानों को या कुछ जिलों को, माननीय मंत्रीजी, इस बात को भी सुनें आप, अगर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, एक्सपेरिमेंट के रूप में हम कोशिश करें, ड्यूटीवाइज पुलिस को काम करने का मौका दें, शायद इससे उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, मानसिक वेदना से भी वह कर्मचारी बाहर निकले।

इसी के साथ, उनको अन्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। जैसे अवकाश, जहां तक मैं समझता हूं, पुलिस के कर्मचारियों को बहुत कम मिल

(श्री निर्मल कुमावत)

पाता है। हम आये दिन देखते हैं कि कई बार सेना के नौजवान भी अपने आपको गोली मार लेते हैं, साथियों को गोली मार देते हैं। तो कहीं न कहीं मानसिक प्रेशर में भी वे रहते हैं। उन पर परिवार का भी प्रेशर रहता है। उस कर्मचारी को फ्री होकर काम करने का मौका मिले तो शायद वह हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है।

इसी के साथ-साथ, पुलिस विभाग में पदोन्नति की भी कई तरह की समस्याएं हैं। बड़े अधिकारी के लेवल पर तो पदोन्नति आसानी से हो जाती है परन्तु नीचे के तबके पर यह पदोन्नति सही समय से नहीं हो पाती। स्पेशल पे, ग्रेड-पे की भी समस्या है, मैस भत्ते की भी समस्या है।

सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि फील्ड के लिए अफसर हम भर्ती कर लेते हैं, नये अफसर भी बाहर से हमें मिल जाते हैं परन्तु जो पुलिस विभाग के जितने भी आफिसेज हैं, शायद वहां पर फोर्थ क्लास या क्लर्क लेवल के या चपरासी लेवल के कर्मचारी के पद काफी लम्बे समय से नहीं भरे गये हैं। मजबूरी में इनको कांस्टेबलों को लेकर या अन्य कर्मचारियों को लेकर काम कराना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी हमको विचार करना चाहिये।

जिस प्रकार से तेजी से मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा कि जमीनों के भाव तेजी से बढ़े हैं तो जमीन सम्बन्धी विवाद ज्यादा आने लगे हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस को भी प्रयास करना चाहिए कि आपसी समझौता कराकर छोटी-मोटी बात, जो आदतन अपराधी नहीं हैं, उनको बैठाकर, समझाइश कराकर, जन-प्रतिनिधियों को बीच में लेकर, मुकदमों की संख्या कम हो और हो सकता है, पुलिस की वर्दी से ही विवाद सुलझ जाये।

इसी के साथ, पुलिस का स्वभाव भी थोड़ा सा सरल हो ताकि पब्लिक में सही मेसेज जाये। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटे-छोटे कामों के लिए, सभी जन-प्रतिनिधि मौजूद हैं, सबको सिफारिश करनी पड़ती है। तो यह नौबत जन-प्रतिनिधियों तक आये भी नहीं। ये स्वयं अपना काम वह करें और जनता में अपना विश्वास बनायें ताकि जनता में भी उनके लिए कुछ आदर-सम्मान की भावना आये। केवल पुलिस के नाम से खौफ का माहौल ना बने।

केन्द्र सरकार से भी लगातार पिछले चार-पांच साल से मदद मिल रही है आधुनिकीकरण के नाम पर, मेरे ख्याल से शायद हम वह पूरी खर्च नहीं कर पाये। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसके आधुनिकीकरण के लिए जितना पैसा हम खर्च करें, शायद वह कम है। क्योंकि आज कोई अपराधी

(श्री निर्मल कुमावत)

अगर जयपुर में अपराध करता है तो उसका जयपुर के उस थाने के अलावा, कहीं कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। कहीं ऐसी पद्धति हो कि जयपुर में अपराध किया है तो गंगानगर में भी उसका रिकार्ड निकले, कोटा में भी उसका रिकार्ड निकले। कहीं न कहीं इन सुधारों की आवश्यकता है।

इसी के साथ, मैं माननीय मंत्रीजी से यह आशा करूंगा कि इन बिन्दुओं पर आप गहराई से मंथन करेंगे और विशेष तौर पर नीचे के तबके के अधिकारी/कर्मचारी हैं, उनकी समस्याएं हैं। उनको फील्ड में व्यापक स्तर पर काम करना पड़ता है। उनकी बात को भी हम गम्भीरता से लें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमृत लाल।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश नारायणजी।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सभापति जी, आज पुलिस की मांग संख्या 16 और 17 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति जी, पुलिस महकमा वह महकमा है जिससे हर इंसान को बहुत बड़ी उम्मीद है और पुलिस महकमे के पीछे हर इंसान अपने आपको सुरक्षित महसूस करता है। आज अपराधों की जिस रफ्तार से गति चल रही है, बढ़ रही है। ऐसे युग में, ऐसे समय में पुलिस महकमे को और मजबूत बनाना सरकार का दायित्व है।

(17.45 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ का थोड़ा-सा जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा। पिछली दिनांक 19.2.2012 को धूलाराव में रात के लगभग 11-12 बजे 50-60 पुलिसकर्मी बंदूकों से लैस होकर गये। उन्होंने जाते ही अचानक पूरे गांव को घेर लिया। गांव वालों को कतई इस बारे में कोई पता नहीं था, कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। अचानक पुलिसकर्मियों के गांव में इस कदर घुस जाने से गांव में दहशत फैल गई। गांव के लोग भयभीत हो गये और एक-दूसरे से बात भी नहीं कर पाये। डर के मारे भाग-भाग कर अपने घरों में घुस गये। एक-आध लोग जो बाहर रास्ते में या सड़कों पर थे, उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा और पकड़कर, उनको साथ लेकर,

(श्री जगदीश नारायण)

लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर था, भगवान श्रीकृष्णजी का, उस मंदिर तक उनको लेकर गये। मंदिर में जाकर, मंदिर देखा और मंदिर देखने के बाद में, उन पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने एक-आध जो लोग मिले थे, उनको भी भयभीत करके वहां से भगा दिया और यह कह दिया कि आप अपने घरों में जाकर दुबक जायें, अन्यथा गोली भी चल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, लगभग सुबह 4 बजे तक यह कार्यक्रम चलता रहा। मकानों की प्रत्येक छत पर पुलिसकर्मी तैनात थे। पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। सुबह 4 बजने के बाद में, बिना किसी को कुछ कहे, बिना कोई गांव वालों से बात किये, वे पुलिसकर्मी वहां से रवाना हो गये। बीच में एक-आध बुजुर्गों ने जोर-जबरदस्ती के साथ उनसे पूछने की कोशिश की कि साहब, यह क्या हुआ? हमारे गांव में इस कदर आपका आना और इस तरह से 5-6 घंटे रुकना और बिना बताये चले जाना, यह मामला क्या है? हमको कुछ बताया तो जाये। जाते-जाते कुछ लोगों ने उनको कहा कि आपके मंदिर की मूर्ति बेशकीमती मूर्ति है, इस मूर्ति के आज उठने का, चोरी चले जाने का डर था, इसलिए इसकी चौकसी के लिए हम यहां आये हैं। यह बात कहकर वे चले गये। स्थानीय थाने की पुलिस भी उसके बाद वहां नहीं आई। किसी ने कोई उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, उसके ठीक एक साल बाद में, उसी तारीख को, पहले 19 फरवरी, 2012 को घटना थी और उसके आगामी साल यानी 19 फरवरी, 2013 को शाम को वह मूर्ति चोरी चली गई। मूर्ति चोरी चले जाने के बाद में, उस मूर्ति का पता चला कि यह मूर्ति करोड़ों रुपयों की कीमत की थी। कोई उसको 70 करोड़ की बता रहे हैं तो कोई 80 करोड़ रुपये की बता रहे हैं। 19.2.2013 को मूर्ति चोरी होने के बाद में, आज तक उस मूर्ति का कोई पता नहीं चल पाया। गांव वालों ने कई बार धरने-प्रदर्शन किये, एक बार भूख-हड़ताल पर लोग बैठ गये। तत्कालीन एस पी साहब जो थे, वे धरनास्थल पर गये, उन लोगों को आश्वस्त किया, भरोसा दिलाया कि चोर हमारी गिरफ्त में है लेकिन अभी चोरी का राज नहीं खुला। आप भरोसा रखें, यह सारा काम होगा। आप धरना समाप्त कर दें। हम सब लोगों ने मिलकर गांव वालों को समझाया, धरना खतम करवा दिया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि 19 फरवरी, 2013 को चोरी गई मूर्ति आज तक नहीं मिल पाई है, न किसी प्रकार का आज तक उसके बारे में कोई पता चल पाया है।

(श्री जगदीश नारायण)

इसलिए मैं सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से, सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसमें जांच होनी चाहिए और जांच के माध्यम से यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि वे पुलिसकर्मी एक साल पहले 50-60 की तादाद में अचानक वहां क्यों गये? रात भर क्यों रुके? और उसके एक साल बाद में उसी दिन वह मूर्ति चोरी क्यों चली गई? और चोरी गई तो आज तक उसका राज क्यों नहीं खुला? अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

इसके बाद में भानपुर कलां गांव में 24 मार्च, 2014 को मूर्ति चली गई, खबरानीजी में 9 फरवरी, 2014 को मूर्ति चली गई। रिक्शा में 19.11.2013 को मूर्ति चली गई, और थली में 18 जून, 2014 को मूर्ति चोरी हो गई। जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लगातार पांच-छह घटनाएं मूर्ति चोरी की चलती रही हैं लेकिन आज तक उन मूर्तियों का पता नहीं चला। एक मात्र रिक्शा की मूर्ति के बारे में पता चला, वह मूर्ति बरामद हो गई। इसके थोड़े दिनों बाद में चावण्डिया से भगवान कृष्ण की मूर्ति चोरी गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सदन के बीच में पुलिस कमिश्नर जयपुर, जंगा साहब को कि चावण्डिया वाली मूर्ति उन्होंने जरूर बरामद करवा दी और बरामद करके वह सुपुर्द भी कर दी। बाकी ये जो पांच-छह मूर्तियां आज तक चोरी गई हैं, इन मूर्तियों का अभी तक अता-पता नहीं है। इस मूर्ति चोरी को लेकर के पूरे जमवारामगढ़ क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस संदर्भ में आवश्यक जांच हो और जांच होने के बाद में मूर्ति बरामद हों। ऐसा मेरी तरफ से एक निवेदन है। पुलिसकर्मी या पुलिस तंत्र मजबूत बने, एक्टिव बने, यह मैं प्रार्थना करना चाहता हूं।

इसके साथ ही, पुलिस तंत्र को मजबूत बनाने के लिए पुलिस तंत्र बखूबी सक्रियता से काम करें। उनकी अगर कोई पीड़ा हो, वह दूर हो। इसके लिए मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन भी करना चाहता हूं। पुलिसकर्मियों की जो एक पीड़ा के रूप में भी उभर करके सामने आ रही है, एक तो पुलिसकर्मियों को रोडवेज बस में यात्रा हेतु स्मार्ट कार्ड की सुविधा जो प्रतिमाह निश्चित है, राशि की कटौती के साथ जो देनी चाहिए, वह उपलब्ध नहीं है। सरकार से मेरा यह निवेदन है कि यह सुविधा इनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरा, पुलिसकर्मियों की वर्दी, सिलाई भत्ता, मैस भत्ते, धुलाई भत्ता,

(श्री जगदीश नारायण)

वगैरह, इनमें कुछ सुधार होना चाहिए और उनकी मंशा के अनुरूप ही इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। पुलिसकर्मियों की आवासीय व्यवस्था में नवीन आवासीय भवनों की इस बढ़ती जनसंख्या के अनुसार उनको सुविधा मिलनी चाहिए। पुलिसकर्मी योजना के तहत रियायती दर पर उनको भूखण्ड आबंटित हों, ऐसी भी योजना सरकार बनाए।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट और हैं आपके।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ से एक निवेदन है कि पुलिसकर्मियों से हम पर्याप्त सेवा ले सकें, वे पूरी मानसिकता के साथ सेवा करें, इस संदर्भ में अगर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उस परेशानी का समाधान होना चाहिए और पुलिस ज्यादा से ज्यादा जनता को सेवा दे सके, जनता को ज्यादा विश्वास में लेकर के उनको सुरक्षा मुहैया करवा सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराणा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के यह ध्यान में लाता हूं कि आज की घटना है कोलायत क्षेत्र के गजनेर की और उस गजनेर में, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, गजनेर परिसर में, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी स्थित है, पिछले दो सालों से अप्राकृतिक कृत्य हमेशा निरन्तर होता रहा है। सात बच्चों ने यह मुकदमा आज करवाया है कि फलां अध्यापक, जिसका नाम है, संजय शर्मा, उसने अप्राकृतिक कृत्य किया है। बच्चों की उम्र सात से बारह साल है। माननीय मंत्री महोदय, यह आज की घटना है। पूरा बीकानेर का प्रशासन, एस पी, बड़े अफसर वहां पहुंचे हैं मौके पर और वे अपने ढंग से कुछ कर रहे हैं। उन्होंने संजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मैं निवेदन यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनका अंकित नहीं हो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा निवेदन है, कल की घटना और आज की घटना, आज की यह दुष्कर्म की घटना गजनेर में बालिकाओं के साथ में और कल की बीकानेर में जेल में बड़ी घटना, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं, सरकार के रंग से जुर्म होने और न होने, निर्भर नहीं हैं। जुर्मों को रोकने के लिए, माननीय गृह मंत्रीजी की जगह आप,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पंचायती राज मंत्रीजी, हमको जवाब देंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार में टैलेंट है, बुद्धि है, विजन भी है, आप दूरदृष्टि से ऐसा कुछ करें जिससे यह विद्या के मंदिरों में इस तरह की दुष्कर्म की घटनाएं न हों।

और जेल में, जहां कत्ल करने के बाद आदमी पहुंचता है, आपके संरक्षण में, सरकार के, वहां पर पिस्तौलें कैसे पहुंच गईं? आपके ध्यान में ही है कि वे पिस्तौलें जो बीकानेर जेल में पहुंचीं, वहां आपका जो चीफ गार्ड है वह उसको कैरी करके और उसने जय प्रकाश तक वह पिस्तौल पहुंचाई है और जो बैरक थे इस बानुडा के, जिसको हत्या करके मारा गया है, गोली से मारा गया है, उसके इर्द-गिर्द जो गार्ड थे, उन्होंने भी घटना को रोकने के लिए एक कदम नहीं उठाया और चुपचाप दर्शक बने देखते रहे।

माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सीकर घटना जब हुई, वह घटना तो आपके राज हुई थी, वह पुराने राज में नहीं हुई थी, आपने उस वक्त, जो काम बीकानेर की जेल में तीन आदमियों की हत्या के बाद में आपने किया है, वह काम सीकर में जब घटना-जेल हुई तब आपने क्यों नहीं कर लिया? आपने सारे जेलों को अब खंगालने का काम किया है और सारे जिला प्रशासन को कहा है कि आप खंगालें जेलों को। जेल खंगाल लें, मोबाइल निकलेंगे हजारों और पिस्तौलें भी कुछ निकलेंगी, इल्लीगल आर्म्स बरामद होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज का मतलब यह नहीं है कि राज सोता रहे और कुछ भी होता रहे। इसलिए राज के कंसेप्ट को आपको नीचे उतारना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रभावी कदम उठायें।

श्री अध्यक्ष: आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह दो घटनाएं, अध्यक्ष महोदय, ये तो तात्कालिक हुईं, कल और आज। मुझे इस बात की खुशी है कि आपके इस बजट में आपने 2013-14 के मुकाबले आयोजना-भिन्न में 405 करोड़ का प्रावधान अधिक किया है, आपने आयोजना में 13 करोड़ का प्रावधान अधिक किया है और चूंकि पुलिस के महकमे में आयोजना-भिन्न का प्रावधान है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो पद खाली हैं उन पदों को भरेंगे। यह 13 करोड़ का प्रावधान, माननीय मंत्री महोदय, यह प्रावधान तो ऊंट के मुंह में जीरा है, पुलिस विभाग को देखते हुए। मैं इसको ऊंट के मुंह में जीरा इसलिए कह रहा हूं कि आपकी जो विधि प्रयोगशालाएं हैं, फोरेंसिक लेबोरेटरीज हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, फोरेंसिक लेबोरेटरीज की स्थिति क्या है? वर्ष 2013 के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

प्रारम्भ में फोरेंसिक लेबोरेटरीज के पास 13 हजार 772 प्रकरण परीक्षण के थे और इस वर्ष 25 हजार 991 प्रकरण नए परीक्षण के आ गए, कुल प्रकरण 39 हजार 763 और आपने जिनका डिस्पोजल किया है वह 26 हजार है। तो कुल 13 हजार 763 बच गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह तो वही फीगर हैं जो वर्ष के प्रारम्भ में था। आपकी फोरेंसिक लेबोरेटरीज में, अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन साल बाद परीक्षण की रिपोर्ट आती है और तीन साल बाद जब परीक्षण की रिपोर्ट आएगी, कोई मर्डर केस है, कोई तालाब में डूब कर मर गया है, जिसको धकेल के मार दिया गया है और जिसका जुर्म बनता है या नहीं बनता है, उस लेबोरेटरी के टैस्ट की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। आप किस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि राजस्थान जैसे बड़े राज्य में आपकी फोरेंसिक लेबोरेटरीज से तीन-तीन साल में रिपोर्ट आए? कैसे हो सकता है? आखिर तो गुजरात में दो महीने की व्यवस्था की है। गुजरात ने व्यवस्था की है, हर फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट दो महीने में आती है। आप यह तो व्यवस्था करें कि तीन महीने में तो राजस्थान में आ जाएगी फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट, और यदि हम यह नहीं कर सकते तो फिर माननीय नरेन्द्र मोदीजी के प्रधान मंत्री बनने का भी क्या अर्थ है? रोज गुजरात की बात करें और गुजरात का अनुसरण न

(18.00 बजे)

करें, गुजरात का काम में अनुसरण न करें, तो ये दो बातें सम्भव नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि आप इन फोरेंसिक लेबोरेटरीज को बिलकुल मजबूत करने का और इनमें जितने अधिकारियों को बढ़ाने की आवश्यकता है, उनमें उन अधिकारियों को बढ़ाने का काम करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ...(व्यवधान) लागू कर दें वह तो +++ भी पता लग जाएगी। पांच रह जाओगे, पांच। आप मानिक जी सुराना की प्रशंसा कर रहे हों न, आप तो गुजरात की...(व्यवधान) वह ही लागू कर देते हैं आपके ऊपर।

श्री अध्यक्ष: निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, बाधा न डालें। मानिकजी चालू रखें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं, मैं नम्र निवेदन करता हूं, बन्धुओं, माननीय सदस्यों से कि दो मिनट मुझे कुछ कहने का अवसर प्रदान करें।

मैं हमारा जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैंने जब 2013 की रिपोर्ट इनकी पढ़ी, दो रिपोर्ट्स हैं आपकी और दोनों रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगा कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भ्रष्टाचार के प्रकरण में जो स्वीकृति राज्य सरकार और विभागाध्यक्षों से जारी होनी जरूरी है और जिसके बिना चालान नहीं हो सकता, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन स्वीकृतियों की क्या स्थिति है। उन स्वीकृतियों की स्थिति यह है, 2013 में जो स्वीकृतियां पेंडिंग हैं अभियोजन पेश करने के लिए, 216 पहले से हैं, 413 नये प्रकरण आ गये, 629 प्रकरण राज्य की स्वीकृति, विभागाध्यक्षों की स्वीकृतियों के लिए पेंडिंग हैं। इन 629 में, माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान दें, 37 प्रकरणों में राज्य सरकार ने स्वीकृतियां दी हैं और विभागाध्यक्षों ने 320 अभियोगों में अभियोजन स्वीकृति दी है। यहां राज्य से, मतलब आपको दिसम्बर तक जो सरकार थी उससे लेना होगा, जब आपने कुल 375 स्वीकृतियां ही जारी की हैं और 629 स्वीकृतियां पेंडिंग हैं...

श्री अध्यक्ष: दो मिनट और हैं आपके। दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके आदेश से तत्काल बैठ जाऊंगा, पर मुझे ...

श्री अध्यक्ष: दस मिनट मैंने सबको दिये हैं, आपको दो मिनट ज्यादा। दस तो हो चुके हैं, आप दो-चार मिनट और बोल लेना। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रतिपक्ष वाले थक गये हैं अब।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं इर्रेलेवेंट बोलूं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तत्काल रोक देना। कोई दिक्कत नहीं है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं कुछ कड़वी बात कह रहा हूं, राज किसी का हो, ये स्वीकृतियां जब आपका राज था तो उसमें भी कुछ प्रभावी लोग थे, पांच-सात मंत्रिमण्डल के बड़े लोग और उन प्रभावी लोगों के रिश्तेदार, जान-पहचान और उनके कारण वे स्वीकृतियां रुकती थीं। ऐसा न हो, मैं यही कह रहा हूं, ऐसा न हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, नये राज में भी स्वीकृतियां, जो प्रभावी लोग हैं मंत्रिमंडल में या विधायकों में, उनके कहने से स्वीकृतियां रोक दी जाएं।

मैं अर्ज यह करता हूं कि आपको जब नीचे से आपका डाइरेक्टर या ए डी जी, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कहता है कि चालान के लिए तैयार है, आप

(श्री मानिक चन्द सुराना)

स्वीकृति दीजिये। आप उसको क्यों रोक रहे हैं? और रोक रहे हैं तो मुझे यह कहने में झिझक नहीं है कि जो सरकार स्वीकृतियां रोकेगी, वह भ्रष्टाचार की निरोधक नहीं होगी, वह भ्रष्टाचार को कुल मिला कर संरक्षण करने की बात होगी। ये हमको अपने सिस्टम में जो चेंज करना है, आपको सिस्टम में चेंज करना है तो स्वीकृतियां तत्काल मिलनी चाहिए। आपको रोकनी है तो सकारण रोकिये। मैं यह नहीं कहता कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृति नहीं रुक सकती, रुक सकती है, आप अपने रीजन्स दे दीजिये। मैं तो यहां तक अर्ज करना चाहता हूं कि आप मंत्रिमण्डलीय एक कमेटी बनाइये स्वीकृतियों के लिए। यह अधिकार मुख्य मंत्री जी के पास न रहे ताकि इसमें ज्यादा जिम्मेदारी से, उनके पास समय भी कम है, विभाग भी ज्यादा हैं, इसलिए आप कमेटी बना लीजिये पांच मंत्रियों की, जैसा आप उचित समझें, और वे स्वीकृतियां जो पेंडिंग हैं, आप उन पर सकारात्मक कार्यवाही करिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक भ्रष्टाचार निरोध का प्रकरण एक ग्राम पंचायत में है। एफ आई आर नम्बर देता हूं मैं माननीय मंत्री महोदय को, एफ आई आर नम्बर 438/11 । यह बीकानेर में जो भी भ्रष्टाचार की चौकियां हैं, यह एफ आई आर उनके द्वारा दर्ज हुई है। सन् 2011 में यह 14.12.11 को दर्ज हुई है। क्या मैं पूछ सकता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सरपंच ने तीन चैक काटे और किसी उप-सरपंच को अधिकृत कर दिया और 27 लाख 60 हजार रुपये पंचायत के खजाने से निकाल लिये और अपने घर ले गये। उसके बाद एन्ट्री, एक जीरो पेज बना दिया, कैश बुक में जीरो पेज, नया कागज लगा दिया और उसमें वह रुपया पच्चीस लाख दर्ज कर दिया, पच्चीस लाख और कुछ हजार होगा, उसको आज तक आपका भ्रष्टाचार निरोधक विभाग लेकर बैठा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिले में भी प्रभावी लोग होंगे और आप यदि प्रभावी लोगों की बात सुनेंगे तो आपके पास पंचायत विभाग है, माननीय मंत्री जी, सैकड़ों पंचायतों में पच्चीस लाख, छब्बीस लाख, तीस लाख रुपये, कोई नरेगा के अकाउंट में, किसी दूसरे अकाउंट में विथड्रा किये गये हैं। आपके आडिट आब्जेक्शंस ए.जी. ने दे दिये हैं, आपके इंटरनल आडिट में साबित हो गये हैं। वसूली में क्या देर है? उस सरपंच को सस्पेंड करने में क्या देर है?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह 438/11 में तत्काल राज्य सरकार सात दिन के भीतर-भीतर इस चालान को पेश करवाये और यदि आप ये

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चालान नहीं पेश करते हैं तो स्पष्ट मतलब यह है कि राज्य का संरक्षण भी उस सरपंच को, जो आज सरपंच नहीं है, उसको किसी न किसी प्रकार से उपलब्ध है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कौन सी पार्टी का है?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बहुत से लोग जो कल कांग्रेस में थे, वे आज इधर आ गये हैं। उससे क्या मतलब है? किसी भी पार्टी का हो।

श्री अध्यक्ष: बाधा मत डालिये। अब आखिरी बात कह दीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान किसानों के एक प्रकरण की ओर आकर्षित करता हूं। डिफेंस के लिए जमीन ली गई बीकानेर में। बीकानेर के पास उदासर गांव है, उदासर पहले मेरे क्षेत्र में था और अभी वर्तमान में खाजूवाला के माननीय विधायक के क्षेत्र में है, वहां पर सन् 1983 में 131 किसानों की 2,688 बीघा जमीन अवाप्त की गई। मैं उस प्रकरण में अधिक न कह कर, सिर्फ चार लाइन, अशोक सम्पतराम जी जो प्रमुख शासन सचिव हैं गृह के, राज्य सरकार के, उन्होंने जो पत्र लिखा है, उसका मूल यह है कि 45 हजार रुपये का मुआवजा भारत सरकार ने दिया किसानों को और बीस हजार रुपये का चुकारा राजस्थान सरकार ने उन किसानों को किया। यह रिकार्डेड है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लाइन पढ़ता हूं, जिसको आप देखें ध्यान से, 'अभ्यावेदन के अनुसार किसानों को 2,680 बीघा कृषि भूमि के बदले रक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा 45,530 प्रति बीघा से 30 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को भुगतान कर दिया गया तथा किसानों को 1993-94 में 20 हजार से ही भुगतान किया गया है। अत: उक्त शेष राशि दिलाने हेतु निवेदन किया है।' अशोक सम्पतराम निवदेन कर रहे हैं कलक्टर को। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कलक्टर क्या करेगा? राशि आपके पास आयी है, राज्य सरकार के पास। राशि आपके पास है। उसको क्या मालूम, कितनी राशि आयी है? अब आपके भी ध्यान में है कि 45,530 रुपये की राशि किसानों के लिए सन् 1983 में भारत सरकार ने भेजी और आप इतने दयालु हैं कि 1993 में यह राशि उनको दी गई 20 हजार रुपये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, उन किसानों की जो 25,530 रुपये की अमानत राशि भारत सरकार ने भेजी हुई है, उसका तत्काल चुकारा और उस कानून से सम्मत ब्याज का चुकारा आप करने की कृपा करें। वह भी कब,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

महीने, बीस दिन में हो, ताकि बीस साल से जो किसान भटक रहे हैं, 93 से लगाकर, 30-30 हो गए, उनको राहत मिले। जिस नैतिकता की बात अपन सरकार में करते हैं, उस नैतिकता के मानदण्डों को रखा जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, मैं बहुत आभारी हूं। आपको बहुत धन्यवाद देते हुए मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

(अनुपस्थित)

श्री ओमप्रकाश हुडला।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक ज्वलंत समस्या ऐसी है जिस पर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। 05 और 06 जून को, एक महीने पहले एक लड़की का अपहरण होता है, जिसकी एफ आई आर 118/2014, थाना टहला, तहसील राजगढ़, जिला अलवर में वह मुकदमा दर्ज होता है। 12 दिन के बाद वह लड़की किसी बड़े आदमी के घर से बरामद होती है।

श्री अध्यक्ष: यह पहले आप बोल चुके हैं, कोई नया विषय लीजिए। इस पर आप बोल चुके हैं।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): मैं निवेदन करना चाहता हूं, यही लड़की 18 जुलाई को दुबारा किडनेप हुई और आज भी यह लड़की, 9 दिन के बाद भी अपहृत है। उस हंसराज मीणा को किसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? सरकार की क्या मंशा है? क्या इन अपराधियों को सरकार अरेस्ट करना चाहती है? इसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं, कुछ पुलिस के कर्मचारी भी हैं, उनके खिलाफ अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं ऐसी स्थिति न आ जाए कि इस लड़की को, जिस तरह से भंवरी को मार दिया था कुछ लोगों ने, इस लड़की की भी लाश आए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार इसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: इस सदन की मेज पर श्री कल्याण सिंह, श्रीमती शिमला बावरी, श्री भागीरथ चौधरी, श्रीमती कमसा मेघवाल, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित एवं श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल ने अपने लिखित वक्तव्य रखे हैं। मेरा निवेदन

(श्री अध्यक्ष)

है कि इनको हम एडिट करके अपनी कार्यवाही में लिखें। एक और है? लाइये, लाइये, आपका (संजीव कुमार (भादरा) भी जोड़ लेते हैं। एडिट करके इनको कार्यवाही में सम्मिलित कर लीजिए।

(माननीय सदस्य श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा), श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़), श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़), श्रीमती कमसा (भोपालगढ़), श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहौर), श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) व श्री संजीव कुमार (भादरा) द्वारा मांग संख्या 16-पुलिस व मांग संख्या 17-कारागार के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया क्रमशः परिशिष्ट 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G व 3H देखें)

अब श्री गुलाबचन्द कटारिया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, अनुदान संख्या 16 के बारे में हुए वादविवाद का उत्तर देंगे। पूरा उत्तर दीजिए। एक-एक शब्द, गुलाब जी कटारिया के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। पूरे अपने तार गुलाब जी कटारिया से जोड़ लीजिए और इनके सिवाय एक भी शब्द किसी का भी अंकित नहीं होगा। 16 और 17, दोनों मांगें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17, इन पर माननीय सदस्यों ने 312 पुलिस के विभाग पर और 143 कारागार पर, कोई 455 हैं, यह जो डिमांड है, माननीय सदस्यों ने, इस पत्र के माध्यम से मेरे विभाग के पास पहुंची है। मैं दो दिन में इन सबका उत्तर सम्बन्धित सभी विधायकों को पहुंचा दूंगा। उसमें दो दिन का समय ज्यादा से ज्यादा लग सकता है।

यहां कई माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव रखे। मैं शायद सारे का जवाब दे पाऊं या नहीं दे पाऊं, पर मैं, माननीय सदस्यों, आपको आश्वस्त करता हूं कि आपने जिस घटना का भी यहां जिक्र किया है, जिस विषय को भी आपने यहां उठाया है, मैं 15 दिन में आपको उस घटना के बारे में, इस विभाग ने क्या किया और क्या करेगा, उसकी सूचना आप तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचाऊंगा कि मैं और मेरा विभाग क्या करेगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बारे में यह तो कहना बहुत आसान है कि अपराध हुए, अपराध हुए, ऐसा कोई समय नहीं बता सकते कि जब अपराध नहीं हुए होंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी जारी)

श्री अध्यक्ष: केवल आपका अंकित हो रहा है, बोलिए आराम से।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अपराध होना, यह किसी भी समय में, आज दिन तक, यहां जितनी सरकारें रही होंगी, कभी कोई सरकार ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे टाइम पर कोई अपराध नहीं हुआ। अपराध होना या नहीं होना, यह बहुत महत्वपूर्ण उतना विषय नहीं है, अपराध होने के बाद कार्यवाही किस ढंग से होती है...। यह माननीय सदस्य जितने जोर से चिल्ला रहे हैं, अगर अपराध की दृष्टि से बात करें, ये केवल चार महीने के अपराध गिनाते हैं, मैं इनको यह विश्वास दिलाता हूं कि अपराध, जब भगवान राम थे, जब राम राज्य था ना, तब भी सीता का अपहरण हुआ था। ऐसी कोई सरकार और कोई मंत्री यह दावा नहीं कर सकता है कि मेरे आने के बाद अपराध नहीं होगा, या मेरी सरकार आने के बाद अपराध नहीं होगा। अपराध हो सकता है, अपराध पर कार्यवाही किस ढंग से होती है, यह सरकार पर निर्भर करता है।

राजस्थान की, हमारी जो पुलिस की स्थिति है, 100 वर्ग किलोमीटर में हमारे पास केवल 23 पुलिसकर्मी हैं। 100 वर्ग किलोमीटर में केवल 23 पुलिसकर्मी हैं, जबकि हिन्दुस्तान का एवरेज 100 किलोमीटर पर 54 का है। 40 प्रतिशत भी हमारी फोर्स नहीं है। हमारे यहां एक लाख की आबादी पर 115 पुलिसकर्मी हैं जबकि देश का एवरेज 141 है। हम उस दृष्टि से काफी कम हैं।

ये जितनी जोर से चिल्ला रहे हैं, मैं इनकी जन्म पत्री लेकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष: जरूर बताइये इनको। +++

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह जन्म पत्री आज की नहीं है। जब मैं गृह मंत्री था, उस समय की जन्म पत्री भी है और ये पांच साल तक सरकार में रहे, उसकी जन्म पत्री भी है। मैं इनकी यह जन्म पत्री पढ़ रहा हूं। अपराध के बारे में यह ढोंग, बातें कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि जितना अपराध इनके समय में हुआ, उतना तो पिछले कार्यकाल में भी नहीं हुआ। 01 जनवरी से लेकर आज तक, उसके बारे में अपने आंकड़ों से यह प्रमाणित करूंगा कि आपके समय जितने अपराध थे, उतने इन 6 महीनों में भी अपराध नहीं हुए। अब आप सम्भाल लीजिए।

मैं जब गृह मंत्री था तो मेरे पांच साल के कार्यकाल में 6,309 मर्डर हुए थे और इनके पांच साल के कार्यकाल में 7,311 मर्डर हुए। क्या ढोंग करते हो? कम से कम +++ अपनी सरकार के समय में अपराध होता है, उसके बाद भी यह करो, यह करो। अच्छा होता, आप बोलकर बताते तो कुछ समझ में आता।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अपहरण की घटनाएं हमारे टाइम में पांच साल में हुई थीं 10,882 और इनके कार्यकाल में, यह जो बीच का पांच साल का निकला, इसमें 10,000 की जगह 17,288 अपहरण की घटनाएं हुई हैं।

बलात्कार, मेरे पूरे पांच साल के कार्यकाल में 5,709 हुए थे, इनके पूरे पांच साल के कार्यकाल में, मेरे से जस्ट डबल, 10,224 हुए। बलात्कार करने वाली सरकार आज बलात्कार को लेकर ढोंग पीट रही है। बलात्कार हो सकता है, बलात्कारी को सज़ा मिलती है कि नहीं मिलती, यह सरकार की सफलता और असफलता का नमूना होता है।

केवल इन आंकड़ों के आधार पर अगर यह आप चुनौती देते हों, तो चोरी की घटनाएं मेरे टाइम में 94,385 हुई थीं और इनके कार्यकाल में 1,17,809 चोरियां हुई हैं।

मैं इसीलिए लाया हूं, मैं जानता हूं, आप यही चिल्लाओगे लेकिन मैं आपकी पूरी की पूरी जन्म पत्री अपराधों की दृष्टि से लेकर आया हूं। मैं सोचता हूं कि इसके बाद आप एक भी बात ऐसी नहीं कर सकते।

यह फिर दूसरी जन्म पत्री आपकी।

इस दूसरी जन्म पत्री में अनुसूचित जाति अत्याचार के सम्बन्ध में मेरे पांच साल के कार्यकाल और इनके पांच साल के कार्यकाल के मैं पूरे आंकड़े लेकर आया हूं। ये चाहें तो यह सारे के सारे जितने आंकडें हैं, हर साल के, उनको ले सकते हैं। आज जिस ढंग से आप बोल रहे हों, एक तो 100 चूहे खाएं और फिर भी हज को चले। बातें करने से काम नहीं होगा।

अनुसूचित जाति अत्याचार में मेरे टाइम पर हत्याएं हुई थीं, वे 267 हुईं, इनके कार्यकाल में 314 हुईं। बलात्कार मेरे टाइम पर 700 हुए थे, इनके टाइम पर हुए 1,075 । अन्य जो धाराएं हैं, उनमें मेरे टाइम पर 18,523 और इनके कार्यकाल में हुए 24,680 अपराध। कुल अपराध मेरे टाइम पर हुआ था, शिड्यूल्ड कास्ट के ऊपर, 20,541 और इनके टाइम पर 27,067 हुआ।

एक भी नहीं। मैं जो बता रहा हूं, वह प्रमाणित आंकड़ों से बता रहा हूं। आप क्राइम रिपोर्ट से निकाल कर देख सकते हैं कि मेरा एक भी आंकड़ा गलत नहीं होगा। यह क्राइम रिपोर्ट के आधार पर, पिछले सालों का जो पांच साल का कार्यकाल था, वह मैं आपको दे रहा हूं।

इसी तरह से, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, शिड्यूल्ड ट्राइब्स में 74 हत्याएं हुईं, इनके टाइम में 88 हुईं। बलात्कार 171 हुए, इनके टाइम 273 हुए।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अन्य धाराओं में 4,424, इनके यहां 6,112 हुआ। कुल अपराध मेरे टाइम में 5,009 हुए और इनके टाइम 6,741 हुए।

ये शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का ढोंग रचते हैं। यह आपके कार्यकाल का चिट्ठा रख रहा हूं। पांच साल का मेरे कार्यकाल का और आपके कार्यकाल का चिट्ठा रख रहा हूं यहां पर।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व शोरगुल जारी)

महिला अत्याचार, आप किसमें तुलना करना चाहते हो? महिला अत्याचार की दृष्टि से भी मेरे कार्यकाल का और इनके कार्यकाल का मैं फिगर दे रहा हूं। मेरे टाइम पर 2,012 दहेज मृत्यु हुई थीं, इनके पांच साल के कार्यकाल में 2,343 हुईं। मेरे समय में दहेज हत्या में 651 हुईं और इनके कार्यकाल में 829 हुईं। महिला उत्पीड़न, मेरे टाइम पर थे महिला उत्पीड़न के 36,099 केस और इनके कार्यकाल में 62 हजार हुए, 36 हजार से 62,140 हुए। 5,700 बलात्कार हुए मेरे टाइम पर, महिला अत्याचार की दृष्टि से, इनके टाइम पर 10,224 हुए। कुल अपराध 69,281 हुए और इनके समय में 1,08,808 हुए। यह अपराधों का नमूना मैं आपके सामने रख रहा हूं।

यह तो था आपका पुराना इतिहास। अब मेरी सरकार आने के बाद, इन चार-पांच महीनों में जो कुछ हुआ, अपराध घटे हैं। मैं आज सदन को यह आश्वस्त करता हूं, इस सरकार के आने के बाद, अपराध की संख्या में, अपराध घटा है। एक-एक आंकड़े के साथ मैं रख सकता हूं। पहले लीजिए, डकैती। डकैती की दृष्टि से और जो सम्पत्ति बरामद की है, उस दृष्टि से अपराध कितने दर्ज हुए हैं। आपने देखा होगा, 2013 में जून माह तक, वर्ष 2013 का जून और जनवरी से लेकर 2014 का जून, इसकी मैं तुलना कर रहा हूं। इस माह में 498.59 लाख रुपये की लूट हुई थी, सम्पत्ति इसमें से जो बरामदगी हुई थी, वह 310.93 लाख रुपया; 62 प्रतिशत की बरामदगी थी इनके टाइम पर। हमारे इन छह महीनों की बरामदगी, 78 प्रतिशत बरामदगी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलते रहिये। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 78 प्रतिशत बरामदगी है, डकैती के बारे में।

इसके बाद लूट की बात। यह जो फिगर दे रहा हूं मैं, ये सारे फिगर दे रहा हूं, जनवरी 2014 से लेकर जून 2014 तक, लेटेस्ट और पिछले साल के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इनके जनवरी से लेकर जून तक, उसकी तुलना कर रहा हूं। लूट की दृष्टि से 2013 में जून तक 937.19 लाख रुपये की लूट की सम्पत्ति की और उसमें से 523 लाख रुपये, अर्थात 55 प्रतिशत बरामदगी थी और मेरे इस 2014 में 1,312 लाख की चोरी हुई और उसमें से 69 प्रतिशत बरामदगी हुई है, इस कार्यकाल में हुई है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो किसी का भी। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसी तरह से यह जो हमने एक्शन, जितने भी प्रिवेंटिव एक्शन हमने किये हैं, उसमें भी आप देखिये। पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए, पिछले वर्ष की तुलना में, एक्साइज एक्ट में हमने 31.49 प्रतिशत ज्यादा मुकदमे दर्ज किये हैं। जुआ एक्ट में 2.3 है; आर्म्स एक्ट में इनके और हमारे समय में 21 प्रतिशत केस के अन्दर बढ़ोतरी हुई है; एन.डी.पी.एस. एक्ट में 1.4; और उसके बाद, एक्सप्लोजिव में 12 प्रतिशत की वृद्धि हमने केसेज में की है। वास्तव में, आप यह जो कह रहे हों, मादक पदार्थ, कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जो आपके पिछले छह महीने का और इस सरकार के आने के बाद छह महीने में, मैं सोचता हूं, 2014 में जून तक एन.डी.पी.एस. एक्ट में 550 प्रकरण दर्ज कर 646 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है।

अवैध हथियार की दृष्टि से हमने इन छह महीनों में क्या काम किया, यह कहना तो बहुत आसान है, लेकिन काम करने में, जो पिछली सरकार ने किया, अवैध हथियारों को, और हमने छह महीने में जो अवैध हथियार पकड़े हैं, वे इस बारे में आपको प्रमाण दे रहे हैं। अवैध हथियार, राज्य में वर्ष 2014 में माह जून तक आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियारों के 3,166 प्रकरण दर्ज किये और हमने 3,272 अभियुक्तों को अवैध हथियारों में गिरफ्तार किया। उनमें से 153 बंदूकें हैं, 583 रिवाल्वर हैं, 1,273 कारतूस हैं, धारदार हथियार हैं। यह सारे के सारे आर्म्स एक्ट में जो हमने कार्यवाही की।

अवैध विस्फोटक में भी हमने जो कार्यवाही की है, 2014 के अन्तर्गत 295 प्रकरण दर्ज किये, 290 लोगों को गिरफ्तार किया और एक लाख 71 हजार 676 जिलेटिन, 32,867 डेटोनेटर और काफी मात्रा में हमने बारूद, एक तरह से हमने पकड़ा है।

यह निरोधात्मक कार्यवाही की दृष्टि से भी देखिये।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ये सारे आंकड़े इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि पिछले छह महीनों में अपराध पिछले इनके छह महीनों से कम से कम 15 से लेकर 20 प्रतिशत घटा है और अपराध की दृष्टि से चिल्लाते हैं, अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। अपराध तो हो रहा है लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये मेरे द्वारा नहीं बनाये गये हैं। यह आप थाने के ऊपर जो 'नर्ट' होता है, जो एफ.आई.आर. करती है, उसके आधार पर बनाया है। अपनी असफलता को छिपाने के लिए, केवल चिल्ला कर बंद नहीं कर सकते हो। अपनी असफलता केवल हल्ला करने से नहीं छिपती है। ये आंकड़े आपकी फोटो दिखा रहे हैं ये आंकड़े आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप वास्तव में काम क्या करते हो।

जिसके लिए बहुत चिल्लाते हों, साम्प्रदायिक, साम्प्रदायिक; साम्प्रदायिक की दृष्टि से आपकी सरकार के समय में 2012 में 06 घटनाएं साम्प्रदायिक हुई थीं और 15 तनाव हुए थे, 2013 में 03 घटनाएं हुईं और 12 इस प्रकार के तनाव हुए, हमारे इस कार्यकाल में केवल एक तनाव की घटना हुई है। एक, ओनली वन। (व्यवधान)

जिस चेन स्नैचिंग को लेकर आप बहुत चिल्लाते हो। यह जरूर है, सत्य है कि जयपुर में चेन स्नैचिंग हुईं। इसमें मैं ना नहीं कर सकता हूं। चेन स्नैचिंग हुई हैं, राजस्थान में भी हुई हैं। मैं इस आंकड़े को दिखाकर यह प्रमाणित नहीं करना चाह रहा हूं कि मेरे टाइम पर चेन स्नैचिंग नहीं होगी, इसका मतलब, कोई काम खत्म हो गया, नहीं; लेकिन यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि चेन स्नैचिंग की जो जून तक घटनाएं हुई हैं, जून तक की घटनाएं मैं दे रहा हूं, 2012 में 80 हुई थीं, उसके बाद 2013 में 96 हुई थीं, इस बार केवल 93 हैं। यह चालानी प्रतिशत है, जितनी घटनाएं हुईं, उसमें चालान कितना पेश किया, घटना तो घट गई लेकिन चालानी प्रतिशत आप देखेंगे, 2012 में 28 प्रतिशत चालान था, 2013 में 15 प्रतिशत था और इस साल 46 प्रतिशत चालान किया गया।

यह कमजोर महिला अत्याचार की दृष्टि से आप देखें। मैं सोचता हूं, इनको इस बात की झेंप थी कि कहीं आंकड़ों में पिट नहीं जाएं। मैं आज सारी आपकी जन्म पत्री इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आपको पता लगे कि आपने पांच साल में क्या किया, क्या नहीं किया। ये सारे आंकड़े आपकी इस बात को साबित कर रहे हैं कि अत्याचारों में अनुसूचित जाति, ये सारे के सारे आंकड़े हैं मेरे पास। इन छह महीनों का इनकी सरकार का, मेरे छह महीनों की सरकार

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

का, उसमें महिला अत्याचार की दृष्टि से भी मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। अनुसूचित जाति अत्याचार की दृष्टि से भी छह महीने का रिकार्ड मेरे पास है। अनुसूचित जनजाति का भी इन छह महीनों के अन्दर क्या अपराध हैं, अपराध घटे हैं। (व्यवधान)

इनकी हालत देखो आप, इन्होंने पिछले 09-10 से लेकर कोई डी.पी.सी. नहीं की। इनके 09-10 से लेकर के किसी प्रकार की डी.पी.सी. नहीं करने के कारण से इस पुलिस विभाग में इतने पद खाली हैं। उसका कारण यह है कि पुलिस निरीक्षण, उसमें 08-09 में 8.53 प्रतिशत था। आज की तारीख में वैकेंसी 38 प्रतिशत है। और यह वैकेंसी केवल, और केवल, एक मात्र कारण से है। अगर समय पर डी.पी.सी. हो जाती तो ये सारे के सारे पद भर जाते। ये डी.पी.सी. नहीं होने के कारण से पद खाली हैं। उप निरीक्षक उस समय 27 प्रतिशत पद खाली थे, आज जो पद खाली हैं, 50 प्रतिशत हैं। यह सारे के सारे

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी हंगामा व शोरगुल जारी)

प्रमोशन के पद हैं। 2009 से लेकर 2013 तक इन्होंने एक, सिंगल डी.पी.सी. नहीं की। उसके कारण से कर्मचारी के मन में कितना दु:ख और अफसोस होता है। ऊपर के सारे लोगों की डी.पी.सी. हो जाती है। नीचे का कर्मचारी भी उम्मीद करता है कि उसके भी जीवन में उसको आगे बढ़ने का, यानी, सहायक उप निरीक्षक के 18 परसेंट पद खाली थे, आज की तारीख में डी.पी.सी. नहीं होने से 33 परसेंट पद खाली हैं। हैडकांस्टेबल के उस समय 11 प्रतिशत पद खाली थे, आज की तारीख में डी.पी.सी. नहीं होने से 46 प्रतिशत खाली पड़े हैं। यह केवल काम नहीं करने का नमूना है। यानी, 2009 से लेकर 2013 तक अगर आप कर्मचारी का नहीं करो...।

इससे भी बढ़ा मजाक किया है इन लोगों ने। यह बात जरूर है कि इन्होंने कांस्टेबल की भर्ती कर दी। कांस्टेबल की भर्ती इन्होंने की है, 8 हजार की है 2010 में और उसके बाद 10,633 की 2012 में और उसके बाद 2013 में फिर 12 हजार। आपको जानकार आश्चर्य होगा कि राजस्थान में जो भी आप सलेक्ट करते हों, उनको अगर ट्रेनिंग देने की, हमारे यहां जितनी भी संस्थाएं हैं, उनमें मैक्सिमम चार हजार लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है। इन्होंने जिनको ले लिया न, वे सारे के सारे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आज भी फालतू तनख्वाह ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग करवाने के लिए जगह ही उपलब्ध नहीं है। इसके कारण से जो सलेक्ट कर लिये हैं, उनको हमने एक तरह से हमारी लाइन में रखकर केवल तनख्वाह देने का काम किया है। केवल हमारे पास पांच हजार लोगों को प्रशिक्षण का काम हुआ और आज की तारीख में 12 हजार सलेक्टेड जो कांस्टेबल्स हैं, वे नौकरी पर इसलिए नहीं रख पाये क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं की। हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है ट्रेनिंग की। यानी, सामान्यत: सलेक्शन हर साल करना चाहिए। जितनी हमारे पास ट्रेनिंग करवाने की कैपेसिटी है, उतने लोगों का सलेक्शन अगर करेंगे, तब तो उनकी एक वर्ष की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद ही वह फील्ड में जाकर के लगेगा, और जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, वह केवल आपकी लाइन में पड़ा रहेगा और बिना बात की सरकार की तनख्वाह लेगा। केवल हमने वाहवाही लूटने का प्रयास किया। उस कांस्टेबल का जो फील्ड में उपयोग होना चाहिए था, वह पुलिस, वह उपयोग हम नहीं कर पाये।

यह पुलिस आधुनिकीकरण में, पुलिस आधुनिकीकरण में मेरे टाइम पर पांच साल में 113 करोड़ रुपया खर्च किया गया और इनके पूरे इस आधुनिकीकरण में केवल 49 करोड़ रुपया खर्च हुआ। केवल 49 करोड़।

मुझे आज यह कहते हुए प्रसन्नता है कि मैंने दस हजार क्वार्टर्स बनाये थे, दस हजार क्वार्टर्स बनाये थे, यानी, लाइन में और पुलिस थानों में। एक, दो क्वार्टर नहीं, 553 करोड़ रुपये के क्वार्टर्स बनाये। यह तो जो मैं छोड़ गया न, उसको भी आज दिन तक पूरा नहीं कर पाये। केवल मैं छोड़कर गया था 1,800 क्वार्टर्स पूरा करना, वह 1,800 क्वार्टर्स भी इनसे आज दिन तक पूरे नहीं हुए।

पुलिस स्टेशन से लेकर आज यह जो आपको पुलिस भवन दिख रहा है, यह पुलिस भवन की शुरुआत अगर किसी ने की, तो उस समय वसुन्धरा जी ने जो हमें पैसा दिया था और हमें जो जगह दी थी, उसके आधार पर हमने उसकी आधारशिला, वी.एस. सिंह जी साहब ने और मैंने दोनों ने रखी थी, जहां पर आज यह भवन खड़ा है।

ये एक ईंट बता दें कि इन्होंने पुलिस के विकास के लिए एक ईंट पांच साल में लगाई हो, और पुलिस के वेलफेयर के लिए इन्होंने एक काम किया हो तो बता दो। कहीं इन्होंने कोई आफिस बनाया हो, कहीं कोई बिल्डिंग बनाई हो, कहीं पर कोई मकान बनाया हो। एक नया पैसा नहीं आधुनिकीकरण में । (व्यवधान)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हल्ला करने से नहीं बनता है, काम करना पड़ता है। जितनी पुलिस की दुर्गति आपने अपने राज में की न, हमने आते ही डी.जी. के रूप में जिस आदमी को लगाया, उस पर कोई संदेह की अंगुली नहीं उठा सकता है और इसलिए प्रशासन तो अपने आप तेजी पर आ रहा है। जब आदमी हैड-लाइन पर अच्छा होगा तो नीचे अपने आप उसका असर जाएगा। अभी तो छह महीने ही हुए हैं, जब यह साल जाएगा न तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में हमने पुलिस में कोई काम किया है। आपने पुलिस का जो राजनीतिकरण किया, उसके कारण से पुलिस सारी की सारी, मोराल उसका खतम हो गया।

आपने देखा कि अभी हमने यह जो गौ-वंशी पशु अधिनियम, 1995 जो बनाया है, उसमें हम संशोधन कर रहे हैं और संशोधन करके इस कानून को इतना सख्त बना रहे हैं। आपने देखा होगा, अधिनियम, 95, उसमें गौ-वंश का परिवहन विशेष तौर पर प्रमाणित वाहनों से ही किये जाने का प्रावधान किया जा रहा है। केवल जो प्रमाणित वाहन होंगे, उन्हीं में यह गौ-वंश इधर से उधर जाएगा। अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने पर एक वर्ष से लेकर दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का जो दण्ड था, अब हमने एक परिवर्तन किया है कि तीन वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोर कारावास और पचास हजार रुपया जुर्माना। उसका जो व्हिकल काम में आएगा, उस व्हिकल को भी पकड़ने के लिए कानून में हम तरमीम कर रहे हैं।

जिन लोगों को हमने पकड़ा है, मैं सोचता हूं कि यह पुलिस के लिए, भगवान के लिए, कभी पुलिस अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ भी किया करो। केवल आलोचना, आलोचना, आलोचना। इससे पुलिस का मोराल नहीं बढ़ता है। अगर कभी पुलिस अच्छा काम करती है तो उसके बारे में भी कहना सीखो।

मैंने इस विधान सभा में वहां पर बैठकर, प्रतिपक्ष के रूप में बैठा, मैंने अजीत सिंह की तारीफ की थी इस बात के लिए। +++ कम से कम कोई एक मर्द तो है जो अजमेर के एस.पी. को, +++ पकड़ सकता है, ऐसा कोई काम कर सकता है आपके राज में। आपने देखा होगा कि इस कार्यकाल में, आपने देखा होगा कि कोटा के एस.पी. को, सत्यवीर को पकड़ने का काम अगर किसी ने किया तो इस टीम ने किया है। आपको लगा होगा, अजमेर के जज को कोई पकड़ कर जेल में डालने का काम कर सकता है, अपने इस कार्यकाल

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

में और 22 लोगों को जेल में ठोका है, जो आज की तारीख में भी अपने आपको यहां...।

आपने देखा होगा कि इस राजस्थान की एस.ओ.जी. ने किस प्रकार से काम किया। अभी आपने, केवल एक ही घटना का पता लगा था कि आर.पी.एस.सी. का पेपर आउट हुआ। आर.पी.एस.सी. का पेपर, आर.पी.एस.सी. ने जैसे ही यह जानकारी दी कि इन लोगों के एक ही घर में पांच-पांच आई.ए.एस. बन गये, पांच-पांच आर.ए.एस. बने गये, उसके कारण से जब जांच हुई तो उस जांच में आपने देखा होगा कि एक ही घर से पांच लोग, दो घरों से तीन-तीन लोग। यानी, जिस प्रकार से यह अमृत लाल मीणा जो पकड़ा गया है, अमृत लाल मीणा के पकड़ने के बाद, जो वह बात कह रहा है कि मैं तो यह कई सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन रिकार्ड यह बताता है कि अमृत लाल ने 2007 में भी परीक्षा दी, 2008 में भी दी, 2010 में भी दी, अमृत लाल पास नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि यह पेपर अगर आउट हुआ तो इसी समय में आउट हुआ, जो 2010 में इनकी सरकार थी। इसके कारण से पेपर आउट हुआ और उसके कारण से पकड़ा गया।

बाल श्रमिकों की दृष्टि से राजस्थान ने जो काम किया, मैं सोचता हूं कि हमारी उपलब्धियों का ...(व्यवधान) हमने गोली मारी तो भी यहां पर स्वीकार किया है खड़े रह कर।

पुलिस थानों के कार्य का मूल्यांकन करने का कानून में नवाचार हमने किया है। केस आफिसर्स स्कीम को इन्होंने दफ्तर-दाखिल कर दिया। मैंने बहुत मेहनत करके, हर संगीन केस के पीछे कोई न कोई केस आफिसर लगाया था। उस योजना को हमने वापस जीवित किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी संगीन केस होंगे, वह उस थाने का कोई न कोई अधिकारी उसका केस आफिसर बनकर उसका पीछा करेगा और उसको सज़ा दिलवा कर ही दम लेगा। तब तक उसका करेंगे।

आपने आपकी सरकार के समय में यह जो सारी बीट व्यवस्था थी जिसके आधार पर पुलिस का कंट्रोल होता है, उस बीट व्यवस्था को दफ्तर-दाखिल कर दिया। हमने वापस बीट व्यवस्था को जिंदा किया है। बीट व्यवस्था, क्या है, आपने यह जो सी.एल.जी. थी, जिस सी.एल.जी. के माध्यम से हमने समाज के साथ अपना टाई-अप किया, उस सी.एल.जी. को हमने वापस जिंदा किया है और उसके आधार पर हमने चलाने का काम किया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि इस सरकार ने, आपने देखा होगा, पहले भी अगर आपने देखा हो, हाड़ी रानी बटालियन का अगर किसी ने निर्माण किया तो उसका नाम वसुन्धरा जी, मुख्य मंत्री जब थीं, तो हाडी रानी का निर्माण किया। हमने 1,100 आदिवासी बच्चियों को हाड़ी रानी के रूप में उनको ट्रेन किया। अभी अबकी बार महाराणा प्रताप के नाम से एक नई बटालियन हमने प्रतापगढ़ में बनाई,जिसमें एक हजार बच्चे जो हैं न, इसमें लगेंगे। मैं सोचता हूं कि हमने इस सारे काम को किया है।

अभी आपने कल बहुत बड़ी घटना बताई कि बीकानेर में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। यह क्या पहली बार हुआ है? इसके पहले कभी हुआ नहीं? कम से कम, भगवान के लिए, बोलो, बोलने में कोई हर्जा नहीं, गलती हुई है। इस गलती को स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं। मैंने कल भी स्वीकार किया और मैं आज भी स्वीकार करने को तैयार हूं। जो कुछ भी बीकानेर की घटना हुई, वह दु:खद है। वह वास्तव में हमारे पर एक कलंक है। मैंने कल भी हाउस में स्वीकार किया। मैं कभी भी कोई गलती हो जाए, उसको छुपाने का प्रयास नहीं करता हूं। मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं कि हमसे कमी हुई। लेकिन इस बारे में कौन देखेगा कि आखिर यह जो कारागार है, इन कारागारों में पदों की स्थिति क्या है? आपने देखा होगा कि 4,282 कुल यहां की स्ट्रेंथ है, उसमें से 1,995 पद खाली हैं। 46 प्रतिशत पद खाली हों जिस जेल में, अब आप उसमें जेल को ही केवल दोषी बनाओ, तो अकेला जेल दोषी नहीं है, हमारी व्यवस्था भी दोषी है। हमने पांच साल तक सरकार चलाई, फिर ये इतने पद खाली क्यों पड़े रहे?

अभी आपको मैं बताता हूं कि कारापाल के, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हम सब दोष निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं, हम सब आलोचना करते हैं, यह तो सही है लेकिन इस तरफ झांक कर भी देखो, ये हमारे यहां जो हैं न कारापाल, अर्थात् जेलर, जेलर के 45 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 35 पद रिक्त हैं। 45 में से 35 पद रिक्त हैं। क्या जेल चलेगी और कैसे चलेगी? उप-कारापाल, डिप्टी जेलर के 55 पद हैं, उनमें से 39 पद आज की तारीख में, 71 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। सहायक कारापाल के 155 पदों में से 92 पद आज की तारीख में खाली पड़े हैं, 59 प्रतिशत पद खाली हैं। मुख्य प्रहरी में आपके 55 प्रतिशत पद आज की तारीख में खाली पड़े हैं और प्रहरी की संख्या है 2,859 और उनमें 44 प्रतिशत पद आज की तारीख में...।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जब आप अधिकार ही नहीं दोगे, और जितनी भी जेल के अन्दर स्ट्रेंथ है, वह स्ट्रेंथ उसकी सीमा से अधिक है, जितनी जेल के अन्दर सीमा दे रखी है। आप इस आंकड़े को देखो, 2012 में जहां राजस्थान की जेलों की जो स्ट्रेंथ है, वह 16,605 की थी, उसकी जगह 19,351 कैदी उसके अन्दर बंद थे। लगभग 2,746 अधिक लोग उन जेलों के अन्दर थे। उनके बाद 2013 में 16,622 की स्ट्रेंथ थी, उसकी जगह 19,297 आपने जेल में बंद कर रखे थे, यानी 2,600 लोग ज्यादा; और 2014 में इस समय 16,622 आपके पास स्ट्रेंथ है, उसकी जगह आपने 2,983 अधिक लोगों को जेल में आज की तारीख में लगा रखा है।

आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 120 एम्बूलेंस उनके पास हैं, आज की तारीख में काम कितनी करती हैं, मात्र 23 कर रही हैं। 120 एम्बूलेंस की जगह केवल 23 एम्बूलेंस से सारे राजस्थान का जेल विभाग चल रहा है। कहां से कहां तक संभालेगा। चिकित्सा की दृष्टि से 13 एम्बूलेंस हैं, उसमें इमदाद की आवश्यकता है।

मैं निश्चित मानता हूं कि वास्तव में फरारी हुई है, इसमें कोई दोराय नहीं, पर यह फरारी पहली बार राजस्थान में हुई? या मेरे आने के बाद ही फरारी कराई थी मैंने? या इसके पहले भी कभी फरारी हुई है? यह फरारी निरन्तर, मैं सारे आंकड़ों को देखकर बता सकता हूं, फरारी हुई हैं फरारी को वापस, उन लोगों को, जो फरारी हो गयी, उनको पकड़ना, यह हमारा काम है। हमारे टाइम पर केवल 6 लोगों की फरारी हुई और 6 में से 5 लोगों को हमने वापस गिरफ्तार कर लिया। आपकी हालत देखो, आपकी हालत देखो, 2012 में जो घटना घटी है न, उसमें 16 लोगों की फरारी हुई, केवल आप 6 आदमियों को पकड़ पाये। 16 में से 6 । हमने 6 में से 5 को वापस गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, एक आदमी बाहर रह गया और आपके आंकड़े इस प्रकार से देख रहे हैं। (व्यवधान) कुछ नहीं, बांटने से कुछ नहीं होता है।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य की बात को मैं स्वीकार करता हूं। वास्तव में हमने फोरेंसिक लैब्स को जितना ताकतवर बनाया था, मेरे टाइम पर मैंने बहुत कोशिश की और केन्द्र सरकार से भी हमको आधुनिकीकरण में काफी पैसा मिला था। हमने उस समय राजस्थान में 30 मोबाइल यूनिट बनाई थीं और उस समय हमने जयपुर की जो हमारी लैबोरेटरी थी, वह तैयार; जोधपुर की कर दी, उदयपुर की कर दी और कोटा की कर दी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

और बीकानेर की मैंने स्वीकृति की थी, जब मैं गृह मंत्री था, वह आज भी पूरी नहीं हुई, और उसके बाद एक कदम आगे नहीं बढ़े। यह कहां से काम करेंगे? फोरेंसिक लैबोरेट्री से जिस प्रकार से लोगों को सज़ा मिलती है, अगर सारी एविडेंस भी बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन फोरेंसिंक लैबोरेटरी की रिपोर्ट उसको सज़ा दिलाती है। हमने पिछली बार फांसी की सज़ा दिलाई उसको, इस कारण से। सारी जो हमारी एवीडेंस थी, वह सब एकदम से पक्षद्रोही हो गयी। उसके बाद भी हमारी फोरेंसिक लैबोरेटरी की जांचों ने उसको फांसी की सज़ा दिलाई।

आज आप देखिये, मैंने जब यह काम छोड़ा था, तब मैंने इनको 10 हजार पेंडिंग केस छोड़े थे और इन्होंने जब सरकार छोड़ी, आज की तारीख में 13 हजार 437 केस पेंडिंग हैं। तो आपने काम क्या किया? फोरेंसिक लैबोरेटरी की दृष्टि से केवल 4 लैबोरेट्री बनाई। न किसी का पोस्टिंग हुआ, न कोई साइंटिस्ट लगा। जो पुराना काम है, बस उसी को लेकर बैठे हुए हैं।

मैं राजस्थान के आप सभी माननीय सदस्यों की तरफ से, भ्रष्टाचार विभाग ने जिस प्रकार का राजस्थान में काम किया है न, वह अपने आप में एक कीर्तिमान काम है। दो-दो एस.पी. को पकड़ लेना, अपने ही भाई को पकड़ लेना, अपने ही साथी को पकड़ लेना और उसके लिए जाल बिछाकर दो एस.पी. को ट्रैप किया। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है? यानी उसके लिए कितनी हिम्मत की बात है, लेकिन आप में से कोई नहीं बोला। मैं जब वहां प्रतिपक्ष में बैठा था, तब भी मैंने अजीत सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया था। मैंने कहा था कम से कम कोई मर्द तो है, जो कम से कम अपने साथी को भी ट्रैप कर सकता है और जेल में डाल सकता है।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, हंगामा व शोरगुल जारी)

श्री अध्यक्ष: इनके अलावा कोई भी बोले, किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आगे देखो, जनवरी, 2014 से लेकर 30 जून, 2014 तक जो कुछ भी हमने किया, 33 अधिकारियों को ट्रेप किया, 110 अधिकारी जो अराजपत्रित हैं, उनको ट्रैप किया; आय से अधिक सम्पत्ति में हमने 6 अधिकारियों को ट्रैप किया और 5 अराजपत्रित को किया; पद का दुरुपयोग करने में हमने 40 गजटेड आफिसर के खिलाफ केस बनाये। आपने देखा होगा। यह सारा मिलाकर, इस प्रकार से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जो भी इनको दिया, मैं सोचता हूं, अगर कोई आपने देखा होगा, यह जो अजमेर का केस खुला, हमारे एक सेशन जज को जेल की सींखचों में अगर किसी ने डाला तो हमारी ए.सी.बी. ने डाला। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा किसी का।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ कमियां रह सकती हैं। हमारे यहां भी कुछ डिले हो सकता है। हमारे यहां भी ये परमिशन मांगते हैं लेकिन सम्बन्धित डिपार्टमेंट उसको दफ्तर-दाखिल कर देता है। कोर्ट का भी एक आदेश है कि कम से कम ऐसे केसेज में तीन महीने का इन्तजार करिये और उसके बाद उस केस को आगे बढ़ाइये। लेकिन फिर भी डिले हो रहा है। मैं लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं यह जो हमारी कमजोरी रही है कि जितने केस हमने स्वीकृति के लिए विभागों को भेजे थे और उन्होंने हमें समय पर स्वीकृति नहीं दी, सारे के सारे केस 'यस' और 'नो' में उनको भेजना ही पड़ेगा। एक महीने के अन्दर-अन्दर इस बात का फैसला होगा कि कौन इसमें से जाएगा, कौन नहीं जाएगा।

अभियोजन पक्ष की दृष्टि से भी, हमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, अगर हमारी कोई तुलना करेगा तो साल भर के बाद हमारे काम की तुलना करेगा। हमें समझ में आयेगा। अभी तो केवल हमें जुम्मे-जुम्मे छह दिन हुए हैं। आपने जिस प्रकार की अव्यवस्था बनाकर छोड़ी थी, उसको सुधारते हुए काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर भी उसमें उपलब्धि लेकर आये हैं। ऐसा नहीं है कि उपलब्धि में हमने कहीं कम किया है। आपने देखा होगा, केवल अभियोजन विभाग में 2009 से लेकर 2013 तक इन्होंने 57,300, हम 2014 में केवल छह महीने रहे हैं, इन छह महीनों में ही हमने जो 20 हजार छोटे मुकदमे थे आदिवासियों पर, उन सबको हमने अब्तूना में लिखा और उन सारे के सारे केसों को हमने हटाया।

यह तेजाब की जो घटनाएं होती हैं, जिसके कारण से बच्ची का स्वरूप बिगड़ जाता है, आये दिन इस प्रकार की तेजाब की घटनाएं हो रही हैं। पहले तेजाब के अन्दर जो मुआवजा मिलता था, वह 2 लाख रुपये मिलता था, अब ऐसी तेजाब की घटना से जलने वाली बच्ची को 3 लाख रुपये का मुआवजा देंगे, ताकि कम से कम उस बच्ची का सहारा बने।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

माननीय सदस्य, यह जो बलात्कार की पीड़ित बच्ची है, उसको भी मदद की दृष्टि से राशि हमने बढ़ाई है।

सबसे बड़ा जो सुखद विषय है, इसको ये नहीं सोचेंगे और न पढ़ेंगे, इन्होंने पूरे पांच साल तक राज किया, 2008 से लेकर 2013 तक सज़ा का प्रतिशत क्या था राजस्थान का, केवल 48 प्रतिशत था। हम केवल 6 महीने में सज़ा का प्रतिशत 48.5 पर ले गये। जो ये पांच साल तक रहे थे, हमने सज़ा का प्रतिशत भी बढ़ाया।

होम-गार्ड की दृष्टि से भी मैंने कहा, जैसे आपको कहा, यह आधुनिकीकरण का पैसा जो हमको मिलता है, मेरे टाइम पर 113 करोड़ रुपया मिला और उसके कारण से हमने बदला और इनके साढ़े पांच साल में 49 करोड़ रुपया आधुनिकीकरण में ला पाये ये। बाकी ये पैसा ही नहीं ला पाये। सारा पैसा केन्द्र से मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सहमति से पुलिस के लिए कुछ घोषणाएं करना चाह रहा हूं। जो सरकार ने की हैं :-

राजस्थान पुलिस बेनेवोलेंट फण्ड, इस वर्ष 2 करोड़ 25 लाख रुपये का अनुदान दिया जाना है, जो पिछली साल 199 लाख था, उसको मैंने बढ़ाकर 225 लाख रुपया किया है।

राजस्थान पुलिस कोर्स फण्ड जो पहले 25 लाख था, उसको बढ़ाकर हमने 30 लाख किया है।

राजस्थान पुलिस उत्सव, जो पहले 20 लाख था, उसको हमने 25 लाख किया है।

लांगरिया, जो रसोई का काम करते थे, पहले उनको 4,250 रुपया मिलता था, अब उनको 5 पांच हजार रुपया मिलेगा।

नागरिक सुरक्षा में भी, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा विभाग में स्वयंसेवकों को जो भत्ता मिलता था प्रतिदिन का, वह 50 रुपया मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 100 रुपया रोज के हिसाब से किया है।

नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा विभाग के स्वयंसेवकों का परिवहन भत्ता जो 12 रुपये था, उसको बढ़ाकर 20 रुपये किया है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा विभाग के उत्सव फण्ड में 2.5 लाख रुपये, पहले 2 लाख ही था। खेलकूद की दृष्टि से पहले 5 लाख उनको मिलता था, उसकी जगह 6 लाख किया है।

कारागृह की दृष्टि से, कारागृह विभाग के उत्सव फण्ड में वर्ष में 6 लाख रुपया अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है, पहले 5 लाख था। कारागार विभाग में स्पोर्ट के लिए पहले पांच लाख था, छह लाख है।

कारागृह में निरुद्ध बंदी की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत देह को उसके घर तक पहुंचाना, अथवा निरुद्ध बंदी के परिजन मृत देह को समाप्त न करना चाहें तो उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के रूप में सरकार की जिम्मेदारी होगी। उसको करेंगे।

मैं सोचता हूं, जो कुछ भी सम्भव है, अच्छा होता कि आप कुछ अपनी बात कहकर के, कुछ अपने तर्क देते। यह हल्ला तो आप सब इकट्ठे हो जाओ तो मैं अकेला ही समेट सकता हूं। इतनी तो ताकत है। भगवान की जरूरत है, भगवान ने मुझे इतनी ताकत दी, मेरे फेफड़ों में। लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। अगर आओ तो तर्क के साथ आओ न, तर्क के साथ आकर बात करो, आपको सवाल का जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: इधर का कोई रिकार्ड नहीं होगा। इधर का कोई शब्द अंकित नहीं होगा। नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): फिर भी, माननीय सदस्य, आपने जो कट मोशन दिये हैं, मैं प्रत्येक कट मोशन का उत्तर आप तक पहुंचाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, गुलाब जी, इधर किसी का जवाब मत दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपकी हर समस्या का हल करने का प्रयत्न करूंगा। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष आपका वह रहा। अध्यक्ष आपका वह रहा। मैं नहीं हूं, अध्यक्ष आपका वह रहा। आपने यहां चलायी है न। आपने यहां चलायी है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि जो कुछ भी कट-मोशन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मुझे मिले हैं, जो भी चर्चा आप लोगों ने इस सदन में उठायी है, मैं प्रत्येक को पढ़कर के एक-एक विषय का जो मेरे पास उत्तर सही होगा, वह मैं आप तक पहुंचाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: आपका अध्यक्ष वह रहा। भाई, आपने यहां चलायी है न असेम्बली। असेम्बली चलायी है न आप लोगों ने। वह रहा अध्यक्ष आपका। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17 को पास करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी, आज के दिन का राजस्थान का पुलिस का बेड़ा बड़ी बेचैनी से इन्तजार करता है। अगर इस लीडरलेस क्राउड के व्यवधान से कोई बात कहने से आप रह गये हों तो आप कहिये। आपका जितना जो है ...(व्यवधान) रिपोर्टर्स, कहीं आपसे चूक हो गयी हो तो आप गुलाबजी से सम्पर्क कर के ठीक कीजिए।

मांग संख्या 16 का पारण

मांग संख्या 16 - पुलिस।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 – पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,17,51,64,000/- (छत्तीस अरब सत्रह करोड़ इक्यावन लाख चौंसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17 का पारण

मांग संख्या 17 – कारागार।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 - कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,24,39,78,000/- (एक अरब चौबीस करोड़ उनतालीस

(श्री अध्यक्ष)

लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 28 जुलाई 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.53 बजे सोमवार, दिनांक 28 जुलाई 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-16 पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

1. अजमेर शहर के अन्तर्गत आने वाले थानों में दर्ज प्रकरणों के मुकाबले चालान में प्रतिशत कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
2. अजमेर के दरगाह क्षेत्र में बांग्लादेश सहित अन्य देशों के नागरिकों के अवैध रूप से रहने एवं इनके द्वारा आपराधिक कार्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. प्रदेश के पुलिस विभाग में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कारगर प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. अजमेर में यातायात पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में पुलिस निरीक्षक का एक नवीन पद अजमेर दक्षिण के नाम से सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के थाना क्षेत्र रामगंज एवं आदर्शनगर में नवीन पुलिस चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

6. पुलिस बल को आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाने एवं साधन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

7. विधान सभा क्षेत्र भीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

8. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की ग्राम पंचायत सुराता एवं मालचौकी को थाना छम्बोला में मिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में महिला थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में गन्धवापाल, पीठ एवं डूंगरसरन में नई पुलिस चौकियां स्थापित करने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

11. प्रदेश में उपनिरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों को साइबर क्राइम, क्रिमिनोलोजी, फोरेन्सिक साइन्स, पालिटिकल साइन्स एवं साइक्लोजी की शिक्षा के लिये प्रशिक्षण दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. प्रदेश में विभिन्न आयोगों के भय से पुलिस विभाग को कमजोर करने के षड्यंत्र के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

13. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर में सदर थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में गीगला पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ट्यूरिज्म को दृष्टिगत रखते हुए जयमसंद चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ग्राम खेराड़, सल्लाड़ा एवं ईन्टालीखेड़ा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के शहर सलूम्बर में ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा) :

18. उपखण्ड मण्डरायल पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की तहसील सपोटरा में पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

20. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पुलिस थाना बालेसर में पुलिस निरीक्षक का नवीन पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के 54 मील जवाहरनगर में नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में शराब के तस्करों पर अंकुश लगाने के लिये कारगर कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

23. बाड़मेर शहर की ट्राफिक व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम पंचायत चवा में स्वीकृत पुलिस चौकी को खोलकर उसको पुलिस थाना सदर बाड़मेर के अधीन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

25. ब्यावर की साकेतनगर पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

26. सांचौर एन.एच. 15 पर पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

27. सोजत उपखण्ड पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

28. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के स्थानीय विधायक के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा):

29. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम डांगियावास, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर एवं बोरूंदा पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में अवैध तस्करी एवं स्मेक्चियों की बढ़ती संख्या एवं अवैध स्मेक व्यापार के कारण बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा, पीपाड़शहर, बोरूंदा एवं डांगियावास पुलिस थानान्तर्गत बढ़ती चोरियां एवं डकैतियों पर रोकथाम नहीं लगने तथा चोरियों का खुलासा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. बिलाड़ा पुलिस थाना अन्तर्गत कापरड़ा, भावी एवं डांगियावास थानान्तर्गत पालांसनी एवं बोरूंदा थानान्तर्गत रणसीगांव पीपाड़शहर थानान्तर्गत बुचकला में पुलिस चौकी स्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. प्रदेश में ग्रामीण पुलिस थानों में पुलिस की नफरी में कमी होने एवं बढ़ते अपराधों की रोकथाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट अन्तर्गत ग्रामीण पुलिस थाना डांगियावास में बढ़ते अपराधों की रोकथाम में शहर पुलिस की तुलना में ग्रामीण पुलिस नाकाम रहने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

34. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम पंचायत रोजा के क्षेत्र को थाना पन्डेर में जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के खजुरी में नया थाना या पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

36. प्रदेश में लम्बे समय तक एक ही स्थान पर लगे पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में पुलिस की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ग्राम नीमराना एवं जहाजपुर में कानून व्यवस्था ठीक करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा अवैध शराब, अवैध खनन में लिप्त कारोबारी एवं भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत कर भ्रष्टाचार फैलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

40. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पुलिस की नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

41. राज्य में आतंकवादियों, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी व पाकिस्तानी नागरिकों की घुसपैठ रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. राज्य के पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. राज्य के पुलिसकर्मियों को आधुनिक हथियार, संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपराधों की रोकथाम में आ रही कठिनाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. राज्य की शांति व सुरक्षा के लिये उत्पन्न हो रहे सम्भावित खतरे से निपटने हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. राज्य में बढ़ रहे अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

46. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में महिला थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय):

47. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में महिला थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

48. गंगापुरसिटी में रेलवे स्टेशन एवं अस्पताल में पुलिस चौकी बनाने एवं पुलिस की नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

49. जोधपुर शहर में तेजी से बढ़ रहे गम्भीर अपराधों को रोकने के लिये कार्य योजना बनाकर विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में खुले हुए महिला पुलिस थाना एवं विभाग के लिये आरक्षित भूमि आबंटन के लिये ठोस प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. प्रदेश में बढ़ रहे घातक मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिये अभियान पूर्वक कठोर कार्यवाही करने एवं जीरो टालरेन्स नीति अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पुलिस की नफरी बढ़ाने और रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट अन्तर्गत सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाये जाने के समस्त प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

54. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

56. राज्य में बालकों को अपने माता-पिता की मृत्यु का भय दिखाकर अपने घरों से माता के जेवर मंगवाकर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़वाने के लिये विशेष टास्क फोर्स बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना):

57. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम बोरावड़ में पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई):

58. विधान सभा क्षेत्र निवाई के शहर निवाई में सदर थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र निवाई में करेड़ा, नोहटामोड़, तहसील पीपलू में गहलोदघाट, बगड़ी आदि स्थानों पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):

60. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर):

62. अलवर में पुलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक व हैड कांस्टेबल के स्वीकृत पदों के रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

63. प्रदेश में हत्या, चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिये पुलिस की 24 घंटे प्रभावी गश्त को पर्याप्त गश्ती वाहन, मोटरसाइकिल, जीप एवं पीसीआर वैन इत्यादि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. कमिश्नरेट पुलिस, जोधपुर में नफरी की कमी एवं संसाधनों के अभाव के चलते अपराधिक गतिविधियों में हो रही वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा):

65. पुलिस विभाग के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):

66. प्रदेश में विगत वर्षों से राज्य में माता-पिता की मृत्यु का भय दिखाकर बालकों से उनके माता-पिता के जेवर, नकदी आदि मंत्र-तंत्र के नाम पर मंगवाकर ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस द्वारा चिन्हित नहीं करने एवं इस अपराध की रोकथाम हेतु स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला):

67. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के कांवट कस्बे में नया पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में उप अधीक्षक का नया कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में स्थित प्रत्येक थाने में स्वीकृत संख्या के अनुसार पुलिस बल लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

70. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं शहरी के अलग-अलग दो पदों के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में हाऊसिंग बोर्ड में यज्ञनारायण चिकित्सालय परिसर में गांधीनगर थाने के पुराने भवन में एवं किशनगढ़ थाने के पुराने भवन में नवीन पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में महिला पुलिस थाने की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का नवीन कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुंजीलाल (बामनवास):

74. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के वाटोदा ग्राम में खुले नवीन थाने के भवन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल):

75. जयपुर शहर के सार्वजनिक स्थानों यथा गोविन्ददेवजी मन्दिर, जय निवास उद्यान, पोण्ड्रिक उद्यान, तालकटोरा एवं जल महल के आसपास में पुलिस की गस्त लगाने एवं वर्तमान गस्तीदल की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. जयपुर शहर के थानों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाने एवं रात्रिकालीन गस्त हेतु नफरी की संख्या में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. पुलिस थाना नाहरगढ़, जयपुर को बड़े भवन में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

78. विधान सभा क्षेत्र कपासन के थाने राशमी, भूपालसागर, आकोला एवं कपासन के भवनों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. प्रदेश की पुलिस को चुस्त-दुरुस्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. प्रदेश के थानों में सिपाहियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

81. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में पुलिस नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

82. उप खण्ड मुख्यालय फलौदी में ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल):

83. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के ग्राम भमरवाड को भुगडा थाने से हटाकर खमैदा में स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पुलिस थाना भुगडा के गांवों को तोड़कर थाना सदर भमरवाड़ा में स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में।

श्री गोरधन (धोद):

85. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम धोद, कासली व सेवदबड़ी में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

86. उपखण्ड डूंगला पर नया पुलिस उप अधीक्षक का पद सृजित करने के सम्बन्ध में।

87. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में अत्यधिक चोरियां एवं डकैतियों को देखते हुये सभी थानों में रात्रि गस्त के लिए होम गार्डों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

88. प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन):

89. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में पुलिस विभाग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू):

90. विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम नन्दलालपुरा पंचायत समिति फागी में पुलिस चौकी पुन: स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):

91. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के थानों में नये वाहन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नये थाने व पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पुलिस थानों के कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम बर्डोद में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

96. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में पुलिस नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

97. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के रेनवाल (मांजी) पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के सभी पुलिस स्टेशन एवं चौकियों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कु. जगत सिंह (कामां):

99. विधान सभा क्षेत्र कामां के अपराधग्रस्त मेवात क्षेत्र के थानों में अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

100. पुलिस थानों में बीट व्यवस्था का पुनर्गठन करने एवं अपराधियों से मिले हुए पुलिस कर्मियों को थाने से हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. प्रदेश में फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने की स्थिति में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्रामों में पुलिस चौकियां स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में समस्त पुलिस थानों में थानाधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों की नियुक्ति कर उन्हें जवाबदेह बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

104. प्रदेश में अनुसंधान/जांच के दौरान अधिकारियों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण के उपरान्त गत मुकदमों में बार-बार पेशी पर उपस्थित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. राज्य में पुलिस को सुदृढ़ बनाने एवं देय सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा):

106. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के भिवाड़ी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

107. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में एफ.आई.आर. नं. 447/2012 की जांच सी.बी.आई. से कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के थाना कंचनपुर को सी.ओ. सर्किल बाड़ी में लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के थाना डांगबसई में सी.आई. लगाये जाने एवं नफरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सोने का गुर्जा पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल):

111. प्रदेश में पुलिस कर्मियों को देय मैस भत्ता अन्तर को एक समान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज):

112. बारां जिले में पुलिस कांन्स्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. बारां जिले में विभाग में अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की भर्ती एवं पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल का मैस भत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. बारां जिले में एसएचओ के रिक्त पदों पर नियुक्ति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में हो रही चोरियों, डकैतियों एवं बलात्कार की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर):

117. विधान सभा क्षेत्र नोहर के अन्तर्गत आने वाले गांवों को गोगामेड़ी

थाने से हटवाकर वापस नोहर थाने में जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. हनुमानगढ़ जिले में नोहर मुख्यालय पर भादरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय को नोहर स्थानांतरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र नोहर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस थाने में अतिरिक्त जाब्ता लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

120. हनुमानगढ़ जिले की भौगोलिक परिस्थिति एवं बार्डर का एरिया होने की वजह से पुलिस प्रशासन पर विशेष ध्यान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

121. प्रदेश में होमगार्डस कर्मियों को नियमित करके स्थाई नौकरी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

122. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के आदिवासी गांवों में पुलिस की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. प्रदेश में पुलिस को साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

124. प्रदेश की पुलिस चौकियों में स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. प्रदेश की पुलिस में समानता बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास):

126. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के सभी थानों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ बास में गत एक वर्ष में हुई चोरी, डकैती, लूट, हत्या की घटनाओं के लिए अपराधियों को पकड़ने हेतु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) :

128. विधान सभा क्षेत्र नागौर के मुण्डवा शहर में पुलिस वृत्त कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

129. डूंगरपुर जिले के राजकीय चिकित्सालय, सागवाड़ा में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

130. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के सभी उपखण्ड स्तर पर सी.आई. के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. झालावाड़ में झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. कोटा रेंज में नये थाने खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

133. झुंझुनूं जिले के हरियाणा बार्डर वाले पुलिस थाने पिलानी, चिड़ावा, मण्डेला, सूरजगढ़, बुहाना, पचेरीबड़ी एवं खेतड़ी की पुलिस चौकियों में नये वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. झुंझुनूं जिले में हरियाणा सीमा के पुलिस थाने एवं पुलिस चौकियों में नफरी बढ़ाने व प्रशिक्षित पुलिसकर्मी लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र (डग) :

135. विधान सभा क्षेत्र डग में पिपलिया पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

136. जयपुर शहर की पुरानी बस्ती स्थित नाहरगढ़ थाना भवन छोटा होने के कारण बड़े भवन में स्थानांतरित करने एवं पुलिस वाहनों को खड़ा करने का स्थान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

137. हरियाणा बार्डर के समीपवर्ती पुलिस थानों में पुलिस का स्टाफ बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

138. भादरा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

139. अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में शेखपुर एवं बूर्जा में पुलिस चौकी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल) :

140. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के ग्राम पंचायत मोदरा में पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

141. प्रदेश में पुलिस व्यवस्था में सुधार व पुलिस के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

142. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में यातायात पुलिसकर्मी लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ में सी.आई. पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में पुलिस को आधुनिक वाहन उपलब्ध कराने एवं नफरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को देय मैस भत्तों में भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में पुलिस कर्मियों को मोटरसाइकिल एडवांस देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

147. मुकरपुरा पुलिस चौकी बांदीकुई के संचालन हेतु जमीन आबंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

148. पक्षपातपूर्ण जांच साबित हो जाने पर जांच अधिकारी की व्यक्तिगत सर्विस फाइल में नोट लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

149. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित गांधीनगर पुलिस थाना में पुलिस निरीक्षक का नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू) :

150. विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम फागी एवं दूदू में ट्राफिक की व्यवस्था को सुधारने हेतु पुलिस का प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र दूदू में पुलिस विभाग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र दूदू (जयपुर) के ग्राम मौजमाबाद में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

153. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में रामदेवरा मेला एवं जाम्बा मेला के समय पुलिस विभाग के अतिरिक्त पुलिस प्रशिक्षित बल जैसे गोताखोर एवं अन्य विशेषज्ञों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

154. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम ल्हावद कुण्ड में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम रींगसपुरा में महिला की हत्या कर, लूटपाट कर ले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

157. प्रदेश में होमगार्डों के कार्य दिवसों में बढ़ोत्तरी एवं उन्हें स्थाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. प्रदेश में पुलिस द्वारा गरीब जनता को नाजायज परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

159. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम अमावरा में नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लादूराम (गुढामालानी) :

160. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम पंचायत राणासर कलां एवं अरणियाली में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के नोखड़ा ग्राम में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

162. जोधपुर कमिश्नरेट में नफरी कम होने से अपराध बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

163. धौलपुर जिले में चोरी की वारदातों को न रोक पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

164. राज्य की कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

165. जयपुर शहर के गणगौरी बाजार, दीनानाथजी के रास्ते एवं बारहजी के रास्ते में लोडिंग वाहनों (टैक्सियों) की अधिकता एवं उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से बीच रास्तों में वाहन रोक कर माल लोडिंग करने से रास्ता (बाजार) जाम होने के कारण आम जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

166. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के रामगढ़ में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में अवैध खनन व गौ-तस्करी के लिये पुलिस का अलग से सेल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के सभी थानों एवं चौकियों पर नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अतरिया बांध पर मुबारिकपुर-नीकच के रास्ते में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

170. सोजत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र सोजत के कुशालपुरा में पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

172. पुलिस थाना लूणकरणसर के ग्राम पंचायत कपूरीसर एवं शेखसर को पुन: क्षेत्राधिकार में शामिल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

173. विधान सभा क्षेत्र सागोद के पुलिस थानों में एस.एच.ओ. को बैठने की समयावधि निश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में पुलिस थानों में वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के पुलिस थानों में बीट प्रणाली को मजबूत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के पुलिस थानों में जाप्ता एवं नफरी की संख्या बढ़ाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के थाना इलाकों में हो रहे अवैध खनन एवं अवैध शराब की बिक्री रोकने में सम्बन्धित एस.एच.ओ. की जिम्मेदारी तय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

178. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के पुलिस थानों में आबादी के हिसाब से नफरी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के गुढागौड़जी में एक पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

180. प्रदेश में महिला पुलिस व होमगार्ड के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर (जिला सीकर) में पुलिस एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

182. प्रदेश की पुलिस को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

183. पुलिस विभाग का कम्प्यूटराइजेशन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

184. पुलिस का आधुनिकीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) :

185. प्रदेश में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

186. पुलिस थानों में आधुनिक वाहन व अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

187. प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. झुंझुनूं जिले के भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के मलसीसर तहसील स्तर के थाने को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

190. पुलिस विभाग में कांस्टेबलों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. अपराध के बढ़ते तरीकों को मध्यनजर रखते हुए पुलिस को आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

192. पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन को सी.आई. स्तर का थाना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

193. करौली जिले की काननू व्यवस्था को दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम पदमपुरा में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

195. विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम रौनीजा में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. रूपवास क्षेत्र के दस मोरा इलाके में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. पुलिस चौकी डहरा मोड़ को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

198. विधान सभा क्षेत्र करौली की कानून व्यवस्था को सुधारने एवं पुलिस कर्मियों की भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

199. प्रदेश में होमगार्ड कर्मचारियों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

200. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अवैध केमीकल वाहनों की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पुलिस चौकी दांतराई को नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्राम रायपुर में पुलिस चौकी खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

203. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना, अनूपगढ़, रावला एवं रामसिंहपुर आदि थानों में सभी संवर्गों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के सभी थानों में रात्रिकालीन गश्त करने के लिये पर्याप्त साधनों एवं सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रोजड़ी में पुलिस चौकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) :

206. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में खेड़ा-वडलीपाड़ा एवं मोतीडेम व बांसवाड़ा के बीच झारी में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

207. प्रदेश में पुलिस थानों, चौकियों एवं डी.वाई.एस.पी. सर्किल जनसंख्या के अनुपात में नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में डी.वाई.एस.पी. सर्किल ग्रामीण को अलग से बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा टी.एस.पी. क्षेत्र में आने से पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को हाइट व सीने की चौड़ाई में छूट देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

210. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के बंगला नगर, मुरलीधरन व्यास कालोनी को गंगाशहर थाने से हटा कर नया शहर में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुक्ताप्रसाद, सर्वोदय बस्ती के लिये नये थाने स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के अन्दरूनी शहर के मोहत्ता चौक,

बड़ा बाजार, तेलीवाड़ा, जोशीवाड़ा, रामपुरिया हवेली आदि में ट्रेफिक पुलिस के न होने एवं भारी ट्रेफिक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में निरन्तर हो रही चोरी एवं डकैती से उत्पन्न समस्या तथा अनेक लम्बित मामलों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम की सभी पुलिस चैकियों की दयनीय स्थिति को सुधारने एवं नई चौकियां खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (धोद) :

215. विधान सभा क्षेत्र धोद के सिंगरावट स्टेट हाइवे रोड में स्थापित पुलिस चौकी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू) :

216. विधान सभा क्षेत्र बगरू में नन्दलालपुरा एवं टीलावाला क्षेत्र में दो पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र बगरू के पांचों थानों में पर्याप्त स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र बगरू में आने वाले पांच थानों का उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी) :

219. बांसवाड़ा जिले में छीछं हत्याकाण्ड का अब तक खुलासा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के बड़ीखेन बिरजी कटारा के तालाब में लाश मिलने का अब तक खुलासा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के पालोदा में दीपक हत्याकाण्ड का अब तक खुलासा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में पाटीया डूंगरा निवासी के गुम हो जाने एवं तालाब में मिले कंकाल का अब तक खुलासा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

223. बांसवाड़ा जिले में बड़े पैमाने पर झूठे प्रकरण (अदम वकु) दर्ज होने के बावजूद भी निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

224. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत पीपला में स्थित अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

225. भरतपुर जिले के विभिन्न थानों में पुराने वाहनों को बदल कर नये वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में एन.एच. 11 पर स्थापित पुलिस चौकी, ऊंचा नंगला को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

227. भरतपुर के सीमावर्ती राज्यों में पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़कर वापस राज्य में लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

228. भरतपुर जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों द्वारा शहर के बाहर वाहनों से अवैध वसूली पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार) :

229. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के अन्तर्गत आने वाले थानों एवं प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं मनमानी, चौथ का बरवाड़ा, एस.एच.ओ. की खुले आम दादागिरी, तथा शिवाड़ चौकी इन्चार्ज द्वारा जनता को डरा-धमकाकर पैसे वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

230. रानीवाड़ा (जिला जालौर) में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय भवन निर्माण एवं उप अधीक्षक पुलिस आवास निर्माण हेतु बजट तथा जमीन आबंटन करने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. रानीवाड़ा पुलिस थाना भीड़-भाड़ वाले इलाके में होने के कारण नया भवन बना कर स्थानान्तरित करने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा (जालौर) के बड़गांव कस्बे में नई पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

233. पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों को पुलिस मुख्यालय में कम्प्यूटरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

234. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के कस्बा शाहपुरा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय भवन का निर्माण कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

235. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के डा. भीमराव अम्बेडकर बस स्टैण्ड एवं राजकीय सामान्य चिकित्सालय में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

236. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की ग्राम पंचायत मांगरोल बांगरेड़ा (मध्य प्रदेश सीमा) में पुलिस चौकी स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

237. अजमेर में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को पकड़वाकर बाहर निकालने के लिये पुलिस के विशेष दल का गठन कर अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

238. अजमेर में नागफणी-दरगाह सम्पर्क सड़क क्षेत्र में अतिक्रमण पर रोकथाम एवं कानून व्यवस्था हेतु एक पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

239. अजमेर में कानून व्यवस्था में सुधार एवं अपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिये प्रमुख मार्गों, व्यापारिक क्षेत्रों व विस्तृत रिहायशी क्षेत्रों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

240. अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर, कोटड़ा, नौसर क्षेत्र एवं आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र के लिये एक नया पुलिस थाना खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

241. अजमेर में बढ़ती चोरी, चेन स्नैचिंग व लूटपाट जैसी घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिये पुलिस तंत्र की नफरी बढ़ाने एवं संसाधन उपलब्ध करवाकर गश्त व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

242. प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह निरीक्षकों, उप निरीक्षकों, सहायक निरीक्षकों, हैड कांस्टेबलों एवं कांस्टेबलों को रोडवेज का मुफ्त यात्रा पास देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़) :

243. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में पुलिस बल बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

244. प्रदेश में होमगार्डों को पूरी ड्यूटी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

245. राजसमन्द जिले में चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, दुष्कर्म एवं अन्य अपराधों में हो रही वृद्धि एवं अभियोजन की सफलता दर में कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

246. राजसमन्द जिले में पुलिसकर्मियों द्वारा प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) अभिलिखित करने से मना करने, विलम्ब करने एवं परिवादों की जांच के नाम पर लम्बित रख कर प्राथमिकी संधारित नहीं करने की बढ़ती प्रवृत्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

247. पुलिस अभिरक्षा में प्रताड़ना, मृत्यु एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं में हो रही वृद्धि एवं अवैध रूप से पुलिस अभिरक्षा में रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

248. राजसमन्द जिले में पुलिस चौकियों, थानों एवं अन्य कार्यालयों में भवन निर्माण, विस्तार एवं मरम्मत एवं पुलिसकम्रियों के लिये आवास व्यवस्था करने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. राजसमन्द जिले में ''विद्यार्थी पुलिस कैडेट योजना'' लागू करने में थिथिलता बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

250. पुलिस द्वारा नागरिकों को हैरान करने के लिये उनके विरुद्ध पूर्णतया गैरकानूनी आधारों पर पी.ए.एस.ए. एक्ट में कार्यवाही शुरू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. लूणकरणसर व खाजूवाला के पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुसूचित

जाति एवं जनजाति के कानून सम्मत कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

252. एफ.आई.आर. नं. 68 पुलिस थाना, लूणकरणसर में मुल्जिमानों की जमानत याचिका स्वीकार न होने के उपरान्त भी उन्हें गिरफ्तार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

253. पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा सरपंचों एवं उपसरपंचों के विरुद्ध गबन के प्रकरणों में तीन-तीन वर्ष तक कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

254. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में बढ़ती चोरियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

255. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विराटनगर शहर में ट्रैफिक पुलिस न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

256. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के बागावास अहिरान में स्थायी पुलिस चौकी न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

257. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम तेवड़ी में पुलिस चौकी न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़):

258. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के पुलिस थाना सज्जनगढ़ में थाने का भवन एवं आवास भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा):

259. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की तहसील टोडारायसिंह के मोर में पुलिस थाना एवं ग्राम पंचायत उनियारा खुर्द में पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

260. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की तहसील मालपुरा के ग्राम पंचायत बावड़ी व सीतारामपुरा (टोंक) को डिग्गी पुलिस थाने से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

261. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सी.एल.जी. की समितियों को बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में हो रही चोरियां, चेन स्नैचिंग, तस्करी, शराब, गौवंश तथा अवैध केमिकल्स की तस्करी के रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

263. डूंगरपुर हाउसिंग बोर्ड शिवाजी नगर में पुलिस चौकी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

264. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की रतनपुर चौकी में लम्बे समय से पदस्थापित पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

265. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्राम महुडी एवं माथुगामड़ा खास में पुलिस चौकी की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):

266. जयपुर शहर में इन्दिरा बाजार एवं रायसर प्लाजा के बाहर वाहनों की पार्किंग से यातायात के अवरुद्ध होने से बीमार व्यक्ति इलाज हेतु समय पर चिकित्सालय में नहीं पहुंचने से होने वाली मृत्यु से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

267. जयपुर शहर में यातायात के अवरुद्ध होने से आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने एवं नो पार्किंग क्षेत्र में व्यापारियों के वाहन खडे रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर):

268. पुलिस थाना शाहपुरा, जयपुर में पुलिस आवास जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

269. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बढ़ते अपराधों पर रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

270. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के थानों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

271. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मूर्ति चोरी की घटनाओं की रोकथाम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

272. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

273. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के थाना जमवारामगढ़ के एस.एच.ओ. हो हटाने के सम्बन्ध में।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

274. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के चारों थानों में सी.एल.जी. सदस्यों को पुन: मनोनयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में झगड़ा होने पर पुलिस द्वारा थानों में पीड़ित पक्षकार को न्याय नहीं देर मुलजिम पक्ष को संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

276. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने एवं नई तकनीकी जानकारियों के साथ सभी को न्याय दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

277. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के थानों एवं उप अधीक्षक पुलिस कार्यालयों को नई गाड़ियों एवं आधुनिक साधनों से सुसज्जित कर अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

278. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं असामाजिक तत्वों के साथ मिलीभगत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

279. विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन के थानों में नफरी बढ़ाने एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना)

280. सिवाना थानों में सी.आई., पुलिस के उप अधीक्षक का पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

281. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पुलिस थानों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

282. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जनसंख्या के अनुरूप पुलिस नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

283. सिवाना शहर के पुराने थाना परिसर में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

284. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिवाना शहर, समदड़ी शहर एवं सिणधरी कस्बे में ट्राफिक पुलिस की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):

285. जयपुर में भू-माफियों पर प्रभावी कार्यवाही एवं साईबर अपराध रोकने के लिए थानों में बढ़ोतरी एवं वर्षाकाल में पर्यटन स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण हेतु गश्त की माकूल व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

286. जयपुर शहर में यातायात पुलिस एवं सिविल पुलिस की नफरी बढ़ाने, माणक चौक थानें के पीछे रिक्त भूमि में पुलिस कर्मियों हेतु क्वार्टर बनाने एवं पुरानी बस्ती में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण हेतु गश्त बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

287. विधान सभा क्षेत्र महुवा के ग्राम बालाहेड़ी में पुलिस थाना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

288. एफ.आई.आर. नं. 161/2014 थाना सिरोही (सिरोही) के प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

289. विधान सभा क्षेत्र महुवा के थानों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

290. एफ.आई.आर. नं. 118/2014 थाना टहला (अलवर) में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

291. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये पुलिस थाने एवं चौकियां खोलने तथा वर्तमान थानों में सुविधाएं बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

292. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरेना, साम्भर, फुलेरा एवं रेनवाल थानों में नये वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

293. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में साम्भर तथा किशनगढ़ रेनवाल थाने की चारदीवारी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

294. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में किशनगढ़-रेनवाल थाने को सीआई स्तर पर क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

295. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के साम्भर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम (सिरोही) :

296. विधान सभा क्षेत्र थाना सिरोही के कृष्णगंज एवं कैलाशनगर में पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

297. प्रदेश में पुलिस की नौकरियों में पुलिस कार्मिकों के आश्रितों एवं महिलाओं को वरीयता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

298. पुलिस थाना बसवा व कोलवा (बांदीकुई) को नई गाड़ियां उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

299. राजगढ़ पुलिस थाना में स्टाफ बढ़ाने एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

300. प्रदेश में पुलिस कानिस्टेबलों एवं अधिकारियों से काटी गई राशि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

301. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के हरियाणा सीमा के रास्तों पर पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

302. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर हरियाणा सीमा के समीप होने के कारण अपराधों में हो रही वृद्धि होने से दो पुलिस थाने स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

303. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के पुलिस थानों में कानिस्टेबलों के लिए नई बैरिक के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

304. ब्यावर शहर में पुलिस चौकी साकेत नगर को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

305. प्रदेश के पुलिस थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत होने वाले अवैध खनन को रोकने एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जवाबदेही तय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

306. प्रदेश में बार्डर होम गार्ड के जवानों को नियमित कर अर्द्ध सैनिक बल का दर्जा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

307. कोलायत तहसील के गांव हदां में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

308. पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय कोलायत का भवन निर्माण कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

309. बीकानेर जिले के पुलिस थानों, पुलिस लाइन सहित सभी पुलिस से सम्बन्धित कार्यालयों में पुलिस कर्मियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

310. प्रदेश में होम गार्ड जवानों को स्थाई ड्यूटी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

311. प्रदेश में बिना कारण एवं बिना नोटिस दिये वर्ष 2009 में हटाये गये होम गार्ड जवानों को वापस सेवा में लिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

312. प्रदेश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए होमगार्ड जवानों का मानदेय 300 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-17 पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. प्रदेश के कारागारों में बंद नागरिकों को, अपराध प्रवृत्ति छोड़ने पर, प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

2. भीम उपखण्ड के कारागृह को नये कारागृह में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

3. राज्य की जेलों में ''सश्रम'' को सार्थक बनाने के लिए, कैदियों से काम लेने के लिए, कुटीर उद्योग स्थापित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

4. जिला डूंगरपुर में कारागृह में उपलब्ध सुविधाओं एवं कैदियों के रख-रखाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

5. राज्य की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों के साथ कर्मियों से मिलीभगत कर आपत्तिजनक मादक पदार्थ व मोबाइल सहित अन्य वस्तुएं कैदियों तक पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
6. जेल में बन्द अपराधियों द्वारा जेल के बाहर अपराधिक कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
7. आजीवन कारावास के बंदियों को किसी न किसी व्यवसाय में पूर्णत: जोड़ने के लिए जेलों में औद्योगिक इकाई प्रारम्भ कर आत्म निर्भर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. अजमेर केन्द्रीय कारागृह को जयपुर शहर से बाहर स्थानान्तरित करने एवं जेल अधीक्षक के पद पर अधिकारी नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. कारागार प्रहरियों का वेतनमान पुलिस कर्मियों के समान करने, प्रहरियों की संख्या बढ़ाने, प्रहरियों को आधुनिकतम उपकरण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

10. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर उप कारागृह को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र से हटाकर सुरक्षित क्षेत्र में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप खण्ड सराड़ा में कारागार खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के कारागार का विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के कारागार में स्टाफ बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कारागार में सुरक्षा मानकों के अनुसार व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

श्री रमेश (सपोटरा) :

15. करौली कारागार को नये भवन में स्थानान्तरित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

16. केन्द्रीय कारागार बाड़मेर में पिछले दिनों मोबाइल, कैदियों के झगड़े से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए स्टाफ बढ़ाने एवं अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

17. प्रदेश की जेलों में कर्मचारियों की मिलीभगत से कैदियों द्वारा मोबाइल, सिम, घातक हथियार, अवैध वस्तुएं एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री के उपयोग को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

18. जोधपुर जिले में उप कारागृह पिचियाक (बिलाड़ा) के वर्ष 2007 से बंद होने के कारण जनता को होने वाली परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

19. पिचियाक (बिलाड़ा) उप कारागृह को पुन: प्रारम्भ नहीं होने के कारण जोधपुर केन्द्रीय कारागृह एवं जैतारण उप कारागृह में बढ़ते कैदियों के कारण बढ़ रहे दबाव से जेल की कानून व्यवस्था बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

20. प्रदेश में केन्द्रीय कारागृह/उप कारागृह/खुले शिविरों, बाल सुधार गृहों का आाधुनिकीकरण नहीं होने से, जेल में कैदियों के बढ़ते अपराधों की रोकथाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

21. प्रदेश में केन्द्रीय उप कारागारों में जैमर लगवाकर जेल में बढ़ते अपराधों की रोकथाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

22. कारागृहों में बंदियों के स्वास्थ्य की सुचारु देखरेख हेतु पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

23. राज्य के कारागारों में व्याप्त अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

24. राज्य की जेलों में निरक्षर कैदियों के लिए साक्षरता अभियान चलाने एवं कैदियों में अनुशासन एवं सदाचरण की भावना विकसित करने के लिए प्रभावी उपाय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

25. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में स्थित उप कारागृह को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

26. प्रदेश के कारागारों में बंद कैदियों की मनोवृत्तियों में सुधार के लिए रचनात्मक गतिविधियों के प्रभावी संचालन की कार्य योजना बनाकर क्रियान्विति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. प्रदेश के कारागारों में गम्भीर और आदतन अपराधियों द्वारा भावावेश अथवा पारिवारिक कारणों से बने अपराधियों से अवैध वसूली और उन्हें भी अपराध के दलदल में धकेलने की शिकायतों को रोकने की कार्य योजना बनाकर क्रियान्विति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में जेलर भारत भूषण हत्याकाण्ड जैसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रदेश के कारागारों में सुरक्षा और जवाबदेही तय करने के कठोर मापदण्ड निर्धारण की कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. प्रदेश के कारागारों से अपराधियों द्वारा अपराध संचालन की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए सी.सी.टी.वी. तंत्र की स्थापना के साथ जेल अधिकारियों-कार्मिकों के उत्तरदायित्वों को तय करने के लिए कठोर मापदण्ड तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. केन्द्रीय कारागार जोधपुर के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

31. प्रदेश के कारागार में बंद कैदियों के पास मोबाइल मिलने एवं जेल से अपराध संचालित होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

32. प्रदेश की जेलों में कैदियों के साथ होने वाली मारपीट एवं अत्याचार को नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

33. प्रदेश के कारागारों में रिक्त पदों को भरने एवं नये पदों के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. जोधपुर केन्द्रीय कारागार शहर के मध्य आ जाने के कारण इसे शहर से बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. प्रदेश के कारागारों में कैदियों को पैरोल पर छोड़ने एवं कैदियों को न्यायालय में पेशी पर लाने-ले जाने के समय उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से पुलिस कर्मचारियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को रोक पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

36. अलवर जिला जेल के शहर के मध्य आने के कारण इसे शहर के बाहर बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

37. जेलों में बंद कैदियों द्वारा साथी कैदियों से मारपीट एवं धन वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (पचपदरा) :

38. जेल कर्मियों को नियमित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. जेल कर्मियों का वेतन पुलिस कर्मचारियों के समान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

40. कारागारों में कैदियों के लिए पर्याप्त मात्रा में बैरक बनाने एवं साफ सफाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. प्रदेश के कारागारों में मोबाइल फोन रोकने हेतु जैमर लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

42. उप कारागार फलौदी गत चार वर्षों से बंद है मरम्मत का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी पुन: शुरू नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

43. प्रदेश की जेलों में रिक्त सिपाहियों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. बंदी गृहों में कैदियों को मोबाइल, शराब, नशीले पदार्थ एवं अन्य अपात्तिजनक वस्तुएं पहुंचाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

45. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के बड़ी सादड़ी में नया कारागार खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

46. बहरोड़ उप कारागृह के भवन को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. बहरोड़ उप कारागृह में पानी की कमी को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. बहरोड़ उप कारागृह में नई बैरक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. बहरोड़ उप कारागृह में सुरक्षा प्रहरियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. बहरोड़ उप कारागृह में भोजन एवं अन्य सुविधाएं सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

51. केन्द्रीय कारागार कोटा में वर्ष 2010 से 2014 तक किये गये निरीक्षणों में पाई गई अनियमितता एवं खामियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

52. प्रदेश के कारागारों में अपराधियों को मोबाइल पहुंचाने को कारगर तरीके से रोकने के उपाय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

53. प्रदेश की सभी जेलों में मादक पदार्थों की उपलब्धता रोकने के समुचित उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

54. प्रदेश की जेलों में लालफीताशाही के चलते मादक पदार्थ/मोबाइल आदि के उपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

55. वर्तमान आधुनिक युग में जेलों में बंद खतरनाक अपराधियों को कोर्ट में लाने की बजाय उनकी सुनवाई बिना कोर्ट में पेश किये ही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

56. राजस्थान की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों (अन्डरट्रायल एण्ड कन्वीकेटेड) की सुरक्षा हेतु माकूल व्यवस्था करने एवं कैदियों के आपसी झगड़ों को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

57. राजस्थान की सभी जेलों में जेल कर्मियों की भर्ती करने एवं जेल कर्मियों को, आधुनिक हथियार, उपकरण व अन्य आवश्यक साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

58. जोधपुर सेन्ट्रल जेल को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

59. जोधपुर की सेन्ट्रल जेल को आधुनिकीकरण करने, जेल में मोबाइल व हथियार ले जाने पर रोक लगाने एवं खतरनाक कैदियों के लिए अलग से बैरक बनाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) :

60. बाड़ी में उप कारागार खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

61. जेल में कैदियों को प्रशिक्षण देने एवं लघु उद्योग धंधों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

62. बारां जेल की प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

63. राजस्थान के समस्त कारागारों को आधुनिक सेवा प्रदान करके इनके अन्दर हो रही गैर कानूनी कार्यवाही पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

64. प्रदेश के कारागारों में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

65. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की जेल में पीने के पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र (डग) :

66. विधान सभा क्षेत्र डग के चौमहला में उपकारागृह खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र डग की जेल में कैदियों को लघु उद्योग का प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र डग के भवानी मण्डी में सेन्ट्रल जेल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

69. भादरा सब जेल की शीघ्र मरम्मत करवाकर उसे पुन: चालू करवाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

70. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण, अलवर शहर के कारागारों में कैदियों से मिलने वाले रिश्तेदारों को बैठने एवं पीने के पानी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

71. प्रदेश के कारागारों में व्याप्त अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

72. कारागार में परीवीक्षाधीन मुल्जिम व सजायाफ्ता मुजरिम को अलग-अलग बैरक में रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

73. किशनगढ़ उपखण्ड (अजमेर) मुख्यालय पर उप कारागार खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

74. प्रदेश के कारागारों में हो रही मारपीट एवं अपराधी प्रवृत्ति के आधार पर अलग-अलग बैरक बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

75. प्रदेश के सभी कारागारों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

76. जोधपुर कारागार में कैदियों के आचरण में सुधार हेतु नियमित चरित्र निर्माण एवं संस्कार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

77. प्रदेश की जेलों में व्याप्त अव्यवस्था एवं बढ़ते भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

78. अलवर कारागार के कैदियों को भरतपुर व जयपुर कारागार से वापिस अलवर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

79. अलवर कारागार में कैदियों को विशिष्ट शिल्पकारों द्वारा प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

80. अलवर जेल को केन्द्रीय कारागार बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

81. अलवर कारागार को शहर से बाहर स्थानान्तरित कर केन्द्रीय कारागार बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

82. प्रदेश की जेलों में मोबाइल फोन पर पाबन्दी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को रोजगार से जोड़ने के लिए अल्पकालीन रोजगारोन्मुखी ट्रेनिंग करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. प्रदेश की जेलों में जैमर लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

85. प्रदेश की जेलों में जेल तोड़ने की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कदम व सुरक्षा प्रहरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. प्रदेश की जेलों में पांच वर्ष से अधिक ठहराव वाले कैदियों को उनके व्यवहार व उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षित कर भविष्य सुधारने का मौका देकर उन्हें गुनाहों की जिन्दगी से उबारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

87. प्रदेश की जेलों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

88. प्रदेश के कारागारों में 4 जी जैमर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

89. प्रदेश की कारागारों में रह रहे अपराधियों द्वारा मोबाइल के जरिये चलाई जा रही गैंगवारों व अपराध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

90. प्रदेश के कारागारों में अवैध हथियार पाये जाने पर अधिकारियों को षड्यंत्र में शामिल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

91. सीकर जिले के कारागार में चली गोलियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

92. प्रदेश के कारागारों में मोबाइल सिम पाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) :

93. प्रदेश की जेलों में कारागृह प्रहरियों के रिक्त पद भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

94. प्रदेश के प्रत्येक जेल में सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

95. प्रदेश की जेलों में हार्डकोर अपराधियों के लिए प्रदेश में अलग से जेल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

96. प्रदेश की जेलों में मोबाइल व अनाधिकृत वस्तुओं के पूर्ण निषेध के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

97. हिण्डौन कारागार के सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

98. विधान सभा क्षेत्र करौली की जेल को नव-निर्मित जेल भवन में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

99. भीनमाल सब जेल (जिला जालौर) में कभी-कभी कैदियों की संख्या अधिक होने के कारण कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट करने के कारण जेल की क्षमता बढाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

100. निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ में उप कारागृह के नवीन भवन के निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

101. प्रदेश के बंदियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि, उद्यमिता, व्यवसाय एवं कौशल विकास को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. राजसमंद जिला कारागार में बंदियों के लिये खेलकूद, मनोरंजन, योग चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. प्रदेश के बंदियों को दिये जाने वाले भोजन की मात्रा, गुणवत्ता में वृद्धि एवं स्वतंत्र अधिकरण द्वारा इसकी जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. प्रदेश के बंदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच एवं परीक्षण और कारागारों में बंदियों की मृत्यु एवं गम्भीर रोगों से ग्रस्त होने की घटनाओं में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

105. प्रत्येक सम्भाग मुख्यालय पर महिला बंदियों के लिए पृथक कारागार की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

106. शाहपुरा व विराटनगर में कारागार न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

107. जयपुर कारागार में मोबाइल सिगरेट आदि मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

108. जयपुर जिले में किशोर बंदी सुधारगृह न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

109. जयपुर में स्थित कारागार में महिला बंदियों के लिए सुधारगृह की व्यवस्था ठीक न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

110. प्रदेश के कारागार विभाग में रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

111. मारवाड़ जंक्शन में जेल भवन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

112. प्रदेश की जेलों में हो रहे अवैध धंधों की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

113. प्रदेश के कारागारों में आये दिन मोबाइल पकड़े जाने की घटनाओं की रोकथाम एवं इसके समाधान हेतु कारागारों में सार्वजनिक टेलीफोन के माध्यम से कैदियों की उनके परिजनों से बातचीत करवाकर रजिस्टर में इन्द्राज करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. प्रदेश के कारागारों में दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

115. बालोतरा कारागार में खुले बंदी शिविर की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. बालोतरा, बाड़मेर के कारागार में स्वीकृत पदों के अनुसार रिक्त पद भरने एवं नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. बालोतरा एवं बाड़मेर के कारागार एवं खुले बंदी शिविर की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

118. प्रदेश की जेलों में बंद अपराधियों द्वारा जेलों से संगठित गिरोह का संचालन, धमकियां देने व रुपये वसूलने की बढ़ती घटनाएं व जेलों में अपराधियों को सुख सुविधा देने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. प्रदेश की जेलों में कैदियों की आपराधिक घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी एवं आपराधिक घटनाओं की जांच के उपरान्त दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. प्रदेश के जेल प्रहरियों को पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेतन भत्ते दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. जयपुर सेन्ट्रल जेल को घनी आबादी में आ जाने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित करने व अपराधियों के मोबाइल सम्पर्क पर रोक लगाने के लिए जैमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. प्रदेश की जेलों को बंदी सुधारगृहों में बदले जाने व वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा व जेलों में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

123. फुलेरा स्थित कारागृह में आगुन्तकों के बैठने की छत सहित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

124. फुलेरा कारागृह में सुविधाएं बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की फुलेरा जेल में प्रहरियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

126. डूंगरपुर जिला मुख्यालय कारागार का विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

127. ग्राम न्यायालय बिछीवाड़ा परिसर में पेशी पर आने वाले कैदियों हेतु कैदीगृह के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

128. डूंगरपुर न्यायालय परिसर में स्थित कैदी गृह का विस्तार एवं सुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

129. प्रदेश में स्थित कारागारों में बंद अपराधियों से मोबाइल, हथियार जैसी आपत्तिजनक वस्तुओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

130. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के कारागारों का समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के कारागारों में देय सुविधाओं की जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. राजगढ़ उप कारागृह के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ उप कारागृह में हरियाणा के बंदियों को केन्द्रीय कारागार में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

134. प्रदेश की जेलों में मोबाइल पर पूर्णत: पाबन्दी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

135. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में स्थित कारागार की दयनीय स्थिति व सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

136. सेन्ट्रल जेल अजमेर में संचालित आई.टी.आई. में नई शाखाएं प्रारम्भ करने के साथ ही कैदियों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिये जाने एवं अन्य जेलों में भी आई.टी.आई. खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

137. प्रदेश की कारागारों में प्रहरी सहित अन्य रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

138. सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश की जेलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं मोबाइल जैमर लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

139. प्रदेश की जेल से बंदियों को पेशी पर न्यायालय ले जाने के लिए चालानी गार्ड के रूप में पुलिस कर्मियों के स्थान पर जेल के स्टाफ की ड्यूटी लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

140. प्रदेश के कारागारों में कैदियों के परिजनों को कैदियों से मिलने हेतु पर्याप्त व सीधे मिलने की व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

141. प्रदेश के सभी कारागारों में कैदियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

142. प्रदेश के कारागार विभाग में जेल प्रहरी व अन्य रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

143. प्रदेश के कारागारों में अपराधियों द्वारा मोबाइल का उपयोग कर अपराध को बढ़ावा देने तथा प्रताड़ित पक्ष व गवाहों को मोबाइल द्वारा धमकाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर प्रदेश की सभी जेलों में मोबाइल जैमर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-3A

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या 16-पुलिस व मांग संख्या 17-कारागार पर माननीय सदस्य श्री सुरेश सिंह रावत द्वारा सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

मांग संख्या 16-पुलिस

(1) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के करकेड़ी, सराधना में थाना खोलने की अति आवश्यकता है

(2) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय खोला जाए।

(3) अजमेर जिले के पुलिस विभाग में रिक्त पदों को तुरन्त भरा जाए।

(4) प्रदेश में पुलिस बल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने एवं साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

(5) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में महिला थाने की अलग से स्थापना हो।

(6) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत रामनेर की ढाणी को किशनगढ़ थाने से हटाकर गेगल थाने में पुन: जोड़ा जाए।

(7) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय मेले के समय और रामदेवरा पदयात्रा के समय पुष्कर सरोवर में पुलिस विभाग के प्रशिक्षित अतिरिक्त पुलिस बल जैसे गोताखोर एवं अन्य विशेषज्ञों की तैनाती की जाने की आवश्यकता है।

(8) वर्तमान में अजमेर जिले में स्थापित थानों के भवनों की मरम्मत व आवश्यक सुविधाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

(9) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के थानो में पुराने संसाधनों की जगह नये संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

(10) सभी थानों में प्रवेश द्वार से लेकर थानाधिकारियों के कक्ष सहित थाने के सभी क्षेत्रों में सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाने की आवश्यकता है ताकि जनता को राहत मिल सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।

(11) अजमेर में कानून व्यवस्था में सुधार एवं आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिये प्रमुख मार्गों, व्यापारिक क्षेत्रों व विस्तृत रिहायशी क्षेत्रों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की आवश्यकता है।

(12) प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह निरीक्षकों, उप निरीक्षकों, सहायक निरीक्षकों, हैड कांस्टेबलों, कांस्टेबलों को रोडवेज के मुफ्त यात्रा पास दिये जाने चाहिए।

(13) अजमेर जिले में पुलिस चौकियों, थानों एवं अन्य कार्यालयों में भवन निर्माण, विस्तार एवं मरम्मत एवं पुलिसकर्मियों के लिये आवास व्यवस्था करने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता है।

(14) प्रदेश में बिना कारण एवं बिना नोटिस दिये वर्ष 2009 में हटाये गये होम गार्ड जवानों को वापस सेवा में लिए जाने चाहिए।

(15) प्रदेश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए होम गार्ड जवानों का मानदेय 300 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किया जाना चाहिए।

(16) पुलिस थानों में बीट व्यवस्था का पुनर्गठन करने एवं अपराधियों से मिले हुए पुलिस कर्मियों को थाने से हटा के लाइन में लगाना चाहिए।

(17) प्रदेश में हत्या, चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिये पुलिस की 24 घंटे प्रभावी गश्त को पर्याप्त गश्ती वाहन, मोटरसाइकिल, जीप एवं पी सी आर वैन इत्यादि उपलब्ध करानी चाहिए।

(18) प्रदेश में उपनिरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों को साइबर क्राइम, क्रिमिनोलोजी, फोरेन्सिक साइन्स, पालिटिकल साइन्स एवं साइकोलोजी की शिक्षा के लिये प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17- कारागार

(1) प्रदेश के कारागारों में बन्द कैदियों को अपराध प्रवृत्ति छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चहिए।

(2) राज्य की जेलों में सश्रम को सार्थक बनाने के लिए कैदियों से काम लेने के लिए कुटीर उद्योगों की नई इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए।

(3) अजमेर जिला कारागार में बन्द बन्दियों के लिए खेलकूद, योग, चिकित्सा, नृत्य एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

(4) प्रदेश में बन्दियों को दिये जाने वाले भोजन की मात्रा, गुणवत्ता में वृद्धि एवं स्वतंत्र अधिकरण द्वारा इसकी जांच करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(5) प्रदेश की जेलों में बन्द बन्दियों की नियमित स्वास्थ्य जांच एवं परीक्षण और कारागारों में बन्दियों की मृत्यु एवं गम्भीर रोगों से ग्रस्त होने की घटना में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति पर नियंत्रण करना चाहिए।

(6) प्रत्येक सम्भाग मुख्यालय पर महिला बन्दियों के लिए पृथक कार्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

(7) प्रदेश के जेल प्रहरियों को पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेतन-भत्ते दिये जाने चाहिए।

(8) कारागारों में कैदियों के लिए पर्याप्त मात्रा में बैरक बनाने एवं साफ-सफाई करने की आवश्यकता है।

(9) राज्य की जेलों में निरक्षर कैदियों के लिए साक्षरता अभियान चलाने एवं कैदियों में अनुशासन एवं सदाचार की भावना विकसित करने के लिए संगोष्ठियां आदि प्रभावी उपाय करने चाहिए।

परिशिष्ट-3B

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या 16-पुलिस व मांग संख्या 17-कारागार पर माननीय सदस्य श्री कल्याणसिंह चौहान द्वारा सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं पुलिस विभाग से सम्बन्धित निम्न मांगे रखना चाहता हूं :-

1. रेलमगरा में पुलिस वृत्त निरीक्षक कार्यालय, नाथद्वारा में श्रीनाथजी मंदिर की सुरक्षा के लिये व पर्यटकों की सहायता के लिये अलग पुलिस थाना एवं कोठारिया के लिये अलग पुलिस थाना स्वीकृत हो।

2. वृत्त सहायता नाथद्वारा का भवन उपलब्ध नहीं है एवं कार्यालय के नाम पर भूमि तहसील कार्यालय नाथद्वारा परिसर में आबंटित है। भवन निर्माण राशि स्वीकृत हो।

3. थाना नाथद्वारा अन्तर्गत एक चौकी हास्पिटल के नाम से स्थापित है एवं सहायक उप निरीक्षक व जाप्ता भी उपलब्ध है मगर हास्पिटल परिसर में चौकी भवन नहीं है। हास्पिटल नाथद्वारा परिसर में भवन की जमीन आरक्षित करा भवन निर्माण कराने की स्वीकृति हो जिससे भवन उपलब्ध होने पर नियमित रूप से जाप्ता उपस्थित रह सके।

4. थाना नाथद्वारा अन्तर्गत लाल बाजार चौकी, श्रीनाथजी मंदिर मण्डल के पुराने जर्जर भवन में संचालित है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि मंदिर मण्डल द्वारा उक्त भवन को अन्य उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है। अत: अन्य भवन उपलब्ध करावें, ताकि चौकी प्रभारी एवं जाप्ता निरन्तर चौकी पर उपस्थित रह सके।

5. थाना रेलमगरा में वर्तमान में 6 आवासीय क्वार्टर हैं जो काफी कम हैं। 12 आवासीय क्वार्टर की स्वीकृति हो।

6. थाना देलवाड़ा पर 4 आवासीय क्वार्टर स्थित हैं। 8 आवासीय क्वार्टर की स्वीकृति हो।

7. थाना खमनोर पर 5 आवासीय क्वार्टर स्थित हैं। 8 आवासीय क्वार्टर की स्वीकृति हो।

8. चौकी झालों की मदार पंचायत के भवन में संचालित है। चौकी हेतु जमीन उपलब्ध है। अत: चौकी भवन एवं 5 आवासीय क्वार्टर की राशि स्वीकृत हो।

9. नाथद्वारा शहर में ट्रैफिक थानेदार का पद स्वीकृत हो।

10. राजसमन्द जिले में RAC बटालियन तैनात थी व बटालियन प्रतापगढ़ में तैनात कर दी। उसको वापस राजसमन्द में सिफ्ट कराने का कष्ट करें।

परिशिष्ट-3C

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या 16-पुलिस व मांग संख्या 17-कारागार पर माननीय सदस्य श्रीमती शिमला बावरी द्वारा सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सी.आई.डी. की बार्डर पोस्टें ज्यादातर 2010 में कांग्रेस सरकार के दौरान बंद कर दी गईं, जबकि ये पोस्टें पूर्व में केन्द्र सरकार की योजना के तहत खोली गई थीं। सीमा क्षेत्र में उन पोस्टों पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में व पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ, तस्करी व जासूसी पर अंकुश लगाने का कार्य था। वर्तमान में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा के नजदीक पोस्टें खोली जा रही हैं, टावर भी नजदीक में लगाये जा रहे हैं तथा पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश रहती है। भारतीय सीमा क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने के लिए बंद की गई सी.आई.डी. की पोस्टें पुन: चालू की जायें। बंद की गई पोस्टों में रावला, गजसिंहपुर, केसरीसिंहपुर, आदि पोस्टें शामिल हैं। बंद की गई पोस्टों के करोड़ों रुपये के भवन व मकान बने हुए हैं। अत: इन पोस्टों को सुरक्षा की दृष्टि से चालू किया जाये।

2. पुलिस कर्मचारियों का मैस भत्ता बढ़ाया जाये।

3. रोडवेज बसों में यात्रा करने की नि:शुल्क सुविधा की जाये। कर्मचारियों से एकमुश्त साल में निश्चित किराया राशि काट ली जाये। जिससे रोडवेज को भी फायदा होगा तथा पुलिस के बजट में भी बचत होगी।

4. पुलिस कर्मचारियों की कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक डी पी सी द्वारा पदोन्नति दी जायेगी।

5. वर्दी भत्ता बढ़ाया जाये।

6. थानों में गश्त करने के लिए मोटरसाइकिल के लिए केवल 10 लीटर पेट्रोल दिया जाता है, जिसको बढ़ाकर 30 लीटर प्रति माह कर दिया जाये।

7. पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को पुलिस भर्ती में विशेष सुविधा प्रदान की जावे।

8. पुलिस थानों में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाएं थाना परिसर में ही उपलब्ध करवायी जायें।

9. अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में रोजड़ी में पुलिस चौकी स्थापित की जाये।

10. अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अनूपगढ़, घड़साना, रावला, रामसिंहपुर थानों में खाली पड़े सभी पदों पर नियुक्ति की जावें।

राजस्थान पुलिस बजट 2014 के तहत पुलिस विभाग की ओर से की जाने वाली सिफारिशें :-

1. रोडवेज बस में यात्रा हेतु स्मार्ट कार्ड की सुविधा वेतन से प्रति माह निश्चित राशि की कटौती की जाकर पुलिस कर्मियों को 24×7 रोडवेज यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जावे।

2. पुलिस कर्मियों के वर्दी सिलाई भत्ता, मैस भत्ते, वर्दी धुलाई भत्ता केन्द्र के समान किये जावें।

3. पुलिस कर्मियों की आवासीय व्यवस्था हेतु नवीन आवासीय भवनों का निर्माण पुलिस कर्मियों की बढ़ती संख्या के अनुपात में किया जावे।

4. पुलिसकर्मी योजना के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आबंटित करवाये जावें। (लोन आधार पर)

5. पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली मेडिकल सेवा के तहत अधिक से अधिक निजी अस्पतालों को दायरे में लिया जावे। मेडिकल स्मार्ट कार्ड के आधार पर अस्पताल में भर्ती होते ही नि:शुल्क चिकित्सा सेवा दी जावे।

6. राजस्थान पुलिस कमाण्डों भत्ता केन्द्र के समान दिया जावे।

7. पुलिसकर्मियों को विभाग की ओर से मिलने वाले सामान (वर्दी, जूते, टोपी आदि) में गुणवत्ता लाई जावे।

8. पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक रेस्ट दिया जावे तथा 8 घण्टे की ड्यूटी की जावे। कमिश्नरेट में 25 प्रतिशत भत्ता बढ़ाया जावे एवं साप्ताहिक रेस्ट अन्य जगह के समान किया जावे।

9. पिछली सरकार द्वारा दिया गया स्टेशनरी भत्ता पुन: चालू किया जावे एवं मोटरसाइकिल अलाउन्स सभी पुलिसकर्मियों को दिया जावे, जो कि आज से 30 साल पहले रु. 50 दिया जाता था, महंगाई एवं पेट्रोल कीमतों को देखते हुए कम से कम रु. 2,000 प्रति माह दिया जावे।

परिशिष्ट–3D

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या 16-पुलिस व मांग संख्या 17-कारागार पर माननीय सदस्य श्री भागीरथ चौधरी द्वारा सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

मांग संख्या 16-पुलिस

- किशनगढ़ (अजमेर) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का नवीन कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

- माननीय अध्यक्ष/मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किशनगढ़ (अजमेर) स्थित पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के कार्य क्षेत्र में गत वर्षों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जहां गत वर्षों में नवीन थानों गांधीनगर एवं बोराड़ा की स्थापना हुई है। वहीं मदनगंज, किशनगढ़, अरांई, बांदरसिन्दरी एवं रूपनगढ़ पुलिस थानों में विभिन्न मामलों में यथा आई पी सी अपराध अन्तर्गत वर्ष 2011 में 1213, वर्ष 2012 में 1287, 2013 में 1544 प्रकरण, लोकल एक्ट अपराध में वर्ष 2011 में 163, वर्ष 2012 में 184, वर्ष 2013 में 171 प्रकरण, निरोधात्मक कार्यवाही में वर्ष 2011 में 1642 इस्तगासे, वर्ष 2012 में 1135 इस्तगासे, वर्ष 2013 में 1423 इस्तगासे पेश हुए हैं तथा महिला अत्याचार सम्बन्धी अपराधों में सन 2011 में 127, वर्ष 2012 में 118 एवं वर्ष 2013 में 192 केस, एवं अनुसूचित जाति अत्याचार सम्बन्धी प्रकरण वर्ष 2011 में 37, वर्ष 2012 में 44, वर्ष 2013 में 60 प्रकरण दर्ज हुए वहीं अनुसूचित जन जाति अत्याचार सम्बन्धी अपराधान्तर्गत वर्ष 2011 में 03, वर्ष 2012 में 04 एवं वर्ष 2013 में 05 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इस प्रकार किशनगढ़ क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2011 में सभी दर्ज प्रकरणों की संख्या 3225 एवं वर्ष 2012 में 2820 एवं वर्ष 2013 में 3460 है जो कि राज्य के किसी भी पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय से सर्वाधिक हैं। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अधीन 7 थाना क्षेत्रों में गत 3 वर्षों में कार्य की अधिकता को देखते हुए यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का नवीन पद स्वीकृत कर कार्यालय खोलने की सक्षम स्वीकृति प्रदान करावें। आपकी बड़ी महती कृपा होगी। ज्ञात रहे कि गत कांग्रेस सरकार ने बिना मापदण्डों के आधार पर ही कुछ जगह अतिरिक्त पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोल दिये गये जबकि

किशनगढ़ उपखण्ड पर इसकी नितान्त आवश्यकता होते हुए भी गत सरकार की उदासीनता के चलते इसे वंचित रखा गया।

- किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण एवं शहरी के अलग-अलग दो पदों के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

- माननीय अध्यक्ष/मुख्यमंत्री महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में किशनगढ़ उपखण्ड़ मुख्यालय पर पुलिस की माकूल व्यवस्था, निगरानी एवं कानूनी व्यवस्था बनाये रखने के लिए उप अधीक्षक पुलिस का एक पद सृजित है। इस वृत्त के अधीन 7 थाना यथा मदनगंज, किशनगढ़, गांधीनगर, अरांई, बान्दरसिन्दरी, बोराड़ा व रूपनगढ़ आते हैं। जिनमें भारतीय दण्ड संहिता में गत 2 वर्षों में अर्थात वर्ष 2012 में 1287 एवं वर्ष 2013 में 1544 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसी प्रकार आबकारी अधिनियम में वर्ष 2012 में 27 एवं वर्ष 2013 में 29 प्रकरण, आर्म्स एक्ट में वर्ष 2012 में 10 एवं वर्ष 213 में 11, एवं जुआ अधिनियम में वर्ष 2012 में 78 एवं वर्ष 2013 में 55, महिला अत्याचार प्ररकण में वर्ष 2012 में 118 एवं वर्ष 2013 में 192 प्रकरण, अनुसूचित जाति अत्याचार में वर्ष 2012 में 44 एवं वर्ष 2013 में 60 प्रकरण, अनुसूचित जन जाति अत्याचार के वर्ष 2012 में 4 एवं वर्ष 2013 में 5 प्रकरण, अन्य अधिनियमों में वर्ष 2012 में 62 एवं वर्ष 2013 में 75 तथा माइनर एक्ट्स में वर्ष 2012 में 184 एवं वर्ष 2013 में 171 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इस प्रकार गत 2 वर्षों में कार्यों की अधिकता को दृष्टिगत रखकर आमजन को सुगम एवं सरल सामाजिक एवं नागरिक सुरक्षा दिलाने हेतु वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस उप अधीक्षक शहरी एवं पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण के 2 अलग-अलग पदों के सृजन की आवश्यकता है। अत: माननीय मुख्यमंत्री महोदया से मेरा निवेदन है कि किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय स्थित पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के कार्य की अधिकता को देखते हुए इसका वर्गीकरण कर दो अलग-अलग नवीन कार्यालय क्रमश: पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण में 4 थाने यथा बान्दरसिन्दरी, अरांई, बोराड़ा व रूपनगढ़ एवं पुलिस उप अधीक्षक शहर में 3 थानों यथा मदनगंज किशनगढ़ एवं गांधीनगर का कार्यक्षेत्र निर्धारण कर पुलिस की माकूल व्यवस्था को जवाबदेही, पारदर्शी बनाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में उक्त दोनों पदों की स्वीकृति प्रदान करावें। आपकी बड़ी महती कृपा होगी।

- किशनगढ़ (अजमेर) स्थित गांधीनगर पुलिस थाना में पुलिस निरीक्षक (C.I.) का नवीन पद सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

- माननीय अध्यक्ष/मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विगत कुछ वर्षों में किशनगढ़ मार्बल नगरी के रूप में विख्यात हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का काफी विकास एवं विस्तार हुआ है, यहां पर औद्योगिक क्षेत्र में 600 गैंगसा, एवं 100 ग्रेनाइट कटर संचालित हैं। जहां पर आस-पास के 20-25 कि.मी. से हजारों ग्रामीण रोजगार हेतु आते हैं। वहीं अन्य राज्य के मजदूर वर्ग के लोग भी यहां पर अपनी रोजी-रोटी के लिए बस गये हैं। गांधीनगर क्षेत्र के समीप सांवतसर इलाके के 5 वार्डों एवं गांधीनगर क्षेत्र के 10 वार्डों में लगभग 55000 की आबादी रहती है, जिसमें कुछ अति संवेदनशील क्षेत्र भी हैं। साथ ही उक्त औद्योगिक क्षेत्र में कई तरह के असामाजिक तत्वों की आवाजाही रहती है और ढाबों एवं होटलों पर भी प्राय: उनका जमावाड़ा बना रहता हैं, तो दूसरी ओर मार्बल एरिया क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों एवं गोदामों में चोरियों की घटनाएं भी होती रहती हैं। उक्त क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु पुलिस थाना गांधीनगर स्थापित है। जहां पर उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी कार्यरत है जो कि इतने बड़े क्षेत्र की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं सामाजिक सौहार्द एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में सक्षम नहीं है। अत: माननीय मुख्यमंत्री महोदया से करबद्ध निवेदन है कि पुलिस थाना गांधीनगर (किशनगढ़) के क्षेत्र का दायरा अत्यधिक विस्तृत होने से इस थाने में पुलिस निरीक्षक (C.I.) स्तर कर अधिकारी लगाया जाना नितान्त आवश्यक है। ताकि आमजन को, व्यापारियों को सामाजिक एवं नागरिक सुरक्षा का पूर्ण लाभ मिल सके। कृपया आप चालू वित्तीय वर्ष में उक्त पुलिस थाना गांधीनगर (किशनगढ़) में पुलिस निरीक्षक (C.I.) स्तर का पद स्वीकृत कर पदस्थापन की कार्यवाही करावें। आपकी बड़ी महती कृपा होगी।

- किशनगढ़ (अजमेर) में महिला पुलिस थाना की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

- माननीय अध्यक्ष/मुख्यमंत्री महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में गत वर्षो में जनसंख्या का विस्तार होने से कई नई कालोनियों का निर्माण हुआ है। वहीं आमजन की सुरक्षा हेतु कार्यरत पुलिस थाना किशनगढ़, मदनगंज एवं गांधीनगर संचालित हैं यहां पर नगर परिषद क्षेत्र के 45 वार्डों में लगभग 2,00,000 की आबादी रहती है। गत वर्षों में शहरी क्षेत्र में एवं इसके आस-पास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अत्याचार सम्बन्धी अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। जिसकी जानकारी उक्त पुलिस

थानावार इस प्रकार है- मदनगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत सन 2011 में 62 केस, 2012 में 42 केस व 2013 में 61 केस दर्ज हुए, वहीं किशनगढ़ थाना क्षेत्र में 2011 में 29 केस, 2012 में 25 केस एवं 2013 में 26 केस दर्ज हुए तथा गांधीनगर क्षेत्र में सन 2012 में 12 केस तथा 2013 में 32 केस दर्ज हुए हैं। इस प्रकार गत 3 वर्षों में किशनगढ़ वृत्त के अन्तर्गत कुल 289 केस महिला अत्याचार सम्बन्धी प्रकरणों में दर्ज हुए हैं। अत: उक्त आंकड़ों के आधार पर मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि राज्य में नवीन महिला पुलिस थाना खोलने पर सर्वप्रथम किशनगढ़ (अजमेर) को प्राथमिकता प्रदान करावें। ताकि निराश्रित एवं परिवार द्वारा प्रताड़ित महिलाओं को उनके परिजनों के विरुद्ध सुरक्षा एवं न्याय प्राप्ति के लिए प्रभावी क्रियान्विती की जाकर पीड़ित महिला को उचित न्याय एवं सम्बल प्राप्त हो सके। आपकी बड़ी महती कृपा होगी।

- किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड में, यज्ञनारायण चिकित्सालय परिसर में, गांधीनगर थाने के पुराने भवन में एवं किशनगढ़ थाने के पुराने भवन में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

- माननीय अध्यक्ष/मुख्यमंत्री महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गत 14-15 वर्षों में किशनगढ़ शहरी क्षेत्र का चहुंमुखी विकास चारों तरफ होने से इसका फैलाव क्षेत्र भी बढ़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से यहां की जनसंख्या राज्य के 20 जिला मुख्यालयों से भी ज्यादा है। वहीं यहां पर हजारों औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं जिसमें क्षेत्र के 20-25 कि.मी. दूरी तक के गांवों के मजदूर वर्ग के लोग रोजगार हेतु आते हैं। मान्यवर, यहां पर विश्व प्रसिद्ध मार्बल मण्डी है। यहां पर कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं आमजन की सुरक्षा हेतु तीन पुलिस थाना क्रमश: गांधीनगर, मदनगंज एवं किशनगढ़ संचालित हैं, लेकिन उक्त तीनों थाने शहरी क्षेत्र की बाहरी सीमा के समीप होने से आमजन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहां मदनगंज थाना जयपुर रोड पर स्थित है, उसके कार्यक्षेत्र में मदनगंज क्षेत्र के 20 वार्डों की 1,00,000 की आबादी है, जिसकी सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी पुलिस थाना मदनगंज पर है। वहीं दूसरी ओर गांधीनगर थाना मकराना रोड चौराहा के समीप है। जिस पर सांवतसर क्षेत्र के 5 एवं गांधीनगर क्षेत्र के 10 वार्डों की लगभग 55,000 की आाबदी का जिम्मा है। उक्त दोनों ही थानों पर आवागमन के कोई सार्वजनिक साधन नहीं हैं। आमजन को कोई कार्य होने पर टेम्पो किराया पर लेकर ही जाना पड़ता है। वहीं किशनगढ़ थाना नसीराबाद रोड

पर होने से शहर के 15 वार्डों के लगभग 45,000 निवासियों को थाने में आने-जाने में कठिनाइयों होती हैं तथा शहर के मध्य स्थित उपखण्ड के प्रमुख चिकित्सा संस्थान राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय जो कि 200 बैड का है, वहां आये दिन घटना दुर्घटना के कारण छोटी-मोटी झड़पें अस्पताल परिसर में होती रहती हैं। जिससे कभी-कभी शांतिभंग होने का खतरा बना रहता है। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि मदनगंज शहरी क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में, राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय परिसर में एवं नगर परिषद के सामने स्थित किशनगढ़ थाने का पुराना भवन एवं गांधीनगर पुलिस थाना जिसका नवीन भवन निर्माण वर्तमान थाना स्थान से लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर हाइवे पर बन रहा है, जिससे सांवतसर, मार्बल एरिया, गांधीनगर क्षेत्र के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अत: उसके पुराने भवन में ही नवीन पुलिस चौकी चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें। उक्त चारों पुलिस चौकियों के खुल जाने से किशनगढ़ में जवाबदेही, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी एवं शहर में आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।

मांग संख्या 17-कारागार

- किशनगढ़ उपखण्ड (अजमेर) मुख्यालय पर उप कारागृह खोलने बाबत चर्चा लिए।

- माननीय अध्यक्ष/मुख्यमंत्री महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किशनगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के अधीनस्थ 7 पुलिस थानों यथा मदनगंज, किशनगढ़, गांधीनगर, अरांई, बोराड़ा, बान्दरसिन्दरी एवं रूपनगढ़ का कार्यक्षेत्र आता है। इन थानों में वर्ष 2011 में सभी दर्ज प्रकरणों की संख्या 3225 एवं वर्ष 2012 में 2820 एवं वर्ष 2013 में 3460 थी। अमूमन यहां पर औद्योगिक क्षेत्र में आये दिन आपराधिक गतिविधियां एवं चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। जिससे यहां प्रतिदिन 7-8 मुल्जिमों को अजमेर सेन्ट्रल जेल में जे.सी. भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर यहां पर न्यायिक विभाग के प्रमुख न्यायालय क्रमश: मुन्सिफ न्यायालय, अतिरिक्त मुन्सिफ न्यायालय, अतिरिक्त सिविल न्यायालय प्रथम, अतिरिक्त सिविल न्यायालय द्वितीय एवं अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय होने से आये दिन 40-50 मुल्जिमों की पेशी होती रहती है। एवं यहां पर उप जिला दण्डाधिकारी न्यायालय भी कार्यरत है अत: उक्त सभी न्यायालयों में मुल्जिमों को मुकदमों की सुनवाई हेतु अजमेर सेन्ट्रल जेल से लाना एवं ले जाना पड़ता

है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला मुख्यालय अजमेर स्थित सेन्ट्रल जेल में कैदियों के रखने की क्षमता 786 मुल्जिमों की है, लेकिन वर्तमान में यहां पर 986 मुल्जिमों को रखा जा रहा है। जो कि एक विकट समस्या है, क्योंकि यहां पर सम्पूर्ण अजमेर जिले के साथ-साथ भीलवाड़ा, नागौर, टोंक एवं अन्य जिलों के मुल्जिमों को भी यहां रखा जाता है, जिससे वर्तमान में अजमेर सेन्ट्रल जेल में अत्यधिक बंदियों का कार्यभार होने के साथ-साथ उनको समुचित सुविधाएं यथा आवास, खाना-पीना, आदि को सुलभ कराने में कठिनाइयां हो रही हैं। अत: मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि अजमेर सेन्ट्रल जेल में बन्दियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने एवं उन्हें समुचित सुविधाओं की उपलब्धता कराने हेतु वहां के कार्यभार क्षमता में कमी करके किशनगढ़ (अजमेर) मुख्यालय पर एक नवीन उपकारागृह खोलने की कृपा करावें, ताकि यहां पर स्थित न्यायालयों में आने-जाने वाले मुल्जिमों को यहां स्थापित होने वाले उपकारागृह में ही रखा जा सके।

परिशिष्ट-3E

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या 16-पुलिस व मांग संख्या 17-कारागार पर माननीय सदस्य श्रीमती कमसा द्वारा सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

- विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में यातायात पुलिसकर्मी लगाये जाने बाबत। भोपालगढ़ हैड क्वार्टर में 36 पंचायतों के लोगों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य बस स्टैण्ड पर यातायात अव्यवस्था की भरमार है। मुख्य बस स्टैण्ड के पास ही कृषि मंडी एवं सब्जी मंडी होने से भी पूरे दिन भीड़-भाड़ लगी रहती है। इसके कारण, अनियमितता के कारण लोगों को अति परेशानी होती है, भीड-भाड में चोरी व जेबकतरों के मामले भी बढ़े हैं। अत: इस समस्या के निवारण हेतु भोपालगढ़ में यातायात पुलिसकर्मियों की शीघ्र पद सृजन व नियुक्ति की मांग रखती हूं।
- भोपालगढ़ में सीआई पद स्वीकृत करने बाबत। भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से सीआई के पद सृजन की मांग उठती आयी है। आज भोपालगढ़ में आपराधिक मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। भोपालगढ़ में उपखण्ड कार्यालय भी है। अत: अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु भोपालगढ़ में सीआई का पद स्वीकृत किया जावे की मैं मांग रखती हूं।

विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ का क्षेत्रफल अति विस्तृत है। आजकल अपराधी भी हाइटेक होते जा रहे हैं। उनके पास अत्याधुनिक वाहन हैं। लेकिन भोपालगढ़ पुलिस के पास आधुनिक वाहनों की कमी है।

भोपालगढ़ पुलिस थाने में नफरी बढ़ाये जाने की भी आवश्यकता है। अत: अपराधों पर पूर्णरूपेण अंकुश लगाने के लिए मैं भोपालगढ़ पुलिस थाने में आधुनिक वाहन उपयोग करवाने तथा नफरी बढ़ाये जाने की मांग रखती हूं।

परिशिष्ट-3F

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या 16-पुलिस व मांग संख्या 17-कारागार पर माननीय सदस्य श्री शंकर सिंह राजपुरोहित द्वारा सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

1. समस्त पुलिसकर्मियों को लम्बे समय तक वर्दी पहनकर ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि राजस्थान प्रदेश में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। अत: गर्मी मे ठंडे रहने वाले कपड़े का निर्माण भीलवाड़ा में करवाया जा सकता है। इस प्रकार के ठंडे कपड़े का सैम्पल इराक, कुवैत, आदि देशों के पुलिस कर्मियों की वर्दी मंगवाकर लिया जा सकता है। पुलिस कर्मियों के जूतों पर भी शोध कर उनके लिये आरामदायक जूतों के निर्माण का प्रावधान हो ताकि उन्हें लम्बे समय तक पहनने में कोई असहजता महसूस नहीं हो।

2. वर्तमान में पुलिस सेवा में तकनीक का प्रयोग बढ़ गया है। जब सरकार स्कूल स्तर पर लैपटाप बांटने की कार्यवाही कर रही है, तो मेरा सुझाव है कि एस.आई. से लेकर आई.पी.एस. तक की बेसिक ट्रैनिंग में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को लैपटाप प्रदान किया जावे।

3. पुलिस मे तकनीक का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से पुलिस इंजीनियरिंग सर्विस का गठन हो जिसमें प्रत्येक रेंज स्तर पर 5-5 इंजीनिरिंग हों जो पुलिस के कम्प्यूटर, सी.सी.टी.वी कैमरे, लैपटाप, प्रिन्टर्स, फोटो स्टेट, फैक्स, फोन, आदि को तुरन्त दुरूस्त कर सकें। साथ ही, राजस्थान के प्रत्येक थाने में ऐसे कान्स्टेबल पृथक से भर्ती किये जावें जो कम से कम BCA के समकक्ष हों, जो राज्य के 850 थानों में मात्र कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्य जेसे ई-मेल, काल डिटेल, इलेक्ट्रोनिक-मानिटरिंग का कार्य करें।

4. पुलिस-कर्मियों के ट्रांसफर नियमित अन्तराल पर होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके बच्चों की पढ़ाई सबसे अधिक प्रभावित होती है। मैं सुझाव देता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन से चर्चा कर प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में 10 प्रतिशत सीट्स पुलिस-कर्मियों के बच्चों हेतु आरक्षित करवाई जाएं। जिससे पुलिस-कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो।

5. पुलिस-कर्मियों की भोजन व्यवस्था अत्यन्त अस्वस्थ है। राज्य के

प्रत्येक थाने में प्रातःकाल नियमित रूप से दाल बनती है। थानों की मैस व्यवस्था इतनी लचर है कि हार्ड डयूटी करने वाले पुलिसकर्मियों साल के 365 दिन तक रोज सुबह दाल खाने को मजबूर हैं। इस दिशा में गम्भीरता से सोचने के लिए मैं राजस्थान के श्रीमान डी.जी. साहब व ए.डी.जी. प्लानिंग एंड वेलफेयर से गुजारिश करूंगा कि इस दिशा में वे गम्भीरतापूर्वक विचार कर ऐसी नीति का निर्माण करें जिससे थानों की मैस व्यवस्था में रचनात्मक सुधार सम्भव हो पाये।

6. थानों पर अनुसंधान हेतु थाने में अनुसंधान अधिकारियों की अत्यन्त कमी है। उदाहरण स्वरूप जयपुर कमिश्नरेट के माणक चौक थाने पर आज दिनांक को मात्र दो अनुसंधान अधिकारी मौजूद हैं, जबकि स्वीकृत नफरी के मुताबिक वहां 11 उप निरीक्षक होने चाहिए। ऐसा होने से राज्य की जनता को न्याय मिलने में देरी हो रही है। साथ ही, थानों पर ऐसी व्यवस्था निर्मित की जावे कि थाने की जितनी बीट हों, कम से कम उतने बीट कांस्टेबल तो थानों पर मौजूद हों । पुलिस मुख्यालय का प्रयास हो कि अगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के प्रत्येक थाने में कम से कम स्वीकृत नफरी की तो पूर्ति कर दी जावे।

जेल व्यवस्था में सुधार हेतु मेरे कुछ निवेदन हैं:-

1. राज्य की समस्त जेलों में कुल मिलाकर करीब 19-20 हजार बन्दी मौजूद हैं जिनमें खतरनाक प्रवृति के 10 प्रतिशत बन्दी हैं, यानी, करीब दो हजार। इस परिस्थिति में यदि राज्य 200-200 की कैपेसिटी की ऐसी 10 हाइटेक व हाई-सिक्योरेटी जेलों का निर्माण करे जिनमें न तो मोबाइल ले जाना सम्भव हो, ना ही वहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हों।

2. यदि राज्य की समस्त जेलों को मोबाइल-फ्री कर दिया जावे तो मेरा दावा है कि राजरू के सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों मे 50 प्रतिशत की गिरावट अगले ही वर्ष आ सकती है।

3. हमारे वर्तमान डी.जी. श्री ओमेन्द्र भारद्वाजजी ने एक अभिनव प्रयोग किया था जब वे डी.जी. जेल थे। उन्होंने करीब पांच-छह पुलिसकर्मियों को पुलिस सेवा से जेल सेवा में डेपुटेशन पर मांगा था। यह प्रयोग अत्यन्त ही सफल प्रयोग था। कुछ समय पूर्व दहेज प्रताड़ना में जमानत पर छूट मेरे परिचित ने मुझे बताया कि जब से दौसा जेल को पुलिसकर्मियों द्वारा सम्भाला गया है, तब से वहां जेल मोबाइल-फ्री हो गये हैं तथा वाहन चोरी के सम्पूर्ण नेटवर्क पर भी लगाम लगी है। मैं आग्रह करूंगा कि राज्य के आठ केन्द्रीय

जेलों व तीन प्रथम श्रेणी जेलों को पुलिस विभाग के अफसरों द्वारा संचालित किया जावे।

4. आपराधिक न्यान प्रशासन के तीन अंग हैं- न्यायपालिका, पुलिस व कारागृह, परन्तु बड़े ही घोर आश्चर्य की बात है कि आज तक इन तीनों अंगों की कोई समन्वय मीटिंग नहीं होती। यदि ऐसा मासिक रूप से होने लग जाये तो बीकानेर जैसी घटना की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है।

कुछ अन्य सुझाव:-

1. बीट व्यवस्था संचालन व बीट में सूचना पट्ट लगाने के लिये प्रत्येक थाने को बजट आबंटन किया जावे।

2. बीट में भ्रमण करने हेतु प्रत्येक कांस्टेबल को वाहन भत्ता प्रदान किया जावे।

3. पुलिसकर्मियों के वर्दी घुलाई भत्ते को प्रासंगिक बनाया जावे।

4. प्रत्येक थाने में कम से कम चौपहिया वाहन उपलब्ध करवाये जावें।

5. व्यापार मण्डलों व बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिये बाजारों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना अनिवार्य किया जावे।

6. थाने पर सरकारी टी.वी. मय डिश कनेक्शन हों।

7. वर्तमान में ए.डी.जी. (अपराध) द्वारा जोर-शोर से राज्य की बीट व्यवस्था में सुधार की कवायद की जा रही है। इस हेतु ए.डी.जी. (अपराध) को मेरा यह सुझाव है कि बीट व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिये उसका क्षेत्राधिकार नगर निगम, नगरपालिका, ग्राम पंचायत के वार्ड के अपुरूप किया जावे तथा जनगणना वोटर लिस्ट के आंकड़ों को पुलिस बीट व्यवस्था के लिये भी उपलब्ध कराया जावे ताकि एक ही प्रकार के आंकड़े जुटाने के लिए अलग-अलग एजेन्सियों को श्रम व समय बरबाद नहीं करना पड़े।

8. मोबाइल कम्पनियों द्वारा प्रत्येक माह का डाटा हर जिला अधीक्षक को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य किया जावे।

9. परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेन्सों का डाटा भी प्रत्येक माह हर जिला अधीक्षक को उपलब्ध करावाया जाना अनिवार्य करें।

10. सड़क हादसों की रोकथाम हेतु लाइसेन्स प्रक्रिया को कठिन बनाया जावे।

11. सिविल ला मे सुधार किया जावे ताकि धोखाधड़ी की सम्भावना समाप्त हो एवं पुलिस पर इन मुकदमों का बोझ कम हो । चल-अचल सम्पति की खरीद, बेचान प्रक्रिया में एकरूपता लाई जावे।

12. अग्निशमन, पुलिस व सिविल डिपार्टमेंट एवं एम्बुलेन्स के अधिकारियों की मासिक समन्वयक बैठकें होनी चाहिए ताकि आपदा स्थिति में बेहतर बचाव हो सके।

13. I.O. को पेशी पे जाने की जगह वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये बयान की व्यवस्था हो।

14. मेरे आहौर विधान सभा में भाद्राजून चौकी को थाने में क्रमोनत एवं आहौर में C.O. सर्कल बनाया जाये।

परिशिष्ट-3G

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या-16 पुलिस व मांग संख्या-17 कारागार पर माननीय सदस्य श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल द्वारा सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

पुलिस सुधार हेतु सुझाव-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पुलिस प्रशासन की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। कोटा में पिछले दिनों एक एस पी को भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके साथ एक दंपति भी गिरफ्तार किया गया है, बतौर दलाल के। इसके बाद, इससे जुड़ी बातें जो मीडिया में आई हैं, वे न केवल पुलिस की कार्य-प्रणाली पर प्रश्न खड़ा करती हैं, बल्कि यह साबित करने के लिये पर्याप्त हैं कि पुलिस की समानांतर सरकार है। देश का संविधान और विधान जिस तंत्र के द्वारा सरेआम बेचा जा रहा है, उसका नाम पुलिस तंत्र हो गया है।

शास्त्रों में कहा गया है, युद्धकाल में राजा का, यानी कि सरकार का, पहला दायित्व देश की रक्षा करना होता है किन्तु वर्तमान में राजा का, यानी कि सरकार का, पहला दायित्व जनता को न्याय दिलाना होता है। सरकार के गृह विभाग की देखरेख में शांति-व्यवस्था निर्माण और संवैधानिक राज व्यवस्था देने का मुख्य कर्तव्य पुलिस से होता है, मगर पुलिस के प्रति सामान्य जन की राय संतोषप्रद नहीं है। सौ लोगों से बात करेंगे तो 90 का जवाब विरोध में मिलेगा। क्यों? इस प्रश्न पर विचार हो तो ही सुधार होगा।

मान्यवर, आजकल जमीन-जायदादें बहुत महंगी हो गई हैं। पुलिस थाने भू-माफियाओं के अड्डे बन गये हैं। पुलिस के ज्यादातर आला अधिकारी सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों के स्वागत में खड़े हैं। थाना अधिकारी से लेकर जांच अधिकारी तक सम्पत्ति से कमाई की कोशिशें करते रहते हैं, न्याय को उलझाते रहते हैं, पुलिस को मिले अधिकारों का दुरुपयोग करते रहते हैं। मर्डर को एक्सिडेंट बनाने की बात तक समाने आई है। इसलिये इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। सामान्य विचार से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुधार के जरूरी बड़े कदम भी उठाने होंगे।

आदरणीय, पुलिस थाने में एक जायज रिपोर्ट लिखाने में भी पसीना

आ जाता है। जायज रिपोर्ट, जरूरी नहीं है कि लिखी ही जाये। सादा कागज पर कोई लिख कर दे आये और उस पर सुनवाई हो जाये, यह तो असम्भव है। जन प्रतिनिधियों के दखल के बाद भी रिपोर्ट लिख ली जायेगी, इसकी गारंटी नहीं है। वाहन चोरी, मोबाइल चोरी, चेन चोरी, ये तो अपरोक्ष अपराध ही नहीं रहे, क्यों कि पुलिस इनकी तत्काल रिपोर्ट लिखती ही नहीं है। लड़की गायब है, पुलिस मौखिक जमा खर्च में चलता कर देती है। यह चिंता नहीं करती कि उसके साथ क्या हो रहा होगा। उसकी कितनी सहमति है, कितनी असहमति है।

पुलिस में सुधार प्रणाली के लिये एक आन-लाइन पुलिस रिपोर्ट करवाये जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिये। यह आन-लाइन रिपोर्ट सीधे पुलिस अधीक्षक के नाम आये और इस हेतु एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तैनात हो जो हर इस तरह की रिपोर्ट का एक-दो घंटे में निस्तारण करे, जांच सौंपे। पुलिस कह सकती है कि इससे बेवजह रिपोर्टो की भरमार हो जायेगी, मगर इससे एक फायदा तो यह होगा कि रिपोर्ट नहीं लिखने की बीमारी समाप्त हो जायेगी, उस पर अंकुश आयेगा, शांति व्यवस्था कायम होगी, पुलिस कुछ नहीं करती, यह शिकायत दुरूस्त होगी। कार्यवाही में भी अधिकांश प्रकरण 107/151 के होते हैं जिससे बड़े अपराधों की आगे की राह ब्लाक हो जाती है।

मान्यवर, हमारी पुलिस व्यवस्था को न्याय के लिये कार्य करना चाहिये। इस हेतु रिपोर्ट लिखे जाने और उसकी प्रगति रिपोर्ट की जांच हेतु एक सामान्य नियमावली होनी चाहिये। रिपोर्ट के प्रथम तीन दिन में पुलिस ने क्या किया, यह रिपोर्ट शीट पर दर्ज करना अनिवार्य हो। जिन प्रकरणों में जांच 7 दिवस में पूर्ण न हो, उनमें थाना अधिकारी को नोट लगाना होगा कि ये कारण है। 15 दिन में जांच में सफल नहीं होने पर प्रकरण स्वत: डीवाई एस पी को रेफर हो जाये। सूचना सी एम ओ और गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों सहित पुलिस अधीक्षक को हो।

कुल मिलाकर जवाबदेह प्रशासन की पहली कड़ी पुलिस है। पुलिस की कार्यप्रणाली चुस्त-दुरूस्त होने के लिये वाचिंग सिस्टम को पुख्ता करना होगा, संख्या बल और संसाधन में वृद्धि करनी होगी। जनता से भी सुझाव मांगे जायें कि क्या-क्या सुधार करने चाहिये। वह हमारी मालिक है। एक साझा और बड़ा कदम सरकार उठाये, यह जरूरी है।

परिशिष्ट-3H

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या 16-पुलिस व मांग संख्या 17-कारागार पर माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार द्वारा रखा गया वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16-पुलिस एवं मांग संख्या 17-कारागार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। इन विषयों पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मै आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर सदन एवं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन पुलिस थाने, भादरा, भीरानी और गोगामेड़ी कार्यरत हैं। भादरा विधान सभा क्षेत्र का काफी बड़ा क्षेत्र हरियाणा सीमा से लगता है। उक्त क्षेत्र में शराब तस्करी व डीजल-पेट्रोल की तस्करी भी हरियाणा से की जाती है। हरियाणा से कई बार अपराधी प्रवृत्ति के लोग क्षेत्र में वारदात करके चले जाते हैं। हरियाणा सीमा से सटा होने के कारण यहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती रहती हैं। वर्तमान में मेरा क्षेत्र पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय नोहर के अधीन कार्यरत है। नोहर की दूरी भादरा से लगभग 50 किमी. व भीरानी थाना से लगभग 80 किमी. पड़ती है। क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना हो जाने पर Dy. S.P. को यहां पर पहुंचने में काफी समय लगता है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाये रखने व हरियाणा से हो रही तस्करी एवं गुण्डागर्दी को रोकने के लिए पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय भादरा में खुलवाने की कृपा करें ताकि क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनी रह सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तीनों थाने भादरा, भीरानी एवं गोगामेड़ी हरियाणा बोर्डर के समीपवर्ती पुलिस थाने हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहां इन थानों में पुलिस के स्टाफ का अभाव रहता है। पिछले दो माह से क्षेत्र में लगातार चोरी एवं लूट की वारदातें हो रही हैं। इन वारदातों में अभी तक अभियुक्तों को भी नहीं पकड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में, क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही है। अतः क्षेत्र के उक्त तीनों पुलिस थानों के क्षेत्र में कानून

और व्यवस्था पर लगातार नियन्त्रण रखने के लिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा बोर्डर के समीपवर्ती इन तीनों पुलिस थानों में पुलिस का स्टाफ बढ़ाने की कृपा करें ताकि क्षेत्र में शान्ति-व्यवस्था बनी रह सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 17-कारागर पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के उपखण्ड भादरा में बन्दियों के लिए काफी पुरानी सब-जेल बनी हुई है। वर्तमान में जेल भवन की मरम्मत एवं सुधार के लिए उक्त सब-जेल को बन्द किया हुआ है। भादरा सब-जेल के बन्द होने की वजह से गत दो वर्षों से बन्दियों को नोहर सब-जेल में स्थानान्तरित किया हुआ हैं। भादरा की जेल सुधार हेतु 10 लाख रुपये का बजट भी स्वीकृत किया हुआ हैं लेकिन अभी तक जेल की मरम्मत एवं सुधार कार्य शुरू भी नहीं हुआ हैं। भादरा से नोहर की दूरी करीब 50 किमी. पड़ती है। ऐसी स्थिति में, जेल के बन्दियों एवं अन्य लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत: भादरा सब-जेल के सुधार हेतु टेन्डर जारी करवाकर मरम्मत एवं सुधार का कार्य शुरू करवाया जाये ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।